सप्तम माला, खंड 12, अंक 2 मंगलवार, 17 फरवरी, 1981/28 माघ, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पाँचवाँ सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय–सूची

अंक 2, मंगलवार, 17 फरवरी, 1981/28 माघ, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
* तारांकित प्रश्न संख्या 1, 3, 4, और 6 से 9	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 2 और 10 से 20	24—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 75 और 77 से 200	32—197
सभापटल पर रखे गये पत्र	197—199
विधेयकों पर अनुमति	199—201
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	202—222
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	202
श्री विद्याचरण शुक्ल	202
श्री आनन्द पाठक	211
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	212
श्री रामावतार शास्त्री	216
श्रीमती सुशीला गोपालन	221
कट्टापट्टी और बनियमबाड़ी स्टेशनों के बीच तथा दुरौंधा और चैननी स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	223—225
श्री केदार पांडे	
लोको रनिंग स्टाफ के आंदोलन के बारे में वक्तव्य	225—227
श्री केदार पांडे	
नियम 377 के अधीन मामले	227—236
(एक) गुजरात में कमजोर वर्गों में अत्याचार	
श्री हीरालाल आर० परमार	227

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य से पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(दो) रक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारियों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना	
श्री समर मुखर्जी	233
(तीन) नागरकोइल टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र में बदलना	
श्री एन० डेनिस	334
(चार) दिल्ली में किसान रैली के लिए रेलगाड़ियों द्वारा किसानों को लाने ले जाने के कारण यात्रियों को हुई कठिनाइयां	
प्रो० मधु दंडवते	234
(पांच) गुरु रविदास जी की जयन्ती मनाने के लिए 18 फरवरी, 1981 को राजपत्रित छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता	
श्री सूरजभान	235
(छः) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में	
श्री जी० एम० बनातवाला	235
(सात) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा की घटनायें	
श्री मनीराम बागड़ी	236
विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विधेयक, 1980	237—260
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	237
श्री जगपाल सिंह	238
श्री जेवियर अराकल	239
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	241
श्री मूलचन्द डागा	243
डा० बसंत कुमार पंडित	246
श्री बाबू साहेब परुलेकर	247
श्री विजय कुमार यादव	250
श्री जयपाल सिंह कश्यप	251
श्री एन० के० शेजवलकर	253
खंड 2 से 4 और 1	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
श्री एस० बी० चव्हाण	259
कार्य-मंत्रणा समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	260

लोक सभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 1981/28 माघ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पेट्रोल की खपत नियंत्रित करना

***1. श्री ए० टी० पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की जा रही लगातार वृद्धि को देखते हुए और इसके परिणामस्वरूप पेट्रोल के लगातार बढ़ते हुए आयात बिल को देखते हुए, क्या सरकार का विचार इसकी खपत नियंत्रित करने का है ताकि इसके आयात में कमी की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) आयात बिल में कमी करने के लिये और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये सरकार का विचार क्या अन्य उपाय करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत का मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की खपत लगभग 5 प्रतिशत है । पेट्रोल की खपत को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) पेट्रोल के मूल्यों को बढ़ाया गया था जिससे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में लापरवाही से पेट्रोल के प्रयोग को बढ़ावा न दिया जा सके ।

(2) केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी स्टाफ कारों में पेट्रोल की खपत में बचत करने की परामर्श दी गई थी ।

(ग) देश में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों में बचत और कार्यकुशलता लाने के लिए निम्नलिखित कुछ आवश्यक कदम उठाये गये हैं :—

(1) मिट्टी के तेल के विक स्टोव को संशोधित रूप में चालू करना जिसकी थर्मल कुशलता लगभग 60 प्रतिशत है जबकि अन्य मिट्टी के तेल के बत्ती वाले स्टोव जो आमतौर पर बाजार में बेचे जाते हैं की 40 से 45 प्रतिशत थर्मल कुशलता है।

(2) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ियां हैं, का अध्ययन आरम्भ करना जिससे वे परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल के उपयोग में अधिकतर कुशलता ला सके।

(3) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल की खपत में कुशलता लाने के लिए वे शहरों और नगरों के अन्दर और स्थानीय परिवहन गाड़ियों पर कानूनी रूप से गति सीमा रोक लगाये और अधिक धुंआ देने वाली गाड़ियों पर नियंत्रण रखें।

(4) जहां कहीं तकनीकी रूप से सम्भव हो, भट्टी के तेल को कोयले द्वारा प्रतिस्थापित करना।

(5) भट्टी के तेल के प्रयोग में कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय करने के सम्बन्ध में उद्योगों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना ; और

(6) ऊर्जा संरक्षण के लिए विस्तृत मार्ग निर्देशन जारी करना।

श्री ए० टी० पाटिल : (क) देश में पेट्रोल की वार्षिक खपत कितनी है तथा प्रश्न के उत्तर में बताए गये उपायों से यह कितनी कम हुई है।

(ख) और (ग) क्या सरकार ने पेट्रोल की सप्लाई के (एक) राशन किये जाने की संभावना का आकलन किया है तथा (दो) पेट्रोल से चलने वाली कारों वालों पर अपनी कारों का कुछ समय के लिए उपयोग न करने की पाबंदी लगाये जाने और (तीन) व्यक्तियों तथा कम्पनियों द्वारा कारों के उपयोग पर किये जाने वाले व्यय को आयकर के लिए छूट की सीमा को निर्धारित न्यूनतम तक रखने के लिए कार्यवाही की है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत का 5 प्रतिशत पेट्रोल पर खपत होता है। 1979-80 में यह खपत 14.8 लाख टन थी जबकि 1973-74 की कुल खपत 15.2 लाख टन थी। इस प्रकार पेट्रोल की खपत में वृद्धि दर पर पर्याप्त नियंत्रण है और इसमें और नियंत्रण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० टी० पाटिल : मिट्टी के तेल तथा भट्टी के तेल का विकल्प कोयले आदि तथा अन्य स्रोतों से खोजने में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसका क्या फल निकला ? (ख) विश्व के अन्य देशों में कौन से अन्य विकल्प उपयोग में लाये जाते हैं तथा उनका क्या प्रभाव पड़ा ? (ग) उपलब्ध उपायों को अपनाने से पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादनों के आयात व्यय पर अगले वर्ष कितनी कमी आने की संभावना है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक पेट्रोल की खपत के विकल्पों का सम्बन्ध है मध्य-सार मिलाकर सफल प्रयोग किये जा चुके हैं। परन्तु दुर्भाग्य से मध्यसार भी कम मात्रा में उपलब्ध होता है अतएव यह प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। जहां तक अन्य देशों द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज का प्रश्न है, दक्षिण अफरीका तथा अमरीका जैसे देशों ने कोयले से मेथिलिन और स्पिरिट का उत्पादन किया है। परन्तु हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाये हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि यह जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जाते हैं तो किसान रेली के लिए इतने बड़े पैमाने पर फोरन एक्सचेंज खत्म करके जो पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है, उसको रोकने के लिए ··· **(व्यवधान)**

श्री ज़ेवियर अराकल : मन्त्री महोदय ने बताया है कि कारों तथा अन्य यानों पर कुल 5 प्रतिशत पेट्रोल की खपत होती है। टैक्सी वालों स्कूटर वालों की कठिनाई को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि निकट भविष्य में पेट्रोल के मूल्य न बढ़ाये जायें ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमन्, दुर्भाग्य से मैं इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकता क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तेल तथा पेट्रोलियम निर्यात कर्त्ता देशों के मूल्यों पर निर्भर करते हैं। यदि उक्त देश मूल्य बढ़ाते हैं तो सरकार इस बारे में विवश है।

श्री के० ए० राजन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या समुद्र की लहरों तथा अन्य स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन के यत्न किये गये हैं तथा क्या सरकार ने इस बारे में अन्य देशों से कोई समझौता किया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार ने सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है कि एक वैकल्पिक ऊर्जा आयोग की नियुक्ति की जाये। तथा आयोग स्थापित होने पर समुद्र की लहरों तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर ध्यान देगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 2, श्री मधुकर। वह उपस्थित नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : श्रीमन, आपको अनुपस्थित सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कितनी बार ? श्री साठे, सभी सदस्यों को यहां उपस्थित रहना चाहिये। वे काफी उत्तरदायी हैं। मैं यह बात कई बार कह चुका हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : अधिकांश अनुपस्थित सदस्य कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

*3. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में (न्यायालय — वार) न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और कब से ;

(ख) उन पदों के भरने में विलंब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें संभवतः कब तक भर दिया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तारीख 1-2-1981 की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के दो पद रिक्त थे। ये पद 15.11.1980 और 16.1.81 को रिक्त हुए थे। तारीख 1.2.1981 को जो स्थिति थी उसके अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 83 पद भर जाने थे। उनका उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा और वे तारीखें जब वे पद रिक्त हुए थे, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जहां तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है न्यायाधीशों के पद अभी हाल ही में रिक्त हुए हैं और उनके लिए अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं। उच्च न्यायालयों के मामले में अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूरी तौर से दृढ़ और पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ थोड़े से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इन रिक्त पदों के भरे जाने की कोई विनिर्दिष्ट अवधि बताना संभव नहीं है। तथापि राज्य प्राधिकारियों को बराबर इस बात के लिए स्मरण दिलाया जा रहा है कि वे अपनी सिफारिशें भेज दें।

विवरण

तारीख 1 फरवरी, 1981 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के भरे जाने वाले पदों की संख्या

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	रिक्त पद	वह तारीख जिससे स्तम्भ 3 में दर्शित पद रिक्त हुए
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	12	30.7.1980
			30.7.1980
			30.7.1980
			30.7.1980
			4.11.1980
			26.12.1980
			30.1.1981
			7.2.1981
			x बाकी 4 पदों के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।
2.	आन्ध्र प्रदेश	4	16.3.1979
			6.1.1980
			1.7.1980
			4.7.1980

1	2	3	4
3.	मुम्बई	4	जनवरी, 1981
			जनवरी, 1981
			x बाकी 2 पदों के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।
4.	कलकत्ता	10	1.8.1978
			12.8.1978
			23.11.1979
			23.11.1979
			23.11.1979
			23.11.1979
			26.12.1979
			1.2.1980
			1.11.1980
			28.1.1981
5.	दिल्ली	4	28.5.1980
			27.6.1980
			4.9.1980
			21.10.1980
6.	गौहाटी	4	6.4.1978
			7.7.1979
			1.3.1980
			x बाकी एक पद के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।
7.	गुजरात	4	5.11.1980
			5.11.1980
			5.11.1980
			5.1.1981
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11.1.1980
9.	जम्मू-कश्मीर	3	23.2.1980
			x बाकी दो पदों के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	2	नवम्बर, 1980
			नवम्बर, 1980
11.	केरल	2	1.8.1980
			30.1·1981
12.	मध्य प्रदेश	7	21.2.1980
			21.7.1980
			10.1.1981
			x बाकी 4 पदों के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।
13.	मद्रास	5	6.11.1979
			27.3.1980
			10.12.1980
			1.1.1981
			1.1.1981
14.	उड़ीसा	3	1·8.1980
			1.10.1980
			5.11.1980
15.	पटना	11	1.8.1979
			1.2.1980
			1.1.1981
			x बाकी 8 पदों के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।
16.	पंजाब और हरियाणा	4	9.2.1979
			19.3.1980
			15.10.1980
			15.10.1980
17.	राजस्थान	3	15.6.1980
			10.7.1980
			x बाकी एक पद के लिए, पाद टिप्पण देखिए ।

टिप्पण : *ये नए पद हैं जो उस तारीख से मंजूर किए गए हैं जिस तारीख को वे पहली बार भरे जाते हैं ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के विषय मेंकहा है, इसमें नियुक्तियां अभी रीसेंटली हुई हैं, लेकिन जो 83 पद सन् 1978 से हाई कोर्टों में खाली हैं और तब से आज तक मैं समझता हूँ कि सभी जगह पेपरों में न्यूज़ आती रही हैं कि हाई कोर्टों में हज़ारों केसेस पेंडिग पड़े हैं, लंबित हैं और आम जनता को इससे परेशानी होती है क्योंकि बार-बार कोर्ट में डेट बढ़ जाती है। राज्य सरकारें 1978 से रिमाइंडर करा रही हैं और प्रस्ताव भेजती रही हैं। क्या इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं या नहीं ?

श्री पी० शिव शंकर : मुझे अत्यन्त खेद है कि विशेषतः कलकत्ता और गोहाटी जैसे स्थानों में 1978 से स्थान रिक्त पड़े हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि राज्य के अधिकारियों में ही गतिरोध विद्यमान है। मैं कुछ राज्यों में विशेष रूप से कलकत्ता स्वयं गया था। मैं समझता था मैंने विवाद समाप्त कर दिया है। मैंने एक संसद सदस्य को भी बातचीत में सम्बद्ध किया। अपने प्रयत्नों के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका क्योंकि पुनः गतिरोध शुरू हो गया है। जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध हैं, मुझे विश्वास है···दुर्भाग्य से इन नियुक्तियों के बारे में हम मित्र रुख अपना रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते ···

श्री संतोष मोहन देव : गोहाटी की क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तथा गोहाटी का मामला है, इसमें पांच मुख्य मन्त्रियों तथा मुख्य न्यायाधीश की सहमति होना आवश्यक है। राज्यपाल पृथक प्रस्ताव करते रहे हैं तथा मुख्य मंत्री पृथक प्रस्ताव रखते रहे हैं। कई बार इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार के कारण कोई विलम्ब नहीं हुआ है। मैं स्वयं कई राज्यों में जाता हूँ ताकि जहां तक सम्भव है विवाद समाप्त कर विलम्ब को रोका जा सके, परन्तु इस मामले में कुछ विलम्ब होता ही है, और कई बार अधिक समय का लगना दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जो गतिरोध पैदा हुआ है क्या यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच भयंकर मतभेदों के कारण पैदा हुआ है ? अगर न्यायपालिका स्वतन्त्र है तो जो प्रस्ताव उसकी ओर से नियमों और शर्तों के अनुसार आते हैं उनको केन्द्रीय सरकार क्यों तुरन्त कार्यान्वित नहीं करती है ? क्या कारण है कि 1978 से ये स्थान रिक्त पड़े हुए हैं ? बिहार में 11 वेकेंसीज़ हैं और ये 1979 से खाली पड़ी हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने रिमाइंडर तब से अब तक दिये गए हैं और इनके बावजूद भी प्रोपोजल नहीं आई हैं ? कब तक आप इस पर एक्शन इस तरह से लेते रहेंगे ? क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि एक निश्चित समय में इन वेकेंसीज़ को भर दिया जायेगा ?

श्री पी० शिव शंकर : संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य सरकार के साथ परामर्श करना होता है। इसलिए मेरा यह बताना जनहित में नहीं है कि गलती किसकी है। कहा जा सकता है कि किसी की भी भूल नहीं है क्योंकि परस्पर मतभेद हैं। कई बार मैंने मुख्य मन्त्रियों से निवेदन किया है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर अपने मतभेद समाप्त करें।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, वहां पर बहुत से पद रिक्त पड़े हैं तथा मैं सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय में नामों के बारे में मतैक्य नहीं है। काफी विवाद चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : वे अपना व्यक्ति लाना चाहते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे लिए कोई भी टिप्पणी देना उचित नहीं है। एक समय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने कुछ सिफारिशें कीं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया—जब कार्यकारी राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश से मिले तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए सचेष्ट हूँ। मुझे इसका खेद है। परन्तु किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था पर इसका दायित्व डालना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मुझे खेद है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : यह टिप्पणी अनुचित है। डायमेंड हार्बर के सदस्य उत्तरदायी व्यक्ति है।

मेरे माननीय मित्र ने इसे गैर-जिम्मेदाराना कहा। इसका निर्णय मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूं।

श्री डी० पी० यादव : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि केवल छः महीने पूर्व ही, विधि मंत्री महोदय ने पिछड़ी जातियों के आयोग के समक्ष, अपने विचार व्यक्त करते हुए, जो कि समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे, कहा था कि आरक्षण तथा नियुक्तियां करने का आधार सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन होना चाहिये ; अतः क्या सरकार तथा मंत्री महोदय द्वारा उच्चतम न्यायालय के 85 न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन के इस मानदण्ड का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री पी० शिव शंकर : यह ठीक है कि पिछड़ी जातियों के आयोग के समक्ष मैंने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) की इस धारणा पर बल दिया था। परन्तु इस धारणा को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जहाँ तक न्यायाधीशों की भर्ती का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने अगस्त, 1980 में ही राज्य सरकारों को लिखे गये पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ तक सम्भव हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्प संख्यकों तथा अन्य इसी प्रकार के लोगों की सिफारिश की जानी चाहिये। यह मैंने उन सब को लिखा

है और साथ ही यह भी बताया है कि वह ऐसे लोगों को कुछ अधिक महत्व दे सकते हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आम धारणा यह है कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन समाज के उच्च वर्ग अर्थात् ऐसे व्यक्तियों से किया जाता है जो प्रमुख वकील हो या जिनकी आय अच्छी हो या जिनका सम्बन्ध सम्पन्न परिवारों से हो। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई मानदण्ड निश्चित किया जा सकता है जिससे कि मुख्य मंत्रियों को इस प्रकार के निदेश दिये जा सके कि वह सम्भवतः समाज के निम्न वर्ग के लोगों का चयन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करने के लिए उन्हें पूर्ण अवसर प्रदान करे ?

श्री पी० शिव शंकर : इस प्रश्न का इस समय मैं केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि आप का सुझाव निश्चय ही विचार करने योग्य है।

दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता को विद्युत की सप्लाई

***4. श्री निरेन घोष :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता को विद्युत की सप्लाई धीरे-धीरे कम हो रही थी हालांकि उसके चेयरमैन विद्युत उत्पादन में वृद्धि का दावा करते रहे थे और कलकत्ता की विद्युत सप्लाई 1979 में 7.9% से घटकर 1980 में 4.95% हो गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल को विद्युत सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कलैंडर वर्ष 1980 के दौरान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को दामोदर घाटी निगम के कुल विद्युत उत्पादन का 7.65% भाग प्राप्त हुआ था न कि 4.95% भाग जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है। वर्ष 1979 के दौरान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को सप्लाई की गई ऊर्जा की मात्रा दामोदर घाटी निगम के कुल उत्पादन का 8.47% थी।

(ख) और (ग) सरकार को समस्या की पूरी जानकारी है और उसने इसके लिए उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप, पिछले 12 महीनों में हुए विद्युत उत्पादन की तुलना में दिसम्बर, 1980 में विद्युत के उत्पादन में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। विद्युत विभाग, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार दामोदर घाटी निगम ने एक संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार किया है और इस समय यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। बन्द पड़ी यूनिटों को शीघ्र पुनः

चालू करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। बोकारो में अतिरिक्त यूनिटें लगाकर दामोदर घाटी निगम प्रणाली को विद्युत उत्पादन क्षमता में और वृद्धि की जा रही है।

श्री निरेन घोष : दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन, श्री लूथर ने, चेयरमैन बनने के बाद अनेक बार यह कहा है— वह वहां के कर्मचारियों के साथ सीधी टक्कर ले रहे हैं, उन्हें निलम्बित कर रहे हैं और उनके संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है—कि बिजली उत्पादन में 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। परन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का कहना है कि दामोदर घाटी निगम से उत्पादित होने वाली बिजली जो 1979 में 7.9 प्रतिशत से घट कर 4.95 प्रतिशत रह गई है और उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि इस उत्पादन में गैस-टर्बाइन से उत्पन्न की जाने वाली बिजली भी शामिल है, यह पूर्णतया अनुचित है और कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को दी जाने वाले सप्लाई कम कर दी गई है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गत 3 दिनों में केवल 11 या 12 मैगावाट यूनिट बिजली सप्लाई की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सत्य पर आधारित हैं और क्या इस अक्खड़ चेयरमैन को वापिस बुला लिया जायेगा क्यों कि उसका वहां रहना दामोदर घाटी निगम के लिए खतरा बना हुआ है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्या है ? यह तो कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चेयरमैन का अक्खड़पन ही एक प्रश्न है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : दामोदर घाटी निगम में बिजली का उत्पादन कम हुआ है। उदाहरणार्थ वर्ष 1980 में प्रति माह औसतन 3572.5 लाख यूनिट का उत्पादन हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया कुछ ज़ोर से बोलिए। आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह वर्ष 1979 में 4560 लाख यूनिट था। वास्तव में दामोदर घाटी निगम में 1980 में बहुत कम बिजली का उत्पादन हुआ। परन्तु मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है। दामोदर घाटी निगम में उत्पादन बढ़ रहा है। कल इसमें 600 मेगावाट से भी अधिक उत्पादन हुआ और दामोदर घाटी निगम में उत्पादन अक्तूबर से अच्छा होने लग गया है।

जहां तक मुख्य मंत्री के इस दावे का सम्बन्ध है कि डी० वी० सी० द्वारा बिजली उत्पादन में गैस-टर्बाईन का उपयोग किया जाता है, मैं इसके सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति नहीं जानता। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी कलकत्ता में एक वैठक थी अर्थात् पूर्वी क्षेत्र के बिजली मंत्रियों का सम्मेलन था।

श्री निरेन घोष : मंत्री महोदय ने भ्रामक तथा गलत वक्तव्य दिया है। जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि स्थिति में सुधार हुआ है। जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार उत्पादन अक्तूबर में 355 मैगावाट, फिर 359 मैगावाट तथा जनवरी में 357 मैगावाट था। क्या कोई वास्तविक सुधार हुआ है ? इससे पूर्व उत्पादन 400 मैगावाट या उससे भी अधिक

था। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या गोरखपुर वर्कशाप को डी० वी० सी० से दी जाने वाली बिजली में भी भारी कटौती कर दी गई है यद्यपि दक्षिण-पूर्व रेलवे के महा प्रबंधक श्री डेविड ने और अधिक बिजली के लिऐ अनुरोध किया था। वहां मरम्मत के लिए 200 वैगन ऐसे पड़े हुए हैं, जिन्हें मरम्मत नहीं किया जा सका और इसे भी 2 प्रतिशत घटा दिया गया है। बिजली की कटौती के कारण वहां गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या डी० वी० सी० के कर्मचारियों को मुअतल करने के अन्यायपूर्ण आदेशों को वापिस लिया जायेगा और क्या डी० वी० सी० संघ को मान्यता प्रदान की जायेगी ताकि कर्मचारियों के साथ संबंधों को सुधारा जा सके और सौजन्यपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके ?

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमने मामले की जांच करने के लिए ऊर्जा सचिव को भेज दिया है। बहुत से संघ है। एक स्टाफ ऐसोसिएशन भी है। दूसरा कर्मचारी संघ (इंटका) है। इसी प्रकार श्रमिक संघ (सी० आई० टी० यू०) है। फिर दामोदर घाटी निगम स्टाफ ऐसोसिएशन (सी० पी० आई०) भी है। चेयरमैन द्वारा कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त कर दी गई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम को बिजली की मात्रा सप्लाई करने के बारे में, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई निगम के साथ किये गये इस समझौते को गत दो वर्षों से नहीं निभा पा रही है ?

क्या यह भी सच है कि बिजली कम दिए जाने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि वितरण का कार्य पश्चिम बंगाल की सरकार तथा बिहार की सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्यों कि वह भी दामोदर घाटी निगम में भागीदार हैं। यदि यह ठीक है ; तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक सम्बन्धों में सामान्य स्थिति लाने के उद्देश्य से स्टाफ ऐसोसिएशन को अमान्य करने के आदेश को वापिस लेने की संभावना या औचित्य पर विचार कर रही है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : आबंटन सुनिश्चित करने के बारे में समझौता है ; इसका तात्पर्य यह है कि जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा, उसी उत्पादन के अनुसार ही बिजली का वितरण किया जायेगा, यही उनका समझौता है। इस समय दामोदर घाटी निगम द्वारा 600 मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। उन उत्पादन आंकड़ों के अनुसार कलकत्ता को केवल 36 मैगावाट बिजली मिलनी चाहिए जबकि उन्हें 40 मैगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। अतः कलकत्ता की ओर से इसके बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती। **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उत्पादन मैगावाट में नहीं कर सकते। मैगावाट का सम्बन्ध क्षमता से है। इसका उत्पादन किलोवाट घंटों में होता है।

श्रीमती कृष्णा साही : दामोदर घाटी निगम से जो बिजली सप्लाई होती है, उसमें से बिहार को जितनी मिलनी चाहिए, क्या उतनी दी जा रही है या नहीं ?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक बिहार का ताल्लुक है, बिहार की जितनी मांग है, हम उसको उतनी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हर स्टेट को हम उतनी देते हैं, जितनी कि हम जैनीरेट करते हैं, उसके मुताबिक कट लगता है। हमने एक रेट फ़िक्स किया हुआ है, उसके मुताबिक बिजली दी जाती है। **(व्यवधान)** लेकिन उस कंट्रेक्ट के मुताबिक कहीं कम भी दी जाती है, कहीं ज्यादा भी दी जाती है। **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब ठीक नहीं है । उन्होंने पूछा है कि बिहार को जितनी बिजली मिलनी चाहिए, उतनी मिल रही है या नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने ठीक कहा है कि जितना उत्पादन होता है, उसके अनुपात से दिया जाता है।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा व्यवस्था का सवाल है। **(व्यवधान)** क्या यह सवाल का जवाब है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप हाफ़-एन-आवर डिसकशन का नोटिस दे दें।

थाल वशेट को विश्व बैंक से ऋण

*6. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने थाल वशेट में अमोनिया व यूरिया उर्वरक समूह स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा की अधिकतर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला ऋण सम्बन्धी अपना निर्णय बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता सरकार किस प्रकार पूरी करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) थाल वशेट प्रायोजना के लिये विश्व बैंक के साथ हुए ऋण करार को लागू करने के लिये एक शर्त यह थी कि अमोनिया प्लांट के लिये परामर्शदाता की नियुक्ति की जाये। विश्व बैंक ने सरकार द्वारा चुने गये परामर्शदाता को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में प्रायोजना को समय पर और संतोषपूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था। अतः वह करार 31.12.80 को समाप्त हो गया।

(ग) सरकार उक्त प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को द्विपक्षी ऋण और सप्लाइकर्त्ता के ऋण से पूरा करने का प्रस्ताव रखती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विश्व बैंक ऋण समझौता केवल 25 करोड़ रुपये के लिए हुआ था। अब जिस प्रकार का समझौता हुआ है, उसे देखते हुये, विश्व बैंक अपने समझौते से पीछे

हट गया है । हमें इस बात की खुशी है कि भारत सरकार अन्य देशों से भी वार्ता कर रही है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस कारण इस परियोजना के कार्यकरण में बाधा पड़ेगी और यदि नहीं तो वे अन्य देश कौन कौन से हैं जिनके साथ हम इस परियोजना के काम को शीघ्र चलाने के लिये वार्ता कर रहे हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जो विलम्ब हो चुका है उसके अलावा और कोई विलम्ब नहीं होगा और इसे 1984 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ।

जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, हमें डेनमार्क से 30 करोड़ रुपये, ब्रिटेन से 67.5 करोड़ रुपये, इटली से 20 करोड़ रुपये के ऋण मिलने की आशा है और इसके अलावा फ्रांस तथा अन्य देशों से भी ऋण मिलते हैं ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि इस परियोजना के अनुमान का तीन बार पुनरीक्षण होने के कारण अब अन्ततः यह अनुमान 740 करोड़ का है और क्या इस विलम्ब के कारण अनुमान में वृद्धि होगी अथवा 740 करोड़ पर ही रहेगा ?

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : उनका पुनरीक्षण किया जाये ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार की गणना के अनुसार, यह वृद्धि अब 732 करोड़ रुपये की होगी ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इससे पहले हमारे विश्व बैंक के साथ अच्छे ऋण सम्बन्ध रहे हैं लेकिन हमारे गलत निर्णयों के कारण अब विश्व बैंक हमारी सहायता के लिये सामने नहीं आ रहा है । जहां तक सलाहकार ठेकों का सम्बन्ध है, इन पर केबिनेट समिति तथा अन्य विशेषज्ञों ने उचित ढंग से विचार किया था और उसके बाद निर्णय लिया गया । मैं जानना चाहूँगा कि इसके बाद मूल निर्णय में क्यों परिवर्तन किया गया और क्या यह सच है कि नये सलाहकार ठेकों के फलस्वरूप, जिसमें एक घटिया प्रकार की प्रौद्योगिकी होगी, परियोजना को प्रति वर्ष लगभग 55 करोड़ रुपये से अधिक की हानि होगी और उसके फलस्वरूप क्या इस परियोजना को चालू करने में विलम्ब होगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक सलाहकार सेवा में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, सभा इस पर दो घंटे से अधिक चर्चा कर चुकी है । एक छोटे से उत्तर में उन सब बातों, जिनकी आशा प्रो० मधु दण्डवते मुझसे रखते हैं, को बताना मेरे लिये कठिन है । फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें कोई भी विलम्ब नहीं होगा ।

जहां तक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, हमने यथासम्भव अच्छी ही प्रौद्योगिकी का चयन किया है । जैसे कि इन्होंने कहा, 55 करोड़ रुपये का कोई भी नुकसान नहीं होगा । ऊर्जा खपत तथा अन्य बातें ······

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे ······

मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि जब केबिनेट समिति तथा विशेषज्ञों की टीम ने सलाहकार ठेके की समूची योजना पर विचार किया था तो सलाहकार ठेके में, जिससे हानि ही होगी, परिवर्तन करने के क्या कारण थे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मोटे तौर पर कारण ······

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप अनुमति दें ······ **(व्यवधान)**

इन्होंने अनुमति दे दी है ······ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं । इससे केवल समय ही अधिक लगेगा।

प्रो० मधु दंडवते : इन्होंने इस विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस पर पहले दो घंटे की चर्चा हो चुकी है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने वाद-विवाद के कार्यवाही वृत्तान्त को देखा है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : 2 घंटे, 15 मिनट का समय क्यों न लें ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक सलाह के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह देखा गया कि ब्रान प्रौद्योगिकी को पूर्णतः हस्तांतरित करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय भूमि का भी उन्हें कोई अनुभव नहीं और यहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ । दुनिया भर में दिये गये ठेकों में से ब्रान को केवल दो ठेके दिये गये जबकि टोपसो को 15 और पुलमेन केलौग को 17 मिले । अतः उस दृष्टि से पुलमेन केलौग तथा टोपसो द्वारा दी जा रही प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम है और यह प्रौद्योगिकी का सम्पूर्ण हस्तांतरण है। जहां तक ऊर्जा खपत का सम्बन्ध है, इसकी खपत भी सम्भव हो रही है और इसीलिये परिवर्तन जरूरी है ।

दूसरे ब्रान प्रौद्योगिकी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गयी है जहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं ······

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : यह पुरानी पड़ चुकी है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक तोपसो द्वारा दी जा रही प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है, यह एक सर्वोत्तम है और पूर्णतः हस्तांतरणीय है और जिन उत्प्रेषणों की वे पेशकश कर रहे हैं वे ब्रान प्रौद्योगिकी में नहीं है ।।

जब छः पक्षों की सूचियों में तुलनात्मक दृष्टि से कुछ कमी थी, तो विश्व बैंक को पता चला कि तोपसो और पुलमेन केलौग की सूचियों में भी कुछ कमियां हैं । इसका उन्हें पूरा पता है और इससे उनको भी आश्चर्य नहीं होगा ।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : वे सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी नहीं चाहते ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भारत विश्व बैंक का शेयर होल्डर है जिसके निदेशक बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि भी हैं। अतः जब यह निर्णय लिया गया तो इसे भारत का अपमान ही समझा गया। और प्रधान मन्त्री ने भी अपने भाषण में कहा कि यह देश के भीतरी मामले में एक खुला हस्ताक्षेप है । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि इन सब बातों के बावजूद,

भारत सरकार, जो शेयर होल्डर है और विश्व बैंक के निदेशक बोर्ड में है, ने विश्व बैंक के निर्णय पर कोई भी आपत्ति नहीं की। इसने इतना भी नहीं पूछा कि विश्व बैंक ने किस कारण ठेका समाप्त किया। अतः मैं अनुभव करता हूं कि सरकार के उत्तर से प्रतीत होता है कि सरकार इन सब बातों के लिये दोषी है। मैं जानना चाहता हूं कि. क्या सरकार आपत्ति पत्र देगी और विश्व बैंक के निदेशक बोर्ड की आपातकालीन बैठक बुलायेगी और इस बात को पूछेगी कि इस ठेके को क्यों रद्द किया गया ? क्या वे दोषी हैं और प्रश्न को उठाने से डरते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम यह बार-बार कह चुके हैं कि इसमें दोष वाली कोई बात नहीं। हमने देश हित में यथासम्भव उत्तम काम किया है। हमने यथासम्भव सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को चुना है।

जहां तक आपत्ति का सम्बन्ध है, हम उन्हें पूरा उत्तर दे चुके हैं। अभी हाल में, अपने विदेश दौरे के दौरान, मैंने इटली की सरकार तथा डेनमार्क के प्रतिनिधि से बात की थी। दोनों सरकारें आपत्ति पत्र दे रही हैं और हम भी ऐसा कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने निदेशक बोर्ड की बैठक बुलायी है ? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस मामले को निदेशक बोर्ड की बैठक में उठायेंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक आपत्ति पत्र देने का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि विश्व बैंक इस पर क्या कार्यवाही करेगा।

गुजरात द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

***7. श्री नवीन रवाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में औद्योगिक, कृषि और अन्य विकास गतिविधियों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की खपत बढ़ी है ;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर डीजल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता गुजरात की मांग के अनुरूप नहीं है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को एस० के० ओ०, एल० डी० ओ०, एच० एस० डी० ओ० के उचित वितरण के लिए व्यवस्था की है ;

(घ) केन्द्र द्वारा इनके कम आबंटन के कारण गुजरात सरकार इनका नियमित वितरण करने में बहुत कठिनाई का सामना कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो गुजरात को और अधिक आबंटन के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

(च) क्या केन्द्र को इस मामले में गुजरात सरकार से 10 जनवरी, 1980 से 30 दिसम्बर 1980 के दौरान पत्र, अभ्यावेदन, ज्ञापन आदि प्राप्त हुए हैं ; और

(छ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कि मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), लाइट डीजल तेल इत्पादि की मांग को ग्रामतौर पर पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है।

हाई स्पीड डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल के मामले में, गुजरात राज्य को मासिक ग्राबंटन, अन्य राज्यों की तरह कुल उपलब्धता तथा परिवहन क्षमता पर निर्भर करता है। 1980 के दौरान गुजरात में मिट्टी के तेल तथा डीजल का विक्रय पिछले वर्ष के विक्रय की अपेक्षा कम था।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रालय द्वारा किये गये वास्तविक ग्राबंटन के अन्तर्गत कुछ महीनों में राज्य सरकार ने डीजल तथा मिट्टी के तेल की मांग को पूरा करने में कठिनाई के बारे में सूचना दी है।

(ङ) राज्य सरकार से प्राप्त प्रार्थना के आधार पर स्थिति से मुकाबला करने के लिये गुजरात के डीजल तथा मिट्टी के तेल का अतिरिक्त ग्राबंटन किया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) जैसा कि उपरोक्त (ङ) में दर्शाया गया है राज्य को समय-समय पर अतिरिक्त ग्राबंटन किये गये हैं।

श्री नवीन रवाणी : अध्यक्ष महोदय, जबसे माननीय मन्त्री जी ने पेट्रोलियम मन्त्रालय का कार्यभार सम्हाला है तब से गुजरात में कठिनाई कम हो रही है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि 26 नवम्बर को हमारे सिविल सप्लाइज़ मिनिस्टर ने ज्ञापन दिया था कि डेरी, शुगर, इण्डस्ट्री और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, सभी के लिए डीज़ल सप्लाई करने के लिए मौके पर ही ग्राउटलेट्स खोले जायें तो इस बारे में सरकार ने क्या कोई निर्णय ले लिया है ?

दूसरी बात मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि 1981 में एल० पी० जी० के ज्यादा कनेक्शन्स रिलीज़ किए जायेंगे तो क्या इसमें रूरल एरियाज़ के लिए कुछ रिज़र्वेशन रहेगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : प्रश्न एल० पी० जी० के बारे में नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मार्च के बाद, बम्बई के नये संयंत्र द्वारा उप्पादन शुरू करने के बाद हम हर महीने एक लाख कनेक्शन देंगे और दो अढ़ाई वर्षों के अन्दर हम लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की आशा रखते हैं, जो हमारी प्रतीक्षा सूची में हैं। जहां तक गुजरात में नये पाइन्ट शुरू करने का सम्बन्ध है, गुजरात सरकार से पत्र मिलने के बाद हमने कम्पनी को क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये कहा और सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद, हम नये पाइन्ट शुरू करेंगे।

श्री नवीन रवाणी : मैंने यह प्रश्न किया था कि एल० पी० जी० के जो कनेक्शन दिये जायेंगे उनमें रूरल एरियाज़ के लिये कोई रिजर्वेशन रहेगा या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 1980-81 के दौरान हम भारत के हर जिले को कनेक्शन देंगे।

श्री नवीन रवाणी : सरल एरियाज के लिये कोई कनेक्शन रहेगा या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरल एरिया भी जिले का भाग है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

***8. श्री राम विलास पासवान :**

श्री छांगुर राम : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में किस आधार पर वृद्धि की हैं ;

(ख) पेट्रोल, हाई स्पीड़ डीजल, खाना पकाने की गैस, मिट्टी के तेल के मूल्यों में कितना उत्पादन शुल्क और कितने अन्य कर हैं तथा ब्रिटेन, अमरीका, जापान, फ्रांस आदि जैसे अन्य देशों में इन शुल्कों और करों की तुलना में ये आंकड़े कितने न्यूनाधिक हैं और यदि भारत में "लेवी" अधिक है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पेट्रोलियम के उत्पादों में हाल की वृद्धि का समूचे रूप में उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) यह अनुमान है कि 13.1.81 से वर्तमान मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ता थोक विक्रय मूल्य सूची में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

विवरण—एक

विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि, जून, 1980 में पिछली बार हुई मूल्य वृद्धि के बाद तेल उद्योग पर पड़े विदेशी मुद्रा और रुपये के अतिरिक्त भार को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1195 करोड़ रुपये वसूल करने के लिए की गई है । प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि का निर्णय सभी सम्बन्धित कारणों, जैसे इन उत्पादों के वर्तमान बाजार मूल्य तथा इस वृद्धि के कारण विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव आदि पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद किया गया है ।

(ख) केवल 31-7-79 से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े ही इस समय उपलब्ध हैं । चुने हुए पेट्रोलियम उत्पादों के तुलनात्मक उपभोक्ता मूल्यों और उन पर लगने वाले करों तथा शुल्कों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

केवल पेट्रोल के मामले में ही निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर भारत में शुल्क की अधिक ऊंची दरें लगाई जाती हैं :—

(1) कम आवश्यक इस्तेमाल के सम्बन्ध में पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग को कम करने के लिए ;

(2) उर्वरक के रूप में इस्तेमाल के लिए अधिक नाफ्था उपलब्ध कराने के लिए ;

(3) कुछ सीमा तक नाफ्था का आयात घटाने के लिए ; और

(4) सामान्य राजस्व के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए ।

विवरण-दो

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और भारत में 31-1-79 को चुने हुए पेट्रोलियम उत्पादों के तुलनात्मक उपभोक्ता मूल्य और उन से सम्बन्धित करों और शुल्कों के अंश ।

(रुपये/लिटर)*

देश	मोटर स्प्रिट (नियमित)			आटो डीज़ल			घरेलू मिट्टी का तेल			आसुत भट्टी तेल		
	उपभोक्ता	शामिल है		उपभोक्ता	शामिल है		उपभोक्ता	शामिल है		उपभोक्ता	शामिल है	
	मूल्य	कर/वैट	शुल्क	मूल्य	कर/वैट	शुल्क	मूल्य	कर/वैट	शुल्क	मूल्य	कर/वैट	शुल्क
अमरीका	1.87	0.29	—	1.68	0.29	—	1.25	कोई नहीं	कोई नहीं	1.52	नगण्य	—
फ्रांस	4.98	64.3%	—	3.48	54%	—	2.69	45%	—	1.99	28.3%	—
ब्रिटेन	4.43	15%	1.41	4.63	15%	1.58	2.07	—	0.04	—	—	—
भारत (दिल्ली)	4.04	7%	2.70	1.47	7%	0.49	1.43	3%	0.49	1.09	7%	0.13
जापान	4.66	1.95	0.08	3.05	0.86	0.08	1.78	—	0.04	—	—	—

वैट—मूल्य में कर शामिल करके । *अपनाई गई विनिमय = 1 अमरीकी डालर = 7.76 रुपये

स्रोत: अमरीकी ऊर्जा विभाग द्वारा अप्रैल 1980 को निकाला गया वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम । भारत सम्बन्धी आंकडे ठीक किये गये ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पहला भाग जो है, वह यह है कि सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों में किस आधार पर वृद्धि की है, इसका जवाब नहीं आया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, एक विवरण परिचालित किया गया है। शायद वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं वह विवरण पढ़ कर सुना दूंगा।

विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि जून, 1980 में पिछली बार हुई मूल्य वृद्धि के बाद तेल उद्योग पर पड़े विदेशी मुद्रा और रुपये के अतिरिक्त भार को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1195 करोड रुपये वसूल करने के लिए की गई है। प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्य में वृद्धि का निर्णय सभी संबंधित कारणों, जैसे इन उत्पादनों के वर्तमान बाजार मूल्य तथा इस वृद्धि के कारण विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव आदि पर बहुत ध्यान-पूर्वक विचार करने के बाद किया गया है।

(ख) केवल 31-7-79 से संबंधित तुलनात्मक आंकड़े ही इस समय उपलब्ध हैं। चुने हुए पेट्रोलियम उत्पादों के तुलनात्मक उपभोक्ता मूल्यों और उन पर लगने वाले करों तथा शुल्कों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

केवल पेट्रोल के मामले में ही निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर भारत में शुल्क की अधिक ऊंची दरें लगाई जाती हैं :-

(1) कम आवश्यक इस्तेमाल के संबंध में पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग को कम करने के लिए ;

(2) उर्वरक के रूप में इस्तेमाल के लिए अधिक नाफ्था उपलब्ध कराने के लिए ;

(3) कुछ सीमा तक नाफ्था का आयात घटाने के लिए ; और

(4) सामान्य राजस्व के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जो बेसिक प्वाइंट है, वह यह है कि वृद्धि किस बेस पर की है ? आप हमेशा कहते रहे हैं कि विदेशों में ऐसा हो जाता है, हमारे सामने कोई चारा नहीं है और आप कह रहे हैं कि विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे पहलू क्या हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक पहलू का सवाल है, पहलू यह है कि इसमें ओपेक द्वारा प्राइस का बढ़ाया जाना। जून, 1980 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस हाइक किया गया था। उसके पश्चात् बाली-कान्फ्रेंस के पूर्व में ओपेक कन्ट्रीज़ ने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और क्रूड की प्राइस बढ़ाई और फिर बाली कान्फ्रेंस के बाद करीब-करीब चार डॉलर प्रति-बैरल के हिसाब से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। उसकी मद्दे नजर रखते हुए, ये कीमतें हमने बढ़ाई हैं। जो करीब 1223 करोड़ रु० का कम्पनी लॉस कर रही थी, उसमें से करीब 1195 करोड़ रु० वे करीब कवर-अप करने की कोशिश की है।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कैरोसिन की कीमतें जो रखी गई हैं, उसमें भी करीब-करीब 200 करोड़ की सब्सिडि का ऐलीमेंट अभी है। जो कीमतें बढ़ी हैं,

उसमें खास तौर से जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग है, जिनको इसकी आवश्यकता है, इसलिए उनकी कीमतों को कम रखने का प्रयास किया गया है।

श्री रामविलास पासवान : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ — गल्फ़ प्राइसेज़ और वेनिज़ुला प्राइसेज़ क्या हैं ? आप ने अभी सबसिडी की बात कही है— मैं जानना चाहता हूं कि इस में सैन्ट्रल एक्साइज़ और अदर टैक्सेज़ कितने लगे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक इस में गल्फ़ कन्ट्रीज़ के प्राइसेज़ का सवाल हैं — इस समय वहां 36 डालर प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है। जहां तक टैक्स के एलीमेन्ट का सवाल है — मैंने स्टेटमेन्ट में बतलाया है कि पेट्रोल में टैक्स का एलीमेन्ट कन्ज्यूमर प्राइस का 2.90 रुपये है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस स्टेटमेंट में नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पेट्रोलियम पदार्थों से मुख्य उत्पादन शुल्क के रूप में 1600 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होती है।

श्री राम विलास पासवान : इम्पोर्टेड क्रूड का आप का टोटल रिक्वायरमेन्ट कितना है तथा उस को प्राप्त करने के लिये आप ने किन-किन देशों के साथ एग्रीमेन्ट किया है ? इसमें कितना शार्ट-फाल है तथा उसको मीट करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमारी कन्ट्री की रिक्वायरमेन्ट करीब 31 मिलियन टन है, जिसमें 14 मिलियन टन हमारा उत्पादन है, करीब 16.7 मिलियन टन क्रूड आयल हम को इस वर्ष आयात करना पड़ेगा। इस के अलावा 7.89 मिलियन टन पेट्रोलियम प्राडक्ट्स का आयात करना पड़ेगा। इन सब सामग्रियों की कीमत पर 5650 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी। जहां तक देश में उत्पादन का सवाल है, हम ने अपने उत्पादन को मद्देनज़र रखते हुए जितने क्रूड की आवश्यकता थी उस को टाइ-अप कर लिया है। आधा-मिलियन टन स्पाट परचेज़ किया है। बाकी के लिये क्वैत, कतार, मैक्सीको, नाइजेरिया, सऊदी-अरेबिया, अल्जीरिया ईरान, ईराक — इन तमाम मुल्कों के साथ समझौते हो गये हैं — इस तरह से हम ने तेल की आवश्यकता की पूर्ति कर ली है।

श्री माधव राव सिंधिया : यह अपने आप ही स्पष्ट है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और सकल राष्ट्रीय उत्पादन के बीच बहुत गहरा संबंध है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में थोड़ी सी भी वृद्धि होने से सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन करने के मुख्य साधनों का पता लगाकर और उस आधार पर उनके लिये राज-सहायता देने का विचार करेगी ताकि सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर कम से कम प्रभाव पड़े।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह इतना तकनीकी प्रश्न है कि इसे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ ही जान सकते हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : वह इसे स्पष्ट क्यों नहीं कर सकते ? पेट्रोलियों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होने से सकल राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह क्या है ?

श्री माधव राव सिंधिया : क्या सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन के मुख्य साधनों का पता लगाकर उनके लिये उस आधार पर राज-सहायता देने का विचार करेगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक राज सहायता देने का संबंध है, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मिट्टी के तेल के लिए 200 करोड़ रुपये और उर्वरक उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले नाफ्था के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक राशि की राज सहायता पहले ही दी जा रही है। हमने इन सभी बातों पर विचार कर लिया है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कुल एक प्रतिशत प्रभाव पड़ा है, इससे अधिक नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जो कुछ वह कह रहे हैं वह सही नहीं है। कृपया मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उनका कथन सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह मुझे बताइये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। वह यह है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। अगला प्रश्न।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा नई कोयला खानें खोलना और विद्युत उत्पादन एककों की स्थापना

***9. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्मों से कहा गया है कि वे नई कोयला खान खोलने तथा विद्युत उत्पादन एककों की स्थापना करने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में गैर-सरकारी फर्मों को आमंत्रित करना सरकार की स्वीकृत नीति के विरुद्ध नहीं है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) नई कोयला खानें खोलने के सुनिश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की फर्मों को नहीं कहा है। जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, विद्युत विकास के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता को तथा विभिन्न सार्वजनिक मंचों और बहसों में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए आम वक्तव्यों में निजी क्षेत्र का आह्वान किया गया है कि सुनिश्चित वित्तीय योगदान के साथ विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तथापि, अभी तक सरकार को कोई सुनिश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में यूटिलिटी के रूप में निजी क्षेत्र की भूमिका इस समय औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प द्वारा शासित होती है। निजी स्वामित्व वाले वर्तमान यूनिटों के

विस्तार में अथवा जब नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग राष्ट्रहित में अपेक्षित हो तब इसे प्राप्त करने में उक्त प्रस्ताव बाधा नहीं डालता। विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी यूटिलिटीज के प्रस्तावों पर विचार उनके गुण-दोषों के आधार पर, औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प की भावना को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

कोयले के संबंध में, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में कोयला खानों का प्रचालन निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि कोयला खनन के क्षेत्र में, कम से कम सरकार यहां पर तो वचन बद्धता दिखा रही है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से हटा नहीं जायेगा। जहां तक विद्युत का संबंध है, वह औद्योगिक नीति संकल्प के जिस परन्तुक का हवाला दे रहे हैं उसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें कोई संशोधन करना राष्ट्रीयहित से आवश्यक हो। अतः यदि कोई ठोस प्रस्ताव सामने आते हैं तो उन्हें इस सभा में राष्ट्रीय हित के आधार पर उचित ठहराना होगा। मैं वर्तमान गैर-सरकारी क्षेत्र के विस्तार के प्रश्न का भी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न यह है : यदि आप यह सोच रहे हैं, जैसा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने पहले इस सभा में कहा था और बाहर दिये गये अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में भी कहा था, कि क्या वह चाहेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र विद्युत उद्योग में पूंजी निवेश करे, नये पूंजी निवेश करे, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या उनको अन्दर आने के लिये यह एक छोटा मार्ग देना नहीं हैं और क्या वह देश के आगे यह स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं कि सरकार या सरकारी क्षेत्र विद्युत एककों के प्रशासन और प्रबंध को चलाने में असफल रहे हैं। जैसा कि गैर-सरकारी क्षेत्र ने हमेशा कहा है कि सरकार विद्युत उद्योग को चलाने के अयोग्य है और इसलिए उन्हें यह उद्योग सौंप दिया जाना चाहिए, क्या वे वस्तुतः इस तर्क के आगे अपने आप को झुका रहे हैं और अपनी असफलता को स्वीकार कर रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : बिल्कुल नहीं। विद्युत एक भारी पूंजी चाहने वाला उद्योग है। अतः हम यह सोच रहे हैं कि पूंजीपतियों को इसमें अधिक से अधिक धन निवेश करने के लिए आकर्षित करें। विद्युत उद्योग के विस्तार में आने वाली मुख्य रुकावटों में से पूंजी एक है। यदि हम सारे देश की मांग को समग्र रूप में लें तो मेरा मत है कि अधिक से अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। परन्तु हम यह पहले ही कह चुके हैं और जो कुछ हम कहते आ रहे हैं वह यह है कि यह गैर-सरकारी क्षेत्र से धन निवेश को आकर्षित करने के लिए एक कारण है। इससे अधिक कुछ नहीं। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि सरकारी क्षेत्र किसी उद्यम को चलाने के अयोग्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकारी क्षेत्र विद्युत उद्योग को सक्षमतापूर्वक चलाने में समर्थ होना चाहिए। किन्तु इसमें बहुत बड़ा 'यदि' लगा हुआ है। यदि कुछ कदम उठाये जायें तो मुझे विश्वास है कि वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वे कदम उठाये नहीं जाते। मेरा प्रश्न यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है क्या उससे मैं यह समझूं कि वे ऐसी स्थिति का विचार कर रहे हैं जिसमें गैर-सरकारी क्षेत्र विद्युत एककों के प्रबंध या प्रशासन में अपना हिस्सा रखे बिना उनमें पूंजी निवेश करेगा, कि वे केवल पूंजी लगायेंगे और आप उन्हें चलायेंगे ? क्या आप यह सोचते हैं कि वे इस प्रकार से अपनी पूंजी निवेश कर देंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अपने उत्तर में मैंने यह कहा है कि कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आये हैं। जब तक कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आते हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री बसुदेव आचार्य : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार श्री गनी खान चौधरी ने बँगाल वाणिज्य मंडल की एक बैठक में यह बताया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को कोयला खानों के संचालन की अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं है। क्या अब माननीय मंत्री द्वारा उसका खंडन नहीं किया गया है? पश्चिम बंगाल में बहुत सी खानों का संचालन गैर-सरकारी तौर पर किया जा रहा है। मैंने कई प्रश्न पूछे हैं लेकिन ऐसी खानों की संख्या के बारे में मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया है। गैर-सरकारी खानों का संचालन रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक कोयला क्षेत्र का संबंध है किसी भी खान का संचालन किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम इस की अनुमति नहीं देता है। तथापि, हमारे पास दो प्रस्ताव हैं। एक गैर-सरकारी कम्पनी मैसर्स करम चन्द थापर एण्ड संस ने किसी आस्ट्रेलियाई कम्पनी के सहयोग से भारत में कोयला खानों का विकास करने का प्रस्ताव किया है। प्रत्यक्षतः यह प्रस्ताव वर्तमान कानून की परिधि के भीतर नहीं आता है और इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दूसरे, एक जापानी कम्पनी मितसुई का प्रस्ताव है जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की मार्फत अनपारा विकास योजना के लिए 500 मेगावाट के दो सेटों के लिये उपकरणों की सप्लाई तथा इसकी बढ़ी हुई क्षमता के लिए अपेक्षित कोयले की सप्लाई करने के लिए कोयला खानों का विकास करने का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अभी तक तकनीकी पहलुओं से मंजूरी नहीं दी है। तथापि यदि यह प्रस्ताव मंजूर भी कर लिया जाये तो भी इसे कोयला खानों को गैर-सरकारी क्षेत्र को देना नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक इसे किसी खान के विकास के लिए विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने हेतु सहयोग का करार कहा जा सकता है जिसमें विकास के लिए भुगतान नकदी में न होकर अन्य प्रकार से किया जायेगा। बस केवल इतना ही है। यह मालिकाना अधिकारों में परिवर्तन नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मेझिया क्षेत्र में कालीदासपुर कोयला खानों का कार्य सरकारी क्षेत्र द्वारा आरंभ कर दिया गया है? इस क्षेत्र में और भी ऐसी कोयला खानें हैं जिन्हें आरंभ किया जा सकता है। क्या यह कार्य सरकार स्वयं करेगी या इसमें विदेशी सहायता ली जायेगी? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार मेझिया कोयला क्षेत्र में खानों के मुहाने पर एक बिजली उत्पादन एकक लगायेगी और क्या मेझिया क्षेत्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए रानीगंज, मेझिया, बांकुरा रेल लाइन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध करेगी।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे यह बताया गया है कि इस कोयला क्षेत्र में उत्तम किस्म का कोयला है और मैं यह मानता हूं कि बिजली घरों में उसका उपयोग नहीं किया

जा सकता। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, यह कार्य 'कोल इंडिया' द्वारा किया जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उसके लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फिल्म समारोह के दौरान विज्ञान भवन में दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था

*2. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म समारोह के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में फिल्मों के प्रदर्शन के समय समारोह-अधिकारी टिकटधारी दर्शकों के लिए सीटें उपलब्ध नहीं करा सके थे ;

(ख) क्या यह सच है कि सीटें उपलब्ध न कराये जाने के कारण टिकटधारियों ने प्रदर्शन किया था और फिल्म दिखाये जाने को रोका था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) विज्ञान भवन की क्षमता कितनी है और वहां सीटों की कुल संख्या कितनी है ;

(ङ) प्रत्येक "शो" के लिए कितने निमंत्रण पत्र दिये गये, कितने संवाददाताओं को सीटें उपलब्ध कराई गई और कितनी टिकटें बेची गई ;

(च) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) एक विवरण (1) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(घ) मुख्य हाल तथा बालकोनी में 1323 सीटें।

(ङ) एक और विवरण (2) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–1

877 सीटों वाले एक अनन्य थियेटर को फिल्म प्रतिनिधियों, प्रत्यायित फिल्म आलोचकों, फिल्म छात्रों और फिल्म प्रभाग तथा दूरदर्शन के फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसरों के लिए आबंटित किया गया था। इस थियेटर में सुबह से रात तक प्रतिदिन छः फिल्में दिखाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, 337 सीटें विज्ञान भवन में दोपहर 3.30 बजे और सायं 6.30 बजे के शो में प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई थीं। इसी प्रकार, अर्चना थियेटर में 200

सीटें दोपहर 3.30 बजे, सायं 6.30 बजे और रात्रि 9.30 बजे के शो में प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई थीं। 136 और सीटें मावलंकर आडिटोरियम में रोजाना हुए हर पांचों शो में आरक्षित की गई थीं। इस प्रकार, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को समारोह में प्रदर्शित सभी फिल्मों को देखने का अवसर था। उनके लिए कुल 1600 सीटें उपलब्ध थीं, जो प्रतिनिधियों और समारोह के लिए प्रत्यायित पत्रकारों की कुल संख्या से अधिक थीं। प्रतिनिधियों और पत्रकारों दोनों को पहले से ही विज्ञान भवन, मावलंकर आडिटोरियम और अर्चना में उनके लिए आरक्षित सीटों के बारे में जानकारी दे दी गई थी और उनको स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि सीटें "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर उपलब्ध होंगी। प्रबंध उस परिपाटी के अनुसार किया गया था, जिसका विश्वभर में होने वाले अंतराष्ट्रीय समारोहों में अनुसरण किया जाता है।

2. उन प्रतिनिधियों और पत्रकारों की संख्या, जो 7 जनवरी, 1981 को विज्ञान भवन में सांय 6.30 बजे के शो की फ़िल्म देखना चाहते थे, उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गयी थी और इसलिए उनमें से कुछ फिल्म नहीं देख पाए थे। कुछ प्रतिनिधियों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया और फिल्म के प्रदर्शन में कुछ समय तक बाधा रही। बाद में, एक घोषणा की गई कि फिल्म का विशेष प्रदर्शन अगले दिन सुबह विज्ञान भवन में किया जायेगा जहां सभी प्रतिनिधि और पत्रकार फिल्म को देख सकेंगे। तब फिल्म पूरी प्रदर्शित कर दी गई थी।

विवरण —2

सरकारी वर्ग में प्रतिदिन फिल्मों के चार शो विज्ञान भवन में किए गए थे। आडिटोरियम के रख-रखाव से संबंधित सम्पदा निदेशालय और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिए सभी शो में 14 सीटें आरक्षित की गई थीं। दोपहर 12.30 बजे के शो और रात्रि 9.30 बजे के शो में, सभी शेष सीटों को टिकटों पर लोगों को देने का प्रस्ताव किया गया था। दोपहर 3.30 बजे और सांय 6.30 बजे के शो में, शुरू में 337 सीटें प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई थीं। इनमें से, 4 से 10 सीटें उन देशों के दूतावासों को निमंत्रण कार्डों पर दी गई थीं, जिनकी फिल्में वास्तव में दिखाई जाती थीं। अन्य सभी सीटें लोगों को टिकटों पर देने का प्रस्ताव किया गया था। यह व्यवस्था 7-1-1981 तक जारी रही जब सांय 6.30 बजे के शो में कुछ गड़बड़ी हुई, क्योंकि प्रतिनिधियों और पत्रकारों, जो फिल्म देखने के लिए आये थे, की संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गयी थी। इसके बाद, लोगों के लिए दोपहर 3.30 बजे और सांय 6.30 बजे के शो के दैनिक टिकटों की बिक्री स्थगित कर दी गई ताकि प्रतिनिधियों और पत्रकारों को पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध की जा सकें।

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि० का राष्ट्रीयकरण

***10. आचार्य भगवान देव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि० के अधिग्रहण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं ; और

(ख) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सल्फ्यूरिक एसिड, एलम और साबुन प्लांटों का सुव्यवस्थीकरण, कैफीन और डैप्सोन की क्षमता में विस्तार, क्रमबद्ध नवीकरण और मशीनरी को बदलने के साथ-साथ नई मशीनें लगाकर टेबलेटिंग और तरल पेय सुविधाओं में सुधार लाने के उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) सुव्यवस्थीकरण और विस्तार की योजनायें शुरू की गई हैं और वे विभिन्न स्तरों पर हैं । वर्तमान उत्पादन पद्धति में सुधार जारी है ।

गैर सरकारी औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन

***11. श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन गैर सरकारी औषध निर्माता कम्पनियों को सौंपने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की औषधियों का क्या ब्यौरा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं। सरकार ने किसी जीवन रक्षक औषध का उत्पादन सिर्फ गैर-सरकारी कम्पनियों को सौंपने का निश्चय नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डायमण्ड हार्बर, पश्चिम बंगाल में छिद्रण

***12. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डायमण्ड हार्बर, पश्चिम बंगाल में छिद्रण कार्य पर आज तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या वहाँ तेल की खोज का कार्य छोड़ दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अक्तूबर, 1980 के अन्त तक 1203.97 लाख रुपयों की राशि जिसमें 550.73 लाख रुपयों का मूल्यह्रास शामिल है, खर्च की गई है । इसमें से अप्रैल से अक्तूबर, 1980 की अवधि के लिए 100 लाख रुपयों का व्यय अस्थायी आधार पर है और इसमें मूल्यह्रास जोकि वर्ष के अन्त में समायोजित किया जाता है, शामिल नहीं है ।

(ख) जी नहीं, परन्तु दूसरे स्थल पर रिग अस्थायी तौर पर ले जाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रांध्र प्रदेश के नरसापुर क्षेत्र में तेल तथा गैस की खोज

***13. श्री के० ए० स्वामी : क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रांध्र प्रदेश के नरसापुर क्षेत्र में तेल तथा गैस के मिलने की ग्रच्छी संभावनाएं हैं ;

(ख) नरसापुर क्षेत्र में बिदोहन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि तेल ग्रौर प्राकृतिक गैस ग्रायोग इस क्षेत्र में गैस तथा तेल निकालने के बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ग्रान्ध्र प्रदेश में ग्रभी तक हाइड्रो-कार्बन्स की वाणिज्यिक रूप से खोज नहीं की गई है। ग्रौर ग्रागे ग्रन्वेषण ग्रौर मूल्यांकन किए बिना इस स्थिति में इस क्षेत्र की भावी सम्भावनाग्रों के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है।

(ख) नरसापुर संरचना के प्रथम कूप के परीक्षण को पूरा करने के बाद एक ड्रिलिंग रिग को ग्रगले स्थल पर 5000 मीटर की प्रायोजित गहराई के दूसरे कूप को खोदने के लिए ले जाया गया है।

बम्बई हाई गैस पर ग्राधारित पेट्रो-रसायन परियोजनाग्रों की स्थापना

***14. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में बम्बई हाई गैस पर ग्राधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों की स्थापना के लिए तत्काल कार्यवाही कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना ग्रायोग भी छठी पंच वर्षीय योजना में देश में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना हेतु पर्याप्त धनराशि देने पर सहमत हो गया है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि पर सहमति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने सिद्धान्त रूप में, दो गैस क्रैकर्स पेट्रो-रसायन समूहों तथा उनके डाऊनस्ट्रीम एककों, एक महाराष्ट्र में उसार में तथा दूसरा गुजरात में कावास में स्थापित करने का निश्चय किया है। उत्पादन क्षमता, निवेश इत्यादि सहित ब्यौरों को ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) एवं (ग) नई पेट्रो-रसायन परियोजनाग्रों के लिए छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान विधि के ग्राबंटन को ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी

***15. डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलिंडरों की भारी कमी है और इनकी माँग बढ़ती जा रही है ;

(ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 को मध्य प्रदेश में राजगढ़, गुना, विदिशा और शाजापुर जिलों के कुल कितने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के नाम "इंडियन आयल कारपोरेशन" के पास पंजीकृत थे ;

(ग) मध्य प्रदेश के उक्त चार जिलो के लिए कुल कितने एजेंट हैं ;

(घ) मध्य प्रदेश के इन चार जिलो में घरेलू गैस सिलिंडरों के लिए पंजीकृत आवेदनों की कुल संख्या क्या है ; और

(ङ) सरकार ने मध्य प्रदेश के इन चार जिलों के लिए और अधिक गैस कनेक्शन देने तथा नये एजेंट उपलब्ध करवाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) एवं (घ) वर्तमान में तेल कम्पनियों द्वारा, राजगढ़, गुणा तथा शाहजहांपुर जिलों में खाना पकाने की गैस का विपणन नहीं किया जाता । फिर भी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच० पी० सी०) का विदिशा में एक वितरक है जिसके पास 1060 उपभोक्ता हैं । 31.12 1980 को एच० पी० सी० के इस वितरक के पास खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के लिए लगभग 1700 पंजीकृत किये गये आवेदन पत्र बकाया थे ।

(ङ) राजगढ़, गुना तथा शाहजहांपुर जिलों को तेल कंपनियों के एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) की 1981-82 के लिये विपणन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को अनुमति

***16. श्री अशोक गहलोत :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की खोज करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें तेल की खोज का कार्य सौंपा गया है ;

(ग) क्या इन देशों ने खोज कार्य के बारे में कोई शर्तें लगाई हैं ;

(घ) क्या सरकार ने देश में उन क्षेत्रों का निर्णय/चयन पर लिया है जहां ये विदेशी कम्पनियां तेल की खोज करेंगी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। अभी तक नहीं। तथापि सरकार ने यह निर्णय किया है कि देश के चुने हुए क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के लिए सक्षम अनुभवी विदेशी तेल कम्पनियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जायें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। सरकार ने तेल अन्वेषण के लिए सक्षम अनुभवी कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए 13 बेसिनों में 13 ब्लाकों को चुना है।

विदेशी पार्टियों द्वारा तेल अन्वेषण के लिए चुने गये क्षेत्रों के नाम :—

तटीय	**ब्लाकों की संख्या**
1. जे० एण्ड के० तथा हिमाचल प्रदेश तराई	1
2. बीकानेर नागौर	3
3. कच्छ बेसिन	3
4. कावेरी तटीय	2
5. गंडक डिप्रेशन	2
6. शारदा डिप्रेशन	3
7. यू० पी० तराई	1
	15
उपतटीय :	
1. सौराष्ट्र	2
2. कोकन	3
3. लक्षद्वीप तथा केरल	7
4. गल्फ आफ मनार	2
5. कारो मंडल	1
6. पश्चिम बंगाल	2
	17
कुल योग :	32

पेट्रोलियम विक्रेताओं के कमीशन की दर के पुनरीक्षण का प्रस्ताव

***17. श्री डूमर लाल बैठा :**

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम विक्रेताओं के कमीशन की दर का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं और प्रस्तावित संशोधित दर क्या है और सामान्य बाजार पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) पेट्रोल और डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, डीलरों द्वारा उठाई गई वाष्पीकरण की हानि का मूल्य रुपयों में और स्टाक सम्पत्तियों पर कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था के लिए ब्याज के शुल्क बढ़ गए हैं और डीलरों के लाभ पर भी प्रभाव पड़ा है। किराये/पारिश्रमिक और ऐसे अन्य तथ्यों के कारण हुए आकस्मिक व्यय के कारण लाभ पर भी प्रभाव पड़ा है।

कमीशन दर का संशोधन करने के सम्बन्ध में एक निर्णय शीघ्र ही लिया जाना है। तथापि अंतिम विक्रय मूल्यों को प्रभावित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है क्योंकि कमीशन में किसी प्रकार के संशोधन का प्रभाव तेल उद्योग पूल खातों पर पड़ेगा।

राजधानी में खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल की कमी

***18. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री पी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कुकिंग गैस और मिट्टी के तेल की पूर्ति में हाल में हुई कमी के क्या कारण हैं ; और

(ख) पूर्ति की स्थिति सामान्य बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : (क) राजधानी में मिट्टी के तेल की कुल उपलब्धता आमतौर पर पर्याप्त थी परन्तु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच० पी० सी० एल०) के शकूरबस्ती स्थिति बॉटलिंग संयंत्र में औद्योगिक सम्बन्ध समस्या के कारण, कोयाली शोधनशाला के बंद होने के कारण कोयाली शोधनशाला में उपलब्धता तथा बरौनी शोधनशाला से उपलब्धता तथा बरौनी शोधनशाला के बंद होने के कारण जिससे खाना पकाने की गैस के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था, खाना पकाने की गैस की सप्लाई में अस्थायी रूप से अवरोध हो गया था।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दर्शायी गयी आवश्यकताओं के आधार पर दिल्ली को मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है। जहां तक खाना पकाने की गैस का सम्बन्ध है, एच० पी० सी० एल० में औद्योगिक सम्बन्ध समस्या को अब सुलझा लिया गया है। 28-1-1981 से बरौनी शोधनशाला में पुनः उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। राजधानी में सिलेंडर रिफिलों की सप्लाई स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

पंजाब में बिजली की कमी

***19. श्री लहना सिंह तुर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में बिजली की कमी है ; और

(ख) पंजाब में कृषि कार्यों के लिए बिजली का विशेष कोटा निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हाँ। पंजाब में विद्युत की कमी है। विद्युत की कमी माह प्रति माह अलग-अलग रही है और यह कमी 7.4 मिलियन यूनिट से लेकर 198 मिलियन यूनिट प्रति माह तक रही है।

(ख) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई के लिए विद्युत सप्लाई का कार्यक्रम तैयार करते समय कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। खरीफ की अवधि के दौरान कृषि पम्प सेटों के लिए 10 से 12 घंटे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है तथा रबी की फसल के दौरान 6 से 8 घंटे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। कृषि क्षेत्र की इष्टतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इतनी अवधियों के लिए पम्पसेटों को विद्युत की सप्लाई पंजाब के प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त समझी जाती है।

तेल निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति

***20. श्री रामजीभाई मवाणि :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ तेल निर्यातक देशों ने मार्च, 1980 से 30 जनवरी, 1981 के दौरान भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति में कमी की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं और की गई कटौती की मात्रा और उसका मूल्य कितना है ; और

(घ) पहले जितनी मात्रा पुनः प्राप्त करने के लिए किये गए अथवा किये जाने वाले प्रयास क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क), (ख) और (घ) यह सच है कि ईरान-ईराक युद्ध के परिणाम स्वरूप खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की

सप्लाई में कुछ कमी आयी थी। तथापि इन कमियों को आंशिक रूप से वर्तमान और नए साधनों से आयात करके और तत्काल खरीदारी करके पूरा किया गया था।

(ग) मात्रा और उन देशों के नाम के ब्यौरे जिन्होंने अनुबंधित मात्रा के अनुसार पूरी सप्लाई नहीं की थी बतलाना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता विद्युत प्रदाय कम्पनी को बिजली की सप्लाई

1. श्री आनन्द पाठक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 13 महीनों में दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता विद्युत प्रदाय कम्पनी को कितनी बार 95 मै० वा० का निर्धारित कोल सप्लाई किया ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सी० ई० एस० सी० के साथ दामोदर घाटी का अधिकतम संविदात्मक दायित्व 105 एम० वी० ए० है जो लगभग 95 मेगावाट के बराबर है। दिसम्बर, 1979 से दिसम्बर, 1980 तक की 13 महीने की अवधि के दौरान कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा ली गई विद्युत दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) दा० धा० नि० तथा कलकत्ता इले० सप्ला० कार्पो० के बीच हुए समझौते के अनुसार, दा० धा० नि० में विद्युत निम्न स्तर पर होने पर विद्युत की कम सप्लाई किए जाने की अनुमति है।

विवरण

वर्ष/महीना	घंटों की संख्या, जिनमें 105 एम, वी०ए० तक की अप्रतिबंधित सप्लाई लेने दी गई	कालम-2 में उल्लिखित अवधि के दौरान रिकार्ड की गई सी०ई०-एस०सी० की अधिकतम निकासी (एम०वी०ए०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1979			
दिसम्बर	58.49	75.9	—
1980			
जनवरी	137.09	75.6	—
फरवरी	60.85	93.3	हल्दिया सहित (20 एम० वी० ए०)
मार्च	47.20	69.6	—

1	2	3	4
अप्रैल	13.88	104.4	पश्चिम बंगाल रा० बि० बोर्ड सहित (20 एम० वी०ए०)
मई	26.51	54.0	—
जून	6.96	88.2	—
जुलाई	14.08	105.0	—
अगस्त	13.65	88.2	हल्दिया सहित (20 एम०वी०ए०)
सितम्बर	15.32	94.5	—वही—
अक्तूबर	94.85	104.4	—वही—
नवम्बर	144.81	106.6	—
दिसम्बर	98.43	103.5	हल्दिया सहित (20 एम०वी०ए०)

अधिकतम संविदात्मक मांग—105 एम० वी० ए०

दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई

2. डा० सरदीश राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन श्री लूथर द्वारा कार्य-भार संभालने के पश्चात् 31 जनवरी, 1981 तक दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को दिन-प्रतिदिन कितनी बिजली सप्लाई की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दंडकारण्य परियोजना में परियोजना भत्ते का भुगतान

3. श्री समर मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंडकारण्य परियोजना में अप्रैल, 1979 के बाद प्रतिनियुक्ति पर तथा सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये और परियोजना भत्ता दिये गये भत्ते की अनुमति दिये जा रहे कार्यकारियों और कर्मचारियों की सूची क्या है तथा अप्रैल, 1979 के बाद नियुक्त किये गये ऐसे कौन से अन्य कर्मचारी हैं जिनको परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उसके भुगतान की अनुमति नहीं दी जा रही है ;

(ख) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दंडकारण्य परियोजना में परियोजना भत्ता के भुगतान के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय (1972 का ओ० जे० सी० संख्या 392) के हस्तक्षेप के माध्यम से दूर तथा रद्द करवाना पड़ा ; और

(घ) यदि हां, तो इसी दण्डकारण्य परियोजना में इसी परियोजना भत्ता के माध्यम में भेदभाव को पुनरावृत्ति किये जाने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) से (घ) अप्रैल, 1979 के पश्चात् दण्डकारण्य परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये 29 कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जा रहा है और अप्रैल, 1979 के बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गये 245 कर्मचारियों को परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है। आवास, स्कूल, बाजार, औषधालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं के अभाव में परियोजना भत्ते की मंजूरी प्रारम्भ में 1958 में दी गई थी। चूंकि अब नागरिक सुविधाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, वर्तमान कर्मचारियों के मामले में परियोजना भत्ते को बन्द करने/कम करने के सम्बन्ध में सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। तथापि, इसे मार्च, 1981 के अन्त तक इस आधार पर जारी रखा गया है कि भत्ता बन्द करने से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, जो पूरा होने जा रहा है, पर प्रभाव पड़ेगा, किन्तु अप्रैल, 1979 के बाद भर्ती किए गये व्यक्तियों को, जिन्हें नियुक्ति की पेशकश में यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें परियोजना भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा, परियोजना भत्ता देना आवश्यक नहीं समझा गया। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

1966 में यह निश्चय किया गया था कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक, जो स्थायी रूप से दण्डकारण्य परियोजना में भूमि पर बस गए हैं और जिन्हें मकान दे दिए गए हैं और साथ ही वे जिन्हें अध्यापकों के रूप में, उनके अपने गाँवों में या पांच मील की परिधि के भीतर आस-पास के गांवों में, रोजगार प्रदान किया गया है उन्हें पहली जुलाई, 1966 से परियोजना भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। दण्डकारण्य परियोजना के एक कर्मचारी द्वारा दायर की गई याचिका पर, 1974 में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि वह उस परियोजना भत्ते का पात्र है जैसे कि परियोजना में रोजगार में लगे अन्य गैर-अध्यापक व्यक्ति पात्र हैं। इस निर्णय के आधार पर, उक्त श्रेणी के प्राथमिक अध्यापकों को परियोजना भत्ता भी बहाल कर दिया गया था।

राजधानी में बिजली की सप्लाई

4. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष के दौरान सामान्य से कम मानसून होने के बारे में कुछ विशेषज्ञों द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए विशेषकर राजधानी में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या दीर्घावधि उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति में वृद्धि करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि :—

(1) वर्ष 1981-82 के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट का एक और यूनिट चालू किया जाए। यूनिट इस समय निर्माणाधीन है।

(2) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 210-210 मेगावाट के दो और यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाएं। इस प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है।

(3) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र तथा बैरा स्यूल जल विद्युत केन्द्र जैसे उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से दिल्ली को विद्युत का आवंटन किया जाए। नरोरा परमाणु विद्युत केन्द्र से हिस्से का आवंटन करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियां

5. **श्री धर्मदास शास्त्री : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी हैं ;

(ख) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके अपने-अपने मुख्यालयों के पते क्या हैं और उनके मालिकों/भागीदारों के नाम व पते क्या हैं ;

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियों के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति/कम्पनियां भी सिग्रेट बना रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) इस समय उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजीकृत 17 औद्योगिक एककें हैं, जो सिग्रेट बनाने का कार्य करती हैं। ये एककें, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 11 कम्पनियों के स्वामित्वाधीन हैं, जिनके नामों और पंजीकृत कार्यालयों को संलग्न विवरण-पत्र में दिया जाता है। इन सिगरेट बनाने वाली एककों में प्रत्येक के अत्यधिक संख्या में शेयरधारी हैं। इन सभी कम्पनियों के शेयरधारियों के नामों को, उनके पते सहित देने में बहुत ज्यादा समय और श्रम लगेगा और इसलिए उनके नामों एवं पतों को नहीं दिया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) सिग्रेट बनाने वाले व्यक्तियों और कम्पनियां, अगर कोई हैं, और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं, तो वे कम्पनी कार्य विभाग के प्रविधान के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः इस प्रकार की एककों के विरुद्ध इस विभाग द्वारा कोई दंडनीय कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम		पंजीकृत कार्यालय
(1)	(2)		(3)
1.	आई० टी० सी लिमिटेड	(5)	वर्जिनिया हाउस,37, चौरंघी कलकत्ता-700071
2.	गोल्डन टोबाकू कम्पनी लि०,	(2)	टोबाको हाउस, विले पार्ले बम्बई-400056

(1)	(2)		(3)
3.	गौडफ्रे फ़िलिप्स इण्डिया लि०,	(1)	चाकला, अंधेरी, बम्बई-400093
4.	डनकन एग्रो इण्डस्ट्रीज लि०,	(2)	31, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001
5.	वजीर सुल्तान टोबाको कम्पनी लिमिटेड	(1)	आज़माबाद हैदराबाद-500020
6.	नवभारत टोबाको कम्पनी लिमिटेड	(1)	6-3-654, सोभाजी गुडा हैदराबाद-500004
7.	इन्टर नैशनल टोबाको कम्पनी लिमिटेड	(1)	करमानी बिल्डिंग, डा० दादाभाई नारोजी रोड, बम्बई-400001
8.	यूनिवर्सल टोबाको कम्पनी लिमिटेड	(1)	8-3-324, येलारड्डी गुडा, पो० बी० सं०-2, हैदराबाद-500873
9.	एशिया टोबाको कम्पनी लिमिटेड	(1)	16/17, कालेज रोड, मद्रास-600006
10.	जे० एण्ड के० सिग्रेट्स लिमिटेड	(1)	बारी ब्रह्मनन जम्मू
11.	गामूडिया फैक्टरीज लिमिटेड	(1)	बेहरामजी मैनशन सर फिरोजशाह मेहता रोड, फोर्ट, बम्बई-1

टिप्पणी :- कोष्टक के आंकड़ों में एककों की संख्या का उल्लेख है।

आठवें फिल्म समारोह पर हुआ खर्च

6. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से हुई आय पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : समारोह के हिसाब-किताब को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, किन्तु व्यय लगभग 50 और 55 लाख रुपये के बीच होगा जबकि राजस्व लगभग 30.00 लाख रुपये होगा।

गुजरात में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता

7. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में विद्युत की अधिष्ठापित कितनी क्षमता है ;

(ख) विद्युत की निबल कितनी प्रजनन क्षमता उपलब्ध है ;

(ग) यदि यह अधिष्ठापित क्षमता से कम है तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) राज्य में अगले वर्ष विद्युत की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात राज्य में प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र से प्राप्त होने वाले 50 प्रतिशत हिस्से को मिलाकर 2404 मेगावाट है ।

(ख) इस समय निबल उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता, तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र से प्राप्त होने वाले 50 प्रतिशत हिस्से को मिलाकर, 1710 मेगावाट है ।

(ग) उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल प्रतिष्ठापित क्षमता से, निम्नलिखित कारणों से कम है :—

(एक) कम अन्तर्वाह के कारण तथा उकई जलाशय का जल स्तर कम होने के कारण । प्रतिष्ठापित किए गए 4 सेटों की तुलना में 75-75 मेगावाट के केवल दो-सेटों का उपयोग किया जा सकता है ।

(दो) एच० पी० रोटर की मरम्मत के लिए, उकई ताप विद्युत केन्द्र में 120 मेगावाट क्षमता के सैट नं० 2 का बन्द हो जाना ।

(तीन) उकई में 200-200 मेगावाट के यूनिट 3 और 4 अभी तक सुस्थिर नहीं हुए हैं और 200 मेगावाट की क्षमता की तुलना में ये यूनिटें 175 से 180 मेगावाट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ।

(चार) धुवारण विद्युत केन्द्र में कुल 54 मेगावाट क्षमता की दो गैस टरबाइनें गैस की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बन्द हैं ।

(पांच) तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र का 210 मेगावाट का एक यूनिट पुनः इंधन डालने के लिए बंद कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त दूसरे यूनिट का विद्युत उत्पादन सीमित है और गुजरात का हिस्सा सीमित करके 60 मेगावाट कर दिया गया है ।

(छः) अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कम्पनी के 110 मेगावाट के सेट से विद्युत उत्पादन 90 मेगावाट तक सीमित है । इसके अतिरिक्त, कुल 217.5 मेगावाट क्षमता के पुराने सेट मुश्किल से 130 से 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं ।

(घ) राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(एक) जिन यूनिटों की मरम्मत की जा रही है उन्हें पुनः चालू करने तथा हाल में चालू किए गए विद्युत उत्पादन यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(दो) 1980—85 की अवधि के दौरान राज्य में लगभग 1175 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी जा रही है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे ताप विद्युत केन्द्र से भी इस राज्य को कुछ विद्युत का आवंटन किया जाएगा।

(तीन) मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करना।

असम आंदोलन के कारण तेल शोधक कारखाने को हुई हानि

8. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान असम आंदोलन के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल शोधक कारखानों को प्रति दिन कितनी हानि हुई है ; और

(ख) अब तक कुल कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्तमान असम आंदोलन के कारण तेल शोधक कारखानों को खनिज तेल उत्पादन और उसके मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों की क्रमशः 10,500 मीट्रिक और 2.3 करोड़ रुपये की औसतन प्रतिदिन की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जनवरी, 1981 तक खनिज तेल उत्पादन में कुल 4.6 मिलियन मीट्रिक टन हानि होने का अनुमान लगाया गया है। जनवरी 1981 तक उसके अनुरूप 1024 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

उड़ीसा में खलिकोटे—गन्जाम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

9. **श्री रामचन्द्र रथ :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्थापित खलिकोटे—गंजाम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आगे और पुनरीक्षण के लिए उड़ीसा सरकार को भेज दी गई है ;

(ख) क्या यह पुनरीक्षित योजना उड़ीसा से विद्युतीकरण निगम को वापस भेज दी गई है ;

(ग) इस योजना में कुल कितना ऋण परिव्यय शामिल है ;

(घ) खलिकोटे—गंजाम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को कब लागू किया जाएगा ;

(ङ) यह योजना लागू करने पर कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा ; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीम, जिसका संशोधन उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाना है, ग्राम विद्युतीकरण निगम में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई मूल स्कीम की कुल लागत 28.684 लाख रुपए थी। इसके लिए निगम से 26.487 लाख रुपए के ऋण की सहायता मांगी गई थी।

(घ) अगर स्कीम को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से जीवनक्षम पाया गया तथा यदि निधियां उपलब्ध हुई, तो संशोधित स्कीम जब ग्राम विद्युतीकरण निगम में प्राप्त हो जाएगी तब वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए उस पर विचार किया जाएगा। स्कीम का कार्यान्वयन राज्य बिजली बोर्ड को करना है।

(ङ) खालीकोट-गंजाम ब्लाक को शामिल करने वाली इस मूल स्कीम के पूरा हो जाने पर इसमें 96 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(च) 63 कृषि पम्पसेटों को ऊर्जित करने तथा 49 लघु उद्योगों की और 1,109 घरेलू/वाणिज्यिक कनेक्शनों को तथा 188 स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने की परिकल्पना इस स्कीम में की गई है।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि

10. श्री आर० एल० भाटिया : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ख) मुहानों पर अधिक समय तक अधिक स्टाक रखने के लिए क्या योजना बनाई गई है ; और

(ग) परिवहन की बाधाओं को दूर करने के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर खर्च को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(1) कोयला खानों को बिजली की सप्लाई के संबंध में रेलवे के बराबर ही उच्चतर अग्रता प्रदान की गई है।

(2) कोयला क्षेत्रों में वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उसे युक्तिपूर्ण बनाया जा रहा है।

(3) कोयला क्षेत्रों में थोड़ी क्षमता वाले ग्रहीत ताप बिजली घर स्थापित करने का एक प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

(4) वर्तमान ग्रहीत डीज़ल सेटों से बिजली का उत्पादन अधिकतम किया जा रहा है और निर्माणाधीन डीज़ल सेटों के काम में तेजी लाई जा रही है ताकि उनसे बिजली का उत्पादन शीघ्र शुरू किया जा सके।

(5) खनन कार्य के लिए भूमि के अधिग्रहण के काम में संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श और सहायता से तेज़ी लाई जा रही है — यह काम विशेषकर बंगाल और बिहार में शीघ्रता से किया जा रहा है।

(6) कोयला क्षेत्रों में — विशेषकर बिहार और बंगाल में — राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार।

(7) कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक शांति बनाए रखने की दृष्टि से कोयला क्षेत्रों में औद्योगिक संबंधों में सुधार किया जा रहा है।

(8) कंपनियों में प्रबंध और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाने की दृष्टि से प्रशासन में सुधार।

(9) खानों में उत्पादन, उत्पादकता और कोयले के संरक्षण में सुधार की दृष्टि से खनन प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए विदेशों से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) कोयले के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कोयले का खान मुहाना स्टॉक पहले ही, 1-2-1981 की स्थिति के अनुसार, 15 मि० टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। प्रस्ताव है कि खान मुहानों पर केवल उचित स्टॉक ही रखा जाए ताकि वैगनों की निर्बाध लदाई सुनिश्चित हो सके और जरूरी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। उत्पादन की नई योजनाएं कार्यान्वित होने से खान मुहानों पर कोयले का उचित स्टाक बनाए रखना संभव हो सकेगा।

(ग) कोयले की लदाई के लिए अधिक वैगन प्राप्त करने की दृष्टि से रेल मंत्रालय के साथ लगातार विचार विमर्श चलता रहता है। वैगनों की सप्लाई में अब पहले ही सुधार हो चुका है।

राज्य मंत्रियों द्वारा समारोह में भाग लिया जाना

11. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मंत्रियों द्वारा जिन समारोहों में भाग लिया गया था, उनका दूरदर्शन पर प्रसारण करने के सम्बन्ध में गत वर्ष तमिलनाडु की सरकार और मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के बीच कुछ गलत-फहमी हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गलत-फहमी के क्या कारण थे और इसका निपटारा किस प्रकार किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास द्वारा कतिपय समारोहों का प्रसारण आंशिक रूप से किए जाने और न किए जाने का कारण गलतफहमी लगती है। केन्द्र के निदेशक तमिलनाडु के

मुख्य मंत्री से मिले थे और उन्होंने उनको स्थिति स्पष्ट कर दी थी। अब गलतफहमी दूर हो चुकी है।

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

12. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बड़े पैमाने पर हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1979-80 और 1980-81 के दौरान उड़ीसा में कितनी हरिजन बस्तियों और गांवों में बिजली पहुंचाई गई ;

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा कटक जिले की कितनी हरिजन बस्तियों में, उनको चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए बिजली लगाई गई ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मुख्य गांवों को सामान्य प्रयोजनों के विद्युतीकृत करते समय जो हरिजन बस्तियां छोड़ दी गई थीं, उन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम, राज्य बिजली बोर्डों को ऋण दे रहा है। वर्तमान प्रक्रिया यह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता के लिए निगम को भेजी गई सभी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के संबंध में निगम यह सुनिश्चित करता है कि जहां कहीं भी मुख्य गांवों में सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, वहां साथ लगी हरिजन बस्तियां भी इसके साथ ही शामिल कर ली जाएं।

(ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उड़ीसा में 138 हरिजन बस्तियां तथा 2982 गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

(ग) और (घ) कटक जिले में 31 मार्च, 1980 तक 3,602 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके थे। राज्य बिजली बोर्ड ने वर्ष 1980-81 के दौरान 150 अतिरिक्त गांवों को विद्युतीकृत करने का अनन्तिम कार्यक्रम बनाया है। कटक जिले में जिन गांवों में सड़क प्रकाश की व्यवस्था की गई है, उनकी संख्या केवल 87 है जिसमें से 11 गांवों में हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा आबाद बस्तियों में सड़क प्रकाश सुविधा का विस्तार कर दिया गया है। सड़क प्रकाश सुविधा वाले 55 गांवों में कोई हरिजन बस्तियां नहीं हैं। जहां तक सड़क प्रकाश की सुविधा वाले शेष 21 गांवों में हरिजन बस्तियों को सड़क प्रकाश की व्यवस्था का संबंध है, हरिजन बस्ती विद्युतीकरण स्कीम के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड, ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० से निधियां प्राप्त कर सकता है।

बंगाली समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज

13. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथकत: कितने बंगाली दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है ;

(ग) दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा अखबारी कागज की अलग-अलग खपत कितनी हैं ; और

(घ) क्या सरकार समय-समय पर वास्तविक पृष्ठ संख्या और कुल वितरण की जांच करती है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) बंगला के दैनिकों और अन्य आवधिक पत्रों की संख्या और उनके नाम और उनकी प्रसार संख्या भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट भाग—2 "प्रेस इन इण्डिया" में दी हुई है ।

(ख) अखबारी कागज़ का कोटा अखबारी कागज़ आबंटन सम्बन्धी नीति के अनुसार उसकी प्रसार संख्या, पृष्ठों की संख्या, पृष्ठ क्षेत्र तथा आवधिकता के आधार पर नियत किया जाता है ।

(ग) बंगला के दैनिकों की अखबारी कागज़ की कुल खपत इस प्रकार है :—

1979—80	—	14,791.66 मीट्रिक टन
1980—81	—	15,255.37 मीट्रिक टन

(घ) जी, हां ।

हरियाणा में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के पश्चात् बिजली की मांग

14. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के परचात् बिजली की कुल कितनी मांग होगी ; और

(ख) हरियाणा में बिजली की कमी को दूर करने के लिये कौन सी परियोजनायें आरम्भ की जा रही हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1984-85 तथा 1989-90 में हरियाणा में विद्युत की अनुमानित मांग निम्नानुसार है :—

	1984-85	1989-90
ऊर्जा की आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	6125	9692
व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	1273	2016

(ख) योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पर कार्यवाही दल की रिपोर्ट के अनुसार

1980-85 तथा 1985-90 की अवधियों के दौरान लाभ प्रदान करने के लिए इस समय निम्न लिखित निर्माणाधीन/स्वीकृत परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं :—

स्कीम का नाम	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता	कुल लाभ	
		1980-85 के दौरान (मेगा०)	1985-90 के दौरान (मेगा०)
फरीदाबाद विस्तार (ता० वि०)	1×60	60	—
पानीपत चरण-दो (ता० वि०)	2×110	220	—
पानीपत चरण-तीन (ता० वि०)	2×110	—	220
पश्चिमी यमुना नहर (ज० वि०)	6×8	32	16

इसके अतिरिक्त, ब्यास परियोजना के अन्तर्गत चालू की जाने वाली 450 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता से अर्थात् राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों के सांझा स्वामित्व वाले देहर विस्तार(330 मेगावाट) तथा पोंग विस्तार (120 मेगावाट) में से भी हरियाणा को अपना हिस्सा मिलेगा तथा बैरा स्यूल तथा सलाल जल विद्युत परियोजनाओं और सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी इसे अपना हिस्सा मिलेगा।

विद्युत संयंत्रों के नाम, उनकी अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन

15. श्री अरुण कुमार नेहरू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में पन बिजली तथा तापीय बिजली दोनों ही परियोजनाओं के लिये कौन-कौन से विद्युत संयंत्र हैं और प्रत्येक यूनिट की अधिष्ठापित क्षमता क्या है ; और

(ख) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1980 तक वास्तव में कितना प्रजनन हुआ ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ताप विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों, उनकी क्षमता तथा जनवरी से दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान हुए उत्पादन को दिखाने वाले विवरण उपबन्ध-एक और दो संलग्न हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1783/81]

शिमला, जालन्धर और चण्डीगढ़ रेडियो स्टेशनों से रोहिणी बोली में कार्यक्रमों का प्रसारण

16. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिमला, जालन्धर और चण्डीगढ़ रेडियो स्टेशनों से हिमाचल-रोहिणी बोलियों में कार्यक्रमों को उचित प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में इन कार्यक्रमों का कालक्रम क्या है और प्रत्येक केन्द्र में उनके लिए कितना-कितना समय आबंटित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी के शिमला, चण्डीगढ़ और जालन्धर केन्द्र हिमाचल रोहिणी बोली में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिमाचल रोहिणी बोली न तो हिमाचल प्रदेश और न ही पंजाब तथा चण्डीगढ़ के काफी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है।

मन्त्रायल में अधिकारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में आन्तरिक स्थानान्तरण

17. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पेट्रोलियम तथा रसायन विभाग में अनुभाग अधिकारियों/डेस्क अधिकारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण किया जा सकता है यदि हां, तो कितने समय के बाद ;

(ख) क्या स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करने तथा किसी अधिकारी द्वारा एक ही स्थान/अनुभाग में लगातार काम करते रहने के फलस्वरूप निहित हित प्राप्त किये जाने को रोकने की दृष्टि से मानव निर्मित रेशों और औषध उद्योगों से सम्बन्धित अनुभाग/शाखा में अधिकारियों के एक ही अनुभाग तथा स्थान पर काम करते रहने की कोई अवधि निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो एक ही स्थान/अनुभाग/शाखा में तीन वष से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उनका लगातार इन स्थानों/अनुभागों/शाखाओं में कार्य करते रहने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : सामान्य रूप से जहां तक संभव होता है 3 वर्षों की अवधि के उपरान्त यथानुक्रम-स्थानांतरण किये जाते हैं। इस मन्त्रालय में अनुभाग अधिकारियों/डेस्क अधिकारियों के एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में अन्तर स्थानान्तरण किये जाते हैं।

(ख) मानव निर्मित रेशों और औषध उद्योगों से सम्बन्धित कार्य करने वाले अनुभाग अधिकारियों के सम्बन्ध में भाग (क) में दी गई अवधि के अतिरिक्त और कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) उपर्युक्त अनुभागों में से एक में श्री के० सी० कोहली लगातार 3 वर्ष की अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

कोरबा उर्वरक संयंत्र में काम का बन्द किया जाना

18. डा० कृपासिंधु भोई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा उर्वरक संयंत्र में अत्यधिक धन निवेश किये जाने के बाद काम बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना का काम पुनः आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कब ; और

(घ) परियोजना को अब क्रियान्वित करने पर कुल कितना व्यय होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1974 में कोरबा उर्वरक परियोजना का कार्य की गति को संचालन कठिनाइयों के कारण ढीला करना पड़ा था। दिसम्बर, 1980 तक परियोजना पर 21.19 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(ग) सरकार, रामगुण्डम और तालवर के कोयले पर आधारित प्लांटों के पर्याप्त विस्तृत संचालन अनुभव प्राप्त होने पर कोरबा परियोजना को पुनः प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव रखती है, जिन्होंने 1.11.80 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया है।

(घ) परियोजना की लागत का अनुमान तभी किया जायेगा जब उस पर काम पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जाये।

उड़ीसा में जल-विद्युत परियोजनाओं और कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों के नाम

19. श्री गिरिधर गोमांगों : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए क्रियान्वित की जा रही और जिनके पूरा हो जाने की संभावना है उन जल-विद्युत परियोजनाओं और कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने जल और कोयला आधारित विद्युत क्षमताओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य आरम्भ किया है यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उस राज्य द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए वार्षिक तथा छठी योजना में कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है ; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं के पूरा होने पर, नई और पुरानी परियोजनाओं की क्षमता उस राज्य की मांग पूरी कर सकेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा में निर्माणाधीन जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा उनको चालू करने का सम्भावित कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	चालू करने का संभावित वर्ष	1980-85 के दौरान क्षमता में अभिवृद्धि
1. रेंगाली (जल विद्युत)	100 मेगावाट	1983-84	100 मेगावाट
2. अपर कोलाब (ज० विद्युत)	240 मेगावाट	यूनिट-1 1983-84 यूनिट-2 और 3 1984-85	240 मेगावाट
3. अपर इन्द्रावती (ज० वि०)	600 मेगावाट	यूनिट-1 1986-87 यूनिट-2 1987-88 यूनिट-3 और यूनिट-4 1988-89	—
4. तलचेर विस्तार (ता० वि०)	220 ,,	यूनिट-1 1981-82 यूनिट-2 1982-83	220 मेगावाट

(ख) जल विद्युत के विकास के लिए एक दीर्घ कालिक परिप्रेक्ष्य तैयार करने के सम्बन्ध में 1985-95 के दौरान लाभों के लिए निम्नलिखित स्कीमों का पता लगाया गया है, जिनके लिए उड़ीसा प्राधिकारियों ने परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं :-

1.	सूपर कोलाब विस्तार	80 मेगावाट
2.	हीराकुण्ड चरण-3	37.5 मेगावाट
3.	भीमकुण्ड	738 मेगावाट
4.	रेंगाली विस्तार	150 मेगावाट
5.	बलीमेला चरण-2	120 मेगावाट

राज्य प्राधिकारियों ने निम्नलिखित अतिरिक्त स्कीमें सूचित की हैं, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण पूरे किए जाने हैं तथा परियोजना रिपोर्टें तैयार की जानी हैं।

1.	लोअर इन्द्रावती	150 मेगावाट
2.	मनदिरा	100 मेगावाट
3.	लौडानी	60 मेगावाट
4.	लोअर चिपलिमा	280 मेगावाट

तलचेर क्षेत्र में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार

द्वारा नियुक्त की गई स्थल चयन समिति की एक रिपोर्ट उड़ीसा सरकार ने जून, 1980 में प्रस्तुत की थी।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 तथा वार्षिक योजना 1981-82 के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए उड़ीसा राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 800 करोड़ रुपये तथा 144 करोड़ रुपये है।

(घ) छठी योजना के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों से तथा फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम सोपान से जो हिस्सा उपलब्ध होगा उस हिस्से से राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक हो जाने की उम्मीद है।

बिहार के सेशन न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के विचार

20. श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार के सेशन न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की भारी संख्या पर क्षोभ व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ग) सरकार ने इन मामलों को निपटाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय से रिट अर्जी सं० 5943/80 (कदरा पहाड़िया और अन्य बनाए बिहार राज्य) में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि बिहार के सेशन न्यायालयों में कुल 18.133 मामले सुपुर्द किए जाने की तारीख के पश्चात् 12 मास से अधिक की अवधि के लिए लम्बित हैं और उसने (उच्चतम न्यायालय) यह मत व्यक्त किया कि इससे "बिहार में न्याय प्रशासन के संबंध में चिन्ताजनक स्थिति" का पता चलता है।

(ग) जिला और सेशन न्यायालयों में न्याय प्रशासन का सम्बन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों से है। तथापि 7वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बिहार राज्य के कुल 681.73 लाख रुपये का अनुदान अनुच्छेद 275 के अधीन भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है जो विनिर्दिष्ट रूप से 133 न्यायालयों की स्थापना के लिए है जिनमें से 118 दण्ड न्यायालय हैं और 15 सिविल न्यायालय हैं।

शरणार्थियों की वर्ष 1950 के बाद की कालोनियों को नियमित किया जाना

21. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शरणार्थियों की वर्ष 1950 के बाद की कालोनियों को नियमित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इन कालोनियों में भूमि के अधिग्रहण के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार की कोई प्रशासनिक अनुमति प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) और (ख) 1950 के बाद की 175 शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने के लिए जुलाई, 1978 में भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। भूमि अर्जित करने के पश्चात पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बस्तियां नियमित की जा रही हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्रशासनिक अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है।

श्री बाबा आम्टे के जीवन पर वृत्त चित्र

22. **श्री शांताराम पोटदुखे :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आनंदवन, वरौरा, जिला चन्द्रपुर के श्री बाबा आम्टे के जीवन और मिशन पर वृत्त-चित्र बनाने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बने एम० जोशी) : आनन्दवन, वरौरा, जिला चन्द्रपुर के श्री बाबा आम्टे पर वृत्त चित्र की इस समय स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। फिल्म पर कुछ शूटिंग की गई है। आगे शूटिंग मार्च, 1981 में शुरू होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

23. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फालतू बिजली वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को बिजली के वितरण के लिये राष्ट्रीय ग्रिड बनाने सम्बंधी योजना आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में विद्युत के इष्टतम विकास तथा पारेषण के लिए एक उच्च वोल्टता पारेषण प्रणाली के निर्माण की और उसके परस्पर सम्बद्ध प्रचालन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से राज्यों और क्षेत्रों के बीच विद्युत का बल्क अन्तरण कर सकना संभव होगा तथा विद्युत के संसाधनों का इष्टतम विकास करना और पारेषण करना भी संभव होगा। इस प्रकार के राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली का निर्माण और प्रचालन एक विकासशील प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्रीय प्रणालियों को परस्पर सम्बद्ध करने तथा इन प्रणालियों की अभिवृद्धि और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय सम्पर्कों को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, केन्द्रीय सरकार पहले से ही राज्यों को अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय लिंक स्थापित करने के लिए 100% ऋण देकर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस दिशा में आयोजित की गई 400 के० बी० पारेषण प्रणाली उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

पेट्रोल, डीजल और तरल पेट्रोलियम गैस की बिक्री हेतु डीलरों की नियुक्ति

24. श्री जगदीश टाइटलर :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री सूर्य नारायण सिंह :
स्वामी इन्द्रवेश :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पेट्रोल, डीजल और तरल पेट्रोलियम गैस की बिक्री के लिये डीलरों की नियुक्ति हेतु हाल में लिये गये इन्टरव्यू रद्द कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, ती इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चयन हेतु कोई नये नीति निर्देश जारी किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया था कि तेल कंपनियों द्वारा खाना पकाने की गैस, पेट्रोल/डीजल पंपों आदि की एजेंसियों के डीलरों के चयन के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची में से 40 उम्मीदवार को छोडने के स्थान पर सभी योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाये। उसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि जिनका साक्षात्कार पहले हो चुका है उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापित तेल कंपनियों ने यह उपयुक्त सोचा था कि चयन प्रक्रिया के मानकों से समानता लाने के लिए सभी योग्य उम्मीदवारों का पुनः साक्षात्कार किया जाए।

(ग) जी, हां।

कम्पनियों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन लाने का प्रयास

25. श्री रशीद मसूद :

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी कम्पनियों ने अपने एककों की एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने के सरकारी प्रयत्नों को विफल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अधिनियम में यदि कोई खामियां हो, तो उन्हें दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, किसी उपक्रम,

जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय-3 का भाग-क लागू होता है, के लिये, यह अनिवार्य है कि वह इस प्रकार के उपक्रम के रूप में स्वयं के पंजीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार से आवेदन करे। यदि सरकार का यह विचार है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, एक उपक्रम जिसे स्वयं को पंजीकृत कराना चाहिए, ने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो इस प्रकार के उपक्रमों की अपेक्षित चूक नोटिस प्रेषित किया जाता है। तथा मामले पर तर्क संगत निष्कर्ष के लिये कार्यवाही की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप, बृहद संख्या में कम्पनियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है।

31-12-1980 तक 370 उपक्रमों के विरुद्ध, चूक नोटिस अनिर्णीत थे।

(ग) जबकि सरकार सम्बन्धित उपक्रमों को कानून के उपबन्धों का पालन करने के लिये प्रेरित करने का हर संभव प्रयास करती है, एवं उपक्रमों द्वारा अपनी पंजीकरणता के लिये उठाये गये विवाद तथ्यों पर आधारित होते हैं; अतः उन्हें अधिनियम में त्रुटियों के रूप में नहीं समझना चाहिये।

मध्य प्रदेश में नया उर्वरक कारखाना

26. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का मध्य प्रदेश में कोई नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या प्रस्तावित उर्वरक कारखाना तेल अथवा कोयले पर आधारित होगा ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किया गया है और उसमें यदि कोई उल्लेखनीय बातें बताई गई हैं तो वे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 उर्वरक संयंत्रों के लिये सरकार द्वारा एक स्थल चयन समिति गठित की गई है। इनमें से एक संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने की आशा है। समिति इस समय राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये विभिन्न सभावित स्थानों का विस्तृत अध्ययन कर रही है, जिसमें विभिन्न स्थानों के तत्काल दौरे भी सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के सही स्थान के बारे में तभी निर्णय लिया जा सकता है जब समिति अपना अध्ययन पूरा कर ले और अपने सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दे।

तेल की मांग और उसका उत्पादन

27. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के दौरान लक्ष्य की तुलना में देश में तेल का कितना उत्पादन हुआ और इस लक्ष्य में यदि कोई कमी हुई है तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ख) आवश्यकता को पूरा करने के लिये 1980 के दौरान सरकार द्वारा आयात की गई तेल की मात्रा (विदेशी मुद्रा सहित) क्या है ;

(ग) मांग की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकतायें कहां तक पूरी हुई ;

(घ) वर्ष 1981 के दौरान अनुमानतः तेल का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है और यह अनुमान किस आधार पर निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) वर्ष 1981 के दौरान तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी है और इस मांग को किस तरीके से पूरा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1980-81 के दौरान देशी खनिज तेल का उत्पादन एवं लक्ष्य नीचे दिया गया है :

(मि० मी० टनों में)

लक्ष्य	10.9	
उपलब्धि	8.1	(अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 तक)

निम्न उत्पादन असम आंदोलन के कारण था ।

(ख) 1980 के दौरान खनिज तेल आयात लगभग 16 मि० मी० टन था जिसका मूल्य लगभग 3300 करोड़ रुपये था ।

(ग), (घ) एवं (ङ) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए अस्थायी रूप से मांग, देशी उत्पादन तथा खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के घाटे को पूरा करने के लिये किये जाने वाले आयात नीचे दिये गये हैं :

मि० मी० टनों में)

	खनिज तेल		पेट्रोलियम उत्पाद	
	1980-81	1981-82	1980-81	1981-82
	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
मांग	26.9	32.3	31.6	134.7
देशी उत्पादन	10.2	17.1	23.6	30.2
आयात	16.7	15.2	8.0	4.5

राजस्थान में बिजली की कटौती लागू किया जाना

28. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अगस्त, 1980 से अब तक महीनेवार औद्योगिक, कृषि और घरेलू बिजली में कितने प्रतिशत कटौती की गई है ;

(ख) बिजली की इस कटौती और अनियमित सप्लाई से राज्य के उद्योग और कृषि पर पड़े प्रभाव के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस निराशाजनक स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार और राज्य विद्युत बोर्ड को केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई तथा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) राज्य में बिजली की स्थिति में कब तक सुधार होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान में औद्योगिक, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं पर अगस्त, 1980 से लगाई गई विद्युत कटौतियों की मात्रा महीने-वार नीचे दी जाती है :—

महीना	औद्योगिक	कृषि	घरेलू
अगस्त, 1980	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
सितम्बर, 1980	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अक्तूबर, 1980 11.10.80 से **25.10.80**	125 के०वी०ए० से अधिक वाले उद्योगों पर 50% कटौती	13 घंटे/प्रतिदिन सप्लाई	कुछ नहीं
26.10.80 से आगे	केवल 5 एम० वी० ए० से अधिक वाले उद्योगों पर 50% कटौती		
नवम्बर, 1980	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दिसम्बर, 1980 से 4 जनवरी, 1981 तक	बड़े और मध्यम उद्योगों पर 100% कटौती	4 घंटे/प्रतिदिन सप्लाई	शहरी सप्लाई अलग-अलग समय पर की गई
जनवरी, 1981 5—15	25 एच० पी० से अधिक वाले मध्यम और बडे उद्योगों पर 100% विद्युत कटौती । छोटे उदयोगों पर— कोई विद्युत कटौती नहीं ।	कोई कटौती नहीं प्रतिदिन 8 घंटे न्यूनतम सप्लाई	08 बजे से 17 बजे के बीच शहरी सप्लाई अलग-अलग समय पर की गई ।

1	2	3	4
16 से 31 तथा 2 फरवरी, 1981 तक	125 के० वी० ए० से अधिक वाले बड़े उद्योगों पर 100% विद्युत कटौती। छोटे उद्योगों पर— कोई विद्युत कटोती नहीं।	प्रतिदिन 8 घंटे की न्यूनतम सप्लाई	08 बजे से 17 बजे के बीच शहरी सप्लाई अलग-अलग समय पर की गई।
मध्यम उद्योग— 3 फरवरी, 1981 से आगे	मध्यम उद्योग...एक दिन छोड़कर एकदिन छोटे — कोई विद्युत कटौती नहीं	प्रतिदिन 6 घंटे न्यूनतम सप्लाई	8 घंटे की सप्लाई —वही—
	मध्यम— कोई विद्युत कटौती नहीं परन्तु सप्लाई सप्ताह में पांच दिन के लिए दी जाती है।		
	बड़े — 3000 के०वी०ए० तक 60% विद्युत कटौती तथा सप्लाई सप्ताह में पांच दिन की जाती है		
	बड़े — 3000 के० वी० ए० से अधिक 70% कटौती तथा सप्लाई सप्ताह में पांच दिन दी जाती है।		

(ख) उत्पादन में हानि के लिए विद्युत की कमी एक कारण है। तथापि, केवल विद्युत की कमी के कारण हुई हानि की मात्रा बता सकना संभव नहीं है।

(ग) राजस्थान में विद्युत की कमी की स्थितियों से निपटने के लिए राजस्थान को, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र प्रणाली में दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से यथा संभव सहायता दी गई। केन्द्रीय सेक्टर के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से अक्तूबर, 1980 से आगे की अवधि के दौरान, राजस्थान को दी गई सहायता की मात्रा नीचे दी जाती है :—

अक्तूबर, 1980	105.7 लाख यूनिट
नवम्बर, 1980	5.0 लाख यूनिट
दिसम्बर, 1980	146.9 लाख यूनिट
जनवरी, 1981	45.1 लाख यूनिट

राजस्थान में विद्युत की कमी की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान को, दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सहायता देना जारी रहेगा।

(घ) राजस्थान में विद्युत की कमी मानसून के आरंभ होने तक बनी रहने की संभावना है। तथापि राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के हाल ही में चालू किए गए 220 मेगावाट के यूनिट सं० 2 के अप्रैल, 1981 के अन्त तक स्थिरीकरण होने से तथा जब राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के दोनों यूनिट कार्य करेंगे तब स्थिति में प्रर्याप्त सुधार होने की आशा है। 1980-85 की अवधि के दौरान राजस्थान की प्रणाली में 496.2 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त 1980-85 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में चालू की जाने वाली केन्द्रीय सेक्टर की कुछ परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होंगे।

मुख्य न्यायाधिपतियों के स्थानान्तरणों का विरोध

29. श्री विजय कुमार यादव : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में न्यायाधिपतियों का स्थानान्तरण हुआ है ;

(ख) क्या कुछ मुख्य न्यायाधिपतियों जिनका स्थानान्तरण किया गया है, और मुख्य मंत्रियों ने स्थानान्तरण आदेशों का विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी हाल में लिए गए न्यायाधिपतियों के स्थानान्तरण पर उठाई गई आपत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के स्थानान्तरण क्रमशः केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों में 19.1.1981 को अधिसूचित किए गए थे। इन स्थानान्तरणों को उच्चतम न्यायालय में रिट अर्जी फाइल करके चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि जब तक वह विनिश्चय नहीं कर देता है तब तक "यथापूर्व स्थिति" बनाई रखी जाए।

(ख) स्थानान्तरित किए गए दो मुख्य न्यायाधिपतियों में से एक मुख्य न्यायाधिपति छुट्टी पर चले गये हैं। केन्द्रीय सरकार और मुख्य मंत्रियों के बीच जो पत्राचार हुआ है, वह गोपनीय हैं और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) यह विषय न्यायाधीन है इसलिए सरकार को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

दामोदर घाटी निगम के बिजली उत्पादन और वितरण के आंकड़े

30. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि बिजली के उत्पादन और वितरण के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों का रिकार्ड दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस प्रकार की कोई विसंगति सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० को हानियां

31. श्री राजेश कुमार सिंह :
स्वामी इन्द्रवेश : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के विगत तीन वर्षों के दौरान के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० को गत वर्ष में 14.31 करोड़ रुपये की हानि हुई और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या उपक्रम की कमियों को सुधारने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० और अन्य सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक कम्पनियों के कार्य निष्पादन की निकटता से देख रेख करती है ।

(ख) जी, हां । वर्ष 1979-80 में एन० एफ० एल० के प्लांटों का क्षमता उपयोग फीडस्टाक, कोयला और बिजली की भी अपर्याप्त उपलब्धता के कारण गंभीर रूप से प्रभावित रहा जिसके कारण उपरोक्त हानि हुई ।

(ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के प्लांटों को निवेशों और फीडस्टाक की सप्लाई बढ़ाने के उपाय किये गये हैं । इससे प्लांटों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और उसकी खपत में मितव्ययता

32. श्री नरसिंह मकवाना :
श्री टी० आर० शमन्ना : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ख) गत एक वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में कितनी हानि हुई ;

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि को देखते हुए उनकी खपत में बचत करने के बारे में क्या सुझाव है ; और

(घ) देश में उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा कितनी है तथा विदेशों से आयातित उत्पादों की मात्रा कितनी है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) जून, 1980 में मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् जनवरी, 1981 तक ओपेक देशों द्वारा कई बार मूल्यवृद्धि, जिसमें जनवरी, 1981 में की गई 10% की वृद्धि शामिल है, के कारण आयातित तेल का मूल्य 243 रुपये प्रति टन के करीब बढ़ गया था।

(2) असम से तेल मिलने में रुकावट के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए अधिक आयात।

(3) ईरान और ईराक से सप्लाई में बाधा पड़ जाने के कारण 1980 की अन्तिम तिमाही में अधिक दामों पर "स्पाट मार्केट" में खरीद।

(4) संचालन लागत बढ़ जाने तथा नई पाइप लाइन द्वारा बम्बई हाई खनिज तेल के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय के कारण अधिक रुपयों का भार।

(ख) अधिक मूल्यों के कारण 1980 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर लगभग 120 करोड़ रुपयों का अधिक व्यय होने का अनुमान है।

(ग) जहां कहीं टेक्नालाजी की दृष्टि से संभव है तेल के बजाय कोयले के उपयोग जैसे उपायों तथा भट्टी के तेल का अधिक कार्यकुशल उपयोग करने के उपाय अपनाने के लिए सरकार ने उद्योगों का परामर्श दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में तेल की बजाय कोयले का उपयोग किये जाने के लिए भट्टी के तेल पर स्थायी समिति तथा इस मंत्रालय के अन्तर्गत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान सक्रिय रूप से अध्ययनों में जुटे हुए हैं। गति पर सीमा लगाकर तथा परिवहन प्रतिष्ठानों में और अधिक कार्यकुशलता और संरक्षण द्वारा ईंधन की बेकार खपत को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है।

(घ) अप्रैल से दिसम्बर, 1980 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन तथा आयातित मात्रा क्रमशः 17.6 मि० मी० टन और 4.9 मि० मी० टन होने का अनुमान है।

पश्चिमी बंगाल को कोयले पर रायल्टी

33. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** पश्चिम बंगाल को कोयला पर रायल्टी के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्ययन दल के प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अध्ययन दलों की रिपोर्टों की मुख्य बातें विवरण-1 में दी गई हैं।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट पर भलीभाँति विचार करने के बाद कोयले पर स्वामित्व की दरें 13-2-1981 से संशोधित कर दी गई हैं। ये दरें विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण–1

(1) कोयले के स्वामिस्व की दरें यथामूल्य आधार पर निश्चित करने की राज्य सरकारों की मांग के सम्बन्ध में अध्ययन दल ने वर्तमान प्रणाली को ही बनाये रखना बेहतर समझा है। यह बात खान विभाग द्वारा गठित उस अध्ययन दल की रिपोर्ट (अगस्त, 1979) में निहित सिफारिशों के अनुरूप ही है जिसे लगभग 40 प्रमुख खनिजों के स्वामिस्व की दरों में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने का काम दिया गया था। खान विभाग द्वारा स्थापित उक्त अध्ययन दल ने उस वर्तमान प्रणाली को जारी रखना आवश्यक समझा है जिसके अधीन, मूल्यवान/अर्ध-मूल्यवान पत्थरों को छोड़कर, सभी खनिजों के लिए स्वामिस्व की निश्चित दरें अधिसूचित की जाती हैं। दल ने इस प्रकार यह स्वीकार कर लिया है कि यथा-मूल्य स्वामिस्व दरें लागू करने का विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक है।

(2) इसी प्रकार, अधिसूचित स्वामिस्व दरों की वैधता अवधि कम करने के प्रश्न पर भी खान विभाग के अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा 9(3) में संशोधन किया जाए ताकि स्वामिस्व की दरों में 3 वर्ष के बाद संशोधन की अनुमति हो जाये तथा उसमें यह और शर्त लगा दी जाए कि यदि केन्द्र सरकार की राय में किसी खनिज से सम्बद्ध परिस्थितियों में छोटी अवधि में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है तो उस खनिज की स्वामिस्व दरों को भी छोटी अवधि में परिवर्तित किया जा सकता है। चूंकि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का प्रशासन खान विभाग करता है इसलिए अध्ययन दल की राय में यह सर्वोत्तम व्यवस्था होगी कि खान विभाग को इन नीतिगत मुद्दों पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में निर्णय लेने की अनुमति दी जाए।

(3) स्वामिस्व की दरों में वृद्धि की मात्रा के सम्बन्ध में निर्णय करने में अध्ययन दल ने एक पहले के दल (1974) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अपनाया है। उस अध्ययन दल की स्थापना खनिज सलाहकार बोर्ड के अधीन की गई थी तथा उसका निष्कर्ष यह था कि मूल्यवान पत्थरों को छोड़कर सभी आर्थिक खनिजों की स्वामिस्व दरें टनेज आधार पर निश्चित की जाएं और इस सम्बन्ध में खनिजों के कल्पित खान मुहाना मूल्य को भी विचार में रखा जाए।

(4) अध्ययन दल का यह सुविचारित मत है कि कोयले पर स्वामिस्व की दर 10% यथामूल्य निश्चित करने की राज्य सरकारों की माँग निश्चय ही अधिक है और इसमें अर्थव्यवस्था पर मुद्रा प्रसार का दबाव और बढ़ जाएगा। भली-भांति विचार करने के बाद अध्ययन दल ने स्वामिस्व दरों में पिछले संशोधन के समय सुझाए गए उस फार्मूला को अपनाया है जिसमें कोयले के प्रत्येक वर्ग की भारित औसत कीमत के 5% की दर से संशोधन किया गया है। यह काम वर्तमान मामले में, 17-7-1975 से लागू कोयले की संशोधित कीमतों पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

(5) अध्ययन दल ने यह सिफारिश भी की है कि कोयले पर स्वामिस्व की संशोधित दरें टनेज आधार पर निर्दिष्ट की जाएं और उन्हें किसी भावी तारीख से लागू किया जाये।

विवरण-2

कोयले पर स्वामिस्व की दरों का विवरण–पत्र

(1)	**ग्रुप I के कोयले**		केवल सात रुपया प्रति टन
	(क)	कोककर कोयला इस्पात ग्रेड I इस्पात ग्रैड II वाशरी ग्रेड I	
	(ख)	आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	
(2)	**ग्रुप II के कोयले**		केवल छः रुपए और पचास पैसे प्रति टन
	(क)	कोककर कोयला वाशरी ग्रेड II कोककर कोयला वाशरी ग्रेड III	
	(ख)	अर्द्ध कोककर कोयला ग्रेड I अर्द्ध कोककर कोयला ग्रेड II	
	(ग)	अकोककर कोयला ग्रेड "ए" अकोककर कोयला ग्रेड "बी"	
	(घ)	आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित रन आफ माइन कोयला जिसे वर्गीकृत नहीं किया गया	
(3)	**ग्रुप III के कोयले**		केवल पांच रुपए और पचास पैसे प्रति टन
	(क)	कोककर कोयला वाशरी ग्रेड IV	
	(ख)	अकोककर कोयला ग्रेड सी	
(4)	**ग्रुप IV के कोयले**	अकोककर कोयले ग्रेड "डी" अकोककर कोयले ग्रेड "ई"	केवल चार रुपए और तीस पैसे प्रति टन
(5)	**ग्रुप V के कोयले**	अकोककर कोयला ग्रेड एफ अकोककर कोयला ग्रेड जी	केवल दो रुपये और पचास पैसे प्रति टन
(6)	**ग्रुप VI के कोयले**	आंध्र प्रदेश (सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०) में उत्पादित कोयला	केवल पांच रुपये प्रति टन

स्पष्टीकरण :— इस मद के प्रयोजन के लिए प्रत्येक ग्रेड के कोयले की निर्दिष्ट नहीं होगी जो कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 में दी गई है।

नाइबेली में ताप विद्युत परियोजना और सैकन्ड माइन-कट चालू करने में विलम्ब

34. श्री के० राममूर्ति : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइबेली लिग्नाईट योजना में ताप-विद्युत परियोजना और सैकंड माइन-कट चालू करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(ख) किस तारीख तक इन दोनों परियोजनाओं के चालू होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) नाइबेली लिग्नाइट योजना में ताप बिजली घर और दूसरी खान की परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब का कारण टेंडरों के मूल्यांकन और उन्हें अन्तिम रूप देने तथा परामर्शदाताओं का चयन करने में लगा समय तथा भूमि पर कब्ज़ा मिलने में हुई कठिनाइयां हैं।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार ताप बिजली परियोजना में 1984-85 के दूसरे भाग में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। दूसरी खान में 1983-84 के दूसरे भाग में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

कोयले की कमी का रेलगाड़ियों पर प्रभाव

35. श्री पीयूष तिरकी :

श्री एच० एन० गौडा : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे को कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयले की कमी के कारण रेलगाड़ियां रद्द करने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

36. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कब तक स्थापित किए जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार को नौ संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन नवम्बर, दिसम्बर 1980 में प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक उर्वरक संयंत्र की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 उर्वरक संयंत्रों के लिए जिनमें उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र भी सम्मिलित हैं, अनुकूलतम स्थानों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा एक स्थल चयन समिति गठित की गई है। संयंत्रों की संख्या स्थान और श्रेणी के बारे में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब स्थल चयन समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जाएं।

(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के जिले गाजीपुर में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये कुछ संसद सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया गया है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्रों के बारे में निर्णय तभी लिया जा सकता है जब स्थल चयन समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जायें।

उड़ीसा में आदिवासियों को तेल की डीलर शिप का आबंटन

37. **श्री हरिहर सोरेन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में तेल की खुदरा दुकानों को खोलने का तथा आदिवासियों को डीलर शिप आबंटित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम ने उडीसा में खुदरा दुकानों को खोलने के लिये अब तक किन-किन स्थानों का चयन किया है ;

(ग) क्या क्योंझर जिले में किसी ऐसे स्थान का चयन किया गया है ;

(घ) उड़ीसा को कौन-कौन सी आदिमजातियां इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होंगी ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के खोलने के लिए उडीसा में 25 स्थानों का चयन किया है। इनमें से पांच स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए किया गया है। इन पांच स्थानों के नाम वाली पाल, भुवनेश्वर, मोट्टर, उदाला और छत्रपुर बहय मार्ग है।

(ग) से (ङ) डीलरों को चयन अभी किया जाना है।

तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई

38. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग सभी तेल उत्पादक देशों के साथ 1981-82 में कच्चे तेल की सप्लाई के बारे में करार कर लिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों के साथ करार हुए हैं ;

(ग) किन देशों के साथ अभी बात-चीत चल रही है ;

(घ) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि 1981 से प्रत्येक उक्त देश द्वारा भारत को कितना तेल सप्लाई किया जायेगा ;

(ङ) उन्होंने क्या मूल्य लिया है ;

(च) क्या भारत ने लीबिया से तेल खरीदने से इंकार कर दिया है ; और

(छ) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) उस, संयुक्त अरब अम्मीरात, मैक्सिको, नाइजेरिया, कुवैत, ईरान, वेनेजुएला, और अल्जीरिया के साथ वर्ष 1981 के दौरान खनिज तेल की सप्लाई के करारों को पहले से ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। चुछ ओपेक देशों के साथ बातचीत चल रही है।

(घ) और (ङ) ऐसी सूचना प्रकट करना जन हित में नहीं होगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली का उत्पादन

39. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा गत पंद्रह महीनों के दौरान महीने-वार कितनी बिजलो का उत्पादन किया गया है ;

(ख) उन महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल को कितनी बिजली सप्लाई की गयी थी ; और

(ग) उन महीनों के लिए दिये गये वचन और वास्तविक सप्लाई में महीने-वार कितना अन्तर है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम में नवम्बर, 1979 से जनवरी, 1981 तक 15 महीनों के दौरान में हुआ महीने-वार विद्युत उत्पादन विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

नवम्बर 1979 से जनवरी 1981 के दौरान दामोदर घाटी निगम में हुए महीने-वार विद्युत उत्पादन को दिखाने वाला विवरण।

	उत्पादन मिलियन यूनिट में
नवम्बर 1979	302.78 (27 दिन के लिए)
दिसम्बर 1979	356.84
जनवरी 1980	395.58
फरवरी 1980	348.86
मार्च 1980	340.11
अप्रैल 1980	333.37
मई 1980	294.60
जून 1980	342.73
जुलाई 1980	365.95
अगस्त 1980	362.86
सितम्बर 1980	316.97
अक्तूबर 1980	356.31
नवम्बर 1980	359.62
दिसम्बर 1980	405.94
जनवरी 1981	357.66

फिल्म समारोहों पर फिल्म-नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशें

40. श्री चित्त महाटा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी करंथ पटेल कार्यकारी दल ने गत जून में अपनी रिपोर्ट में भारत के प्रतियोगी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को समाप्त करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक क्या निर्णय लिया गया है और यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिश की जांच की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में बिजली की कमी

41. श्री के० लकप्पा :

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बिजली की कमी है ;

(ख) किन महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सामान्यतः बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों पर विद्युय की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में स्थित उद्योगों पर विद्युत की कमी का प्रभाव केवल सीमान्त है ।

(ग) देश में विद्युत की उपब्लधता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय किए गए तथा किए जा रहे हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत की भार मांग की बेहतर प्रबंध व्यवस्था करना ।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी में तेजी से वृद्धि करना । 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है । परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है ।

(3) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतर उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्ड की सहायता करना ;

(ख) उपस्कर के डिजाइन मे कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम में शुरू करना ;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्ताओं से फुटकर पुर्जा पर की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई । गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से

सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि कहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ में उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिवार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों की विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना ?

इन उपस्करों के परिणाम दृष्टिगोचर होने शुरू हो गए हैं। नवम्बर, 1980 से जनवरी 1981 में ताप विद्युत उत्पादन पहले वर्ष की इसी अवधि से 19.1% अधिक था।

सिविल तथा आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए कदम

42\. **श्री एन० डेनिस :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : देश में लम्बित सिविल और आपराधिक मामलों की संख्या को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गयी है उनमें से कुछ का उल्लेख विवरण में किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या, संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से परामर्श करके बढ़ाई जा रही हैं। जिला और सेशन न्यायालयों तथा अन्य विचारण न्यायालयों में न्याय प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का है। इन सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सातवें वित्त आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों की सहायता से नए अधीनस्थ न्यायालय स्थापित करें।

विवरण

न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. उच्च न्यायालय में की जाने वाली द्वितीय अपील सम्बन्धी उपबंध को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1976 का संशोधन किया गया—देखिये धारा 100 क ।

2. विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता का 1973 में अधिनियम किया गया और 1978 में उसका संशोधन किया गया।

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31 दिसम्बर, 1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढाकर

17 कर दी गई। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति का पद सम्मिलित नहीं है।

4. राज्यों और मुख्य न्यायाधिपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के अपने प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर भेजें।

5. उच्चतम न्यायालय नियमों का संशोधन करके चेम्बर में रजिस्ट्रार और न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

6. अनेक उच्च न्यायालय कुछ प्रश्नों को मिलाकर एक समूह में रख रहे हैं।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही कर रहे हैं :

(क) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना,

(ख) मुद्रण की अवश्यकता को समाप्त करना,

(ग) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(घ) भूमि अर्जन आदि के मामलों से उत्पन्न होने वाले विषयों को एक समूह में रखना।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के गठन के बाद विद्युतीकरण किये गये गांवों की संख्या

43. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के गठन के बाद से 1 जनवरी, 1981 तक हमारे देश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उड़ीसा में (जिले-वार) ऐसे कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है ;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम को बढ़ावा देने का विचार है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उड़ीसा के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की प्राथमिकता देने पर विचार किया गया है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1969 में ग्राम विद्युतीकरण निगम के गठन से लेकर नवम्बर, 1980 के अन्त तक देश में 1,85,812 नए गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। इन गाँवों में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकृत 78,000 गाँव शामिल हैं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत उड़ीसा में 30.9.1980 तक 8,202 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। जिलेवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू वर्ष 1980-81 के दौरान अखिल भारतीय आधार पर 25,000 नए गांवों के विद्युतीकरण की तथा 4 लाख सिंचाई पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन की परिकल्पना की गई है।

(घ) तथा (ङ) आदिवासी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्राम विद्युतीकरण निगम इन क्षेत्रों में उदार मानदण्डों तथा रियायती शर्तों पर विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत करता रहा है। वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण के लिए निगम द्वारा आवंटित की गई 12.70 करोड़ की राशि में से उस राज्य में आदिवासी जनसंख्या द्वारा आबाद क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1.90 करोड़ रुपए प्रारक्षित किए गए हैं। उम्मीद है कि चालू वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 210 नए गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे।

विवरण

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार स्थिति दिखाने वाला विवरण (30.9.1980 तक)।

क्र० सं	जिला	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	बालासोर	1328
2.	बोलनगीर	878
3.	कटक	1064
4.	धेनकनाल	489
5.	गंजाम	369
6.	कालाहांडी	319
7.	कियोंझर	235
8.	कोरापुट	700
9.	मयूरभंज	500
10.	फूलबनी	351
11.	सम्बलपुर	769
12.	पुरी	854
13.	सुन्दरगढ़	346
	जोड़	8202

आकाशवाणी दूरदर्शन के कलकत्ता स्टेशन द्वारा राजनीतिक दलों के बारे में प्रसारण

44. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलकत्ता केन्द्र से कितनी बार समाचार प्रसारित किये गये, उसका दलवार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पार्टी के लिये कितना समय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : क्योंकि इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं, अतः मांगी गई सूचना को देना सम्भव नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के बारे में समाचार प्रसारित करने के लिए इस रूप में कोई समय आबंटित नहीं किया जाता। समाचारों का मूल्यांकन उपलब्ध समाचारों और उनके समाचारिक महत्व की रोशनी में बुलेटिन बुलेटिन से किया जाता है।

पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

45. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की देश में मूल्य वृद्धि से विदेशी मुद्रा के भार में कोई राहत नहीं मिलती ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विगत काल में हुई मूल्य-वृद्धि से इस मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण वस्तु का अधिक न्याय संगत तरीके से उपयोग करना नहीं सीखा गया ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य-वृद्धि के अप्रत्यक्ष प्रभाव के तरीके की बजाय पेट्रोल के उपयोग की व्यावहारिक योजना न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ। यद्यपि समतुल्य रुपयों में मूल्य वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा भार में कोई प्रभाव नहीं डालती है, पेट्रोलियम उत्पादों की मांग ने कुछ सीमा तक मूल्य वृद्धि को कम किया है।

(ख) जब पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में बहुत अधिक मूल्यों में वृद्धि होती है, इनके उपभोग में पर्याप्त कमी होने की आशा की जा सकती है। वर्ष 1973-74 में पेट्रोल के मूल्यों में लगभग 2.50 रुपये प्रति लिटर की वृद्धि होने से उसकी खपत 25 प्रतिशत की दर से नीचे गिर गई है।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करके यह निर्णय लिया है कि राशनिंग और दोहरी मूल्य व्यवस्था सहित वितरण की व्यावहारिक योजना से दोषों को दूर करने में बहुत गंभीर प्रशासनिक समस्यायें प्रकट होंगी।

पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

46. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने फोरम आफ फाइनेन्शियल राइटर्स के सदस्यों की

एक बैठक में 2 जनवरी, 1981 को एक वक्तव्य दिया था कि सरकार पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करेगी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कुछ करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप व्यापारियों तथा उपभोक्ता लोगों ने पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी शुरू कर दी थी ; और

(घ) क्या इसके फलस्वरूप इन उत्पादों की किल्लत पैदा हो गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :) : (क) फोरम आफ फाइनेन्शियल राइटर्स को सम्बोधित करते समय मैंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि अपरिहार्य लगती है। विशेषतः जबकि तेल उद्योग ने पिछले 6 महीनों में 1100 करोड़ रुपये की हानि उठायी है।

(ख) विस्तृत जनहित को ध्यान में रखते हुए, मैंने केवल तेल उद्योग द्वारा उठाई गई हानि के संदर्भ में मूल्यों में संभावित वृद्धि के बारे में संकेत दिया था। प्रत्येक उत्पाद के लिए यथार्थ अपेक्षित वृद्धि की प्रमात्रा के बारे में या सही समय जबसे वृद्धि लागू की जाएगी, के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

(ग) मंत्रालय में बाजार में या लोगों द्वारा पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) मन्त्रालय को तथा तेल कम्पनियों को इस बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कुकिंग गैस की सप्लाई में कदाचार

47. **श्री राम प्यारे परिका :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुकिंग गैस के कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका नाम किसी भी ऐजेंसी में पंजीकृत नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें गैस किस प्रकार मिल रही है ;

(ग) क्या इस जालसाजी को रोकने के लिए कुछ कानून बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) संघ शासित प्रदेश दिल्ली में कुकिंग गैस के कुछ ऐसे अनधिकृत उपभोक्ताओं की विद्यमानता की संभावना से नकारा नहीं जा सकता।

(ख) क्योंकि अनधिकृत उपभोक्ताओं का तेल कम्पनियों के वितरकों के पास पंजीकरण नहीं किया गया है, उनकी वास्तविक संख्या बतलाना संभव नहीं है। स्पष्ट रूप से उन

विशेष तरीकों का बतलाना भी संभव नहीं है जिससे इस प्रकार के व्यक्तियों ने अपनी गैस प्राप्त की थी।

(ग) और (घ) बिना उचित प्रालेखन किये बिना किसी उपभोक्ता को गैस कनैक्शन जारी करने के लिए तेल कंपनियों के वितरकों को स्वीकृति नहीं दी गई है। उन्हें केवल वास्तविक ग्राहकों को ही गैस सिलेंडरों के रिफिल जारी करने के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त कुकिंग गैस की अतिरिक्त उपलब्धता होने पर और मार्च, 1981 से आरम्भ होने वाले पर्याप्त बढे हुए नामांकन से ऐसी आशा की जाती है कि अनधिकृत कनैक्शनों की समस्या समाप्त हो जायेगी। अतः कुकिंग गैस के अनधिकृत उपयोग दबाने के लिए किसी अधिनियम को इस समय जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान सूचना प्रणाली को नया रूप देना

48. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी उस अनअद्यतन वर्तमान सूचना प्रणाली, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाचार देने सम्बन्धी प्रणाली, जिसमें अधिकांशतः विदेशी एजेंसियों पर आश्रित रहना पड़ता है, को नया रूप देने के लिए अब तक कोई भी सार्थक उपाय नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के वास्तविक तथ्यों की जानकारी देने तथा पश्चिमी देशों की एजेंसियों पर कम से कम आश्रित रहने के लिए किन्हीं नये तीसरे विश्व के देशों के संचार माध्यम को खोजने पर भी विचार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी और भारतीय समाचार एजेंसियां दोनों अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए विश्व के देशों की कुछ महत्वपूर्ण राजधानियों में अपने संवाददाता तैनात करने के लिए प्रयास करते रहे हैं। अब चार स्थानों अर्थात् तेहरान, काहिरा, ढाका और हांगकांग में आकाशवाणी के अपने विशेष संवाददाता हैं। 7 स्थानों अर्थात् ब्रुसेल्स, काठमांडु, बोन, लंदन, नैरोबी, डैमासकस और मास्को में भी इसके अंशकालिक संवाददाता हैं। आकाशवाणी विदेशों में और अधिक संवाददाता तैनात करने की योजना बना रही है। जिन देशों को कवर करने का प्रस्ताव है वे हैं अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, बरतानिया, सोवियत संघ, अमरीका, केन्या और जाम्बिया।

(ख) यद्यपि हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के समाचारों के लिए अभी विदेशी समाचार एजेंसियों पर निर्भर करते हैं, गुट-निर्पेक्ष न्यूज एजेंसी पूल, जिसका प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया एक सदस्य है, को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। गुट-निर्पेक्ष देश इस बात से परिचित हैं कि विश्व की सूचना स्थिति में निरन्तर और गम्भीर असंतुलन है। वे गुट-निर्पेक्ष देशों के बीच सीधे सूचना के प्रवाह और संचार की गति में सुधार करने के लिए वचनबद्ध हैं ताकि उनमें उनके सामान्य राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों की अधिक जानकारी और समझ-बूझ हो सके। संकल्प को कार्य रूप देने के लिए, 1979 के अन्त में कुल 92 गुट-निर्पेक्ष देशों में से 70 गुट-निर्पेक्ष

देश गुट-निर्पेक्ष न्यूज पूल की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। उस समय पूल पद्धति के अन्तर्गत अंग्रेजी, फ्रैंच, स्पेनिश और अरबी भाषा में वितरित किए जाने वाले समाचारों के आदान-प्रदान की मात्रा का अनुमान 40,000 शब्द प्रतिदिन था।

जनवरी, 1981 के दौरान केरल द्वारा कर्नाटक राज्य को बिजली की सप्लाई कम किया जाना

49. श्री बी० बी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल ने जनवरी, 1981 के दौरान कर्नाटक को बिजली क सप्लाई कम कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल ने कर्नाटक राज्य से बिजली की सप्लाई 32 लाख यूनिट से घटाकर 15 लाख यूनिट कर दी थी ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कमी करने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य को केरल सरकार द्वारा बिजली में उक्त कटौती किये जाने के कारण औद्योगिक क्षेत्र सहित अनेक अन्य क्षेत्रों में भारी संकट का सामना करना पड़ा था; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समस्या को हल करने में केन्द्र सरकार ने किस प्रकार सहायता की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केरल ने सप्लाई काटकर कर्नाटक को सप्लाई कम नहीं की है। तथापि, इदुक्की में जेनरेटर में ब्रेकडाउन के कारण तथा पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता न रखने वाले उत्तरी केरल की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राज्यीय लाइन से पोषित, कालीकट में 220 के० वी० उप केन्द्र के चालू हो जाने के कारण विद्युत सप्लाई की मात्रा में कुछ कमी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक में उनके उपस्कर फेल हो जाने के कारण केरल के कासरगोड क्षेत्र को कर्नाटक द्वारा विद्युत की सप्लाई न किए जाने के फलस्वरूप केरल ने विद्युत की सप्लाई में उतनी कमी कर दी थी। केरल राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि जेनरेटर की खराबी दूर हो जाने के बाद 220 के० वी० अन्तर्राज्यीय सिंगल सर्किट लाइन पर यथा संभव अधिकतम विद्युत का अन्तरण किया जा रहा है और इस समय प्रतिदिन औसतन लगभग 2.25 मिलियन यूनिट विद्युत भेजी जा रही है।

लंबित मामलों के बारे में उच्चतम न्यायालय के विचार

50. श्री अर्जुन सेठी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ राज्यों में सेशन न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर क्षोभ व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और किन-किन राज्यों में हैं ; और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, न्यायालय नेरिट अर्जी सं० 5943/80 (कदरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य) मामले की सुनवाई करते समय यह मत व्यक्त किया कि इससे बिहार में न्याय प्रशासन के संबंध में चिन्ताजनक स्थिति का पता चलता है। बिहार के सेशन न्यायालयों में कुल 18,133 मामले, सुपुर्द किए जाने की तारीख के पश्चात् 12 मास से अधिक समय से लंबित हैं।

(ग) इस रिट अर्जी सं० 5943/80 की सुनवाई करते समय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि वह मार्गदर्शन निर्धारित करने और बिहार राज्य और उच्च न्यायालय की निदेश देने की प्रस्थापना करता है। मार्गदर्शन और निदेशों के प्राप्त होने के पश्चात् उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय और विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा औषधों का निर्माण

51. श्री निहाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कम्पनियां औषधों का निर्माण कर रही हैं और उनमें से कौन-कौन सी कम्पनियां भारतीय हैं और कौन-कौन सी विदेशी हैं ; और

(ख) प्रत्येक पर कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उनमें में प्रत्येक कम्पनी में कितने-कितने स्वामी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में औषध निर्माता कम्पनियों की कुल संख्या अनुमानत 3000 है। इनमें से 26 विदेशी कम्पनियां है जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) औषध उद्योग में साम्य पूंजी, सुरक्षित पूंजी और दीर्घकालीन ऋण सहित लगी हुई पूंजी के रूप में कुल पूंजीगत निवेश के बारे में योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य-दल ने वर्ष 1977-78 में 450 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। सरकार के पास प्रत्येक कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। इस सूचना का एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुकूल नहीं होगा।

तेल उत्पादन के लिए सोवियत संघ द्वारा तकनीकी सहायता

52. श्री सुभाष चन्द्र अल्लूरी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ सरकार ने तेल उत्पादन में वृद्धि करने तथा निष्क्रिय कुओं को सक्रिय करने में तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग पर किये गये करार के अनुसार सोवियत संघ भारत को बंद तथा कम उत्पादन देने वाले कुओं से तेल के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य को कार्यरूप देने में सहयोग देगा। यह समझौता हुआ था कि दोनों ओर संगठन इस सम्बन्ध में ठेके सम्बन्धी निर्णयों पर बात-चीत 1981 की प्रथम तिमाही में करेंगे

फिल्म सेंसरशिप के बारे में शिकायतें

53. **सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली हैं कि फिल्म सेंसरशिप नीति दोषपूर्ण है तथा फिल्म निर्माताओं को यह निश्चित रूप से मालूम नहीं रहता है कि सेंसर बोर्ड क्या चीज स्वीकृत करेगा और क्या नहीं ; और

(ख) गत छह महीनों के दौरान हिन्दी की कितनी और कौन-कौन सी फिल्मों को "ए" तथा "यू" प्रमाणपत्र दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) समय समय पर सरकार और फिल्म सेंसर बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणीकरण के बारे में शिकायतें मिलती हैं। तथापि, यह सही नहीं है कि फिल्म निर्माताओं को निश्चित रूप से यह मालूम नहीं रहता है कि सेंसर बोर्ड क्या चीज स्वीकृत करेगा और क्या नहीं। सभी फिल्में, चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विवरणों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जांची जाती हैं। इन दस्तावेजों में निहित उचित पाबंदियां ही लगाई जाती हैं।

(ख) जुलाई से दिसम्बर, 1980 तक के छः महीनों के दौरान, हिन्दी की 68 फीचर फिल्मों को "यू" प्रमाण पत्र दिये गये थे और हिन्दी की 12 फीचर फिल्मों को "ए" प्रमाण पत्र दिए गए थे। इन फिल्मों की सूची संलग्न है।

विवरण

(1) हिन्दी की उन फीचर फिल्मों के नाम जिनको जुलाई-दिसम्बर, 1980 के दौरान "यू" प्रमाणपत्र दिये गए।

1. उन्नीस बीस
2. बम्बई का महाराजा
3. भेड़िया का भूत
4. पश्चात्ताप

5. कातिल कौन
6. अब्बुल्ला
7. बेरहम
8. लहू पुकारेगा
9. अपने पराये
10. गुरु सुलेमान चेला पहलवान
11. मान अभिमान
12. यारी दुश्मनी
13. किस्मत
14. टैक्सी चोर
15. पायल की झंकार
16. नीयत
17. धर्म (संशोधित)
18. एक बार कहो
19. पवन बसंती
20. बदला और बलिदान
21. पत्थर से टक्कर
22. गुनागार
23. आंचल
24. रूम नं० 203
25. भक्त गोरा कुम्हार
26. लूटमार
27. दोस्ताना
28. प्यारा दुश्मन
29. आयेगी तेरी याद
30. हमकदम
31. तू मेरी मैं तेरा (संशोधित)
32. साजन मेरे मैं साजन की
33. नज़राना प्यार का
34. भुला न देना

35. दो प्रेमी
36. राम बलराम
37. पतिता
38. खेल मुकद्दर का
39 जज़बात
40. पहला कदम
41. आस पास
42. कृष्ण भक्त सुदामा
43. हम पांच
44. साजन की सहेली
45. आप तो ऐसे न थे
46. सिस्टर
47. सत्ता से उठता आदमी
48. जमीन और आसमान
49. पायल की झंकार (लघु रूपान्तर)
50. मेरा सलाम
51. शान
52. घमंडी
53. अम्बे मां जगदम्बे मां
54. महाबलि हनुमान
55. कन्हैया
56. बुलंदी
57. वक्त की दीवार
58. नानी मां
59. बेशक
60. महाशक्ति
61. बंदिश
62. मांग भरो सजना
63. चम्मन लहरें
64. जुदाई

65. मोर्चा

66. मिस तूफान मेल

67. बाबा तारक नाथ

68. कोबरा

(2) हिन्दी की उन फीचर फिल्मों की संख्या जिनको जुलाई-दिसम्बर, 1980 के दौरान "ए" प्रमाण दिये गए।

1. फिर वही रात

2. ग्रोह बेवफा

3. गहराई

4. जिसे तू कबूल कर ले

5. इंसाफ का तराजू

6. स्वीटी

7. करम

8. चक्र

9. गेस्ट हाउस

10. डायजी

11. प्रेम ग्रौर वासना

12. प्रतिशोध

ग्राठवां ग्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

54. श्री के० टी० कोसलराम : क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में ग्रायोजित भारत के ग्राठवें ग्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुल कितना व्यय हुग्रा ;

(ख) जहां तक भारतीय फिल्मों का संबंध है, ग्रब तक कितना कारोबार किया गया है ; ग्रौर

(ग) क्या यह सच है कि प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों के बारे में नई दिल्ली के सिनेमाघरों को ग्रग्रिम सूचना नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली के बहुत से सिनेमाघरों में हिंसा की घटनाएं हुई ग्रौर यदि हां, तो ऐसा न कर पाने के क्या कारण हैं ?

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हिसाब-किताब को ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है, किन्तु व्यय लगभग 50 ग्रौर 55 लाख रुपये के बीच होने का ग्रनुमान है।

(ख) राइटहौल्डरों द्वारा 74 लाख रुपए के मूल्य की भारतीय फिल्मों की बिक्री होने की सूचना दी गई है। इसके अलावा, भारतीय फिल्मों के 100 लाख रुपए के मूल्य के विडियो कैसेट भी बिके बताए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। फिल्मों के नामों और प्रदर्शन कार्यक्रम को अग्रिम में स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था और सिनेमाघरों के बाहर प्रदर्शित किया गया था। प्रथम सप्ताह के प्रदर्शन कार्यक्रम का विज्ञापन समाचारपत्रों में 26-12 1980 को और द्वितीय सप्ताह के प्रदर्शन कार्यक्रम का विज्ञापन 30-12-1980 को छपा था।

डब्ल्यू० सी० एल० द्वारा रोजगार देने के लिए उमरेद ताल्लुक बेरोजगार युवक संगठन से अभ्यावेदन

55. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "उमरेद तालुक बेरोजगार युवक संगठन उमरेद जिला-नागपुर" से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या उनकी यह भी एक मांग है कि उमरेद कोयला खानों में स्थानीय लोगों को वेस्ट्रने कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा रोजगार नहीं दिया गया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय अथवा परमाणु परियोजनाओं के मुकाबले जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता

56. श्री जेवियर अराकल : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की भारत में तापीय अथवा परमाणु परियोजनाओं की अपेक्षा जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना है ;

(ख) क्या सरकार उनको प्राथमिकता देने के बारे में बताएगी ; और

(ग) 1978 से 1980 तक और उसके बाद जल विद्युत तथा तापीय अथवा परमाणु परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कितनी राशि आबंटित की गयी और इस दौरान उस राशि का कितना उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में योजना आयोग द्वारा मई, 1980 में गठित विद्युत पर कार्यकारी दल ने 1980-85 की अवधि के लिए विद्युत विकास के एक कार्यक्रम की सिफारिश की थी तथा 1985-90 की अवधि के लिए मोटे तौर पर एक संदर्शी कार्यक्रम तैयार किया था। कार्यकारी

दल ने जल विद्युत का विकास तीव्र गति से किए जाने का महत्व पर जोर दिया था तथा जल विद्युत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। कार्यकारी दल ने छठी योजना के दौरान 20,063 मेगावाट की उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने के कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। इसमें जल विद्युत स्कीमों का योगदान 5115 मेगावाट होगा। कार्यकारी दल ने यह भी बताया था कि विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सातवीं योजना अवधि 1985-90 के दौरान लगभग 28000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी तथा जल विद्युत का अधिकतम व्यवहारिक विकास इस परिप्रेक्ष्य में शामिल करने की सिफारिश उसने की थी और जल विद्युत संयंत्रों से लगभग 15,00 मेगावाट के संभाव्य योगदान की परिकल्पना की थी।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तथा 1980-85 के दौरान उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि के सुनिश्चित लक्ष्यों का और 1985-90 के लिए परिप्रेक्ष्य का तथा जल विद्युत की सुनिश्चित भूमिका का पता छठी योजना को जारी किए जाने के बाद चलेगा।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों से अद्यतन कोयला खानों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी तथा मशीनें प्राप्त करना

57. श्री तारीक अनवर : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में इस समय प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी तथा अप्रचलित हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों से अद्यतन प्रौद्योगिकी तथा मशीनें प्राप्त करने का है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कोयला खानों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है और प्रौद्योगिकी तथा मशीनों के आयात में कितना समय लग जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अनेक खानों में अधिक उत्पादकता के लिए यंत्रीकरण में वृद्धि की आवश्यकता है।

(ख) खनन कार्य के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी और मशीनें केवल उन्हीं मामलों में मंगाई जा रही हैं जहां यह तकनीकी सुविधाएं देश में ही उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारतीय कोयला खानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए अनेक-देशों से सहायता प्राप्त की जा रही है जिनमें सोवियत रूस, ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड और फ्रांस शामिल हैं। मशीनों की खानों में जब जितनी जरूरत पड़ती है तब उतना आयात किया जाता है।

लोक सभा में रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन

58. श्री अमर राय प्रधान : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा में रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन कराने के समय के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) (असम और मेघालय राज्यों के मामले में छोड़कर) उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां आकस्मिक रिक्तियां हैं। निर्वाचक नामावलियां पुनरीक्षित की जा रही हैं। यह पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार तारीख 1 जनवरी, 1981 को अर्हता की तारीख मानकर किया जा रहा है। उपनिर्वाचन कराने का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तब तय करेगा जब निर्वाचक नामावलियां अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जाएंगी।

गैसोहोल का उपयोग

59. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पचास वाले दशक में "गैसोहोल" नाम का एक पेट्रो औद्योगिक एलकोहल मिश्रण बेचा जा रहा था और उस समय के उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत देश में तेल कम्पनियों द्वारा अकेला पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल की बढ़ती हुई मांग तथा उसके लगातार बढ़ते हुए मूल्य को देखते हुए सरकार ने देश में "गैसोहोल" को पुनः शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो यदि सरकार ने कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) अल्कोहल के इंधन के रूप में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ सम्मिश्रण के प्रयोग की जांच के लिए एक अन्तर्विभागीय समिति स्थापित की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हालांकि अल्कोहल की पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग की तकनीकी संभाव्यता स्थापित हो चुकी है, अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

देश में बिजली का उत्पादन

60. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली का उत्पादन अब बढ़ने लगा है ;

(ख) क्या बिजली के उत्पादन में क्षेत्रानुसार और समग्र रूप दोनों आंकड़े इसमें वृद्धि दर्शाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वृद्धि बनाए रखने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में

काफी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में, वृद्धि की प्रतिशतता नीचे दिए अनुसार है :-

महीना	पिछले वर्ष हुए कुल उत्पादन पर हुई वृद्धि की प्रतिशतता	पिछले वर्ष हुए ताप विद्युत उत्पादन पर हुई वृद्धि की प्रतिशतता
सितम्बर, 80	6.8	2.1%
अक्तूबर, 80	7.4	4.2%
नवम्बर, 80	20.3	21.7%
दिसम्बर, 80	16.0	22.3%
जनवरी, 81	9.1	14.1%

सितम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान उत्पादन में हुई वृद्धि का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत की भार मांग की बेहतर प्रबंध व्यवस्था करना।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना ;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना ;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सेम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टेबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजीनियरी तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

विवरण

सितम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान राज्य-वार हुए ऊर्जा उत्पादन को दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	सितम्बर			अक्तूबर			नवम्बर			दिसम्बर			जनवरी		
	1979	1980	%	1979	1980	%	1979	1980	%	1979	1980	%	1979	1980	%
उत्तरी	2654	2734	103.01	2590	2592	100.07	2237	2676	119.62	2266	2540	112.09	2370	2414	101.85
पश्चिमी	2661	2807	105.48	2810	3025	107.65	2670	3096	115.95	2832	3257	115.00	2962	3267	110.29
दक्षिणी	2201	2643	120.08	2300	2735	118.91	1978	2630	132.96	2178	2669	122.54	2299	2665	115.91
पूर्वी	1270	1201	94.56	1277	1287	100.78	1167	1303	111.65	1179	1368	116.03	1238	1314	106.13
उत्तर-पूर्वी	87	80	91.95	84	84	100.00	79	59	73.41	73	56	76.71	54	74	137.03
अखिल भारत	8873	9465	106.67	9061	9723	107.30	8131	9763	120.07	8528	9890	115.97	8923	9734	109.08

तेल की खोज के लिये बहुराष्ट्रिक कंपनियों के साथ करार

61. श्रीमती कृष्णा साही :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल की खोज करने के लिये बहुराष्ट्रिक कंपनियों के साथ कोई करार किये हैं ;

(ख) तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बहुराष्ट्रिक कंपनियों को, उनकी सेवाओं के बदले धन देने के स्थान पर तेल में हिस्सा दिया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव उपरोक्त (ग) में बताई गई अपनी नीति में संशोधन करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) देश में तेल के अन्वेषण के लिए सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य तेल कम्पनी के साथ अभी कोई करार नहीं किया गया है। तथापि, देश में तेल अन्वेषण सम्बन्धी गतिविधियों को तेज करने के लिए सरकार ने देश में 32 ब्लाकों में तेल अन्वेषण के लिए चुनी हुई सक्षम पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

आकाशवाणी के दरभंगा, पटना, भागलपुर केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जाना

62. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से मैथिली समाचार बुलेटिनों और दरभंगा केन्द्र के लिए ट्रांसमीटर के बारे में क्रमशः 25 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 और 1200 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री ने पटना में आकाशवाणी के दरभंगा, पटना, भागलपुर और अन्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने और विशेषकर मैथिली भाषा और दरभंगा केन्द्र के लिये और अधिक सुविधाएं, समय और प्रसारण क्षमता की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति सहित उनके बारे में वितरण क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले में वास्तविक स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मन्त्री ने दिसम्बर, 1980 में अपनी पटना यात्रा के दौरान बिहार में रेडियो सेवा के विस्तार के कुछ प्रस्तावों की चर्चा अवश्य की थी।

बिहार से सम्बद्ध निम्नलिखित स्कीमें हैं जिन्हें छठी "योजना" 1980-85 के आकाशवाणी के अनुमोदित प्रस्तावों में शामिल किया गया है :

(क) रांची के ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर 200 किलोवाट मीडियम वेव करना।

(ख) जमशेदपुर में रेडियो स्टेशन की स्थापना।

(ग) भागलपुर के सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण रूपेण रेडियो स्टेशन का करना।

यद्यपि दरभंगा, पटना ट्रांसमीटर के प्राथमिक-सेवा रेंज के भीतर है, मैथिली भाषी क्षेत्रों के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए वहां 10 किलोवाट मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था। यह ट्रांसमीटर इस क्षेत्र को पर्याप्त सेवा प्रदान करता है तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी के पटना केन्द्र, जहां 20 किलोवाट मीडियम वेव का ट्रांसमीटर है, बिहार के उत्तरी भागों को पर्याप्त सेवा प्रदान करता है। संसाधनों की कमी के कारण इस ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक आकाशवाणी, भागलपुर के 10 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर का सम्बन्ध है, आई० टी० यू० योजना के अनुसार, इसके दिन और रात प्रचालन के लिए अधिकतम अनुज्ञेय क्षमता 10 किलोवाट मीडियम वेव की है। अतः इस ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार के आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले मैथिली कार्यक्रमों (मैथिली गीतों को छोड़कर) की कुल मासिक अवधि 32 घन्टे 50 मिनट है। इस समय इस भाषा के कार्यक्रमों की अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विद्युत परियोजना के लिए जापान का प्रस्ताव

63. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिर्जापुर जिले में अपनी विद्युत परियोजना के लिए जापान की फर्म द्वारा की गई पेशकश को केन्द्र की स्वीकृति के लिए अप्रैल, 1980 में किसी समय भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि प्रस्ताव पर अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अनपारा "ख" विद्युत परियोजना के लिए उपस्कर सप्लाई किए जाने के लिए एक जापानी फर्म द्वारा किया गया प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से अप्रैल 1980 में प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के 2 × 500 मेगावाट के ताप विद्युत उत्पादन सेटों वाली प्रस्तावित अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना के लिए जापान से उत्पादन उपस्करों के आयात करने से संबंधित है। इससे सम्बद्ध कोयला खान के विकास के लिए आवश्यक उपस्करों की सप्लाई के लिए भी एक प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की प्रस्तावित अनपारा "ख" परियोजना को भी अभी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जानी है। निवेश संबंधी निर्णय इसके पश्चात ही लिया जा सकता है। यह प्रस्ताव विद्युत उत्पादन उपस्करों के सम्बन्ध में भारत सरकार की आयात नीति का भी अतिक्रमण करता है तथा नीति संबंधी दृष्टिकोण से भी इसकी जांच की जानी है।

आठवें फिल्म समारोह की आलोचना

64. श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जनवरी, 1981 के हिन्दी हिन्दुस्तान में पृष्ठ 4 पर "8वां फिल्म समारोह, मान्यता की तलाश" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है ; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समारोह में उचित व्यवस्था के अभाव में जनता को भारी असन्तोष हुआ और उन्होंने अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिये सिनेमा हालों में प्रवेश किया ; और

(ग) क्या विश्व के फिल्म बनाने वाले बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को उचित महत्व नहीं दे रहे हैं और प्रदर्शन के लिये अपनी अच्छी फिल्में नहीं भेज रहे हैं ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। उस लेख में भारत में सिनेमा की स्थिति के बारे में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं। सरकार इस विचार से सहमत है कि हमारे देश में स्तरों में सुधार करने की आवश्यकता है। जैसा कि उस लेख में बताया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों का आयोजन स्तरों में सुधार करने के उपायों में से एक है।

(ख) जी, नहीं। समाराह के दो सप्ताहों के दौरान 5,00,000 से भी अधिक लोगों ने फिल्में देखी। समारोह के दौरान 10 छविगृहों में हुए 550 फिल्म-प्रदर्शनों में केवल तीन अवसरों पर ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। इनमें से कोई भी ससस्या कुप्रबन्ध के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी। विज्ञान भवन पर एक समस्या 7-1-81 को उस समय खड़ी हुई जब उस दिन शाम 6.30 बजे दिखाई जा रही फिल्म को देखने वाले प्रतिनिधियों और फिल्म आलोचकों की सँख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गई। विज्ञान भवन, मावलंकर हाल और अर्चना में सीटें प्रतिनिधियों, प्रेस तथा फिल्म छात्रों के लिए आरक्षित थीं। यह आरक्षण फिल्म प्रतिनिधियों, फिल्म आलोचकों तथा फिल्म छात्रों के लिए फिल्में देखने के लिए अनन्य रूप से निर्धारित एक छविगृह के अतिरिक्त था। उन्हें पहले से ही यह बता दिया गया

था कि विज्ञान भवन, मावलंकर हाल तथा अर्चना में सीटें "पहले आये सो पहले पाये" के आधार पर उपलब्ध होंगी। यह परिपाटी सभी अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में लागू होती है तथा इसका उद्देश्य प्रतिनिधियों तथा प्रेस को समारोह में दिखाई जाने वाली सभी फिल्मों को देख पाने का अवसर प्रदान करना है। 7 जनवरी को जब कुछ प्रतिनिधियों को सीटें नहीं मिल पाई तो उन्होंने विरोध किया। अगले दिन प्रातः एक विशेष प्रदर्शन करने की घोषणा की गई जिसमें सभी प्रतिनिधि और प्रेस जगत के लोग उस फिल्म को देख सके। शीला में 7 जनवरी, 1981 को दर्शकों के एक वर्ग ने स्पेन में फ्रांको शासन के बारे में पुरस्कार और विजेता एक राजनीतिक फिल्म को पसन्द नहीं किया। अतः उसके टिकटों की राशि वापस कर दी गई। अर्चना में 9-1-1981 को छविगृह के प्रबन्धकों ने अन्तिम समय पर एक उस फिल्म का नाम प्रदर्शन बोर्ड पर लगा दिया जिसे उस दिन दिखाए जाने का कोई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नहीं था। छविगृह प्रबन्धकों के अनुसार, यह एक अज्ञात फोन के आधार पर किया गया जिसे वह पहचान नहीं सके थे। तथापि, उन्होंने समारोह के अधिकारियों से परामर्श किए बिना प्रदर्शन बोर्ड को बदल दिया। इससे कुछ भ्रांति उत्पन्न हुई और टिकटों की राशि वापस कर दी गई।

(ग) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सभी प्रमुख फिल्म निर्माता देशों का भली-भांति प्रतिनिधित्व था।

केन्द्रीय क्षेत्र में तापीय परियोजनाओं के द्वितीय बैच के बारे में विवाद

65. **श्रीमती संयोगिता राणे : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय क्षेत्र में प्रस्तावित तापीय परियोजनाओं के द्वितीय बैच के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित विवाद की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली जाने वाली ताप विद्युत परियोजनाओं के द्वितीय बैच के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिये जाने के लिये प्रस्तावित देश की सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के दूसरे दौर में संदर्भ में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की हैं :—

प्रस्तावित परियोजना का नाम	क्षेत्र	परिकल्पित चरम क्षमता	प्रथम चरण में परिकल्पित क्षमता
पेच	पश्चिमी	840 मेगावाट	420 मेगावाट
कहलगांव	पूर्वी	2800 मेगावाट	800 मेगावाट
तलचेर	पूर्वी	2800 मेगावाट	800 मेगावाट
वैधन	पश्चिमी	3000 मेगावाट	1000 मेगावाट

इस समय इन व्यवहार्यता रिपोर्टों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद में इन परियोजनाओं पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, सिंगरौली क्षेत्र में एक और सुपर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना (सिंगरौली-दो) के लिये तथा आन्ध्र प्रदेश में मानगुरू भद्राचलम एक अन्य सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा शुरू किया गया है।

कोचीन में केपरोलेक्टम परियोजना

66. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्जिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर कोचीन द्वारा केपरोलेक्टम परियोजना के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर कोचीन, यदि उक्त प्रस्ताव की मंजूरी न दी गई तो अनुपयोगी हो जायेगा और वित्तीय दृष्टि से हानिकारक रहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित केपरोलेक्टम परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) ने उद्योग मंडल में एक 50,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला कैप्रोलेक्टम प्लाँट स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है।

(ख) और (घ) उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

राज्यों द्वारा विधिक सहायता दिए जाने संबंधी उपबन्ध

67. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य ऐसे अभियुक्तों की निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक रूप से आबद्ध है जो गरीबी के कारण विधिक सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह मत व्यक्त किया है कि "यद्यपि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की न्यायिक अर्थान्वियन की प्रक्रिया द्वारा, अभियुक्त के विधिक सहायता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया था तथापि देश के अधिकांश राज्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है" ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो अभियुक्तों को निःशुल्क विधिक सहायता देने में असमर्थ हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार उनमें से एक है और उसने अन्धे किए गए विचारणाधीन बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन अभियुक्तों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए राज्यों को निदेश देने का है जो गरीब हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, प्रश्न में जो टिप्पणी उद्धृत की गई है वह उच्चतम न्यायालय ने 1980 की आपराधिक रिट अर्जी सं० 5670, खत्री और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में दिए गए तारीख 19.12.1980 के अपने निर्णय और आदेश में की थी।

(ग) उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की राय में कौन से ऐसे राज्य हैं जो गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू विधिक सहायता स्कीमों का ब्यौरा जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है, पटल पर रख दिया गया है (उपाबंध)।

(घ) खत्री और अन्य के उक्त मामले में बहस के दौरान बिहार राज्य में काउंसेल इस बात से सहमत थे कि गरीब अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य आबद्ध है। किन्तु उन्होंने यह सुझाव दिया कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य के लिए ऐसा कर पाना कठिन हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बिहार राज्य वित्तीय या प्रशासनिक असमर्थता की दलील देकर गरीब अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने की अपनी संवैधानिक बाध्यता से बच नहीं सकता है।

(ङ) और (च) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का ध्यान उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया गया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार विधिक सहायता की व्यवस्था करें। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे अपने-अपने उच्च न्यायालयों से यह निवेदन करें कि वे मजिस्ट्रेटों और सेशन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विधिक सहायता दिए जाने के संबंध में उनकी बाध्यताओं के बारे में निदेश जारी कर दें।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1784/81]

उद्योग मण्डल स्थित डी० डी० टी० संयंत्र का आधुनिकीकरण

68. श्री ई० बालानन्दन : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उद्योग मंडल स्थित डी० डी० टी० संयंत्र की संचालन अवधि समाप्त हो गई है और समाप्त होने वाला है जो मानव जीवन के लिये खतरनाक होगा ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संयंत्र के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिये क्या उपाय करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) कम्पनी के प्रबन्ध ने सरकार को सूचित किया है कि इस प्लांट का उचित और अनवरत अनुरक्षण किया जाता है और सुरक्षा रख-रखाव कार्यकलाप भी नियमित रूप से अपनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्लांट के सभी बदलने उपकरण योग्य हैं और जब आवश्यकता होती है बदलने का कार्य किया जाता है। इसलिए प्लांट लगातार नवीकरण और आधुनिकीकृत किया जाता है। इसलिए उद्योत मण्डल के डी० डी० टी० प्लांट के गिर पड़ने और इससे जन जीवन को खतरे का प्रश्न नहीं उठता। और इसने अपनी आयु पूरी नहीं की है क्योंकि इसका क्षमता उपयोग काफी है, यानि, वर्ष 1978-79 में 100 प्रतिशत और वर्ष 1979-80 में 102 प्रतिशत।

बम्बई की सुदर्शन चिटस्कीम के विरुद्ध जांच पड़ताल

69. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने बम्बई की सुदर्शन चिट स्कीम के विरुद्ध जांच पड़ताल करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) क्या जाँच पड़ताल रोकने के लिये कम्पनी द्वारा राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जांच कार्य को पूरा करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ऐसी धारणा है कि मांगी गई सूचना कम्पनी अधिनियम के धारा 209-क के अंतर्गत मै० सुदर्शन चिट्स (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास के निरीक्षण से सम्बन्धित है। यह निरीक्षण पूर्ण हो चुका है एवं निरीक्षण रिपोर्ट वर्तमान में परीक्षान्तर्गत है।

(ख) निरीक्षण को छिद्रान्वेषित करके न्यूनाधिक देरी के लिये, किसी के द्वारा किसी प्रकार के प्रभाव का प्रयोग नहीं किया गया है।

(ग) निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य रूप से, कम्पनी के मद्रास स्थित मुख्य कार्यालय में संधारित इसके अभिलेखों की संवीक्षा पर आधारित है। उसमें बम्बई स्थित शाखाओं समेत, इसकी लगभग 113 की संख्या की सभी शाखाओं के व्यवहार प्रतिबिम्बित हैं। इस प्रयोग में आवश्यक रूप से कुछ समय लगेगा।

उकाय और गांधी नगर तापीय बिजली घरों में लगे "भेल" के जेनरेटिंग सेटों का खराब हो जाना

70. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उकाय और गांधी नगर तापीय बिजली घरों में लगे "भेल" के जेनरेटिंग सेट बार-बार खराब हो जाते हैं जिसके कारण बिजली बार-बार चली जाती है और उसके

परिणामस्वरूप कृषि और उद्योगों को भारी हानि होती है और क्या इस बात को देखते हुए गुजरात सरकार ने वानकबोरी तापीय बिजली घर के लिए जापान और इटली से टासों जेनरेटिंग सेट और बायलर आयात करने के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी मंजूरी तत्काल दे दी जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उकई और गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्रों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा सप्लाई की गई उत्पादन यूनिटें अपनी स्थिरीकरण अवधि के दौरान प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। नए उत्पादन संयंत्रों के मामले में ऐसा होना असामान्य नहीं है।

वानकवोरी ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो के लिए टर्बो जेनरेटिंग सेटों और बायलरों की सप्लाई के लिए गुजरात बिजली बोर्ड ने सरकार की वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत यथा अनुज्ञेय, विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की थीं तथा जापान से टर्बो जेनरेटिंग सेट का और इटली से बायलर का आयात करने के लिए अपने प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजे थे।

(ख) और (ग) वानकवोरी ताप विद्युत परियोजना चरण-दो के लिए टर्बो जेनरेटरों और बायलरों का आयात करने के बारे में गुजरात बिजली बोर्ड के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। प्रस्ताव के सभी पहलुओं को तथा स्वदेशी निर्माताओं की निर्माण सम्बन्धी क्षमता को ध्यान में लेने के पश्चात यह निर्णय ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित शक्ति प्रदत्त समिति द्वारा लिया गया था।

फजल समिति का प्रतिवेदन

71. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने कोयला क्षेत्र के पुनर्गठन पर "फजल पैनल के प्रतिवेदन" का कड़ा विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग ने किन मुख्य सिफारिशों का विरोध किया है और प्रत्येक सिफारिश के संवंध में उन्होंने किस तरह की आपत्ति की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सिफारिशों में संशोधन करने और अथवा उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) फजल समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता को बिजली की सप्लाई

72. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता को बिजली की सप्लाई में पिछले सितम्बर से तेजी से गिरावट आ रही है जैसा उत्पादन सम्बन्धी आँकड़ों

से स्पष्ट है, पिछले महीने से इसके अनुपात में 5.3% की कमी आई है, इस तरह मिलियन यूनिटों में भी पिछले अप्रैल से दिसम्बर में बिजली की सप्लाई में 21.3 और 20.16 के बीच का अन्तर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी निगम की विद्युत सप्लाई में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1980 तक दामोदर घाटी निगम से विद्युत का उत्पादन तथा कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को की गई सप्लाई उपाबंध में देखी जा सकती है। यह देखा जा सकता है कि सितम्बर, 1980 से सी० ई० एस० सी० को की जा रही सप्लाई में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। अप्रैल और दिसम्बर, 1980 के दौरान सप्लाई 22 मिलियन यूनिट से लेकर 35 मिलियन यूनिट तक भिन्न-भिन्न रही है।

(ख) और (ग) विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा पहले से ही कदम उठाए जा चुके हैं। दामोदर घाटी निगम में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई परियोजनाओं को शीघ्रता से स्वीकृति दी जा रही है।

विवरण

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

महीना	उत्पादन	सी०ई०एस०सी० को सप्लाई
अप्रैल, 1980	323	25.16
मई, 1980	317	22.43
जून, 1980	342	26.46
जुलाई, 1980	381	32.20
अगस्त, 1980	362	27.80
सितम्बर, 1980	341	26.10
अक्तूबर, 1980	356	25.60
नवम्बर, 1980	358	28.00
दिसम्बर, 1980	407	35.02

राजस्थान में बिजली संकट का सामना कर रहे उद्योग

73. श्री जय नारायण रौट : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों से राजस्थान के उद्योगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी हानि हुई हैं और केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्य-वाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान राजस्थान में विद्युत की कमी के कारण राज्य के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । तथापि केवल विद्युत की कमी के कारण ही हुई हानि के मात्रात्मक रूप से बता सकना संभव नहीं है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र प्रणाली से दिन प्रति दिन की फालतू बिजली की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान की सहायता की है। अक्तूबर, 1980 से बाद की अवधि के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को दी गई सहायता की मात्रा नीचे दी गई है :—

अक्तूबर 1980	105.7 लाख यूनिट
नवम्बर 1980	5.0 लाख यूनिट
दिसम्बर 1980	146.9 लाख यूनिट
जनवरी 1981	45.1 लाख यूनिट

भारतीय फीचर फिल्मों की विदेशों में लोकप्रियता

74. श्री दौलत राम सारण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फीचर फिल किन-किन देशों में अधिक लोकप्रिय हैं और वे विशेष रूप से किस भाषा में लोकप्रिय हैं तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है कि भारतीय फिल्में विदेशों में और लोकप्रिय हों ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हिन्दी की फीचर फिल्में अमरीका, कनाड़ा, सोवियत संघ, इंग्लैण्ड, अरब की खाड़ी, इराक अफगानिस्तान, मारिशस, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका के देशों और इंडोनेशिया में अधिक लोकप्रिय हैं। इन देशों में हिन्दी की फिल्मों की लोकप्रियता के कारण हैं : (1) इन देशों में एशिया की मूल जातियों की बहुसंख्यक जनसंख्या अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी को अधिक समझती है, और (2) ये विदेशी बाजार पिछले 30 वर्षों के दौरान हिन्दी फीचर फिल्मों के निर्यातकों द्वारा किए गए गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप बने हैं। श्रीलंका में तमिल फिल्में भी लोकप्रिय हैं ।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो भारतीय फीचर फिल्मों के निर्यात के लिए कैनेवाजिंग एजेंसी है, ने सभी भाषाओं में भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की योजना बनाई है :—

(1) लंदन, हाँगकांग और न्यूयार्क में फॉरेन पोस्ट खोलना ;

(2) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और विदेशों में बाजारों में अच्छी तरह भाग लेना ;

(3) भारतीय फिल्म बाज़ारों में गैर- परम्परागत क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित करना ; और

(4) कतिपय चुने हुए देशों विशेषकर गैर-परम्परागत देशों में भारतीय फिल्म सप्ताहों का आयोजन करना ।

मध्य प्रदेश में पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना

75. श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना कर रही है ;

(ख) उस उच्च स्तरीय समिति की क्या रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न स्थलों की जांच की थी ; और

(ग) उच्च स्तरीय समिति ने किन स्थलों का चयन किया है और क्या उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई निर्णय किया गया है ?

पेट्रलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा नये एरोमेटिक्स पेट्रो-रसायन समूहों की प्रतिस्थापना करने के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की गई है । समिति ने मध्य प्रदेश में कई स्थानों जिनमें मुरैना शामिल है, का दौरा पहले ही किया था । समिति तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण पर विभिन्न स्थलों के लिए सिफारिशें करेगी और इसने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है ।

केरल में कुकिंग गैस का वितरण

77. श्री नीलालोहिथा दसन नाडार : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुकिंग गैस का वितरण वर्ष में कितनी बार असफल हुआ ;

(ख) इस असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार मद्रास से केरल में वितरण के लिए कुकिंग गैस लाने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के दौरान, केरल राज्य में, मोटे तौर पर खाना पकाने की गैस के वितरण पर निम्नलिखित मौकों पर बुरा प्रभाव पड़ा था ।

(1) 10-4-80 से 12-5-80 तक कोचीन शोधनशाला का रख-रखाव के समय बन्द रहना ।

(2) अगस्त 1980 में लम्बी छुट्टियों और केरल बन्द

(3) नवम्बर 1980 में केरल परिवहनकर्ताओं की हडताल

(4) दिसम्बर, 1980 में कोचीन-शोधनशाला में तकनीकी समस्याओं के कारण उत्पादन की कमी।

(5) जनवरी 1981 में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के कारण उत्पादन की कमी।

(ग) मद्रास शोधनशाला में कई कारणों से पिछले कुल महीनों में तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था और मद्रास क्षेत्र की आवश्यकताओं जो कि बम्बई और विजाग से गैस लाकर पूरी की जा रही है, को भी पूरा करना सम्भव नहीं है। अतः कोचीन में सामान्य उत्पादन हो जाने से मद्रास से केरल में उत्पाद को लाने में कोई गुंजाइश नहीं थी, स्थिति में शीघ्र सुधार हो जाने की आशा है।

छठी योजना अवधि के दौरान तटदूर छिद्रण परियोजनायें

78. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा कच्चे तेल के लिए कितनी तट दूर छिद्रण (ड्रिलिंग) परियोजनाओं को आरम्भ किया जाएगा ;

(ख) छठी योजना में ऐसी परियोजनाओं के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ; और

(ग) परियोजना बार, कितनी अनुमानित मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने छठी योजना के दौरान (1980-81 से 1984-85), पहले से ही क्रियान्वित किये जा रहे बम्बई हाई विकास योजना के चरण-III के अतिरिक्त, अपतटीय क्षेत्रों में, जहां खनिज तेल का पहले से ही पता लगाया गया है, 6 और विकास योजनाएं/परियोजनाओं को अस्थायी रूप से आरम्भ करने की योजना बनाई है।

(ख) छठी योजना में इन प्रायोजनाओं पर कुल 1311,11 करोड़ रुपये का परिकल्पित परिव्यय का अनुमान लगाया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं से छठी योजना अवधि के दौरान कुल 51,30 मिलियन मीट्रिक टन खनिज तेल के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

राजस्थान में बिजली की कमी

79. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान को न तो कोटा बिजली संयंत्र और न ही भाखड़ा बिजली लाइन अपेक्षित मात्रा में बिजली दे सकते हैं जिससे इस सुखोन्मुख राज्य में कम से कम कृषि तथा उद्योग को जीवित रखा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों स्रोतों में से प्रत्येक स्रोत द्वारा बिजली की सप्लाई में कुल कितनी कटौती की गई है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह राजस्थान को मध्य प्रदेश तथा गुजरात से कुछ बिजली उपलब्ध कराए जहां कि कुछ फालतू बिजली उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में बिजली की वर्तमान निराशाजनक स्थिति को अच्छी तरह सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिक्रम महाजन) : (क) और (ख) संयुक्त क्षेत्र की भाखड़ा-नंगल परियोजना तथा ब्यास परियोजना में राजस्थान एक भागीदार राज्य है और विद्युत का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। वह भाखड़ा-नंगल प्रणाली से न केवल अपना हिस्सा ले रहा है बल्कि राजस्थान में व्याप्त कमी की परिस्थितियों के कारण वह अपने हिस्से से अधिक विद्युत ले रहा है। जहां तक कोटा विद्युत केन्द्र का सम्बन्ध है, 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट 1 की जबरन बन्दी के कारण इस केन्द्र से राजस्थान के लिए उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा था। यूनिट एक की जबरन बन्दी के दौरान कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र से हुई कमी लगभग 4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी।

(ग) सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में राजस्थान 40% हिस्से का हकदार है। मध्य प्रदेश में व्याप्त विद्युत की कमी की परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश द्वारा यह पूरा हिस्सा सप्लाई नहीं किया जा रहा है। गुजरात राज्य भी विद्युत की कमी का सामना कर रहा है और इसलिए गुजरात से सहायता प्राप्त करने की संभावना नहीं है।

(घ) राजस्थान में विद्युत की वर्तमान कमी को पूरा करने की दृष्टि से, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र प्रणाली में दिन प्रतिदिन की उपलब्धता के आधार पर, जहां तक संभव होता है केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सहायता दी जा रही है। दिसम्बर, 1980 तथा जनवरी, 1981 के महीनों के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को 192 लाख यूनिट की सहायता दी गई थी।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

80. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, यथा भू-तापीय, भू-चुम्बकीय, सौर तथा ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा जैसे स्रोत और राजस्थान में विशेष रूप से जहां दिन के समय सूरज की किरणें अत्यंत प्रचण्ड होती हैं, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के क्या प्रयास किए हैं और आगे करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : भारत सरकार और ऊर्जा, भू-तापीय, जैव-गैस, ज्वारीय तथा वायु ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के समुपयोजन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऊर्जा के नए और नवीकरणीय क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

2. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ताप विद्युत यंत्रों तथा प्रणालियों, फेटोवोल्टाइक यंत्रों पंपिंग प्रणालियों के लिए सौर यंत्रों, जल गरम करने और रेफ्रीजरेशन के लिए सौर ताप

प्रौद्योगिकी का उपयोग करने तथा प्रयोगात्मक सौर विद्युत संयंत्र का विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनुसंधान और विकास कार्यक्रम में हुई प्रगति से यह विश्वास पैदा हुआ है कि प्रोद्यौगिकियों तथा प्रणाली उपयोगों को पायलट संयंत्रों के स्तर तक बढ़ाया जाये। अब क्षेत्र निदर्शन प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है तथा सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उपयोग में लाने पर इस समय इस कार्यक्रम में बल दिया जायेगा। सौर यंत्रों को उपयोग के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए, जीवन क्षम बनाने की दृष्टि से यंत्रों की लागत कम करने के लिए निरन्तर कार्य किया जाना है।

जैव गैस : जैव गैस डाइजेस्टरों का विकास करने के लिए काफी अनुसंधान और विकास किया गया है और देश में लगभग 80,000 जैव-गैस संयंत्र प्रतिष्ठापित किए गए हैं। भावी कार्यक्रम में जैव-गैस संयंत्रों की लागत को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाये जाने के लिए निर्माण पद्धतियों में उपयुक्त सुधार करने तथा जैव-गैस डाइजेस्टरों में किण्वन की विशेषताओं में वृद्धि करने के लिए लगातार अनुसंधान किया जाना है। परिवार और सामुदायिक साइज के जैव-गैस संयंत्रों का विकास करने पर अधिक बल देने का प्रस्ताव है और निकट भविष्य में इस प्रकार के 20 प्रोटोटाइप संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

भू-तापीय : भू-तापीय ऊर्जा की शक्यता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण किए गए हैं। पूगा और पार्वती घाटियों में इस समय विस्तृत अनुसंधान और ड्रिलिंग कार्य किए जा रहे हैं। कुल्लु जिले में मणिकरण में, भू-तापीय ऊर्जा पर आधारित एक निदर्शन कोल्ड स्टोरेज यूनिट प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

ज्वारीय ऊर्जा : देश में ज्वारीय विद्युत विकास की शक्यता सुनिश्चित करने के लिए एक अध्ययन किया गया है, जिसने कुछेक शक्यता स्थलों का पता लगाया है। इनमें से कच्छ की खाड़ी सबसे अधिक आशाजनक समझी जाती है। अध्ययन और अन्वेषण करने के लिए सरकार ने हाल ही में 2.18 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना स्वीकृत की है, जिससे कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारीय परियोजना स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

वायु ऊर्जा : भारतीय परिस्थितियों में पम्पिग कार्य के लिए उपयुक्त वायु मिलों के सफल लागत वाले डिजाइन तैयार करने के लिए प्रयास जारी हैं। वायु मिलों का निर्माण करने तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए वायु मिलों का निदर्शन करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में नीदर-लैंड के सहयोग से एक समेकित परियोजना चल रही है।

राजस्थान में कार्यक्रम : ऊर्जा के नए स्रोतों में निम्नलिखित कार्यक्रम राजस्थान में हाथ में लिए जा रहे हैं :—

1. पेय जल की सप्लाई के लिए तिजारा गांव (अलवर जिला) में एक सौर फेटोवोल्टाइक पम्प प्रतिष्ठापित किया गया है।
2. वाटर हाइसिन्थ पर आधारित एक जैव-गैस संयंत्र भरतपुर में प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है।
3. पश्चिमी राजस्थान में सौर फेटोवोल्टाइक लाइटिंग प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

4. जैव-गैस क्षेत्र में विभागीय निदर्शन गतिविधियों के एक भाग के रूप में राजस्थान में कुछ सामुदायिक जैव-गैस संयंत्र स्थापित करने का प्रस्थाव है।

नागपुर में दूरदर्शन केन्द्र

81. **श्री आर० के महालगी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कौन-कौन से नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को नागपुर (महाराष्ट्र) में दूरदर्शन केन्द्र होने की आवश्यकता की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कोई नया दूरदर्शन केन्द्र चालू करने की योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) "इनसेट" के माध्यम से दूरदर्शन के विस्तार की योजना के अंतर्गत छठी "योजना 1980-85 के दौरान नागपुर में दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है। इस स्कीम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और इसका कार्यान्वयन इस स्कीम की स्वीकृति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दुर्गापुर प्रोजक्ट में बेकार पड़े ट्रांसफार्मर

82. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड में कोई ट्रांसफार्मर काफी समय से बेकार पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) प्रतिस्थापन और चालू किए जाने की प्रतीक्षा में पड़े ट्रांसफार्मरों के ऐसे दो मामले इस समय दुर्गापुर परियोजना लि० में हैं। पहला सीमेन्स मेक 10 एम० वी० ए०, 11/6.6 के वीए स्टेशन आक्सीलरी ट्रांसफार्मर है। यद्यपि यह लगभग एक वर्ष पहले प्राप्त हुआ था। करेन्ट ट्रांसफार्मर, बस-बार केबल तथा कनेक्टरों जैसे कुछ उपसाधनों की कमी के कारण यह बेकार पड़ा है। इसको शीघ्रता से चालू करने के लिए इन उपसाधनों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए दुर्गापुर परियोजना लि० द्वारा कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । दूसरा 31.5 एम० वी० ए० 132/33 के वी० रिप्लेसमेंट ट्रांसफार्मर है। यह, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के कोयला खान क्षेत्र के भार की सप्लाई के लिए है। यह ट्रांसफार्मर क्रामप्टन तथा ग्रीव्ज लि० से लगभग केवल डेढ़ महीना पहले प्राप्त हुआ था। यह ट्रांसफार्मर इस समय क्रामप्टन तथा ग्रीव्ज के इंजीनियरों की देख-रेख में उत्थापन और प्रतिष्ठापन किए जाने की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है। इसके मार्च, 1981 के अन्त तक चालू किए जाने की संभावना है।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहीत विवादग्रस्त राज्य बिजली परियोजनाएं

83. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उन राज्य बिजली परियोजनाओं का अधिग्रहण कर रही है जिनका कार्य काफी दिन से शुरू नहीं किया गया क्योंकि उन पर अन्तर्राज्यीय विवाद थे ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन का कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जो परियोजनाएं अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण रोक दी गई हैं, उन परियोजनाओं की सूची संलग्न है। इन अन्तर्राज्यीय मामलों को हल करने का प्रयास करने की दृष्टि से केन्द्र संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

विवरण

उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, जिनकी परियोजना रिपोर्ट कें० वि० प्रा० में प्राप्त हो गई हैं और जिन पर अन्तर्राज्यीय पहलुओं के कारण विलम्ब हो गया है।

क्र० सं०	स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	सिम्मिलित राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	किशाऊ (एम०पी०पी०)	उत्तर प्रदेश	600	1978	उत्तर प्रदेश/हिमाचल प्रदेश
2.	खारा	उत्तर प्रदेश	81	जून, 1978	उत्तर प्रदेश/हरियाणा
3.	आनन्दपुरसाहिब	पंजाब	134	अक्तू०, 1979	पंजाब/हरियाणा/राजस्थान
4.	ओरछा बहुद्देश्यीय परियोजना	मध्य प्रदेश	90	सित०, 1978	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश
5.	पाण्डियार पून्नापुशा	तमिलनाडु	100	फर०, 1977	तमिलनाडु/केरल
6.	चोलतीपुझा	तमिलनाडु	60	मार्च, 1977	तमिलनाडु/केरल
7.	नेल्लीथोराई	तमिलनाडु	50	1974	तमिलनाडु/केरल/कर्नाटक

1	2	3	4	5	6
8.	अपर अमरावती	तमिलनाडु	30	जुलाई, 1978	तमिलनाडु/केरल/ कर्नाटक
9.	षण्मुख नदी	तमिलनाडु	30	जन०, 1977	तमिलनाडु/केरल/ कर्नाटक
10.	पाण्डियार पुन्नापुभा टेलरेस	केरल	70	दिस०, 1972	केरल/तमिलनाडु
11.	मनन्थवाड़ी (एम०पी०पी०	केरल	240	मई, 1980	केरल/तमिलनाडु/ कर्नाटक
12.	कुट्टीयाड़ी विस्तार	केरल	240	दिस,० 1976	केरल/तमिलनाडु/ कर्नाटक

राज्य विद्युत बोर्डों का मौके पर अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय दल

84. श्री के० पी० सिंह देव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत सचिव द्वारा गठित केन्द्रीय दल ने राज्य विद्युत बोर्डों का मौके पर अध्ययन किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने उड़ीसा का दौरा किया था ;

(ग) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्ड ने उनके समक्ष क्या समस्याएं रखी थीं ;

(घ) क्या सीमेंट और इस्पात जैसी कमी वाली वस्तुओं की वास्तविक पूर्ति के लिए बोर्ड ने केन्द्रीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) दल के दौरे और सुझावों के परिणामस्वरूप उड़ीसा में 1981 के दौरान कितनी अधिक बिजली का उत्पादन किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। कुछ राज्य बिजली बोर्डों के सम्बन्ध में अध्ययन किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्दे-नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य बिजली बोर्डों की इस्पात/सीमेंट की वास्तविक आवश्यकता को स्वदेशी स्रोत्रों से तथा बफर आयात से पूरा करता रहा है। उड़ीसा राज्य

बिजली बोर्ड की आवश्यकताओं की तुलना में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 1980-81 में इस्पात का आबंटन नीचे दिये अनुसार किया है :—

आंकड़े एम/टनों में

प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तीमाही	चतुर्थ तिमाही	बफर आयात	विविध (विलेट्स)	जोड़
3090	3454	2660	979	8950	2500	21,633

यह उल्लेखनीय है कि उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को बफर आयात से दी गई 8950 टन इस्पात में से बोर्ड केवल 8280 टन इस्पात के लिए ही वित्तीय व्यवस्था कर पाया है।

सीमेंट के बारे में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को निम्नलिखित मात्रा में सीमेंट का आबंटन किया है :—

तिमाही	आबंटन/एम० टी०
1/80 (जनवरी-मार्च 1980)	4000
2/80 (अप्रैल-जून 1980)	3800
3/80 (जुलाई-सितम्बर 1980)	7800
4/80 (अक्तूबर-दिसम्बर 1980)	11600
1/81 (जनवरी-मार्च 1981)	7500

विद्युत विभाग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से सीमेंट की समय पर सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपरोक्त (ख) को मद्दे-नजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस स्वतन्त्रता के बारे में प्रेस परिषद के चेयरमेन के विचार

85. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय प्रेस परिषद् के चेयरमेन श्री जस्टिस ग्रोवर द्वारा की गई इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि पूर्व-सेंसर-प्रेस की स्वतन्त्रता बने रहने के सिद्धांन्त से परे है और धर्म-निरपेक्षता और लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिए इसमें समझौता नहीं किया जाना चाहिए ; और

(ख) इस टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जारी किए गए अपने संदेश में जो टिप्पणियां की थीं उनको सरकार ने देखा है। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की नीति के लिए वचनबद्ध है।

नये दूरदर्शन केन्द्र

86. श्री समर मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये रेडियो स्टेशन तथा दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन नगरों को चुना गया है और उनकी स्थापना कब की जाएगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), गंगटोक (सिक्किम), तुरा (मेघालय), आगरा (उत्तर प्रदेश), मदुरै (तमिलनाडु) तथा जमशेदपुर (बिहार) में नए रेडियो स्टेशन और कोटा (राजस्थान), दिफु (असम) किओंझार (उड़ीसा), आदिलावाद (आन्ध्र प्रदेश), नागर कोइल (तमिलनाडु) तथा शोलापुर (महाराष्ट्र) में स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने के छठी योजना के स्वीकृत प्रस्ताव हैं।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, छठी "योजना" 1980-85 अवधि के दौरान नए दूरदर्शन केन्द्र आदि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित स्थानों को चुना गया है :—

पूर्ण-रूपेण दूरदर्शन केन्द्र
अहमदाबाद (गुजरात)
बंगलौर (कर्नाटक)
त्रिवेन्द्रम (केरल)
गोहाटी (असम)

रिले ट्रांसमीटर
आसन सोल और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)
कटक (उड़ीसा)
कसौली (हिमाचल प्रदेश)
पणजी (गोवा)
वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
विजय वाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)
कोडिकनाल (तमिल नाडु)

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र
गुलबर्ग (कर्नाटक)
बिहार (वास्तविक स्थान विचाराधीन है)
रायपुर (मध्य प्रदेश)

स्थाई स्टूडियो भवन

जयपुर (राजस्थान)
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

"इन-सैट-1" के माध्यम से सीमित दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

सोवियत संघ की सहायता से एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना

87. श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री भीखू राम जैन : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना के लिए सोवियत संघ भारत को सहायता देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस देश से उपकरण तथा तकनीकी जानकारी के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस ग्रिड के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना के लिए सोवियत संघ के साथ कोई विशिष्ट समझौता नहीं हुआ है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के मुद्दों पर, यू० एस० एस० आर० और भारत के बीच नवम्बर, 1980 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में "एक समेकित विद्युत प्रणाली के प्रचालन तथा अतिरिक्त वोल्टता के पारेषण पर तकनीकी सूचना" सम्बन्धी अनुभव और जानकारी के आदान प्रदाय को वांछनीय समझा गया था। बाद में जनवरी, 1981 में दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच हुए विचार-विमर्शों के विषयों में यह भी एक विषय था। इस समय यह फैसला किया गया था कि विद्युत प्रणाली के विकास का अध्ययन करने के लिए भारत में एक तकनीकी दल यू० एस० एस० आर० का दौरा करेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों के उच्चतम अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक

88. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** कम्पनियों में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों के बारे में 1 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति तथा उन्हें दिये जाने वाली पारिश्रमिक को सरकारी विनियमन के अधिकार-क्षेत्र में लाने के लिए अब तक कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी नियुक्तियों पर नियंत्रण करने में कौन सी कठिनाइयां उनके मार्ग में आती हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में अगला संशोधन करते समय इस बात को ध्यान में रखने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) विद्यमान कानून में पहले ही व्यवस्था है कि अधिकारियों की नियुक्ति जो किसी भी पद पर की जाए और पारिश्रमिक, जो अधिनियम की धारा 314 (1ख) की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, ऐसे अधिकारियों के लिए, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

यह प्रश्न कि कम्पनी अधिनियम में अन्य अधिकारियों को देय पारिश्रमिक के लिए, जो कम्पनी अधिनियम की परिधि में आते हैं, क्या कोई संशोधन किया जाना चाहिए, वह अभी सरकार के विचाराधीन है।

बिजली की कमी के कारण राजस्थान में औद्योगिक और कृषि उत्पादनों पर प्रभाव

89. **आचार्य भगवान देव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है जिससे औद्योगिक और कृषि उत्पादनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इस स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान की सहायता के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) यह देखने के लिए कि भविष्य में राज्य को ऐसे संकट का सामना न करना पड़े, सरकार की क्या योजना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1980 में कम मानसून होने के कारण गोबिन्दसागर (भाखड़ा) तथा चम्बल जलाशयों में कम अन्तर्वाह होने के कारण, सम्बद्ध जल विद्युत केन्द्रों से कम विद्युत उपलब्धता होने से राजस्थान विद्युत की कमी की स्थिति का सामना कर रहा है। 18 नवम्बर, 1980 को राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की 220 मेगावाट की यूनिट संख्या एक में जबरन बंदी के कारण स्थिति और बिगड़ गई। तथापि, स्थिति पर काबू पाने के लिए, दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र प्रणाली में दिन प्रतिदिन की विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सहायता देकर राजस्थान की सहायता करने के लिए प्रयास किए गए हैं। दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को 192 लाख यूनिट उर्जा सप्लाई की गई। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र का यूनिट सं० 1 भी 28 जनवरी, 1981 को पुनः चालू कर दिया गया और विद्युत सप्लाई की स्थिति में अब कुछ सुधार हुआ है।

(ख) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए नई उत्पादन क्षमता को शीघ्रता से चालू करने के लिए कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। 1980-85 की अवधि

के दौरान लगभग 496 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू करने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ विद्युत परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ मिलेगा।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेल शोधनशालाओं द्वारा उत्पादन

90. श्री संतोष मोहन देव : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित तेल शोधनशालाओं की गत दो वर्षों के दौरान क्षमता और उत्पादन अलग-अलग कितना था ;

(ख) क्या यह सच है कि तेल शोधनशालायें अपनी क्षमता में कम का उत्पादन कर रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(घ) असम में स्थिति सामान्य होने पर स्थिति में सुधार होगा। बरौनी शोधनशाला को खनिज तेल की सप्लाई 28-1-1981 से आरम्भ हो चुकी है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1785/81]

कोयले की निर्बाध बिक्री की योजना को उदार बनाना

91. श्री राम चन्द्र रथ : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए कोयले की निर्बाध बिक्री योजना को उदार बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा निर्बाध बिक्री कार्य आरम्भ करने के लिए निर्धारित किया गया है ;

(ग) निर्बाध बिक्री के लिए अब घटिया किस्म का कुल कितना कोयला उपलब्ध है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। कोयले की खुली बिक्री की योजना को उदार बनाया गया है। जब सितम्बर, 1980 में यह योजना शुरू की गई थी उस समय 38 कोलियरियों में खुली बिक्री की काती थी, इस समय 60 कोलियरियों में खुली बिक्री की जा रही है।

(ख) खुली बिक्री के लिए अलग की गई खानों का विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त 60 खानों से खुली बिक्री के लिए दिए जा रहे घटिया ग्रेड के कोयले का कुल स्टॉक लगभग 4.79 मि० टन है । कोयले की इस उपलब्धि का कम्पनीवार विवरण नीचे दिया गया है :—

ई० को० लि०	0.365 मि० टन
भा० को० को० लि०	1.245 मि० टन
से० को० लि०	1.437 मि० टन
वे० को० लि०	1.744 मि० टन
	4.791 मि० टन

विवरण

कोयले की खुली बिक्री वाली खानें

ई० को० लि०

1. खेरियाबाद (गोमांगडीह)
2. राजपुरा ओपेनकास्ट
3. ईस्ट जमूरिया
4. मोहनपुर गौरंगडीह क्वैरी
5. डाबर
6. कुमारधुली
7. डलमिया
8. सालनपुर (गोमांगडीह)
9. चितरा
10. जोरे कुरी/पलस्थली/चिटकन

से० को० लि०

1. गिरीडीह
2. सामुबेरा
3. करनपुरा देवरखाण्ड
4. टोपा
5. घेरा
6. जगन्नाथ
7. झींगुरदा
8. बीना
9. टेपिंग साउथ
10. आरा
11. लाइयो
12. करकट्टा
13. राझारा
14. धिधुनिया
15. सेमरा
16. केडला नार्थ
17. डेमिया साईडिंग

ई० को० लि०	वे० को० लि०
1. मुराइडीह	1. बिसरामपुर
2. आकाश किनारी	2. रामनगर
3. कोराइडीह	3. झिमार राजनगर ओपेनकास्ट
4. जोगीडीह	4. कुरसिया
5. रामकनाली	5. चिरीमिरी
6. केशलपुर	6. वे० झगराखांड
7. वेस्ट मुधीडीह	7. भाटगांव
8. सालनपुर	8. नार्थ चिरीमिरी
9. तेतुलमारी	9. बेलोरा
10. विचितपुर	10. नहोदा
11. बसेनिया	11. ओरिएंट
12. खास कुसुंडा	12. अमुना ओपेनकास्ट
13. धामसौर	13. हींगररामपुर
14. गोघूडीह	14. कुसमुंडा
15. केंडूरडीह	15. धनपुरा
16. सा० झरिया	16. चचई
	17. जमुना भूमिगत

नए-गैस कनेक्शनों के लिए प्रस्ताव

92. **श्री रामचन्द्र रथ** :क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में 30 लाख नए गैस कनेक्शन देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान देश में कुछ नए एल०पी०जी० संयंत्र लगाने का भी कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों को किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के उपभोक्ताओं को कितने एल० पी० जी० कनैक्शन दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 से 1983-84 की अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों में नए एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। बम्बई, बंगलूर (एच० पी० सी०), खापडी (नागपुर), इन्दौर, हैदराबाद, विजयवाडा, इलाहाबाद, बंगलूर (आई० ओ० सी०), जालंधर, सालेम और शकूरबस्ती (बी० पी० सी०)।

(घ) बम्बई हाई और मथुरा और कोयाली शोधनशालों से तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धि होने पर इस माह से आगे दिल्ली में प्रतीक्षा सूची में द किये गए व्यक्तियों को गैक कनैक्शन चरणबद्ध ढंग से प्रदान किए जायेंगे।

उड़ीसा को कम डीजल की सप्लाई

93. श्री रामचन्द्र रथ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि गत कुछ महीनों में उड़ीसा को डीजल कम मात्रा में सप्लाई किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा राज्य को निर्धारित आबंटन के अनुसार डीज़ल की नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में हाई स्पीड डीजल तेल की कुल बिक्री वर्ष 1980 में राज्य में वर्ष 1979 के दौरान की गई उसकी कुल बिक्री से पर्याप्त रूप से अधिक रही थी परन्तु असम आन्दोलन के कारण उस क्षेत्र की शोधनशालाएं बंद रहने/रुक रुक कर काम करने के कारण पूर्वी क्षेत्र में डीजल की समग्र रूप से कम उपलब्धता आबंटनों की तुलना में बिक्री सीमान्त रूप से कम रही। इसके अलावा हल्दिया पत्तन में रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल और दक्षिण पूर्व रेलवे लोको स्टाफ द्वारा किये गये आन्दोलन के कारण वहां बाधाएं भी रही थी।

(ग) बरौनी शोधनशाला में तब से कार्य आरंभ कर दिया है। गोहाटी शोधनशाला ने नियमित रूप से कार्य आरंभ कर दिया है। परिणामस्वरूप कुल मिलाकर पूर्वी क्षेत्र में उत्पाद की समग्र उपलब्धता की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

जालंधर दूरदर्शन केन्द्र के लिये व्यापक प्रसारण-क्षेत्र

94. श्री आर० एल० भाटिया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र को व्यापक प्रसारण क्षेत्र मिलने की आशा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रसारण क्षेत्र में कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) इस यौजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) इस समय जलन्धर दूरदर्शन केन्द्र 1 कि० वा० के ट्रांसमीटर के साथ अन्तरिम ढ़ांचे के रूप में कार्य कर रहा है। 10 क़िलोवाट के एक ट्रांसमीटर के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। तब जलन्धर दूरदशन केन्द्र का वर्तमान प्रसारण क्षेत्र वर्तमान 25 किलोमीटर से बढ़कर 80 किलोमीटर हो जायेगा।

फिल्म समारोह में हुई भगदड़ पर ब्रिटेन वालों की प्रतिक्रिया

95. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" में

ब्रिटन्स अम्यूज्ड एट फेस्टीवल स्टाम्पीड इन न्यू दिल्ली'' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) लन्दन के समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार कुछ भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ भ्रामक समाचारों पर आधारित थे। इन समाचारों ने यह धारणा दी कि भारतीय दर्शक केवल "कामुक फिल्में ही देखना चाहते थे। तथ्य यह है कि समारोह के दौरान केवल कलात्मक, पुरस्कार प्राप्त और सुअभिनन्दित फिल्में ही दिखाई गई थीं और बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी सराहना की थी।

पेट्रोल का आयात और देश में उत्पादन

96. श्री ए० टी० पाटिल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 से वर्ष 1980-81 तक, वर्ष-वार, (एक) कितने मात्रा में पेट्रोल का आयात किया गया ; (दो) उसका आयात बिल कितनी राशि का है, (तीन) देश में पेट्रोल का कितना उत्पादन हुआ ; (चार) उस पर रायल्टी के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; (पांच) देश में पेट्रोल की उत्पादन लागत कितनी है ; (छ) पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क कितना है ; और (सात) पेट्रोल पर कितना बिक्री कर वसूल हुआ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (1) इस प्रकार हम पेट्रोल का आयात नहीं करते हैं। कमी वाले पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त हम खनिज तेल का आयात करते हैं जिसको हमारी शोधनशालाओं में प्रौसेस किया जाना है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) 1976-77 से 1979-80 (दिसम्बर, 1980 तक) की अवधि के दौरान पेट्रोल (मोटर गैसोलीन) का देशीय उत्पादन निम्नरूप से रहा :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टनों में)
1976-77	1.34
1977-78	1.42
1978-79	1.52
1979-80	1.51
1980-81 (दिसम्बर 1980 तक)	1.12

(4 से 6) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

"ए० आई० आर० एम्पलाईज एसोसिएशन" पटना से ज्ञापन

97. श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिसम्बर, 1980 के तीसरे सप्ताह में पटना की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कनफेडरेशन आफ ए० आई० आर० एम्पलाईज एसोसिएशन के महा सचिव ने उन्हें 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

मांग संख्या	मांग का ब्यौरा (प्रश्न का भाग (ग)	उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया (प्रश्न का भाग (घ)
1	2	3
1.	आकाशवाणी एक लाभ-अर्जक संस्था है। भारत के सभी लाभ-अर्जक विभागों की भांति, इसके कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए।	आकाशवाणी मूल रूप से एक लाभ-अर्जक संगठन नहीं है। सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस देने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है।
2.	(क) कर्मचारियों के लिए जलपान गृह की व्यवस्था की जानी चाहिए। (ख) शिफ्ट-ड्यूटी वाले कर्मचारियों के के लिए एक विश्राम-कक्ष बनाया जाना चाहिए।	(क) और (ख) सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत नए स्टूडियो व कार्यालय भवनों के निर्माण की योजनाओं में रसोईघर की सुविधा सहित जलपान-गृह तथा शिफ़्ट-ड्यूटी वाले कर्मचारियों के लिए भोजन व विश्राम करने के लिए कक्षों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है।
	(ग) केन्द्र निदेशक, सहायक केन्द्र निदेशक व केन्द्र इन्जीनियर को छोड़कर, स्टाफ के अन्य सदस्यों को स्टाफ-क्वार्टर	(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी, पटना के स्टाफ के लिए 16 और क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रावधान

1	2	3
	नहीं दिए गए हैं। उनके लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।	रखा गया है। उनके निर्माण के स्थान का चुनाव कर लिया गया है तथा वह स्थान आकाशवाणी को दे देने के लिए बिहार सरकार को लिखा जा चुका है
	(घ) मुख्य द्वार पर एक स्वागत कक्ष होना चाहिए।	(घ) नए स्टूडियो कम्पलैक्स में कलाकारों के लिए अलग से एक स्वागत कक्ष तथा प्रतीक्षा कक्ष होगा।
3.	ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो उपकरण काफी घिसपिट गए हैं तथा वे पुराने हो गए हैं। 1975 में आई बाढ़ों तथा लगी भयंकर आग की घटना से उपकरणों को काफी क्षति पहुंची थी तथा उनको बदला नहीं गया है। ट्रांसमीटर इतना बेकार हो गया है कि प्रमुख पटना केन्द्र को अपने अधिकांश कार्यक्रम केवल 1 किलोवाट की क्षमता वाले विविध भारती के ट्रांसमीटर से ही प्रसारित करने पड़ते हैं। आरम्भ से ही इस केन्द्र पर केवल 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर है जबकि पटना देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य की राजधानी है जबकि गोरखपुर जैसे छोटे स्टेशनों पर 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर हैं। युववाणी के लिए एक अलग चैनल प्रदान किया जाना चाहिए।	आकाशवाणी के पटना केन्द्र का ट्रांसमीटर 1975 की बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ था। अतः इस कारण से इसके उपकरणों को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। यह 25 वर्ष पुराना होने के बावजूद 20 किलोवाट की क्षमता का पूरा कार्य कर रहा है। इसके कार्य के बारे में कोई भी शिकायत नहीं रही है। लेकिन कभी-कभी ऐसा अवश्य हुआ है जब इस केन्द्र को अपने प्रमुख चैनल वाले कार्यक्रम को बिजली की खराबी के कारण विविध भारती के चैनल से प्रसारित करना पड़ा। यह अपरिहार्य है। जब भी संसाधन उपलब्ध होंगे पटना के ट्राँसमीटर की क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह सच है कि 9 मार्च, 1980 को आग लग जाने से आपातकालीन स्टूडियो को क्षति पहुंची थी। जबकि इन स्टूडियों को सामान्य बना दिया गया है तथा इन्हें 1-1-1981 से फिर चालू कर दिया गया है, वर्तमान स्थान पर नए स्टूडियो बनाने का प्रस्ताव है। यह कार्य कार्यालय को अस्थायी तौर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में स्थानांतरित करके किया जाएगा। यह विश्राम गृह बिहार सरकार द्वारा आकाशवाणी को आबंटित कर दिया गया है।

1	2	3
4.	कर्मचारियों को प्रबंध में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।	स्थानीय मुद्दों तथा अखिल भारतीय महत्व के तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से सम्बद्ध मुद्दों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से एक स्थानीय अनौपचारिक कर्मचारी परामर्श समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पटना केन्द्र पर कार्यरत आकाशवाणी की सभी मान्यता प्राप्त संगठनों/संस्थानों का एक एक प्रतिनिधि तथा कुछ सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं।
5.	शिफ्ट ड्यूटी वाले सभी कर्मचारियों को विषम समय में सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।	जहां तक संभव व व्यावहारिक होता है, शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारियों को विषम समय में सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है।
6.	सभी स्वीकृत पदों को तुरन्त भरा जाना चाहिए तथा कार्यक्रम के विस्तार को देखते हुए नए पदों की स्वीकृति दी जानी चाहिए।	जिन पदों पर नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है उन सभी पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है। जहां तक नए पदों के बनाए जाने का प्रश्न है, प्रशासनिक कर्मचारियों के कार्य-भार का मूल्यांकन किया गया है।
7.	स्टाफ आर्टिस्टों तथा समूह "घ" के कर्मचारियों को शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारी माना जाना चाहिए।	स्टाफ आर्टिस्ट अनुबंधित कर्मचारी होते हैं, अतः वे अपने अनुबंधों द्वारा विनियमित होते हैं। जहां तक समूह "घ" के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ऐसे स्टूडियो गार्डों, क्लीनरों/हेल्परों, खलासियों, फराशों, स्वीपरों और चपरासियों जिन्होंने दिन के अलग-अलग घंटों में या सप्ताह के सभी दिनों (रविवार व छुट्टियों सहित) को बारी-बारी से काम करना होता है, को शिफ्ट ड्यूटी वाले कर्मचारियों में शामिल कर लिया जाता है। सुरक्षा-गार्डों को भी शामिल कर लेने का प्रश्न विचाराधीन है।
8.	जब तक पदोन्नतियों के बेहतर चैनल न बनाए जाएं, तब तक सभी श्रेणियों के लिए "रनिंग वेतन मान वाले सेलेक्शन-ग्रेड के पद बनाए जाने चाहिए।	जिन श्रेणियों के कर्मचारी वित्त मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हैं, उनके लिए सेलेक्शन-ग्रेड पहले ही बनाए जा चुके हैं।

हरियाणा में 1980 के दौरान अपेक्षित बिजली की मात्रा

98. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में 1980 के दौरान कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी और इस अवधि के दौरान वहां वास्तव में कितने मेगावाट बिजली की सप्लाई की गई है ; और

(ख) वर्तमान माँग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा में महीनेवार विद्युत की आवश्यकता, मेगावाट में तथा विद्युत की उपलब्धता मेगावाट में, दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा विद्युत केन्द्रों से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने तथा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करने के लिए उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं ।

विवरण

वर्ष 1980 के दौरान हरियाणा में विद्युत की आवश्यकता (अधिकतम मांग), मेगावाट में, तथा विद्युत की उपलब्धता, मेगावाट में, दिखाने वाला विवरण ।

महीना	अधिकतम मांग (मेगावाट)	पूरी की गई माँग (मेगावाट)	कमी (मेगावाट)
जनवरी, 1980	800	630	170
फरवरी, 1980	750	680	70
मार्च, 1980	850	657	193
अप्रैल, 1980	800	597	203
मई, 1980	800	633	167
जून, 1980	720	649	71
जुलाई, 1980	598	598	—
अगस्त, 1980	720	713	7
सितम्बर, 1980	775	772	3
अक्तूबर, 1980	746	746	—
नवम्बर, 1980	688	688	
दिसम्बर, 1980	725	674	51

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली की मांग

99. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा इस आवश्यकता की पूर्ति करने वाली योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : छठी योजना को तैयार करने में सुविधा के लिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शामिल किए जाने के लिए विद्युत कार्यक्रम को सिफारिश करने के लिए योजना आयोग ने विद्युत पर एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल के अनुसार 1984-85 के अन्त तक अधिकतम मांग 32703 मेगावाट के लगभग होगी। 31.3.1980 की स्थिति के अनुसार 31025 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में छठी योजना की अवधि के दौरान 20263 मेगावाट की अभिवृद्धि के एक अनन्तिम कार्यक्रम का निर्धारण कार्यकारी दल ने किया है। इस अभिवृद्धि में से 4755 मेगावाट की अभिवृद्धि निर्माणाधीन तथा स्वीकृत की गई ताप विद्युत परियोजनाओं से, 1160 मेगावाट की अभिवृद्धि निर्माणाधीन परमाणु विद्युत संयंत्रों से और 360 मेगावाट की अभिवृद्धि उस समय निवेश निर्णय की प्रतीक्षा कर रही जल विद्युत परियोजनाओं से होगी.

कार्यकारी दल की रिपोर्ट के आधार पर तथा राज्य सरकारों के प्रस्तावों को तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, छठी योजना का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद को उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

भाखड़ा बांध परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली

100. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध परियोजना द्वारा इस समय कितनी बिजली उत्पादित की जा रही है ; और

(ख) इस समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कितनी-कितनी बिजली सप्लाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भाखड़ा काम्पलैक्स के बिजली घरों में उत्पन्न की जा रही विद्युत की मात्रा लगभग 145 लाख यूनिट प्रतिदिन है।

(ख) भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड पंजाब में नंगल फर्टिलाइज़र फैक्टरी को 98 मेगावाट (2.35 लाख यूनिट) विद्युत की तथा राजस्थान में एक फर्टिलाइजर फैक्टरी को 25 मेगावाट (5 लाख यूनिट) विद्युत की सीधे ही सप्लाई कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को उनके संबंधित हिस्सों के अनुसार एकमुश्त बिजली की सप्लाई की जाती है।

कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में कमी

101. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की सप्लाई में कमी के कारण (राज्यवार) तापीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत की कितनी कमी हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधि आयोग की सिफारिशें

102. प्रो० मधु दण्डवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असमाधेय रूप से विवाह भंग को विवाह-विच्छेद का एक आधार बनाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने की विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आशय का एक संशोधन विधेयक संसद् के चालू सत्र में पेश किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी हां।

एम० आर० टी० पी० अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव

103. प्रो० मधु दण्डवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार है जिससे कि एकाधिकार तथा सम्पत्ति के एक स्थान पर जमा होने को बढ़ने से रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस अधिनियम में कहां-कहां संशोधन करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तथा (ख) जून, 1977 में सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने अगस्त, 1978 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्यों के साथ-साथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में विभिन्न संशोधनों को करने का सुझाव दिया है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति 30 अगस्त, 1978 की लोक सभा के पटल पर भी रख दी गई थी। समिति के सुझाव, जो अन्यों के साथ-साथ, आर्थिक शक्ति और एकाधिकारिक एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों को संकेन्द्रित किये जाने के उपायों से सम्बद्ध है, इस समय सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं। तथा उनमें जो भी उपयुक्त समझे जाते हैं, उनको एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में उचित रूप से विनियमित किया जायेगा।

आसाम अशोधित तेल का "पम्पिग" आरम्भ करने का प्रस्ताव

104. श्री ए० टी० पाटिल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अशोधित तेल को बरौनी तेल शोधक कारखाने तक पम्पों द्वारा ले जाये जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) आसाम आन्दोलन के कारण आसाम के अशोधित तेल को रोके रखने से अब तक कितना घाटा हुआ है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बरौनी शोधनशाला एक कच्चे तेल की सप्लाई सम्बन्धी पम्पिग कार्य 28.1.1981 से पहले ही आरम्भ हो चुका है।

(ख) जनवरी 1981 तक कच्चे तेल के उत्पादन/सप्लाई के सम्बन्ध में हानि लगभग निम्न प्रकार है :—

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	1.631 मिलियन टन
आयल इण्डिया लि०	2.195 मिलियन टन

फजल समिति की सिफारिशों पर निर्णय

105. श्री के० एम० मधुकर :

श्री डूमर लाल बैठा : क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग सम्बन्धी फजल समिति की सिफारिशों पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) फजल समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

पतरातू और बरौनी के तापीय बिजली संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में कमी

106. श्री आर० एल० पी० वर्मा : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उत्पादन में दिन-प्रतिदिन कमी को रोकने तथा इसके कारणों का अध्ययन करने के उद्देश्य से 'टास्क फोर्स' दल ने पतरातू तापीय बिजली संयंत्र तथा बरौनी तापीय बिजली संयंत्र का कितनी बार दौरा किया ;

(ख) 1980-81 में इन दोनों संयंत्रों में प्रतिमास हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऊर्जा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पतरातू केन्द्र के कार्य-निष्पादन के स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी बाधाओं का पता लगाने की दृष्टि से, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के वरिष्ट अधिकारियों के एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) ने जुलाई, 1980 में इस केन्द्र का दौरा किया था । बरौनी के मामले में यूनिट की स्थिति का मूल्यांकन करने और प्रचालन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक भ्रमणकारी मानीटरिंग दल ने अक्तूबर 1980 में इस केन्द्र का दौरा किया था ।

(ख) बिहार के पतरातू और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों से महीनेवार हुए विद्युत उत्पादन को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) विद्युत पर राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से विभिन्न राज्य सरकारों और बिजली बोर्डों को अवगत करा दिया गया है । उनसे कहा गया है कि आगे जांच विचार किये जाने के लिए वे उन पर अपनी टिप्पणियाँ भेजें ।

विवरण

अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में पतरातू और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों में हुए ऊर्जा उत्पादन को दिखाने वाला विवरण।

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	पतरातू	बरौनी
अप्रैल, 80	176	23
मई, 80	147	25
जून, 80	125	26
जुलाई, 80	127	16
अगस्त, 80	126	26
सितम्बर, 80	105	14
अक्तूबर, 80	151	19
नवम्बर, 80	165	36
दिसम्बर, 80	178	39
जनवरी, 81	163	39

राज्यों के पारस्परिक विवादों के कारण अनिर्णीत पड़ी पनबिजली परियोजनाओं की संख्या

107. श्री जैनुल बशर :

श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में पारस्परिक विवाद के कारण देश में कितनी पनबिजली परियोजनाएं अनिर्णीत पड़ी है ;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, विवादों का ब्यौरा क्या है तथा वे कितनी-कितनी अवधि से अनिर्णीत पड़ी हैं ; और

(ग) विवादों को शीघ्र हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जो जल विद्युत परियोजनाएं अन्तर्राज्यीय विवादों आदि के कारण लम्बित पड़ी हैं उन परियोजनाओं की सूची संलग्न है। इन अन्तर्राज्यीय मामलों को हल करने का प्रयास करने की दृष्टि से केन्द्र संबन्धित राज्यों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

विवरण

उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, जिनकी परियोजना रिपोर्टें के० बि० प्रा० में प्राप्त हो गई हैं और जिन पर अन्तर्राज्यीय पहलुओं के कारण विलम्ब हो गया है।

क्र० सं०	स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख	सम्मिलित राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	किशाऊ (एम० पी० पी०)	उत्तर प्रदेश	600	1978	उत्तर प्रदेश/हिमाचल प्रदेश
2.	खारा	उत्तर प्रदेश	81	जून, 1978	उत्तर प्रदेश/हरियाणा
3.	आनन्दपुरसाहिब	पंजाब	134	अक्तू०, 1979	पंजाब/हरियाणा/राजस्थान
4.	ओरछा बहुद्देश्यीय परियोजना	मध्य-प्रदेश	90	सित०, 1978	मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश
5.	पाण्डियार पुन्नापुझा	तमिलनाडु	100	फर०, 1977	तमिलनाडु/केरल
6.	चोलतीपुझा	तमिलनाडु	60	मार्च, 1977	तमिलनाडु/केरल/
7.	नेल्लीथोराई	तमिलनाडु	50	1974	तमिलनाडु/केरल/कर्नाटक

1	2	3	4	5	6
8.	अपर अमरा-वती	तमिलनाडु	30	जुलाई, 1978	तमिलनाडु/केरल/कर्नाटक
9.	षण्मुख नदि	तमिलनाडु	30	जन०, 1977	तमिलनाडु/केरल/कर्नाटक
10.	पाण्डियार पुन्नगपुझा टेलरेस	केरल	70	दिस०, 1972	केरल/तमिलनाडु
11.	मनन्थवाड़ी (एम० पी० पी०)	केरल	240	मई, 1980	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
12.	कट्टीयाड़ी विस्तार	केरल	240	दिस०, 1976	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक

दिल्ली में तेल निगम का लाभ

108. श्री जैनुल बशर : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हाई स्पीड डीजल तेल, मोटर स्प्रिट, मिट्टी का तेल और कुकिंग गैस के उपभोक्ता मूल्य में मूल्य करों और ढुलाई आदि खर्च और तेल निगम के लाभ का प्रतिशत कितना कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सूचना रखने वाला विवरण-पत्र—1 संलग्न है। क्योंकि कुछ उपभोक्ता उत्पादों के मूल्य उनके विक्रय लागत से कम निर्धारित किये गये हैं, कुछ अन्य उत्पादों की तदनुरूपी वृद्धि के साथ विवरण-पत्र-II में बिक्री लागत से संबंधित प्रतिशतता को दर्शाती है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कुल बिक्री पर कुल नियोजित पूंजी पर (कराधान से पूर्व) 15% का लाभ प्रदान करने के लिये निर्धारित किये जाते हैं।

विवरण-I

दिल्ली में उपभोक्ता मूल्य के प्रतिशतता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र :

		एम०एस० %	एच०एस०डी०ओ० %	एस०के०ओ० %	एल०पी०जी० (15 कि०ग्रा० सिलेंडर) %
1.	लागत	32.98	71.03	15.93	85.55
2.	कर	46.79	19.03	24.13	13.51
3.	रख-रखाव के व्यय	5.08	7.22	12.89	23.81
4.	लाभ	0.55	0.47	0.77	2.17
5.	क्रास अनुदान	—	—	(53.72)	(25.04)
6.	अधिभार	14.60	2.25	—	—
7.	कुल या (उपभोक्ता मूल्य)	100.00	100.00	100.00	100.00

विवरण-II

दिल्ली में बिक्री की लागत की प्रतिशतता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

		एम०एस० %	एच०एस०डी०ग्रो० %	एस०के०ग्रो० %	एल०पी०जी० (15 कि०ग्रा० सिलेंडर) %
1.	लागत	38.61	72.66	75.41	68.42
2.	कर	54.79	19.47	15.70	10.80
3.	रख-रखाव के व्यय	5.95	7.39	8.39	19.04
4.	लाभ	0.65	0.48	0.50	0.99
5.	विक्रय की कुल लागत	100.00	100.00	100.100	100.00
6.	विक्रय लागत पर ह्रास अनुदान	—	—	(34.95)	(20.02)
7.	विक्रय लागत पर अधिभार	17.20	2.30	—	—

1980-81 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य

109. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980-81 में 11.3 करोड़ टन कोयला-उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी होगी ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 के लिए नियत 113.5 मि० टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। आशा है कि 1980-81 का कोयले का उत्पादन लक्ष्य कोल इंडिया लि० में तो पूरा हो जायेगा किन्तु इस्पात कारखानों की ग्रहीत खानों में तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लि० में सम्भव है कि लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कुछ कमी रह जाये।

(ग) सिंगरेनी कोलियरीज़ कं० लि० में लगातार श्रमिक अशान्ति रही है और इस्पात कारखानों की ग्रहीत खानों में कुछ खनन समस्याएं बाधक रही हैं।

गुजरात में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

110. श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य क्षेत्र में बम्बई हाई गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए आशयपत्र जारी करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का निर्णय क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। जुलाई 1979 में गुजरात सरकार ने पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिए एक आवेदन पत्र दिया था।

(ख) और (ग) सिद्धांत रूप से यह निर्णय ले लिया गया है कि गुजरात में कावास के स्थान पर गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना की जाये ; परन्तु जिस एजेंसी द्वारा इस प्रायोजना को कार्यान्वित किया जायेगा। उसके संबंध में अभी निर्णय लिया जाना।

पन विजली क्षमता का उपयोग

111. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन-विजली के क्षेत्र में 75,000 मेगावाट की क्षमता थी जबकि इस समय 11,400 मेगावाट की क्षमता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्रोत का सही प्रकार से उपयोग करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में जल विद्युत शक्यता को पुनर्मूल्यांकन किये जाने के परिणामस्वरूप विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाये गये प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार समुपयोज्य जल विद्युत शक्यता, 60% भार अनुपात पर 75,000 मेगावाट वैठती है। इसमें से लगभग 11,750 मेगावाट क्षमता उपयोग में ले ली गई है।

देश में विशाल जल विद्युत शक्यता की उपलब्धता को स्वीकार करते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि देश की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में जल विद्युत क्षेत्र के योगदान में वृद्धि की जाय और तदनुसार, चालू तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में इस क्षेत्र में अधिक निवेशों के लिए आयोजना की जा रही है। बड़ी परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू करने की दृष्टि से ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपने का निर्णय सरकार ने किया है।

गुजरात को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

112. श्री नवीन रवाणी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी से दिसम्बर, 1980 के दौरान (माहवार और उत्पादवार) गुजरात को एस० के० ओ०, एल० डी० ओ०, एच० एस० डी० ओ०, डीजल और मिट्टी का तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कितना कोटा आबंटित किया गया और वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गुजरात ने इन उत्पादों की कितनी मांग की है और उसकी वास्तविक जरूरत कितनी है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा गुजरात की मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एस० के० ओ०, एच० एस० डी० ओ० तथा एल० डी० ओ० से क्रमशः तात्पर्य मिट्टी के तेल, हाई स्पीड डीजल तेल और लाइट डीजल तेल से हैं। इस मंत्रालय द्वारा केवल मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के लिए गुजरात राज्य से राज्यों को और केन्द्र शासित प्रदेशों को मासिक आबंटन किया जाता है। गुजरात के सम्बन्ध में फरवरी-दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिये मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल के आबंटन तथा विक्रय और लाइट डीजल तेल के विक्रय के विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(ख) हाल ही के महीनों में गुजरात सरकार ने हाई स्पीड डीजल तेल के लिये 70,000 से 75,000 मी० टन तथा 35,000 से 39,000 मी० टन मिट्टी के तेल और 55,000 मी० टन लाइट डीजल तेल की प्रतिमाह माँग रखी है।

(ग) हाई स्पीड डीजल तेल के लिये मासिक आबंटन पिछले वर्ष के इसी महीने में किये गये मूल आबंटन से 5% अधिक के स्तर पर किया जाता है। मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन पिछले वर्ष के इसी महीने में विक्रय से 5% अधिक के आधार पर किया जाता है। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर गुजरात को हाई स्पीड डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल के आबंटन में तदर्थ आधार पर वृद्धि की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों एवं आयात में वृद्धि

113. श्री नवीन रवाणी :
श्री सत्य गोपाल मिश्र :
श्री बी० डी० सिंह :
श्री अमर राय प्रधान :
स्वामी इन्द्रवेश : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977, 1978, 1979 और 1980 के दौरान विभिन्न

अवसरों पर पेट्रोलियम तेलों तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कई बार वृद्धि की गई है ;

(ख) प्रत्येक अवसर पर की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण थे ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों से आयात कितनी राशि के तथा कितनी मात्रा में उक्त उत्पाद आयात किये गये ;

(ङ) वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान कितनी मात्रा में तेलों का आयात किये जाने की संभावना है ;

(च) उक्त आयात का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(छ) उक्त उत्पादों की कीमतें कब तथा कैसे नीचे अएंगी ताकि किसानों और सामान्य लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के प्रति लाभ पहुंचे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1977 से 1980 तक के समय में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पहली बार 17-8-1979 से तथा दूसरी बार 8-6-1980 से बढ़ाये गये थे। 1977 तथा 1978 में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

(ख) ऐसी वृद्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ग) (1) 1977 में आयातित खनिज तेल के मूल्य 12.70 अमेरिकी डालर/वी० वी० एल० (772 रुपये/टन) से बढ़कर 1979 की तीसरी तिमाही में 20.6 अमेरिकी डालर/वी० वी० एल० (1253 रुपये/टन) के लगभग हो गये तथा 1980 की दूसरी तिमाही में 32 अमरिकी डालर (1946 रुपये/टन) हो गये।

(2) अभाव वाले आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में 1979 में औसतन लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 1980 की दूसरी तिमाही में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(3) तेल उद्योग के रुपये भार (रूपी बर्डन) में वृद्धि निम्न कारणों से हुई :

(क) अधिक मांग को पूरा करने तथा बम्बई हाई खनिज तेल के परिवहन के लिए पाइप लाइनों की स्थापना के लिये शोधनशालाओं के विस्तार के लिये महंगे निवेश तथा परिचालन लागत ;

(ख) रेलवे भाड़े, पोत परिवहन, बीमे तथा अन्य लागतों में वृद्धि के कारण परिचालन लागत में वृद्धि के कारण।

तेल उद्योग पर अतिरिक्त भार अगस्त, 1979 में 1150 करोड़ रुपये था तथा जून 1980 में 2466 करोड़ रुपये था जबकि मूल्यों में वृद्धि के कारण आमदनी क्रमश: 870 करोड़ तथा 2080 करोड़ रुपये थी।

(घ) उपरोक्त समय में आयात किये गये खनिज तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा एवं कीमत नीचे दी गई है :--

मात्रा मि० मी० टनों में
रुपये करोड़ों में

वस्तु	1977		1978		1979		1980	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
खनिज तेल	14.5	1258.9	14.9	1243.9	15.4	1786.78	16.5	3480
पेट्रोलियम	2.66	273	3.9	414.1	3.92	705.71	8.9	2170
उत्पाद								5650

(ङ) 1981 में लगभग 16 मि० मी० टन खनिज तेल तथा 4.5 मि० मी० टन उत्पादों के आयात की संभावना है। 1982 के लिये आंकड़ों को बम्बई हाई से बढ़े हुये उत्पादन को लेखाबद्ध करने के पश्चात अभी आंकड़ेबद्ध किया जाना है।

(च) विदेशी मुद्रा पर उच्चतर लागत के कारण मूल्यों में रुपयों के रूप में वृद्धि अपरिहार्य है। जन उपभोग की मदों, जैसे मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि को न्यूनतम रखा जाता है उर्वरक उद्योग को इनपुटों जैसे नैफ्था तथा भट्टी के तेल के मूल्यों को अपेक्षाकृत कम रखा जाता है।

(छ) देश में तटीय एवं अपतटीय उत्पादन में वृद्धि करके ही मूल्यों को स्थिर रखे जाने की संभावना है।

कोयले तथा पावर क्षेत्र में उत्पादन में उच्चतर वृद्धि तेल उद्योग पर बोझ हलका करने में सहायक होगी।

विवरण

उत्पाद	बिक्री इकाई	प्रत्येक उत्पाद के लिये बढ़ाई गई मात्रा (रुपये)	
		17-8-1979	8-6-1980
1	2	3	4
1. ए० टी० एफ०	कि० लि०	740.00	1100.00
2. एम० एस० 83 ऑन	कि० लि०	350.00	650.00
3. एम० एस० 93 ऑन	कि० लि०	350.00	650.00
4. एच० एस० डी० ओ०	कि० लि०	170.00*	650.00
5. एस० के० ओ०	कि० लि०	170.00*	शून्य

1	2	3	4
6. एल० डी० ओ०	कि० लि०	320.00	650.00
7. एम० एल० ओ०	कि० लि०	320.00	650.00
8. एफ० ओ० (गैर उर्वरक)	कि० लि०	320.00	650.00
9. एफ० ओ० (उर्वरक)	कि० लि०	शून्य	शून्य
10. बिटुमन स्टे० ग्रेड बल्क	मी० टन	500.00	650.00
11. बिटुमन पैक्ड	मी० टन	500.00	650.00
12. नैफ्था (गैर उर्वरक)	मी० टन	1470.00	210.00
13. नैफ्था (उर्वरक उद्योग)	मी० टन	शून्य	475.00
14. जे० बी० ओ०	मी० टन	200.00	690.00
15. एस० बी० पी० एस० 55/ 115/सौलवेंट	कि० लि०	750.00	1100.00
16. -वही-64/69/ हैक्सेन	कि० लि०	750.00	1100.00
17. एम० टी० ओ० लावास	कि० लि०	362.00	650.00
18. एम० टी० ओ० 140/205	कि० लि०	362.00	650.00
19. एल० पी० जी० (घरेलू) पैक्ड	मी० टन	333.33	शून्य
20. एल० पी० जी० (उद्योग)	मी० टन	333.33	शून्य

*उत्पाद शुल्क में कमी होने के कारण एच० एस० डी० तथा एस० के० ओ० के बिक्री मूल्यों में क्रमशः 69.15 रुपये/कि० लि० तथा 69.05 रुपये/कि० लि० की 11-9-79 के अंत से कमी हो गई थी।

बरौनी उर्वरक संयंत्र के संचालन में कठिनाइयां

114. श्री राम विलास पासवान :
श्री रशीद मसूद :
श्री जगपाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक संयंत्र के 1976 में चालू होने के बाद से ही इसे संचालन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन में कितनी हानि हुई है और संयंत्र को आधुनिक और नाजुक मशीनों की कितनी हानि हुई है (वर्ष-वार) ; और

(ग) इसके संचालन में सुधार हेतु कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बरौनी उर्वरक एकक के चालू होने की तारीख से विद्युत समस्याओं, यांत्रिक और डिजाइन समस्याओं, और बाद में कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन में हानि उठा रहा है। वर्ष-वार उत्पादन हानि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन हानि
1977-78	2,48,000
1978-79	2,14,000
1979-80	2,38,000
1980-81 (जनवरी, 1981 तक)	2,00,000

इन समस्याओं के कारण नाजुक किस्म के संयंत्रों को हुई क्षति की मात्रा को इस स्थिति पर नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऐसी क्षति दीर्घावधि के पश्चात घटित होती है।

(ग) संयंत्र की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल किये जाने के पश्चात संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इनमें, यूरिया संयंत्र के कार्बमिट पम्प का परिवर्धन, खनिजरहित जल संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करना, बायलर सर्कूलेटिंग पम्प का प्रतिस्थापन और कार्बन डाई-आक्साइड तथा इसके पुर्जों का परिवर्धन सम्मिलित है। कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाई गई है और संयंत्र के सामने वाले भाग को सुरक्षित रखने के लिये 2.5 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य चल रहा है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता

115. श्री राम विलास पासवान :
श्री रशीद मसूद :
श्री जगपाल सिंह :
श्री चन्द्रजीत यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है कि विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान नहीं की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार की नीति इन माध्यमों को अधिक से अधिक उतनी कार्यात्मक/व्यावसायिक/तथा वित्तीय स्वायत्तता देने की है, जितनी उनके प्रभावी और दक्ष कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो और इसलिए सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह देने के लिए पार्थसारथी समिति नियुक्त की है।

तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

116. श्री राम विलास पासवान :
श्री रशीद मसूद :
श्री जगपाल सिंह :
श्री अजित कुमार मेहता :
श्री टी० आर० शमन्ना : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में अनुमानतः कितने तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता होगी ;

(ख) 1981-82 में स्वदेशी उत्पादन से कितनी आवश्यकता की पूर्ति होने की संभावना है ;

(ग) उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश को कितने तथा कितनी विदेशी मुद्रा के मूल्य के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ेगा ;

(घ) तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर उस आयात का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ङ) आयात पर निर्यात को कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1981-82 के दौरान खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की हमारी कुल आवश्यकता निम्न प्रकार होगी :

खनिज तेल	32.0 मि० मी० टन
पेट्रोलियम उत्पाद	35.0 मि० मी० टन

(ख) खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की स्वदेशी उपलब्धता निम्न प्रकार होने का अनुमान है :

खनिज तेल	17.0 मि० मी० टन
पेट्रोलियम उत्पाद	30.0 मि० मी० टन

(ग) इस वर्ष के दौरान हमारे आयात निम्न प्रकार होने की संभावना है :

खनिज तेल	15.0 मि० मी० टन
पेट्रोलियम उत्पाद	5.0 मि० मी० टन

(घ) यह सही है कि बाली सम्मेलन के पश्चात् तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों ने खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि की है जिसके फलस्वरूप हमारा आयात बिल संभवतः और बढ़ जायेगा।

(ङ) तेल उत्पादों की खपत कम करने तथा आयात पर निर्भरता को भी कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :

1. मिट्टी के तेल के बिक स्टोव संशोधित रूप में चालू करना जिसकी थर्मल कुशलता लगभग 60 प्रतिशत है जबकि अन्य मिट्टी के तेल के विक स्टोव जो आम तौर पर बाजार में बेचे जाते हैं कि 40 से 45 प्रतिशत थर्मल कुशलता है।

2. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी स्टाफ कारों में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की खपत में बचत करें।

3. मोटर गाड़ियों के लिये इंधन के रूप में पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण के प्रयोग की संभाव्यता का मूल्यांकन करना।

4. राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि डीजल की खपत में कुशलता लाने के लिये वे शहरों और नगरों के अन्दर और स्थानीय परिवहन गाड़ियों पर कानूनी रूप से गति सीमा रोक लगायें और अधिक धुआं देने वाली गाड़ियों पर नियंत्रण रखें।

5. राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों, जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में गाड़ियां हैं का अध्ययन प्रारंभ करना जिससे वे परिवहन क्षेत्र में हाई स्पीड डीजल तेल केउ पयोग में अधिकतर कुशलता ला सकें।

6. जहां कहीं तकनीकी रूप से संभव हो, भट्टी के तेल को कोयले द्वारा प्रतिस्थापित करना।

7. भट्टी के तेल के प्रयोग में कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय करने के संबंध में उद्योगों को परामर्शी सेवायें प्रदान करना।

8. पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संस्थान से कहा गया है कि वे अपने संरक्षण उपायों के लिये प्रक्रियाओं तथा प्रचार को और तेज करें।

9. देश में तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं। आशा है कि 1980-81 के दौरान 14 मि० मी० टन के स्तर से उत्पादन बढ़कर 1984-85 में 21.03 मि० मी० टन तक हो जायेगा।

राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशें

117. श्री राम विलास पासवान :
श्री रशीद मसूद : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन पर सरकार ने यदि कोई निर्णय किये हैं तो वे क्या हैं ; और

(ख) उनके सम्बन्ध में फिल्म उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल द्वारा की गई 231 सिफारिशों में से, 111 सिफारिशों पर सिद्धान्ततः निर्णय ले लिए गए हैं। इनमें से 100 सिफारिशों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और 11 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। इनमें से 35 सिफारिशें भी शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है और जिनका राज्यों के सूचना मंत्रियों के 5 नवम्बर, 1980 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन के द्वारा सामान्य रूप से समर्थन किया गया था। उन महत्वपूर्ण सिफारिशों, जिन पर निर्णय लिये जा चुके हैं, की सूची संलग्न है।

(ख) अधिकांश सिफारिशों के प्रति फिल्म उद्योग की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है और निर्णय लेते समय उद्योग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1786/81]

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों और अन्य न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

118. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री आर० पी० यादव :
श्री डी० पी० यादव :
श्री के० ए० राजन :
श्री चित्त बसु :
श्री पी० राजगोपाल नायडु :
श्री चित्त महाटा :
श्री धर्मवीर सिन्हा :
श्री अमरराय प्रधान :
श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव :
श्री एन० के० शेजवल्कर :
श्री सतीश अग्रवाल :
श्री हीरालाल आर० परमार :
श्री तारीक अनवर :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री चीतूभाई गामित :
श्री चतुर्भुज :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ मुख्य न्यायाधिपतियों तथा न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके लिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति ले ली गई थी ;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में की जा रही आलोचना से अवगत है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति के क्रमशः केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरण 19.1.1981 को अधिसूचित किए गए थे। इन स्थानान्तरणों को उच्चतम न्यायालय में रिट अर्जी फ़ाइल करके चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि विनिश्चय किए जाने तक "यथापूर्व स्थिति" बनाई रखी जाए।

(ग) उपरोक्त स्थानान्तरण भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से किए गए थे।

(घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानान्तरणों की कुछ लोगों द्वारा आलोचना की गई है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अन्य लोगों द्वारा स्थानान्तरणों का स्वागत किया गया है।

(ङ) यह विषय न्यायाधीन है, सरकार को कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

बंगाल इनैमल वर्क्स लिमिटेड के कुप्रबन्ध के विरुद्ध शिकायतें

119. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बंगाल इनैमल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता कम्पनी के मामलों में निकृष्ट कुप्रबन्ध दर्शाने वाली कोई सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण क्या है ; और

(ग) यदिं हाँ, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) कम्पनी कार्य विभाग में अनेक श्रोतों से कुप्रबन्ध व अपाहरण, दुर्लभ कच्चे माल को कालाबाजारी, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से उधार लिये गये धन का दुरुपयोग लेखाओं का छल साधन, सांविधिक देयताओं की अदायगी न करने, आदि आरोपों युक्त कुछ शिकायतें कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं। इन आरोपों का सत्यापन करने के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत एक निरीक्षण के आदेश दिये गये हैं, एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथा अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बांगला देश के साथ फिल्मों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में करार

120. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

IIS (क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बांगला देश के साथ प्रतिवर्ष कम से कम फिल्मों के आदान-प्रदान से सम्बन्धित एक समझौते पर सहमत हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पन्न की गई कुछ विसंगतियों के कारण यह पूर्ण रूप से सम्भव नहीं हो पाया है ; और

(ग) उपरोक्त तथ्यों तथा सभी संबंधित मामलों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लिपटन इन्डिया लिमिटेड के शेयरधारी

121. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश एम० एन० सी० की सहायक लिपटन इन्डिया लिमिटेड के प्रमुख शेयर-धारी कौन-कौन हैं ;

(ख) प्रत्येक के पास कितनी संख्या में और कितने मूल्य के शेयर हैं ;

(ग) वर्ष 1976 से 1980 तक वर्षवार इस कम्पनी को कुल कितने रुपयों का कर पूर्व लाभ व उत्पादन हुआ ;

(घ) क्या लिपटन इन्डिया लिमिटेड पर कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के आरोप हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) संलग्न विवरण-पत्र (अनुलग्नक-क) में दिनांक 28-3-1980 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार कम्पनी में 1000 साम्य शेयरों या अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारियों की सूची प्रदर्शित की गई है।

(ग) कम्पनी को 28 जून, 1977 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था। 30-6-77 से 30-6-80 तक समाप्त होने वाले वर्षों का कर से पूर्व लाभ और व्यापार के ब्यौरे प्रदर्शित करता हुआ विवरण-पत्र संलग्न किया जाता है; (अनुलग्नक "ख")

(घ) तथा (ङ) शेयरों के आबंटन और शेयर राशियों को वापिस करने में विलम्ब के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर ध्यान दिया जा रहा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1787/81]

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

122. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नारायण चौबे :
श्री छांगुर राय :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री पीयूष तिरकी :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1979 से जनवरी, 1981 की अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है ;

(ख) प्रत्येक उत्पाद के मूल्य में हर बार कितनी वृद्धि की गई ;

(ग) जुलाई, 1979, जून, 1980 और जनवरी, 1981 में प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य क्या था ; और

(घ) जून, 1979 जून, 1980 और जनवरी 1981 में प्रत्येक उत्पाद के कुल मूल्य में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भाग कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तर का विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1788/81]

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

123. श्री एम०वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :

श्री अमर राय प्रधान : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने 12 जनवरी, 1981 को तेल और पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में इतनी वृद्धि की है कि आम आदमी अभी तक कठिनाई महसूस कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस, पेट्रोल जैसी वस्तुओं ने सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी की है ;

(ग) तेल उत्पाद देशों द्वारा भारत को दिए जाने वाले पेट्रोल और तेल की पूर्ति में विद्यमान अनिश्चितता को देखते हुए सरकार तेल और पेट्रोल के मूल्यों में और वृद्धि करने पर विचार कर रही है ;

(घ) क्या सऊदी अरब और लीबिया ने अधिक मूल्यों की माँग की है जिसमें कारण उनके साथ अभी तक कोई भी करार नहीं किया जा सका है ; और

(ङ) तेल उत्पादक देशों द्वारा 1981 के दौरान भारत को तेल की कितनी मात्रा की पूर्ति की जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने 13.1.1981 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है जिससे 1195 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष

की धनराशि प्राप्त हुई है जिससे जून, 1980 में तेल उद्योग द्वारा उठाये गये नकद घाटे को पूरा किया जा सकेगा। यह घाटे मुख्य रूप से आयातित खनिज तेल के मूल्य में औसत 4 डालर प्रति बैरल (243 रु०/टन) की वृद्धि के कारण बढ़े हुए विदेशी मुद्रा भार, असम में तेल की घेराबन्दी के कारण आयात में वृद्धि तथा उत्पाद के मौके के मूल्यों में वृद्धि के कारण ईरान तथा इराक से सप्लाई में अवरोध के कारण हुए। बढ़ी हुई परिचालन लागत, बम्बई हाई खनिज पर अतिरिक्त परिवहन शुल्क के कारण रुपये के रूप में भी भार बढ़ा है। मुख्य जन-उपयोग की मदों जैसे कि मिट्टी के तेल के मूल्य में न्यूनतम वृद्धि की गयी है। उर्वरक इनपुटों मुख्यतः नैफ्था तथा भट्टी के तेल के विक्रय मूल्य परिदान दरों पर हैं।

(ख) थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (होलसेल कन्ज्यूमर प्राइज इन्डेक्स) में 12.1.81 से हुई पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। मिट्टी के तेल पर एक औसत परिवार द्वारा केवल 1.40 रुपये प्रति माह अतिरिक्त व्यय किये जाने का अनुसान है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) इन दोनों देशों के साथ बातचीत प्रगति पर है। राष्ट्र हित में कोई और ब्यौरा देना उचित नहीं है।

(ङ) लगभग 16 मि० मी० टन।

बिजली और कोयले की कमी

124. श्री एम० पी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पी० एम० सईद : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के महीने में बिजली और कोयले की अभूतपूर्व कमी रही ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ;

(घ) क्या फरवरी, 1981 में इस स्थित्ति में सुधार हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं। दिसम्बर, 1979 के दौरान 23% विद्युत की कमी की तुलना में दिसम्बर, 1980 के दौरान विद्युत की कमी केवल 11.1% के लगभग थी। जनवरी, 1980 के दौरान लगभग 21% विद्युत की कमी की तुलना में, जनवरी, 1981 में विद्युत की कमी लगभग 14% थी। तथापि दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 16.0% और 9.1% की वृद्धि हुई है। जहां तक विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई का संबंध है, नवम्बर, 1980 के दौरान हुई सप्लाई की तुलना में जनवरी, 1981 में 5.6 लाख टन तथा दिसम्बर, 1980 के दौरान लगभग 4 लाख टन तक कोयले की अधिक सप्लाई विद्युत केन्द्रों को की गई।

(1) देश में विद्युत की कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होगा।

(2) कुछ ताप विद्युत केन्द्रों का अपेक्षाकृत असंतोषजनक कार्य निष्पादन, और

(3) 1980 के दौरान देश के कुछ भागों में मानसून का फेल होना।

(ग) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि के समय में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत की भार मांग की बेहतर प्रबंध व्यवस्था करना।

(2) प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चिन करने के लिए निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

(3) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना ;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमी का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना ;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना ;

(घ) उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई। गलती करने वाली कोयला खानों का पता लगाया जा रहा है और संयुक्त रूप से सैम्पलिंग करने के लिए विद्युत केन्द्रों के प्रतिनिधि वहां तैनात किए जा रहे हैं। कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि पत्थर, सलेटी पत्थर तथा अन्य विजातीय पदार्थों को हाथ से उठाने के कार्य को तेज करें ताकि गुणवत्ता में सुधार हों। कोयला कम्पनियों को यह सलाह भी दी गई है कि वे कोयला खानों पर पोर्टबिल/स्थायी क्रशर प्रतिष्ठापित करें तथा कोयला परिष्कार के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू करें।

(4) जिन इंजिनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(घ) और (ङ) जनवरी, 1981 के दौरान हुए 314 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन की तुलना में देश में फरवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 318.76 मिलियन यूनिट प्रतिदिन था। ज़हां तक फरवरी, 1981 में कोयले की सप्लाई का संबंध है, विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की ढुलाई हेतु अधिक बैगनों की प्रत्याशित उपलब्धता से स्थिति में सुधार होने की आशा है।

सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की गई फिल्में

125. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 1980 के दौरान कितनी फिल्में सेंसर की गई ;

(ख) उनमें से कितनी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा "ए" तथा कितनी फिल्मों को "यू" प्रमाण-पत्र दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, जांच पैनल और पुनरीक्षण समिति द्वारा कुर्बानी, अब्दुल्ला, लूटमार, शान और क्रान्ति को शुरू में "ए" प्रमाण-पत्र दिया गया था ;

(घ) किस कारण से और किसके द्वारा इन फिल्मों को बाद में "यू" प्रमाण-पत्र दिया गया ;

(घ) किसी चलचित्र को केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की सिफारिश के खिलाफ "ए" से "यू" प्रमाण-पत्र देने के सम्बन्ध में विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या मानदण्ड, शर्तें और मानक निर्धारित किये गये हैं ; और

(च) क्या सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए विशेषज्ञों की कोई पुनरीक्षण समिति गठित करने का निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य फीचर फिल्मों का उल्लेख कर रहे हैं। 1980 के दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड ने भारतीय फीचर फिल्मों को 742 प्रमाण-पत्र (574 "यू" तथा 168 "ए") तथा विदेशी फीचर फिल्मों को 159 प्रमाण-पत्र (95"यू" तथा 64 "ए") जारी किए।

(ग) तथा (घ) भाग (ग) में उल्लिखित फिल्मों के बारे में ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) **कुर्बानी** : जांच समिति ने काटछांट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की। जब इस अनन्तिम निर्णय से आवेदक को सूचित किया गया तो उसने पुनर्विचार समिति की मांग की। यह समिति भी इस अनन्तिम निर्णय पर पहुंची कि इस फिल्म को कांटछांट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र दिया जाए। इस अनन्तिम निर्णय की सूचना आवेदक को दे दी गई थी तथा उसको अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। आवेदक ने उन अंशों को काट दिया, जिनको काटने का आदेश दिया गया था तथा स्वेच्छा से कुछ और अंशों को भी निकाल

दिया तथा पुनर्विचार समिति से इन काटछांटों को ध्यान में रखते हुए "यू" प्रमाण-पत्र देने पर विचार करने का आवेदन किया। आवेदक द्वारा यथा संशोधित फिल्म की पुनर्विचार समिति ने जांच की और यह निर्णय किया कि कुछ और अंशों को निकाल दिए जाने पर इस फिल्म को "यू" प्रमाण-पत्र दे दिया जाये। तदनुसार, इस फिल्म को काटछांट के साथ "यू" प्रमाण-पत्र दिया गया।

(2) **अब्दुल्ला** : जांच समिति ने इसके लिए "ए" प्रमाण-पत्र की सिफारिश की। पुनर्विचार समिति ने एक काटछांट के साथ प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की। आवेदक ने केन्द्रीय सरकार से अपील की। अपील प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार ने इस फिल्म को काटछांट के साथ "यू" प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

(3) **लूटमार** : जांच समिति ने कांटछांट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र की सिफारिश की। पुनर्विचार समिति ने आठ कांटछांट के साथ "ए" प्रमाण-पत्र की सिफारिश की। आवेदक ने केन्द्रीय सरकार से अपील की। अपील प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार ने इस फिल्म को 12 कांटछांट के साथ "यू" प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

(4) **शान** : इस फिल्म का 'मैरिड' रूपान्तर जांच समिति द्वारा अनौपचारिक रूप से देखा गया था जिसने स्पष्ट "ए" प्रमाण-पत्र की सिफारिश की थी। आवेदक के अनुरोध पर, बाद में पुनर्विचार समिति ने इस फिल्म को देखा, जिससे अन्ततः यह निर्णय लिया कि इस फिल्म को कांटछांट के साथ "यू" प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है। "अनमैरिड" अवस्था पर सुझाए गए संशोधनों के साथ "मैरिड" रूपांतर को बाद में जांच समिति द्वारा देखा गया, जिसने बहुमत से "यू" प्रमाण-पत्र की सिफारिश की। तदनुसार, इस फिल्म को "यू" प्रमाण-पत्र दिया गया।

(5) **क्रान्ति** : जांच समिति तथा पुनर्विचार समिति ने इस फिल्म के "अनमैरिड" रूपान्तर को अनौपचारिक रूप से देखा था। इन दोनों समितियों ने इस फिल्म को कुछ कांटछांट के साथ "यू" प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की थी। पुनर्विचार समिति द्वारा प्रस्तावित कांटछांटों को आवेदक ने स्वीकार कर लिया था। बाद में जांच समिति ने इस फिल्म के "मैरिड" रूपान्तर को देखा तथा "अनमैरिड" अवस्था पर सुझाए गए संशोधनों के साथ इस फिल्म को "यू" प्रमाण-पत्र दिया गया।

(ङ) चलचित्र अधिनियम, 1952 में फिल्म सेंसर बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के पास अपील करने का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार भी इस अधिनियम की धारा 5ख तथा इसके अन्तर्गत जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबन्धों के अनुसार चलती है।

(च) चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करने वाला एक विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, फिल्म सेंसर बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील न्यायाधिकरण का गठन करने का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय का एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा तथा इसके

चार ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राय में फिल्मों का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को आंक सकें।

मध्य प्रदेश में रूस की सहायता से एक सुपर तापीय विद्युत परियोजना

126. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मन्त्री ने सोवियत संघ की अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के बारे में बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सुपर तापीय परियोजना पर कितनी राशि का निवेश होने की सम्भावना है, सोवियत संघ का इसमें कितना अंश होगा, क्या उपकरणों का आयात रूस से किया जाएगा अथवा इसमें देशी उपकरण लगाए जाएंगे तथा इस परियोजना की कितनी क्षमता होगी ;

(ग) क्या सोवियत तकनीकी पर भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जाएगा ;

(घ) मध्य प्रदेश में पहली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कब तक स्थापित हो जाएगी तथा यह कब चालू हो जाएगी ;

(ङ) इस परियोजना से देश की विद्युत आवश्यकतायें किस सीमा तक पूरी होंगी ; और

(च) इस तापीय स्टेशन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त समझी गयी है तथा इसके चयन का मानदण्ड क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) नई दिल्ली में 10 दिसम्बर 1980 को भारत के प्रधान मन्त्री तथा सोवियत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये गए भारत और सोवियत संघ के बीच हुए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार की मदों में से एक मद है, उपयुक्त पारेषण तथा कोयले के विकास की सुविधाओं वाले, (3000 मेगावाट तक विस्तार किये जाने की संभाव्यता सहित) 1000 मेगावाट क्षमता के एक समेकित ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण एक दिसम्बर, 1980 में सम्पन्न किये गए करार के लिए अधिकारियों के स्तर पर और प्रारम्भिक तैयारी के रूप में योजना मन्त्री के स्तर पर—दोनों ही स्तरों पर हुए विचार-विमर्श के बाद यह करार हुआ था। सरकार ने निर्णय लिया है कि यह विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में वैधान में स्थापित किया जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, 3000 मेगावाट की अपनी चरम क्षमंता पर परियोजना की तथा इसकी सम्बद्ध पारेषण तार-जाल की अनुमानित लागत 2104 करोड़ रुपये है। 1000 मेगावाट तथा इसकी सम्बद्ध पारेषण तार-जाल के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 630 करोड़ रुपए है। सोवियत सहायता की निश्चित राशि तथा सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों के व्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) परियोजना जब पूरी हो जाएगी, तब इसे भारतीय इंजिनियरों द्वारा प्रचालित किया जाएगा। उपस्कर को ग्रायोजना, डिज़ाइन तथा प्राप्ति का कार्य सोवियत संघ की सहायता से किये जाने की योजना है।

(घ) मध्य प्रदेश में 2100 मेगावाट की चरम क्षमता की पहली सुपर ताप विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बिलासपुर जिले में कोरबा में स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान कार्यक्रम के ग्रनुसार, इस परियोजना का 200 मेगावाट का पहला यूनिट, 1983 में चालू किये जाने की ग्राशा है। वैधान परियोजना को चालू करने के कार्यक्रम को ग्रभी ग्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) उम्मीद है कि कोरबा परियोजना में 2100 मेगावाट की ग्रतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता की ग्रभिवृद्धि का कार्य 1988-89 तक पूरा हो जाएगा। जैसा कि भाग (घ) के उत्तर में कहा गया है, वैधान को चालू करने के कार्यक्रम को ग्रभी ग्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) कोरबा तथा वैधान परियोजनाग्रों के स्थल, कोयला क्षेत्रों की निकटता, कोयले की उपलब्धता, शीतलन जल की उपलब्धता तथा परियोजना स्थापित करने के लिए तथा राख डालने के लिए पर्याप्त भूमि, स्थलों की भू-वैज्ञानिक सुदृढ़ता जैसे कुछ तकनीकी ग्रार्थिक मान-दण्डों के ग्राधार पर तथा वातावरण सम्बन्धी प्रभावों, क्षेत्र में समग्र मांग तथा सप्लाई की स्थिति तथा निर्माण कार्य-कलापों को हाथ में लेने के लिए स्थल का तैयार स्थिति में होना ग्रादि जैसे कुछ ग्रन्य पहलुग्रों के ग्राधार पर उपयुक्त समझे गए हैं।

तेल गैस की खोज के लिए मध्य प्रदेश में भूगर्भीय स्वेंक्षण

127. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या **पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग ने गत तीन वर्षों के दौरान तेल-गैस की खोज के लिए मध्य प्रदेश में कोई भूगर्भीय सर्वेक्षण नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ग्रायोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में तेल-गैस के सर्वेक्षण के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ग्रौर (ख) वर्तमान ग्रांकड़ों के मूल्यांकन से वहां तेल ग्रौर गैस के पाये जाने की सम्भावना के संकेत न मिलने के कारण मध्य प्रदेश राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान किसी प्रकार के भूभौतिकीय सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि

128. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो गत मूल्य वृद्धि की तुलना में कच्चे तेल की नवीनतम मूल्य वृद्धि का प्रतिशत क्या है ;

(ग) इस मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत की सरकार को कितना अतिरिक्त भारत वहन करना पड़ेगा ;

(घ) क्या सरकार को उपभोक्ताओं के लिए तेल की उचित सप्लाई की सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि करनी पड़ेगी अथवा करनी पडी है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी ; और

(च) यदि नहीं तो इस प्रकार होने वाली हानि/कमी को कैसे पूरा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-1-1981 से ओपेक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।

(ग) अंततम वृद्धि के परिणामस्वरूप, वर्ष 1980-81 का हमारा कूड का आयात बिल लगभग 55 करोड़ तक बढ़ सकता है ।

(घ) से (च) ओपेक द्वारा मूल्य वृद्धि के कारण बजट में हुई कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अभी हाल में दिनांक 13-1-1981 से संशोधित किए गए हैं। यदि ओपेक देशों ने कूड के मूल्यों को और बढ़ाया तो मूल्यों में और अधिक वृद्धियों को नकारा नहीं जा सकता ।

129. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की 21 बस्तियों को कम दरों पर खाना पकाने की गैस पाइप लाइन के जरिए सप्लाई करने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं उस पर कितनी लागत आएगी और प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है ।

पटना में दूरदर्शन केन्द्र

130. श्री डूमर लाल बैठा :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य के दौरे पर उन्होंने पटना के नागरिकों को वचन दिया था कि वह पटना में शीघ्र ही एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो पटना में किस संभावित तारीख तक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा और उसकी क्षमता क्या होगी तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्तर बिहार में किसी स्थान पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्री ने दिसम्बर, 1980 में अपनी पटना यात्रा के दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में चरणबद्ध रूप से दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के सरकार के इरादे का उल्लेख अवश्य किया था। संसाधनों की कमी के कारण, छठी "योजना" अवधि (1980-85) के दौरान पटना या उत्तर-बिहार में कोई नया दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना संभव नहीं होगा। तथापि, "इनसैट-1" के माध्यम से बिहार के कतिपय क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। इसका कार्यान्वयन स्कीम की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तरी बिहार के सीमा क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

131. श्री डूमरलाल बैठा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार के सीमा क्षेत्र में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि पूर्णिया में उस केन्द्र की स्थापित किए जाने की उपयुक्तता की जांच कर ली गई है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उत्तरी बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में अन्य आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

सकूर बस्ती फिलिंग स्टेशन से गैस सिलिंडरों का गायब हो जाना

132. श्री आर० पी० यादव :
श्री पी० राजगोपाल नायडू :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :
स्वामी इन्द्रवेश : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भारतीय तेल निगम के सकूर बस्ती फिलिंग स्टेशन से 4000 गैस सिलिन्डर गायब हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मामला अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में पुलिस के पास कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इन्ड़ियन आयल कारपोरेशन द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय विभागीय समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई थी। यह सूचित किया गया है कि अपने वितरकों में से एक वितरक के सिलैंडरों की संख्या का हिसाब लगाते समय, 4000 सिलैंडरों का अन्तर इंडियन आयल कारपोरेशन के ध्यान में आया था। इसका पता लगा है कि वितरक का परिवहन ठेकेदार प्रत्यक्ष रूप से इस मामले से सम्बन्धित था। इस हानि के ध्यान में आने के बाद, इंडियन आयल कारपोरेशन ने सम्बन्धित वितरक को की जाने वाली आपूर्ति को तत्काल बंद कर दिया था। इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा ठेकेदार को परिवहन कार्य प्रदान करना भी बंद कर दिया गया है। इस मामले में विस्तृत जांच किये जाने के परिणाम स्वरूप, अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिये विदेशों के साथ करार

133. श्री रामजीभाई मावणि : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को विभिन्न प्रकार के तेल, अशोधित तेल, डीजल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद सप्लाई करने के लिये मार्च, 1980 से 15 जनवरी, 1981 तक विभिन्न अवसरों पर विदेशों के साथ कुछ करार हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक करार से भारत को क्या लाभ होगा ;

(घ) इन करारों के परिणामस्वरूप इन उत्पादों की कमी कितने प्रतिशत दूर हो जायेगी ;

(ङ) क्या कुछ देशों के साथ निकट भविष्य में कुछ और करार किये जाने की आशा है जिनके लिये बातचीत चल रही है ;

(च) यदि हां, तो ऐसे करार कब तक किये जाने की सम्भावना है तथा उनसे भारत को क्या लाभ होगा ; और

(छ) उनसे कितनी कमी दूर होने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) आयात के स्रोत-वार ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) ऐसे करारों से मुख्य लाभ यह होता है कि विशिष्ट अवधि में तथा अपेक्षाकृत स्थिर मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित की जाती है।

(घ) 1980-81 के दौरान, लगभग 90 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात तथा करीब 30 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों का आयात ऐसे करारों के अन्तर्गत किया गया था।

(ङ) से (छ) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात सुव्यवस्थित करते समय हमेशा वही प्रयास किये जाते हैं कि यथा सम्भव आवश्यकताओं ओपेक देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ किये गये करारों के अन्तर्गत खरीद करके पूरा किया जाता है।

गुजरात को डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति

134. **श्री रामजीभाई मावणि** :क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रोत्साहनों और विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप डीजल की खपत बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी है ;

(ग) 1978 के मुकाबले 1979 में डीजल की खपत का विकास दर क्या थी ; और

(घ) गुजरात में चालू वर्ष के दौरान अधिक विकास के लिए डीजल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल और इस प्रकार के अन्य तेलों और उत्पादों की बढ़ाई गई मात्रा की नियमित पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। जबकि डीजल के उपभोग में वृद्धि हुई है, इसके कारण शीघ्र ही ज्ञात नहीं किये जा सकते।

(ख) गुजरात राज्य में हाई स्पीड डीजल तेल का उपभोग 1979 की तुलना में 1980 में लगभग 8 प्रतिशत अधिक था।

(ग) डीजल के उपभोग में 1978 की तुलना में 1979 में विकास दर 15 प्रतिशत के लगभग थी।

(घ) गुजरात राज्य सहित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को यह मंत्रालय डीजल/तथा मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन करता है। डीजल के मामले में मासिक आबंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के मूल आबंटन से 5 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है। मिट्टी के तेल के मामले में, मासिक आबंटन, पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों की बिक्री से 5 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित होता है। गुजरात राज्य को डीजल तथा मिट्टी के तेल का तदर्थ आधार पर भी आबंटन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निदेशित की गई आवश्यकता के आधार पर किया गया है। मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के मामलों में, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को मासिक आबंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। गुजरात में इस उत्पाद की मांग को पूरी तरह पूरा किया गया है। उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि गुजरात में कृषि क्षेत्र के लिए लाइट डीजल तेल की आवश्यकता को पूरी तरह पूरा किया जाए।

समाचार तथा अन्य कार्यक्रमों में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख

135. श्री मुकन्द मण्डल : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र में गत तीन वर्षों के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का समाचार तथा अन्य कार्यक्रमों में कितनी बार प्रसारण किया ; और

(ख) उन प्रधान मंत्रियों के नाम क्या है जिनके कार्यक्रमों का दूरदर्शन तथा आकाशवाणी द्वारा सबसे अधिक प्रसारण किया गया और उनके लिए कितना कितना समय दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) चूंकि इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं, इसलिए मांगी गई जानकारी देना संभव नहीं है। विभिन्न भाषाओं के समाचार बुलेटिनों और अन्य कार्यक्रमों, जो हजारों में हैं, का संकलन करना अत्यन्त कठिन कार्य होगा और वह अन्तर्निहित प्रयास के अनुरूप नहीं होगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत

136. श्री नारायण चौबे : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाली एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 से 1980 के दौरान आयातित पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा और इसी सवाल के दौरान इन पदार्थों के देशीय मूल्यों में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : वर्ष 1975 में मार्कर कूड की लागत 11.51 डालर प्रति बैरल थी। यह वर्ष 1980 में बढ़ कर 32.00 डालर हो गई थी जिसमें 178% की वृद्धि शामिल है।

आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के वर्ष 1974-75 के मूल्यों की तुलना में वर्ष 1979-80 में हुई मूल्मवृद्धि नीचे दी गई है :

मिट्टी का तेल	224%
एच० एस० डी०	276%
एफ० ओ०	200%

जुलाई, 1975 से जून, 1980 के दौरान इन उत्पादों के देशीय विक्रय मूल्यों में निम्नलिखित वृद्धि हुई :

मिट्टी का तेल	16%
एच० एस० डी०	65%
एफ० ओ०	120%

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से दामोदर घाटी निगम के चन्द्रपुर बिजली घर तक कोयला ले जाने का एक गैर सरकारी पार्टी का ठेका

137. **श्री नारायण चौबे :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने भारत कोकिंग कोल से चन्द्रपुर बिजली घर तक कोयला ले जाने का ठेका एक गैर सरकारी पार्टी को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार टेंडर न मंगाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त पार्टी को 29.60 रुपये प्रति टन की दर से ठेका दिया गया जबकि 40 किलोमीटर की दूरी के लिए निर्धारित दर 17.60 रुपये है ; और

(ङ) क्या उक्त ठेका देने की जिम्मेदारी निर्धारित केरने के लिए कोई जांच की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली में अभी हाल ही में अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम तथा अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि० के बीच हुई बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि० ने चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के लिए उच्च वी० एम० (वोलाटाइल मैटर) और राख की कम मात्रा वाला 15,000 टन कोयला दामोदर घाटी निगम को देने का प्रस्ताव किया था। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि० ने प्रस्ताव किया था कि यदि दा० घा० नि० इसकी ढुलाई के लिए शीघ्र प्रबन्ध कर लेता है तो इस कोयले को प्राइवेट पार्टियों को बेचने पर रोक लगा दी जाएगी। दा० घा० नि० के अध्यक्ष ने भारत कोकिंग कोल लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से कोयले की ढुलाई के लिए कोशिश और प्रबन्ध करने के लिए अनुरोध किया था। चूंकि भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोई वचन नहीं

दिया जा सका था इसलिए इस मामले पर दा० घा० नि० और भारत कोकिंग कोल लि० के बीच एक बैठक हुई थी। स्थिति के महत्व को देखते हुए, चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत संयंत्र प्रबन्धक को यह आदेश दिया गया था कि कोयले की ढुलाई शीघ्र ही आरंभ की जाए तथा जो भी कार्यवाही आवश्यक हो वह की जाए। यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला उच्च वी० एम० और कम राख वाला कोयला, चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र में इस समय प्राप्त किए जाने वाले कम वी० एम० वाले कोयले में मिश्रण के लिए उत्तम था तथा इससे फायर-आउट की समस्या से छुटकारा मिल सकता था।

विद्युत संयंत्र के प्रबन्धक ने, प्रचलित प्रथा के अनुसार, इस कोयले की ढुलाई, एक्स सर्विसमैन कम्पनियों के जरिए, निर्धारित दरों पर कराने के लिए प्रयास किए थे, परन्तु वे इससे सफल नहीं हो सके, क्योंकि ये कम्पनियां चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र को कारगली मिडलिंग्ज की ढुलाई और बोकारो ता० वि० केन्द्र से चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र को पिसे हुए कोयले की ढुलाई में लगी थीं।

कोयले की ढुलाई शीघ्रतापूर्वक करने की दृष्टि से, यह बातचीत द्वारा तय किया जाना था। तदनुसार, दा० घा० नि० के अध्यक्ष की हिदायतों के अनुसार, चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत संयंत्र प्रबन्धक द्वारा बातचीत की थी।

मुख्य इन्जीनियर (प्रचालन तथा अनुरक्षण), दा० घा० नि०, मैथोन द्वारा मंगाई गई दरों पर अप्रैल, 1980 में इस ढुलाई के लिए प्राप्त सबसे कम दर 29.00 रु० प्रति टन थी। अप्रैल, 1980 से डीजल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। विद्युत संयंत्र प्रबन्धक, चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र द्वारा प्राप्त की गई 29.60 रु० की दर की तुलना में इसी ढुलाई के लिए, बातचीत के आधार पर भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त की गई दर 30.21 रुपए प्रति टन थी।

चूंकि इस ठेके का मूल्य 4 लाख रुपए से अधिक था इसलिए इसके लिए निगम की अनुमति 16.12.1980 को हुई इसकी 432वीं बैठक में ली गई थी।

(ङ) ऊपर दिए गए तथ्यों को देखते हुए, औपचारिक जांच कराने और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयला उद्योग को लाभ–हानि तथा कोयला के मूल्य में वृद्धि

138. श्री वासुदेव आचार्य : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग के प्रत्येक एकक को कितना लाभ और घाटा हुआ ; और

(ख) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्यों में कब वृद्धि की गई तथा कितनी वृद्धि की गई और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इन्डिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1980-81 के खाते वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद ही तैयार होंगे।

(ख) राष्ट्रीयकरण के समय कोयले की औसत खानमुहाना कीमत रु० 37.50 प्रति टन थी। उसके बाद कीमतों में चार बार निम्नलिखित वृद्धि की गई :—

	औसत कीमत
1.4.1974 को	रु० 47.50
1.7.1975 को	रु० 64.92
17.7.1979 को	रु० 101.18
14.2.1981 को	रु० 128.02

कीमतों में वृद्धि, उत्पादन सामग्री की लागत तथा मजदूरी बढ़ जाने से आवश्यक हो गयी थी।

अखबारी कागज के आयात में कमी

139. श्री जगदीश टाईटलर : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखबारी कागज के आयात में काफी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) विलम्ब की अनुमति देने के लिए कुछ अ धक संविदाओं के बावजूद मुख्य मिलों में हड़तालों और जहाजों के उपलब्ध न होने के कारण पोत लदान में विलम्ब होने के कारण चालू तिमाही के लिए अपेक्षित मात्रा के वास्तविक आयात में कुछ कमी हुई है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने हाई सी सेल के आर्डरों के स्थान पर बफर स्टाक से अखबारी कागज की सप्लाई की व्यवस्था करके कमी पूरी करने के लिए कार्रवाई की है।

हिन्दू विवाह अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव

140. श्री जगदीश टाईटलर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विवाह-विच्छेद के नए आधारों को सम्मिलित करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) विधि आयोग ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् अपनी इकत्तरवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि विवाह के असमाधेय भंग को पत्नी और विवाह से उत्पन्न बालकों के संरक्षण के लिए कुछ रक्षोपायों के और इस बात के अधीन रहते हुए कि विवाह का दोनों में से कोई भी पक्षकार उक्त आधार पर पिटीशन फाइल कर सकता है, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विवाह-विच्छेद का एक आधार बनाया जा सकता है। यह प्रस्ताव है कि उक्त सिफारिश को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाए और इसी प्रकार का संशोधन विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में भी किया जाए।

फीचर फिल्मों पर उपकर का लगाया जाना

141. श्री जगदीश टाईटलर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए "कल्याण निधि" स्थापित करने हेतु फीचर फिल्मों पर "उपकर" लगाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) योजना को आवश्यक कानून बन जाने के बाद चालू किया जायेगा।

परादीप फास्फेटिक उर्वरक परियोजना

142. श्री रामचन्द्र रथ : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 250 करोड़ रुपये की परादीप फास्फेटिक उर्वरक परियोजना आरम्भ करने में काफी विलम्ब हो चुका है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय उर्वरक निगम हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लि० और नेशनल फर्टिलाइजर लि० के पास पहले ही बहुत सी परियोजनाएं हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार इस परियोजना का कार्य हाथ में लेने के लिए कोई स्वतंत्र कम्पनी स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है और निवेश निर्णय के लिए सरकार रिपोर्ट का प्रोसेस कर रही है। सरकार के निवेश निर्णय के पश्चात ही परियोजना क्षेत्र, इसकी लागत, कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी के बारे में दृढ़ निश्चय मालूम हो सकेगा।

(ख) फिलहाल फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० की कोई उर्वरक परियोजना कार्यान्वियनाधीन नहीं है। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०, हल्दिया और नाम रूप—III उर्वरक परियोजनाओं का कार्यान्वियन कर रहा है।

अन्य देशों की तुलना में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

143. श्री छांगुर राम : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, जापान, यू० के०, फ्रांस आदि जैसे देशों में हुई मूल्य वृद्धि की तुलना में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि कितनी न्यूनाधिक है तथा यदि भारत में अधिक मूल्य वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इसका समग्र रूप में उपभोक्त पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कुछ विकसित/विकासशील देशों में पेट्रोलियम उत्पादों के नवीनतम उपलब्ध तुलनात्मक मूल्यों को विवरण-पत्र में दिया गया है।

केवल पेट्रोल के मामले में भारत में उच्च शुल्क निम्न बातों को ध्यान में रखकर लगाए गये हैं :

(1) कम आवश्यक उपभोग पर नियंत्रण लगाने के लिए ;

(2) उर्वरकों में प्रयोग के लिए अधिक नैफ्था उपलब्ध कराने के लिए ;

(3) किसी हद तक नैफ्था के आयात को घटाने के लिए; तथा ;

(4) आम राजस्व के लिए साधन जुटाने के लिए।

(ख) यह अनुमान है कि 13.1.1981 से की गई मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ता थोक मूल्य अभिसूचक (कंज्यूमर होलसेल प्राइज इंडेक्स) (1970-71=100) में। प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

विवरण

कुछ विकसित/विकासशील देशों में पेट्रोलियम उत्पादों के नवीनतम उपलब्ध तुलनात्मक मूल्य ।

(रुपये/लिटर)

	देश	मोटर स्पिरिट	हाई स्पीड डीजल तेल	मिट्टी का तेल	भट्टी का तेल	स्वीकार की गई विनिमय दर
1.	यू० एस० ए० (फरवरी, 1981)	2-82	2.62 (सित० 80)	1.88 (सित० 80)	2.27	1 अमेरिकन डालर = 8.02 रुपये
2.	पश्चिम जर्मन (फरवरी, 81)	4.93	4,67	उपलब्ध नहीं	2.67	1 डी० एम०=3.93 रु०
3.	फ्रांस (फरवरी, (1981)	6.04	4.62	3,85	3.36	1 एफ० एफ०=1.75 रु०
4.	जापान (दिस०, 1980)	5.88	4.08	3.44	2.67	1 येन=0.0392 रु०
5.	युगोस्लाविया (दिस०, 1980)	5.97	4.69	4.12	2.20	3.52 दिनार=1 रु०
6.	आस्ट्रेलिया (दिस०, 1980)	3.11	2.89	2.56	1.64	आस्ट्रेलियन डालर 0.110 =1 रुपया
7.	भारत (जनवरी, 1981	5.50	2.67	1.65	2.34	

कहाल गांव में सुपर ताप विद्युत परियोजना

144. श्री डी० पी० यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहाल गांव में सुपर ताप विद्युत परियोजना का व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है;

(ग) इस परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या कहाल गांव की सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है ; और

(ङ) इस परियोजना के लिए कुल कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। कहालगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई है।

(ख) जी, नहीं। प्रस्तावित परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अभी तक पूरा नहीं किया है।

(ग) प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। परियोजना बिहार के भागलपुर जिले में कहालगांव में स्थित है। इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की चरम क्षमता 2800 मेगावाट होने की परिकल्पना की गई है। परियोजना का विकास तीन चरणों में किए जाने का विचार है, जिसके प्रथम चरण में 800 मेगावाट क्षमता (4×200 मेगावाट) प्रतिष्ठापित की जानी है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार सम्बद्ध पारेषण प्रणाली सहित परियोजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 554.30 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए कोयला राजमहल कोयला खानों से सप्लाई किया जाना है तथा प्रशीतलन जल की आवश्यकता समीप ही बहने वाली गंगा नदी से पूरा करने का प्रस्ताव है। इस केन्द्र से उत्पन्न होने वाली विद्युत का बंटवारा पूर्वी क्षेत्र के घटक राज्यों के बीच किया जाना है। परियोजना की 200 मेगावाट की पहली यूनिट, मुख्य संयंत्र उपस्कर का आर्डर देने की तारीख से चार वर्ष बाद चालू किए जाने की योजना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) राख के निपटान के लिए अपेक्षित भूमि को छोड़कर, विद्युत केन्द्र तथा इससे सम्बद्ध सुविधाओं के लिए लगभग 2325 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

संख पन बिजली परियोजना, बिहार

145. श्री डी० पी० यादव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने संख पन बिजली परियोजना बिहार नामक एक पन

बिजली परियोजना सी० ई० ए० द्वारा स्वीकृति के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के पास भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसकी जांच किस स्थिति में है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने बिहार में छोटी पन बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए कोई और प्रस्ताव भी भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। संख जल विद्युत परियोजना के संबंध में परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में प्राप्त हुई थी तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में इसकी जांच की जा रही है। परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता 590 मेगावाट होगी। परियोजना की अनुमानित लागत 298.40 करोड़ रुपये है तथा वार्षिक ऊर्जा लाभ लगभग 1015 जी डब्ल्यू एच है।

(ग) और (घ) 16 मेगावाट की सोन नहर परियोजना, करकटगढ़ 18 मेगावाट, उत्तरी कोइल परियोजना 24 मेगावाट जैसी कुछ मिनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कुछ प्रस्ताव बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने भेजे हैं। विभिन्न विवरणों को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में तापीय बिजली घरों को अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई न किये जाने के कारण बिजली उत्पादन में कमी

146. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में अच्छे कोयले की सप्लाई के अभाव में वहां के तापीय बिजली घरों में बिजली उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में उपलब्ध सर्वोत्तम किस्म का कोयला उस प्रदेश के बाहर स्थित बिजली घरों से भेजा जा रहा है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सभी बिजली घर इस समय अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उन बिजली घरों के क्या नाम हैं और प्रत्येक से सम्बन्धित कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में तीन ताप विद्युत केन्द्रों नामशः सतपुड़ा, कोरबा तथा अमरकंटक में से केवल कोरबा विद्युत केन्द्र को अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई न होने के कारण प्रचालन संबंधी समस्याओं का सामना करने की रिपोर्ट है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों का दिसम्बर, 1980 महीने का संयंत्र भार अनुपात नीचे दिया गया है :—

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	यूनिट का साइज	दिसम्बर, 1980 के दौरान संयंत्र भार अनुपात प्रतिशत में
सतपुड़ा	5 × 62.5	77
	1 × 200	32
कोरबा	1 × 103 × 30	58
	4 × 50	57
	1 × 120	74
अमरकंटक	2 × 30	81
	2 × 120	62

सतपुड़ा की छठी यूनिट को छोड़कर, जो जून, 1979 में चालू की गई थी और जो अभी सुस्थिर हो रही है, मध्य प्रदेश में सभी विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन काफी संतोषजनक माना जाता है।

मध्य प्रदेश में विद्युत केन्द्रों के नाम तथा उनकी बिजली उत्पादन क्षमता

147. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विद्युत केन्द्रों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र ने अपनी मे० वा० क्षमता की तुलना में अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1980 में कितना विद्युत उत्पादन किया ;

(ग) क्या प्रत्येक विद्युत केन्द्र में अपनी पूरी क्षमता तक उत्पादन किया और निर्धारित क्षमता के मुकाबले वास्तव में जितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुआ ; और

(घ) यदि विद्युत उत्पादन उनकी निर्धारित क्षमता के अनुसार नहीं था, तो उसके क्या मुख्य कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में विद्युत घरों के नाम, उनकी एम डब्ल्यू० एच० क्षमता, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1980 के दौरान उनके द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत की मात्रा और संयंत्र भार अनुपात (%) दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जल विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन मुख्य रूप से जल की उपलब्धता तथा अभिकल्प शक्यता पर निर्भर करता है। ताप विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जिसमें संयंत्र की आयु, उपस्कर की स्थिति, कोयले की गुणवत्ता, यूनिट के स्थिरीकरण का समय, प्रणाली में प्रचालन संबंधी परिस्थितियां, प्रणाली सम्मिश्र तथा प्रणाली भार अनुपात आदि शामिल है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन सामान्यतः संतोषजनक है।

विवरण

मध्य प्रदेश के विद्युत घरों के नाम, उनकी क्षमता, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1980 के दौरान उनके द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत की मात्रा तथा समुपयोजन गुणांक दिखाने वाला विवरण

केन्द्र का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन								
		अक्तूबर			नवम्बर			दिसम्बर दिसम्बर		
		क्षमता (एम. डब्ल्यू) एच) ×	उत्पादन (मि.यू)	पी.एल.एफ* (%)	क्षमता (एम. डब्ल्यू एच)	उत्पादन (मि. यू.)	पीएलएफ (%)	क्षमता (एम. डब्ल्यू एच)	उत्पादन (पी. यू.)	पीएलएफ (%)
— कोरबा I(ता०वि०) 3×30+1×10	100	744	42.50	57.12	720	39.91	55.43	744	42.95	57.73
— कोरबा II(ता०वि०) 4×50	200	1488	77.60	52.15	1440	96.16	66.77	1488	84.63	56.87
— कोरबा III(ता०वि०)1×120	120	892.8	73.54	82.37	864	64.13	74.22	892.8	66.26	74.22
— अमरकंटक I(ता०वि०)2×30	60	444	33.92	76.4	432	32.91	76.18	444	36.40	81.99
— अमरकंटकII(ता०वि०)2×120	240	1785.6	74.97	41.99	1728	109.01	63.08	1785.6	110.94	62.13
— सतपुडा I(ता०वि०)5×62.5	312.5	2325	184.73	79.45	2250	131.85	58.60	2325	178.53	75.42
— सतपुडा II(ता०वि०)1×200+ 1×210	410	3050.4	49.31	16.16	2950	96.46	32.67	3050.4	47.56	15.59
— गांधीसागर (ज०वि०) 5×23	115	855.6	52.28	61.1	828	38.28	46.23	855.6	40.52	47.35

*पी एल एफ : संयंत्र भार अनुपात

× एम डब्ल्यू एच: मेगावाट आवर

केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किये जा रहे विद्युत केन्द्र की क्षमता

148. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे विद्युत केन्द्र की क्षमता कितनी है और इसके निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इससे मध्य प्रदेश को कितने प्रतिशत बिजली सप्लाई किए जाने का विचार है ; और

(ख) इस समय बिजली की मांग और सप्लाई के बारे में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है और अगले पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, बिजली की अनुमानित मांग तथा सप्लाई संबंधी योजना क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र, जिसकी प्रतिष्ठापित चरम क्षमता 2100 मेगावाट होगी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना का पहला चरण जिसमें 200-200 मेगावाट के 3 यूनिट तथा 500 मेगावाट के एक यूनिट की प्रतिष्ठापना की जानी है तथा सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण किया जाना है। इस समय निर्माणाधीन हैं। 200 मेगावाट के पहले यूनिट को जनवरी, 83 में चालू करने का कार्यक्रम है। परियोजना स्थल पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का पूर्ण रूप से विकास कर लिया गया है। स्थल को समतल करने और पाईलिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। नींव के लिए अनुमानित 18,500 घन मीटर कंक्रीट कार्य में से लगभग 16,000 घन मीटर कंक्रीट कार्य पूरा किया जा चुका है। लगभग 75,000 एम० टी० संरचनात्मक स्टील की गढ़ाई का कार्य पूरा हो गया है, तथा बायलर उत्थापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। शीतलन जल प्रणाली, कूलिंग टावर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐश हैंडलिंग प्लांट के लिए सिविल कार्य संतोषजनक रूप से चल रहे हैं। सभी प्रमुख सिविल कार्यों के लिए तथा दीर्घकाल में सुपुर्दगी होने वाले उपस्करों के लिये ठेके दे दिये गये हैं। पारेषण लाइनों का कार्य भी हाथ में ले लिया गया है। कोरवा चरण-1 की 1100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का आबंटन पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न प्राप्तकर्त्ता राज्यों के बीच कर दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश का भाग 319 मेगावाट है।

(ख) जनवरी, 1981 में मध्य प्रदेश में विद्युत की आवश्यकता 623 मिलियन यूनिट थी तथा वास्तविक सप्लाई 560 मिलियन यूनिट थी। मध्य प्रदेश में 1981-82 से 1985-86 के वर्षों के दौरान विद्युत की वर्षवार अनुमानित मांग और सप्लाई नियमानुसार है :—

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
व्यस्ततम उपलब्धता-मे०वा०	1029	1395	1639	1882	1941
व्यस्ततम भार-- मे०वा०	1469	1620	1732	1940	2173
अधिशेष (कमी)--मेगावाट	(440)	(225)	(93)	(58)	(232)
ऊर्जा उपलब्धता--मि०यू०	6987	8171	10294	11673	13008
ऊर्जा आवश्यकता--मि०यू०	8516	9407	10045	11250	12600
अधिशेष (कमी)--मि०यू०	(1529)	(1236)	249	423	408

ऊपर दी गई व्यस्ततम तथा ऊर्जा उपलब्धता के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण में प्रतिष्ठापित की जा रही 1100 मेगावाट की क्षमता में से 319 मेगावाट का अपना हिस्सा भी प्राप्त करेगा।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

149. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई योजना बनाई है, यदि हां तो ये केन्द्र राज्य के किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) इन केन्द्रों का प्रसारण क्षेत्र कितना है तथा उनकी कब तक स्थापना होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) छठी "योजना" अवधि (1980-85) के दौरान मध्य प्रदेश में कोई नया दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, छठी "योजना" अवधि के दौरान रायपुर में एक प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में लिग्नाइट के भण्डारों का पता लगाया जाना

150. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में लिग्नाइट के भण्डारों का पता लगाया गया है, यदि हां तो किस क्षेत्र में और कितना क्षेत्र लिग्नाइट के भण्डारों से भरा पाया गया है ;

(ख) कौन सी एजेंसी अथवा विभाग इनके सर्वेक्षण और खोज कार्य में लगा है ;

(ग) क्या उन एजेंसी अथवा विभाग ने पर्याप्त संख्या में (ड्रिलिंग) मशीनों तथा अन्य उपकरणों आदि का प्रबंध नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप खोज-कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो काम में तेजी लाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्यों विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ध) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

फरक्का, कहालगांव, भदराचलम और तलचेर में सुपर ताप बिजलीघरों की स्थापना

151. श्री विजय कुमार यादव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का में सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कहालगांव (बिहार), भदराचलम (आन्ध्र प्रदेश) और तलचर (उड़ीसा) में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं संबंधी तीन ठोस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है तथा प्रत्येक परियोजनाओं के लिए कितने-कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल में फरक्का में 600 मेगावाट (3 × 200 मे० वा०) की प्रारम्भिक क्षमता वाले एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र के निर्माण के लिये सरकार ने स्वीकृति दी है। तकनीकी-आर्थिक पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए इसे चरणबद्ध रूप में 2000 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। 600 मेगावाट वाले सोपान पर तथा इसकी सम्बद्ध पारेषण प्रणाली पर 320.80 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली गई है और इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। इस विद्युत केन्द्र को राजमहल कोयला क्षेत्र की खानों के हुर्रा ब्लाक से कैप्टिव रेल परिवहन प्रणाली द्वारा लिंक किया जायेग। इस विद्युत केन्द्र से होने वाले उत्पादन को पूर्वी क्षेत्र के घटकों के बीच बांटा जयेगा। परियोजना की 200 मेगावाट की प्रथम यूनिट के 1985 के आरम्भ में चालू होने की आशा है।

(ग) और (घ) बिहार में कहालगांव और उड़ीसा में तलचेर में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई हैं। इन रिपोर्टों का इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भद्राचलम/मानगुरु में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा आरम्भ किए गए हैं।

कहालगाँव और तलचेर परियोजनाओं के लिए 2800 मेगावाट की प्रतिष्ठापित चरम क्षमता की परिकल्पना की गई है। अपनी सम्बद्ध ई० एच० वी० पारेषण प्रणालियों सहित इन दो परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता व्यवहार्यता रिपोर्ट में लगाए गये अनुमानों के के अनुसार क्रमशः 1884.05 करोड़ रुपये तथा 1723.36 करोड़ रुपये होगी।

आठवें फिल्म समारोह की कथित विफलता

152. श्री विजय कुमार यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस समारोह की विफलता, फिल्मों की किस्म और टिकटों की बिक्री के घोटाले के बारे में प्रकाशित हुए समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचारपत्रों में छपे अनेक समाचार सही नहीं थे और समारोह के प्रबंधकों द्वारा उनका तत्परता से खंडन कर दिया गया था। समारोह के दौरान 8 ग्रांड-प्रिक्स प्राप्त फिल्मों को 16 अन्य पुरस्कार प्राप्त फिल्मों और 70 उन फिल्मों, जिनकी विश्व भर के प्रख्यात फिल्म समारोहों में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रसंशा हुई है, के साथ प्रदर्शित किया गया था। इसी प्रकार, प्रतियोगिता विभाग में फिल्मों का स्तर पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं अच्छा था। भारतीय पैनोरमा विभाग में हाल ही की उत्कृष्ट फिल्में दिखाई गई थीं जिनकी विदेशों में बहुत अनुकूल समीक्षा हुई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाणिज्यिक सिनेमाघरों पर टिकटों की बिक्री में अनियमितताएं न हों, विशेष प्रबंध किये गये थे। सभी टिकटों पर समारोह प्रबंधकों और मनोरंजन कर्मचारियों द्वारा पहले से ही मुहर लगा दी गई थी। टिकटों की बिक्री का पर्यवेक्षण प्रबंध अधिकारियों द्वारा किया गया था और प्रति व्यक्ति दो-दो टिकट दिए गए थे। प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध टिकटों की संख्या प्रत्येक फिल्म शो से पहले प्रत्येक सिनेमाघर के बाहर लगे बोर्ड पर दे दी गई थी ताकि दर्शकों को टिकटों की सही संख्या की जानकारी हो सके।

समारोह के दौरान 10 सिनेमाघरों में 550 प्रदर्शनों में से 3 अवसरों पर कुछ कठिनाइयां हुई थीं। एक 7 जनवरी, 1981 को विज्ञान भवन में तब हुई जब प्रतिनिधियों और फिल्म समीक्षकों, जो एक विशिष्ट फिल्म को देखना चाहते थे, की संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गई थी। उनको पहले से यह सूचित कर दिया गया था कि सीटें "जो पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर उपलब्ध होंगी। तथापि, उसी फिल्म के एक विशेष प्रदर्शन का प्रबंध अगले दिन प्रातः कर दिया गया था और वहां सभी प्रतिनिधि, फिल्म समीक्षक और फिल्म छात्र इस फिल्म को देख सके। 7 जनवरी, 1981 को शीला थियेटर में, कुछ दर्शकों ने स्पेन में फ्रेंको शासन से संबंधित पुरस्कार प्राप्त एक राजनीतिक फिल्म को पसंद नहीं किया। परिणामस्वरूप टिकटों की राशि वापस कर दी गई। 9 जनवरी, 1981 को अर्चना सिनेमाघर में, सिनेमाघर के प्रबंधकों ने अन्तिम क्षण में एक उस फिल्म का नाम प्रदर्शित किया जिसके प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं था। इससे कुछ भ्रांति हुई और टिकटों की राशि वापस करनी पड़ी।

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के समाचार प्रसारित करने के लिए नियत किया गया समय

153. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के उनके पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और केन्द्रीय समिति आदि की बैठकों आदि से संबंधित समाचारों को प्रसारित करने के लिए कुल कितना समय आवंटित किया गया और उसका गत एक वर्ष में, महीनेवार, पार्टीवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : राजनीतिक दलों के बारे में समाचारों को प्रसारित करने के लिए कोई निश्चित समय आवंटित नहीं किया जाता है। राजनीतिक दलों के बारे में समाचारों को समाचार बुलेटिन में सर्वथा समाचारिक महत्व के आधार पर शामिल किया जाता है। जब भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपना वार्षिक अधिवेशन या अन्य महत्वपूर्ण बैठकें करते हैं और जब भी अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, उनको आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में उपयुक्त रूप से कवर किया जाता है।

फिल्म समारोह के कुप्रबंध के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार

154. श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री अमर राय प्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान कुप्रबंध और भाई-भतीजावाद का बोलबाला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस तथाकथित कुप्रबंध और भाई-भतीजावाद के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट निराधार थी और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं थी। अतः इसका एक पत्र में खंडन कर दिया गया था जो 16-1-81 को समाचारपत्र में छपा था। इस मामले में कोई पूछताछ करने का विचार नहीं है।

राजधानी में बिजली में कटौती

155. श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री के० पी० सिंह देव : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान राजधानी में कितने दिन (प्रत्येक दिन कितने घंटों के लिए) बिजली में कटौती की गई ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और क्या सरकार द्वारा पिछले दिनों राजधानी में बिजली सप्लाई व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए उपायों के वांछित परिणाम हासिल हुए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिसम्बर, 1980 में दो दिन और जनवरी, 1981 में 4 दिन लोड शैंडिंग की गई थी। क्योंकि विभिन्न स्थानों में लोड शैंडिंग अलग-अलग समय पर की गई थी, अतः प्रत्येक स्थान में विद्युत की अनुपलब्धता एक से दो घंटे तक भिन्न-भिन्न रही। परन्तु यह लोड शैंडिंग दिसम्बर, 1979 और जनवरी, 1980 में हुई लोड शैंडिंग की तुलना में बहुत कम थी।

(ख) बदरपुर तथा इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्रों की यूनिटों को जबरन बन्दी के कारण बन्द कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आने से लोड शैंडिंग की गई थी। सप्लाई में स्थिरता लाने की दृष्टि से इन यूनिटों के अनुरक्षण के लिए विशेष जोर दिया गया है और जो यूनिटें बन्द हैं उन्हें पुनः चालू करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। परिणामस्वरूप, जिन दिनों लोड शैंडिंग करनी पडे उन दिनों की संख्या न्यूनतम रखी जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेकार पड़े हुए तेल कुएं

156. श्री चित्त बसु : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में तेल कुएं बेकार पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) बेकार कुएं वे होते हैं जिनसे कोई उत्पादन नहीं होता है। ये कुएं या तो ऐसे होते हैं जिनमें मरम्मत या "वर्क-ओवर" प्रक्रिया द्वारा उत्पादन के लिए चालू किये जाने होते है या ये ऐसे कुएं होते हैं जो कि दूर पड़े रहते हैं और जिन्हें अभी उत्पादन प्रणाली के साथ जोड़ा जाना है या जिनमें प्राकृतिक कारणों से तेल का प्रवाह बन्द हो गया है और जो जल-अन्तःक्षेपण तथा अध्ययन आदि जैसे अन्य प्रयोगों के लिए काम में लाए जाते हैं। यह अनिवार्य है कि जब तेल क्षेत्र से लगातार उत्पादन किया जाता है तो तेल उत्पादक कुछ कुओं में प्रवाह बन्द हो जाता है।

(ग) बेकार कुओं जिनसे उत्पादन हो सकता है को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) विभागीय कुओं की सर्विस के लिए नियुक्त दलों को मजबूत बनाया जा रहा है।

(2) उत्पादन के लिए विदेशी स्रोतों से विशेष प्रकार के उपकरण खरीदे जा रहे हैं तथा तक- नीकी जानकारी प्राप्त की जाती है ; और

(3) अनुभवी विदेशी ठेकेदारों की सेवाओं से ठेके के आधार पर "वर्क-ओवर" कार्य द्वारा मरम्मत में तेजी लाई जाती है।

हल्दिया पेट्रो-कैमीकल्स काम्पलेक्स

157. श्री चित्त बसु : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** हल्दिया पेट्रो-कैमीकल्स काम्पलैक्स के बारे में 18-11-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पेट्रो-कैमीकल्स काम्पलैक्स के संदर्भ में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स की स्थापना के लिए जो आशय-पत्र पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को जारी किया गया था, उसका आशय-पत्र में दी गई मूल क्षमताओं के स्थान पर विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट में विभिन्न पेट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए बतलाई गई बड़ी क्षमताओं की व्यवस्था करने के लिए संशोधन कर दिया गया है। इस प्रायोजना को आगे कार्यान्वित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को परामर्श दे दिया गया है।

कोयले का तेल में बदला जाना

158. श्री चित्त बसु :

श्रीमती गीता मखर्जी : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले को तेल में बदलने के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विश्व बैंक से उक्त परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सरकार ने 1974 में संश्लिष्ट तेल पर एक विशेषज्ञ दल नियुक्ति किया था। इस दल ने 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि 1 मि० टन तरल ईंधन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाए। इस परियोजना के लिए बढ़िया ग्रेड के 7 मि० टन कोयले और 90 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। इस क्षमता वाले एक संयंत्र की वर्तमान (जनवरी 1980) लागत रु० 1140 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस विषय पर हाल ही में एक अध्ययन करवाया है। इस अध्ययन में यह व्यवस्था की गई है कि 1 मि० टन प्रतिवर्ष के संश्लिष्ट तेल संयंत्र की स्थापना की जाए जिसके साथ 1500 टन प्रतिदिन मेथानोल का सहवर्ती उत्पादन भी हो— इसका प्रयोग गैसोलीन के साथ मिश्रण करने, ईंधन तेल के उपभोग के स्थान पर औद्योगिक

गैसों का प्रयोग करने और कार्बो रसायनों के अन्य उप-उत्पादनों के लिए किया जाएगा। इन स्कीमों के लिए अनुमानित पूंजीनिवेश लगभग रुपया 2449 करोड़ होगा। यह अध्ययन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान ने भी इसी प्रकार का एक अध्ययन किया है जो इस समय विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से आये विस्थापितों के लिए 7 करोड़ रुपये की पुनर्वास योजना

159. श्री के० राममूर्ति : क्या **नागरिक और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से आये विस्थापितों के पुनर्वास के लिए हाल ही में जनवरी, 1981 के पहले सप्ताह में घोषित की गई 7 करोड़ रुपये की योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि वे विस्थापित जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत बस गये हैं, इन क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं तथा इससे श्रीलंका से आये विस्थापितों के बीच आतंक पैदा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन पुनर्वास केन्द्रों में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) उन पुनर्वास केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां अब तक इन विस्थापितों को बसाया गया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) श्रीलंका से आये प्रत्यावासियों के पुनर्वास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 1981-82 के बजट अनुमानों से 7 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस राशि का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में गुन्टकाल से कुछ परिवार प्लायन कर गये थे और मद्रास चले गये थे। इन परिवारों को अब नेलौर भेज दिया गया है। तमिलनाडु में पुनर्वास योजनाओं से परिवारों के पलायन के बारे में तमिलनाडु सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

ये रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि गुन्टकाल से पलायन के सम्बन्ध में श्रीलंका के समाचार पत्रों में विस्तृत तथा प्रतिकूल प्रचार किया गया है। किन्तु आने वाले प्रत्यावासियों के मन से इस गलत फहमी को दूर करने की दृष्टि से श्रीलंका में हमारे उच्चायोग द्वारा श्रीलंका के समाचार-पत्रों में, भारत में विभिन्न पुनर्वास योजनाओं में सन्तोषप्रद स्थितियों तथा उनके स्वागत सम्बन्धी पहलुओं के बारे में, विस्तृत प्रचार किया गया है। इसके अलावा, इन पुनर्वास केन्द्रों में सुधार लाने की दृष्टि से अच्छी आवास सुविधाओं तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) अब तक, चार दक्षिणी राज्यों में विभिन्न बागान योजनाओं, प्रत्यावासी सहकारी बैंक की योजनाएं, औद्योगिक योजनाएं, भूमि उपनिवेशन तथा कृषि योजनाएं लघु व्यापार/व्यवस्था तथा तमिलनाडु राज्य फार्म निगम की परियोजनाओं में प्रत्यावासियों को बसाया गया है। इसके अलावा, कुछ प्रत्यावासियों को विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	1981-82 के बजट अनुमानों में प्रस्तावित व्यवस्था
		(लाख रुपयों में)
1.	बागान	136.05
2.	प्रत्यावासी बैंक	40.00
3.	राज्य फार्म निगम, तमिलनाडु	0.01
4.	भूमि उपनिवेशन योजना/कृषि	0.79
5.	लघु व्यापार/व्यवस्था	151.86
6.	औद्योगिक योजनाएं	124.63
7.	आवास सहायता	241.62
8.	शिक्षा तथा प्रशिक्षण	4.04
9.	केरल में डेरी परियोजना जैसी अन्य योजनाएं	1.00
	योग :	700.00

फिल्म समारोह के दौरान सिनेमा हालों पर हुई हिंसात्मक घटनाएं

160. श्री के० राममूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान विज्ञान भवन के आडिटोरियम, शीला सिनेमा हाल और अर्चना सिनेमा हाल पर हिंसात्मक घटनाएं होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राजधानी के एक अंग्रेजी दैनिक के एक फिल्म आलोचक द्वारा समारोह की जूरी के चेयरमैन का अपमान किया गया था ; और

(ग) समारोह में भाग लेने वाली फिल्मों की सूची पहले से परिचालित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) तथ्य इस प्रकार हैं :—

विज्ञान भवन

877 सीटों वाले एक अनन्य थियेटर को फिल्म प्रतिनिधियों, प्रत्यायित फिल्म आलोचकों, फिल्म छात्रों और फिल्म प्रभाग तथा दूरदर्शन के फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसरों के लिए आवंटित किया गया था। इस थियेटर में सुबह से रात तक प्रतिदिन छः फिल्में दिखाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, 337 सीटें विज्ञान भवन में दोपहर 3.30 बजे और सायं 6.30 बजे के शो में प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई थीं। इसी प्रकार, अर्चना थियेटर में 200 सीटें दोपहर 3.30 बजे, सांय 6.30 बजे और रात्रि 9.30 बजे के शो में प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आरक्षित की गई थीं। 186 और सीटें मावलंकार आडिटोरियम में रोज़ाना हुए हर पांचों शो में आरक्षित की गई थीं। इस प्रकार, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को समारोह में प्रदर्शित सभी फिल्मों को देखने का अवसर था। उनके लिए कुल 1600 सीटें उपलब्ध थीं, जो प्रतिनिधियों और समारोह के लिए प्रत्यायित पत्रकारों की कुल संख्या से अधिक थीं। प्रतिनिधियों और पत्रकारों दोनों को पहले से ही विज्ञान भवन, मावलंकर आडिटोरियम और अर्चना में उनके लिए आरक्षित सीटों के बारे में जानकारी दे दी गई थी और उनको स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि सीटें "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर उपलब्ध होंगी। प्रबंध उस परिपाटी के अनुसार किया गया था, जिसका विश्वभर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में अनुसरण किया जाता है।

2. उन प्रतिनिधियों और पत्रकारों की संख्या, जो 7 जनवरी, 1981 को विज्ञान भवन में सायं 6.30 बजे के शो की फिल्म देखना चाहते थे, उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गई थी और इसलिए उनमें से कुछ फिल्म नहीं देख पाए थे। कुछ प्रतिनिधियों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया और फिल्म के प्रदर्शन में कुछ समय तक बाधा रही। बाद में, एक घोषणा की गई कि फिल्म का विशेष प्रदर्शन अगले दिन सुबह विज्ञान भवन में किया जायेगा जहां सभी प्रतिनिधि और पत्रकार फिल्म को देख सकेंगे। तब फिल्म पूरी प्रदर्शित कर दी गई थी।

शीला सिनेमा

7 जनवरी, 1981 को शीला थियेटर में स्पेन की एक पुरस्कार प्राप्त राजनैतिक फिल्म को प्रदर्शित करने का कार्यक्रम था। जानेमाने फिल्म निर्देशक जैसे कैमिनों द्वारा निर्मित इस फिल्म का नाम "दि ओल्ड मैमोरी" था। दोपहर 3.30 बजे के शो में कुछ दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया और उन्होंने अपने टिकटों की राशि वापस लेनी चाही। उनके रुझान को तथा इस बात को देखते हुए कि उन्होंने शेष दर्शकों को फिल्म को नही देखने दिया, उस दिन होने वाले तीनों शो को रद्द कर दिया गया और जिन्होंने टिकट खरीदे रखे थे, उनको राशि वापिस कर दी गई।

अर्चना थियेटर

9-1-1981 को रूस के जानेमाने फिल्म निर्देशक ऐन्डरै तारकोवस्की की प्रसिद्ध फिल्म "स्टाल्कर" को प्रातः 10.30 बजे के शो में प्रदर्शित करने का कार्यक्रम था। दिखाई जाने वाली

फिल्म का नाम 7-1-1981 के समाचार पत्र में विज्ञापित किया गया था। सिनेमाघर के बाहर एक बोर्ड प्रदर्शित किया गया था जिसमें फिल्म का नाम और निर्देशक का नाम दिया गया था। टिकट इस आधार पर बेचे गये थे। तथापि, फिल्म के प्रदर्शन के दिन थियेटर प्रबंधकों ने एक बोर्ड प्रदर्शित किया कि दूसरी फिल्म "दि हन्टर्स" (अमरीका) प्रदर्शित की जायेगी। यह सूचना गलत थी। थियेटर प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि फिल्म "स्टाल्कर" प्रदर्शित की जानी है और इस फिल्म की प्रिंट प्रदर्शन के लिये थियेटर को भेज दी गई थी। फिल्म का नाम, जिसे थियेटर प्रबंधकों ने बोर्ड पर दर्शाया था, एक गुमनाम टेलीफोन के आधार पर समारोह प्राधिकारियों से बिना परामर्श किये प्रदर्शित किया था। प्रदर्शित की जाने वाली फिल्म के नाम के बारे में गलत सूचना देने के अलावा, उन्होंने "दि हन्टर्स" जो अमरीका की फिल्म न होकर ग्रीस की फिल्म थी, के देश के बारे में दर्शकों को और गुमराह किया। जो भी हो, यह फिल्म अर्चना में प्रदर्शित किए जाने का प्रश्न नहीं उठा। स्वाभाविक रूप से इससे दर्शकों में कुछ भ्रान्ति हुई, क्योंकि आधे से अधिक व्यक्ति फिल्म "दि स्टाल्कर" देखना चाहते थे और अन्य "दि हन्टर्स" को देखना चाहते थे। परिणामस्वरूप फिल्म का प्रदर्शन रोक देना पड़ा और टिकटों की राशि वापस कर दी गई।

(ख) प्रतियोगिता वर्ग में विज्ञान भवन में रूस की फिल्म "ए स्लैप इन दि फेस" का पुनर्विलोकन करते समय, "स्टेट्समैन" के फिल्म आलोचक ने और बातों के साथ-साथ यह कहा कि किसी भी दृष्टि से यह फिल्म देखने योग्य नहीं है और यह ऐसी है जो भारत में शोर उत्पन्न कर देगी, परन्तु इसको कुछ पुरस्कार अवश्य मिलेगा : आप जानते हैं, क्यों ? इससे पूर्व 3 जनवरी, 1981 को जूरी के बारे में लिखते हुए पत्र के फिल्म आलोचक ने, और बातों के साथ-साथ, यह कहा था "अब अध्यक्ष एक रूसी है। चेकोस्लोवाकिया और क्यूबा सदस्यों में से हैं ··· जूरी के शेष सदस्यों में से दो प्रख्यात वामपंथी हैं और शेष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं हैं। यह देखना कि कोई राजनैतिक चतुराई घटित न हो, श्याम बेनेगल और अरविन्दन का काम है।" अन्तर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष मि० ग्रीगोरी चुजाई 14 जनवरी, 1981 को पत्रकारों से मिले और उन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य दिया :—

> "स्टेट्समैन समाचारपत्र के एक फिल्म आलोचक ने मुझसे एक साक्षात्कार के लिए निवेदन किया था। बड़े दुख की बात है कि मुझे मना करना पड़ा। इसका कारण यह था कि 7 जनवरी को इस समाचारपत्र ने सोवियत फिल्म "स्लैप इन दि फेस" पर एक समीक्षा प्रकाशित की, जिसका यह निष्कर्ष था—किसी भी दृष्टि से यह फिल्म देखने योग्य नहीं है और यह ऐसा है, जो भारत में शोर उत्पन्न कर देगी, परन्तु इसको कुछ पुरस्कार अवश्य मिलेगा : आप जानते हैं, क्यों ?
>
> समाचार पत्र फिल्म का कोई भी मूल्यांकन दे सकता है, यह उसका अधिकार है, परन्तु जूरी के सदस्यों और उसके अध्यक्ष का बिना किसी आधार के तिरस्कार करना मूर्खता होगी। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारत में 8वीं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जूरी के सदस्य, जो अब दिल्ली में हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो सिनेमाजगत में अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहले से ही उनको बदनाम करने और उनके अधिकार को

न्यून करने का प्रयास करने में समाचारपत्र पहले अपने अधिकार को न्यून करता है और समारोह की प्रतिष्ठा और उसके उद्देश्य को क्षति पहुंचाता है। मुझे समाचारपत्र के दृष्टिकोण से आश्चर्य नहीं है : आप जानते हैं, क्यों ?

इस वक्तव्य को स्टेट्समैन द्वारा 15 जनवरी, 1981 के अपने अंक में प्रकाशित किया गया था।

(ग) प्रथम सप्ताह के लिए फिल्मों की सूची और प्रदर्शन कार्यक्रम को 26-12-1980 को सभी मुख्य दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया गया था। प्रदर्शन कार्यक्रम को 3 जनवरी, 1981 के दैनिक समारोह बुलेटिन में भी प्रकाशित किया गया था। सभी सिनेमाघरों ने जहां फिल्में प्रदर्शित की जा रही थी, पहले से ही अपने-अपने सिनेमाघर में प्रदर्शन कार्यक्रम को प्रमुखतया से प्रदर्शित किया गया था। इसी प्रकार, दूसरे सप्ताह के लिए फिल्मों और प्रदर्शन कार्यक्रम को 30-12-80 को प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया गया था और उसको 11 जनवरी, 1981 के दैनिक समारोह बुलेटिन में भी प्रकाशित किया गया था और उन सभी सिनेमा थियेटरों, जहां फिल्में दिखाई जा रही थी, पर भी प्रदर्शित किया गया था।

15 कि० ग्राम की कुकिंग गैस की उत्पादन लागत

161. श्री के० राममूर्ति : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल शोधक कारखाने में 15 कि० ग्राम की कुकिंग गैस की उत्पादन लागत क्या है ;

(ख) गैस सिलैंडर की सप्लाई के लिए गैस कनैक्शन देते समय कितनी राशि जमा की जाती है तथा क्या जमा की जाने वाली उस राशि पर कोई ब्याज दी जाती है ;

(ग) क्या 15 कि० ग्राम के कुकिंग गैस सिलैंडर का मूल्य निर्धारित करने के लिए कभी औद्योगिक लागत और उत्पादन ब्यूरो में अनुरोध किया गया है और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 15 कि० ग्राम के एक कुकिंग गैस सिलैंडर का चालू मूल्य क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का हिसाब प्रोसेसिंग कच्चे तेल की औसत लागत के आधार पर लगाया जाता है। अतः तरल पेट्रोलियम गैस जैसी व्यक्तिगत मद के उत्पादन की वास्तविक लागत का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है। शोधनशालाओं को विपणन कम्पनियों द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस के लिए देय मूल्य फिलहाल रुपये 2021.45 प्रति मी० टन है जोकि 15 किलोग्राम वाले प्रति सिलैंडर के लिए रुपये 30.32 की लागत आती है।

(ख) गैस कनेक्शन देने के समय रुपये 250 प्रति सिलेण्डर तथा प्रति रेगुलेटर के लिए 30 रुपये लिये जा रहे हैं। ऐसी जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य क्रमिक तेल मूल्यों समितियों की सिफारिशों के आधार पर मन्त्रिमंडल के अनुमोदन से निर्धारित किये जाते हैं। मूल्य वर्तमान मूल्य निर्धारण

तन्त्र के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए मानदण्ड और मार्ग निर्देशनों के अधीन निवेशित कुल पूँजी और वास्तविक लागत की 15 प्रतिशत प्रति प्राप्ति पर आधारित होते हैं। औद्योगिक लागत एवं उत्पादन ब्यूरो को भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि मूल्यों पर उच्च स्तरीय निर्यात निकाय द्वारा समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(घ) तरल पेट्रोलियम गैस के विक्रय मूल्य एक बाजार से दूसरे बाजार में भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि यह शोधनशाला से बाहर के अधिकतम विक्रय मूल्यों, शोधनशाला में सम्बन्धित बाजार तक परिवहन लागत लागू विक्रय कर और अन्य स्थानीय शुल्कों और वितरक की कमीशन पर आधारित होते हैं।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली में तरल पेट्रोलियम गैस (15 किलोग्राम) के चालू फुटकर विक्रय मूल्य रुपये 45·53 है।

आठवें फिल्म समारोह में हुई कथित कुव्यवस्था

162. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाल ही में हुआ आठवां फिल्म समारोह एक बार फिर कुव्यवस्था और पक्षपातपूर्ण रवैये की एक घृणित मिसाल बन गई है ;

(ख) क्या टिकटों की बिक्री तथा पासों और विशेष पासों के जारी किए जाने में कोई बहुत बड़ा घोटाला था ;

(ग) क्या कुछ मामलों में सिनेमाघर/हालों की सीटों की क्षमता से अधिक टिकट पास जारी किए गए थे ;

(घ) क्या विज्ञान भवन में कुछ प्रतिनिधियों में भी चलचित्र दिखाते समय टिकटों की बिक्री सम्बन्धी कुव्यवस्था के बारे में विरोध प्रकट किया था ;

(ङ) क्या सरकार ने गत और पिछले समारोहों में हुई गड़बड़ से कोई शिक्षा ग्रहण की है और इन्हें सफल बनाने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं ; और

(च) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) से (घ) इनमें से कोई भी आरोप सही नहीं है। स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

(ङ) और (च) सामान्य की भांति, सरकार इस समारोह के आयोजन का इस दृष्टि से पुनर्विलोकन कर रही है कि इसके प्रबन्ध में और सुधार किस प्रकार किया जा सकता है।

विवरण

भारत के आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन नई दिल्ली में 3 से 17 जनवरी, 1981 तक किया गया था। इसमें 54 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। इनमें 8 ग्रांडप्रिक्स विजेता, 16 अन्य पुरस्कार विजेता तथा 70 से अधिक ऐसी फिल्में थीं जिनकी

विश्व भर में प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। तीसरे विश्व के 25 देशों ने इस समारोह में भाग लिया जबकि 1979 में हुए भारत के 7 वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ऐसे केवल 10 देशों ने ही भाग लिया था। सरकारी वर्ग की फिल्मों का प्रदर्शन विज्ञान भवन में किया गया था तथा उनमें फीचर फिल्में तथा 13 लघु फिल्में थीं। सूचना वर्ग की 87 फीचर फिल्मों तथा 31 लघु फिल्मों का प्रदर्शन छः वाणिज्यिक सिनेमा घरों में किया गया था। रिट्रोस्पैक्टिव वर्ग में, मृणाल सेन की 15 फिल्में मावलंकर हाल में तथा तीन विदेशी निर्देशकों की 15 फिल्में अर्चना थियेटर में प्रदर्शित हो गई थीं। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 21 फीचर फिल्में प्रदर्शित की गई थीं जो भारतीय फिल्म निर्देशकों की नवीनतम कृतियां थीं। इसके अतिरिक्त 1980 के दशक में सिनेमा" पर एक सेमीनार भी किया गया था तथा राष्ट्रीय फिल्म 'विकास निगम ने एक बाजार लगाया था। देश भर के लगभग 900 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों ने इस समारोह में भाग लिया था। इसके अलावा 100 से भी अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी इस समारोह में शामिल हुए थे।

समारोह के दो सप्ताहों के दौरान 5,00,000 से अधिक लोगों ने फिल्में देखीं। समारोह के दौरान 10 छविगृहों में हुए 550 फिल्म प्रदर्शनों में केवल तीन अवसरों पर ही कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। इनमें से कोई भी समस्या कुप्रबंध के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी। विज्ञान भवन पर एक समस्या 7-1-81 को उस समय उठ खड़ी हुई जब उस दिन शाम 6.30 बजे दिखाई जा रही फिल्म को देखने वाले प्रतिनिधियों और फिल्म आलोचकों की संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक हो गयी। विज्ञान भवन, मावलंकर हाल और अर्चना में सीटें प्रतिनिधियों, प्रेस तथा फिल्म-छात्रों के लिए आरक्षित थीं। यह आरक्षण फिल्म प्रतिनिधियों, फिल्म आलोचकों तथा फिल्म छात्रों के लिए फिल्में देखने के लिए अनन्य रूप से निर्धारित एक छविगृह के अतिरिक्त था। उन्हें पहले से ही यह बता दिया गया था कि विज्ञान भवन, मावलंकर हाल तथा अर्चना में सीटें "पहले आए सो पहले पाए" के आधार पर उपलब्ध होंगा यह परिपाटी सभी अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में लागू होती है तथा इसका उद्देश्य प्रतिनिधियों तथा प्रेस को समारोह में दिखाई जाने वाली सभी फिल्मों को देख पाने का अवसर प्रदान करना है। 7 जनवरी को जब कुछ प्रतिनिधियों को सीटें नहीं मिल पाई तो उन्होंने विरोध किया। अगले दिन प्रातः एक विशेष प्रदर्शन करने की घोषणा की गई जिसमें सभी प्रतिनिधि और प्रेस जगत के लोग उस फिल्म को देख सके। शीला में 7 जनवरी, 1981 को दर्शकों के एक वर्ग ने स्पेन फ्रांको शासन के बारे में पुरस्कार विजेता एक राजनीतिक फिल्म को पसन्द नहीं किया। अतः उसके टिकटों की राशि वापस कर दी गई। अर्चना में 9-1-1981 को छविगृह के प्रबंधकों ने अन्तिम समय पर एक उस फिल्म का नाम प्रदर्शन बोर्ड पर लगाया था जिसे उस दिन दिखाए जाने का कोई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नहीं था। छविगृह प्रबन्धकों के अनुसार यह एक अज्ञात फोन के आधार पर किया गया था जिसे वे पहचान नहीं सके थे। तथापि, उन्होंने समारोह के अधिकारियों से परामर्श किए बिना प्रदर्शन बोर्ड को बदल दिया। इससे कुछ भी भ्रांति उत्पन्न हुई और टिकटों की राशि वापस कर दी गई।

यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे कि वाणिज्यिक छविगृहों पर टिकटों की बिक्री में अनियमितताएं न हों। मनोरंजन कर प्राधिकारियों तथा समारोह प्राधिकारियों द्वारा फिल्म समारोह के सभी टिकटों की पहले से ही जांच की गई थी तथा उन पर

मोहर लगा दी गई थी। लोगों को टिकटों की बिक्री का काम समारोह-प्रबंध अधिकारियों की निगरानी में किया गया था। प्रति व्यक्ति को दो दो टिकट ही दिए गए थे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि टिकटों की चोरी छिपे बिक्री न हो, प्रत्येक सिनेमा घर के बाहर प्रत्येक शो के लिए उपलब्ध हर मूल्य के टिकटों की ठीक ठीक संख्या प्रदर्शित की गई थी, ताकि लोगों को सिनेमा घर पर उपलब्ध टिकटों की ठीक संख्या का पता चल जाए।

वाणिज्यिक सिनेमा घरों पर पास जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। विज्ञान भवन में, सम्पदा निदेशालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के रख-रखाव सम्बन्धी कर्मचारियों को प्रति शो 14-14 पास दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, जिस दिन जिस देश की फिल्में दिखाई जाती थीं उस दिन वहां के दूतावासों को 4 से 10 तक पास दिए गए थे।

"कोल ग्लट एट पिटहैड्स" शीर्षक समाचार

163. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसका ध्यान 23 जनवरी, 1981 के टाइम्स आफ इन्डिया में "कोल ग्लट एट पिटहैड्स" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कठिनाइयों का गम्भीरता से अध्ययन किया गया है जिसके कारण कोयले की ढुलाई रुक गई है ;

(ग) मुहानों पर कोयले के भारी भंडार जमा हो जाने के फलस्वरूप कोयला विभाग अगले तीन मास के लिए अपने उत्पादन लक्ष्यों में कमी कर रहा है ;

(घ) क्या कोयला न मिलने के कारण अम्मासान्दरा स्थित मैसूर सीमेंट फैक्टरी जैसे अनेक सीमेंट एककों को गत बीस वर्षों में पहली बार बन्द होना पड़ा है ;

(ङ) क्या कोयले की अनुपलब्धता के कारण तापीय संयंत्रों में बिजली का उत्पादन कम हो गया है ; और

(च) यदि हां, तो उपरोक्त केन्द्रों को कोयले की सप्लाई तेज करने के लिए रेलवे बोर्ड के साथ मंत्रणा करके सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (च) जी, हां। रेल वैगन पर्याप्त संख्या में न मिलने से कोयले के प्रेषण में कुछ बाधा रही है। कोयले के लदान के लिए अधिक संख्या में वैगनों की सप्लाई के प्रश्न पर रेलवे के साथ सभी स्तरों पर बातचीत की जाती है और इस पर "औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति" भी उच्चतम स्तर पर निगरानी रख रही है। इस दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप रेल वैगनों में कोयले की लदान में सुधार हुआ है और वह अप्रैल-नवम्बर, 1980 के 7747 वैगन प्रतिदिन की तुलना में जनवरी, 1981 में बढ़कर 8781 वैगन प्रतिदिन हो गया है—यह आंकड़े कोल इन्डिया लि० की कम्पनियों तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लि० दोनों के लिए मिलाकर हैं। हाल ही में, रेलवे से परामर्श करके को० इ० लि० तथा सि० को० कं० लि० के लिए 10900 वैगन से अधिक कोयला वैगनों के लदान का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) जी, नहीं 1 जनवरी, 1981 में 11.28 मि० टन० कोयले का रिकार्ड उत्पादन किया गया।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अम्मासान्द्रा का सीमेंट कारखाना कोयला न होने के कारण जनवरी, 1981 में केवल एक दिन के लिए बंद किया गया। अब रिपोर्ट है कि जनवरी, 1981 के दूसरे पखवारे से यह कारखाना पूरी क्षमता से काम कर रहा है।

(ङ) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ बिजली घरों में कोयले का स्टॉक कम होने के कारण कुछ ताप बिजली घरों ने अपने बिजली के उत्पादन को विनियमित कर दिया था।

विद्युत उत्पादन यूनिटों तथा विद्युत वितरण यूनिटों का अलग किया जाना

164. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश विद्युत यूनिटों ने विद्युत उत्पादन यूनिटों तथा विद्युत वितरण यूनिटों को अलग कर दिया है ;

(ख) यदि विद्युत की कमी यह भी एक कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत बोर्डों में उत्पादन और वितरण को अलग-अलग करने के लिए केवल कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने ही संगठनों का निर्माण किया है। उत्पादन सम्बन्धी कार्य-कलाप के लिए केवल कर्नाटक में ही मैसूर विद्युत निगम का सृजन अभी तक अलग संगठन के रूप में किया गया है जबकि पारेषण तथा वितरण संबंधी कार्य कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ही किए जाते हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही एक अलग उत्पादन कम्पनी (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम) का गठन किया है। तथापि निगम को अभी कारगर तरीके से कार्य आरम्भ करना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पादन को पारेषण तथा वितरण से अलग किए जाने के फलस्वरूप कर्नाटक की तरह या उत्तर प्रदेश में आरम्भ किए गए अनुसार किसी अलग संगठन का सृजन नहीं हुआ है। तथापि उत्पादन तथा पारेषण और वितरण क्षेत्रों में नियुक्त किए गए इन्जीनियरों का संवर्ग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत उच्च स्तर तक इन क्षेत्रों के पास ही रहेगा तथा यह व्यवस्था अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित करने में सहायक पाई गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार का विचार यह है कि प्रचालन में अधिक कार्य-कुशलता सुनिश्चित रखने के लिए विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों में विशेषज्ञता प्राप्त संवर्ग होने चाहिएं। भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न मंचों के जरिए तथा विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आदि के जरिए इस सुझाव पर जोर दे रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि विद्युत बोर्डों में उत्पादन और वितरण को अलग-अलग करने के लिए राज्य सरकारें पूर्णतः सक्षम हैं।

हरियाणा और दिल्ली में तापीय बिजली केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

165. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा, दिल्ली आदि के तापीय बिजली घरों को अपेक्षित मात्रा में पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन बिजली घरों को कोयला सप्लाई न होने के कारण रेलवे विभाग की असफलता है अथवा कि उक्त किस्म के कोयले का उपलब्ध न होना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) हरियाणा और दिल्ली में विभिन्न विद्युत केन्द्रों को, अक्तूबर से दिसम्बर 1980 तथा जनवरी 1981 की अवधि के लिए कोयले का आबंटन, प्राप्तियां तथा खपत दिखाने वाला और कोयला स्टाक की अद्यतन स्थिति को दिखाने वाला विवरण विवरण 1 और 2 के रूप में संलग्न है। कोयले की आबंटित मात्रा में सप्लाई में कमी का मुख्य कारण है, कोयले की ढुलाई के लिए अपर्याप्त वैगनें उपलब्ध होना। इन केन्द्रों को सप्लाई किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता कुल मिलाकर इन केन्द्रों की डिज़ाइन सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप रही है। तथापि, कभी-कभी वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण अन्य विद्युत केन्द्रों में उपयोग किये जाने वाले रेकों को रेलवे द्वारा व्यपवर्तित कर दिया जाता है तथा इन विद्युत केन्द्रों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला सप्लाई कर दिया जाता है जिससे इन केन्द्रों में साइज़ और गुणवत्ता की समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

(घ) हरियाणा और दिल्ली के ताप विद्युत केन्द्रों सहित, ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में ये शामिल हैं :—

(1) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए रेलवे ने प्रयास किया है।

(2) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा, कोयला विभाग और रेल मंत्रालय के साथ घनिष्ठ संपर्क रखा जा रहा है। विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं तथा सावधानी पूर्वक मानीटरिंग की जाती है।

(3) जिन विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के स्टाक अत्यन्त कम हैं उनको कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के उपाय किये जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोयले की सप्लाई की कमी के कारण उत्पादन में हानि न हो।

(4) वैगनों को रोके रखने की अवधि को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोयले की वैगनें शीघ्रता से खाली की जाएं तथा वैगनें जल्दी ही छोड़ दीं जाएं।

विवरण-1

हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न विद्युत केन्द्रों की अक्तूबर से दिसम्बर 1980 तथा जनवरी 1981 की अवधि के लिए आवंटन, प्राप्तियां तथा खपत को दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े हज़ार टन में)

ताप विद्युत केन्द्र का नाम		10/80	11/80	12/80	1/81
हरियाणा					
फरीदाबाद	आ०	40	40	40	40
	प्रा०	27	29	24	28
	ख०	30	30	32	30
पानीपत	आ०	60	60	60	60
	प्रा०	35	40	39	40
	ख०	36	45	41	40
दिल्ली					
बदरपुर	आ०	150	150	150	150
	प्रा०	107	109	103	128
	ख०	103	98	103	110
इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	आ०	110	110	110	110
	प्रा०	83	99	104	108
	ख०	90	91	107	99

विवरण-2

हरियाणा तथा दिल्ली में विभिन्न विद्युत केन्द्रों के कोयला भंडारों की स्थिति को दिखाने वाला विवरण

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	कोयला स्टाक की स्थिति		
	औसत आवश्यकता	कोयला स्टाक की वर्तमान स्थिति दिन	तारीख
बदरपुर	4000	5	10-2-1981
इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	4000	5	10-2-1981
पानीपत	1800	3	8-2-1981
फरीदाबाद	1400	3	6-2-1981

तेल की खोज के लिए विदेशी फर्मों के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सहयोग

166. श्री पी० एम० सईद : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन विदेशी कम्पनियों को इस देश में तेल की खोज के लिए क्षेत्र सौंपे जायेंगे उनकी कार्यसंचालन तथा प्रबन्ध समिति (आपरेटिंग एण्ड मैनेजमेंट कमेटी) के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दृढ़ता से सम्बद्ध किया जाएगा ;

(ख) इन कार्यों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग किन स्थितियों में सहयोग देगा ;

(ग) क्या विदेशी फर्मों के कार्यों में उनके साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सम्बन्ध के बारे में मतभेद है ;

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या है ;

(ङ) क्या सैंक्रेटरीज कमेटी ने, जिसे इस मुद्दे की जांच का कार्य सौंपा गया था, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं ;

(च) क्या यह भी सच है कि दो सरकारी दलों ने इस सम्बन्ध में पैरिस और वाशिंगटन का दौरा भी किया था ; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में उनका विचार क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) करारों की शर्तें और व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा है। तथा अभिप्राय यह है कि संचालन और प्रबन्धक समितियों ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रतिनिधित्व होगा।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का ठेकेदारों के साथ समयोग इस करार में परि-कल्पित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए खुले छोड़े गए ब्लाकों के लिए तकनीकी डाकेट्स सुलभ कराने के लिए पैरिस और वाशिंगटन में प्रत्येक में एक एक अधिकारी को भेजा गया था। इस प्रकार का विचार-विमर्श विदेशी कम्पनियों के साथ नहीं हुआ था।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आजादी के बाद पुनर्वास पर व्यय हुई राशि

167. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास विभाग द्वारा आजादी के बाद व्यय की गई कुल राशि कितनी है ;

(ख) देश के उत्तर पश्चिम भाग के लिए कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) देश के पूर्वी भाग में व्यय की गई राशि कितनी है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) 14,35.73 करोड़ रुपये (दिसम्बर, 1980 तक)

(ख) (1) भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति — 403.95 करोड़ रुपये

इसमें शामिल हैं :—

(क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान — 192.21 करोड़ रुपए

(ख) जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों को किया गया भुगतान — 4.77 करोड़ रुपए

(2) भारत-पाक संघर्ष से प्रभावित विस्थापित व्यक्ति —

1965 — 16.33 करोड़ रुपए

1971 — 73.53 करोड़ रुपए

(ग) (1) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति— 572.05 करोड़ रुपए

(2) बंगला देश से आए शरणार्थी— 291.09 करोड़ रुपए

दण्डकारण्य में शरणार्थियों का बसाया जाना

168. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य में भेजे गए शरणार्थियों को अभी तक भली भाँति नहीं बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण है ;

(ग) क्या उन्हें भली भांति बसाए जाने के लिए सरकार कोई आवश्यक कदम उठा रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो यह कदम क्या है और ये कब तक पूरे हो जायेंगे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगोन) . (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कृषि तथा आवास प्रयोजनों के लिए भूमि का उद्धार करके, प्रश्नगत परिवारों को भूमि तथा मकानों के लिए स्थान आवंटित करके, तथा बैलों, बीजों, कृषि औजारों, भरण-पोषण सहायता आदि के रूप में निर्धारित पद्धति के अनुसार सहायता प्रदान करके 1981-82 के दौरान शेष परिवारों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कमजोर वर्गों को विधिक सहायता दिए जाने का उपबन्ध

169. श्री एन० डेनिस : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों को विधिक सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जरूरतमन्द लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने 26 सितम्बर, 1980 को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति से न केवल यह अपेक्षित है कि वह विधिक सहायता स्कीमों के कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए व्यापक विधिक सहायता स्कीमें विस्तार से तैयार करे बल्कि उन्हें क्रियान्वित भी करे तथा उनके उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे और उनकी सिफारिश करे।

(ख) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का ध्यान खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल ही में किए गए विनिश्चय की ओर भी दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि विधिक सहायता का अधिकार मूल अधिकार है और उनसे कहा गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार विधिक सहायता की आवश्यक व्यवस्था करें। उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे अपने अपने उच्च न्यायालयों में यह निवेदन करें कि वे मजिस्ट्रेटों और सेशन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनकी बाध्यताओं के बारे में निदेश जारी कर दें।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव

170. श्री एन० डेनिस : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियुक्त करे, बैठेगा"। भारत के मुख्य न्यायाधिपति से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड द्वारा डैपसोन का उत्पादन

171. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० एक प्रभावी कुष्ठ-रोधी दवा "डेप्सोन" का उत्पादन करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस औषधि का उत्पादन करने के लिए इस सरकारी क्षेत्र फर्म की निर्धारित क्षमता कितनी है और वास्तविक वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ग) क्या देश में उसकी मांग उत्पादन से काफी अधिक है ;

(घ) यदि हां, तो बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० में ही उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि इस औषधि का उत्पादन करने वाली एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली फर्म, कार्टेल बुरोज वैल्सर्स को इस औषधि विशेष के उत्पादन में तीन गुना वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय की लाइसेंसिंग समिति द्वारा स्वीकृति दे दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि० की वार्षिक स्थापित क्षमता और उनका वास्तविक उत्पादन क्रमशः 10 टन और 4.19 टन था।

(ग) जी, हां।

(घ) बी० सी० पी० डब्लू०, उत्पादन को 20 टन प्रति वर्ष तक बढाने और अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए एक परिवर्धन कार्यक्रम हाथ में ले रही है।

(ङ) और (च) अनुमानित मांग और स्वदेशी उत्पादन में अन्तर और उनके उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मसर्स बरोज वैलकम लि० को 10.8 टन से 28 टन तक विस्तार के लिए एक आशय पत्र प्रदान करने की अनुमति दी है।

कोयला उत्पादन के लक्ष्य को कम किया जाना

172. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उत्पादन के लक्ष्य को इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि खान के मुहानों पर कोयले के भारी भंडार जमा हो गए हैं ;

(ख) क्या कोयले के भंडार जमा होने का मुख्य कारण कोयले की ढुलाई हेतु माल-डिब्बों की कमी होना रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कोयले की ढुलाई हेतु माल-डिब्बों की उपलब्धता में कोई सुधार नहीं हुआ है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोयले के खान मुहाना स्टॉक में वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक कारण कोयले के परिवहन के लिए रेलवे वैगन न मिलना रहा है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1980 से वैगनों की उपलब्धि में सुधार हुआ है। को० इ० लि० और सिंगरेनी को० कं० लि० को मिलाकर अप्रैल-नवम्बर, 1980 में कोयले का दैनिक औसत लदान 7747 वैगन प्रतिदिन था। यह दिसम्बर, 1980 में बढ़कर 8553 और जनवरी, 1981 में बढ़कर 8781 वैगन प्रतिदिन हो गया है।

दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन के वैयक्तिक उपयोग के लिए एक छोटे विमान का किराये पर लिया जाना

173. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन के वैयक्तिक उपयोग केलिए एक छोटा विमान 1980 में किराये पर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और जो यात्राएं की गई उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष के वैयक्तिक उपयोग के लिए वर्ष 1980 के दौरान कोई विमान किराए पर नहीं लिया गया था। दामोदर घाटी निगम के विद्युत केन्द्रों की जाँच करने हेतु दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी उपयोग के लिए 1980 के दौरान 3 अवसरों पर इण्डियन आयरन स्टील कं० का एक छोटा विमान किराये पर लिया गया था।

बिना परमिट के गैस कनेक्शन

174. श्री राम प्यारे पनिका : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बिना परमिट के गैस कनेक्शन दिलाने वाला गिरोह बहुत सक्रिय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) सरकार को दिल्ली में बिना परमिट के गैस कनेक्शन दिलाने वाले किसी गिरोह की जानकारी नहीं है।

चोपन और पिपरी उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र

175. श्री राम प्यारे पनिका : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चोपन और पिपरी नामक स्थान पर एक दूर-दर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आदिवासी और हरिजन बहु-संख्या वाले तथा औद्योगिक स्थानों पर दूर-दर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण छठी "योजना" अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चोपन और पिपरी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना सम्भव नहीं है।

खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियों का आबंटन

176. श्री राम प्यारे पनिका : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खाना पकाने की गैस की नई एजेंसियां आबंटन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इनका आबंटन किन स्थानों पर किया जाएगा ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में भी गैस की नई एजेंसियां आबंटित करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ये कहां-कहां आबंटित की जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों ने अपने वार्षिक कार्यक्रम के भाग के रूप में वर्ष

1980-81 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुल 235 नई खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की स्थापना के सम्बन्ध में योजनाएं आरम्भ की हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण (प) में दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्योंकि मिर्जापुर में स्थित वर्तमान वितरक 2500 रिफिल्स प्रति माह की निर्धारित सीमा से बहुत नीचे कार्य कर रहा है, किसी अतिरिक्त वितरक की उस स्थान के लिए योजना बनाई गई है।

विवरण

राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम	कुल
आन्ध्र प्रदेश	26
असम	02
बिहार	08
गुजरात	22
हरियाणा	12
कर्नाटक	29
मध्य प्रदेश	17
महाराष्ट्र	25
उड़ीसा	02
पंजाब	15
राजस्थान	15
तमिलनाडु	12
उत्तर प्रदेश	20
पश्चिम बंगाल	07
चण्डीगढ़	02
दिल्ली	20
गोआ	01
कुल :	235

नये पेट्रोल पम्पों की स्थापना

177. श्री राम प्यारे पनिका : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कुछ नये पेट्रोल पम्पों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा प्रस्तावित स्थान कौन से हैं ;

(ग) क्या जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में भी कुछ पेट्रोल पम्पों की स्थापना का निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा स्थान क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल उद्योग ने खुदरा बिक्री केन्द्र (रिटेल आउटलेट डीलरशिप) खोलने के उद्देश्य से एक रोलिंग रजिस्टर बनाया हुआ है। 1980-81 में लगभग 551 नये खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) खोलने के लिए अन्तिम निर्णय/विज्ञापित किया गया है जहां देश भर में विभिन्न स्थलों पर वितरकों का या तो चयन कर लिया गया है या उनका चयन किया जा रहा है। स्थलों का ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुल मिलाकर सात स्थल विज्ञापित किये गये हैं। उन स्थलों के नाम हैं : अन्नापारा, शक्ति नगर, वैन्दामगंज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर मिरजापुर शहर, सुकरात, राजगढ़ तथा अण्डीमोर।

फिल्मों का गैर कानूनी प्रदर्शन

178. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई की सफल (हिट) फिल्मों के समूचे देश में गैर-कानूनी तथा अप्राधिकृत प्रदर्शन की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप करों की भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई की फिल्म प्रयोगशालाओं में छापों के दौरान अपरिष्कृत फिल्मों का भारी स्टाक पकड़ा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो राजकोष को कितनी हानि हुई है और इस मामले में किस प्रकार की निवारक कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सूचना सम्बन्धित विभिन्न राज्यों/विभागों से एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

कोककारी तथा गैर कोककारी कोयले के मूल्य पर विचार करने के लिए कार्यकारी दल

179. श्री जनार्दन पुजारी : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोककारी तथा गैर कोककारी कोयले की बढ़ती हुई उत्पादन लागत का मुकाबला करने के लिए सभी किस्मों की ऐसे कोयले के मूल्य के प्रश्न पर विचार करने के लिए कार्यकारी दल गठित किया है ;

(ख) क्या उक्त कार्यकारी दल ने इस बारे में कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) एक अनौपचारिक ग्रुप गठित किया गया था जिसे कोयले की उत्पादन लागत का अध्ययन करने और कोयले के लिए उचित कीमत का सुझाव देने का काम सौंपा गया था । इस अध्ययन के आधार पर भारत सरकार ने कोल इण्डिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान मुहाना कीमत 14 फरवरी 1981 से क्रमशः रु० 128.02 प्रति टन तथा रु० 136.85 प्रति टन नियत की है ।

तट-दूर तेल की खोज में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की सहायता

180. श्री आर० एल० भाटिया :

श्री चन्द्र प्रसाद वर्मा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने तट-दूर तेल की खोज तथा देश में बनाये जा रहे उपकरणों की सप्लाई में गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (एफ० आई० सी० सी० आई०) ने पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास कोई सीधा प्रस्ताव नहीं दिया है । फिर भी एफ० आई० सी० सी० आई० के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जिसने हाल ही में रोमानिया तथा युगोस्लाविया की यात्रा की थी, वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सुझाव दिया था ।

"भारत में तेल अन्वेषण, जो नाजुक क्षेत्रों में से एक है, तथा जो कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है, भारतीय निजी एककों के लिये भी

खोल दिया जाना चाहिये। निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी विदेशी सहयोग, जानकारी, प्रौधोगिकी तथा मशीनरी तथा उपकरणों की सुविधा प्राप्त होनी चाहिये। यह सरकार की हाल की नीति "अनुवादी आत्मनिर्भर आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य का अनुसरण करना जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों तथा सभी खण्डों को रचनात्मक भूमिका अदा करनी होगी" के अनुरूप होगा।"

विस्तृत एवं प्रतियोगितात्मक अन्वेषण से देश में तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(ग) अभी हाल तक, सरकार की नीति तेल अन्वेषण के मामले को सार्वजनिक क्षेत्र तक रखने की थी। देश में इस कार्य को करने के लिए बाहर की पार्टियों को आमंत्रित करने के निर्णय का तात्पर्य एकदम भारतीय निजी क्षेत्र को बाहर रखने का नहीं था। यह एक अलग मामला है कि ऐसी कोई भारतीय कंपनियां नहीं हैं जिनके पास इस क्षेत्र में आवश्यक प्रवीणता हो तथा जो इस कार्य को आपरेटर के रूप में हाथ में ले सके। भविष्य में अगर कोई कंपनी उभरती है तो उसे उसी प्रकार की प्रवीणता तथा आधार रखने वाली विदेशी कंपनी के अनुरूप ही समझा जायेगा। इसके साथ ही अगर कोई भारतीय निजी कंपनी बाहर की किसी कंपनी जिसे ठेका दिया गया है, के साथ कार्य करना चाहती हो तो उस पर कोई आपत्ति न होगी। फिर भी किसी भारतीय कंपनी के हित को जैसा कि बाहरी पार्टियों को अनुबद्ध करने का प्रस्ताव है, नाम मात्र नहीं होनी चाहिये तथा किसी भी हालत में लगभग 10% से कम नहीं होना चाहिये।

पंजाब की औद्योगिक यूनिटों पर बिजली की कमी का प्रभाव

181. श्री आर० एल० भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण पंजाब की औद्योगिक यूनिटों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या भटिण्डा तापीय संयंत्र की चार यूनिटों में से दो के बन्द हो जाने से विद्युत सप्लाई की स्थिति और भी खराब हो गयी है ;

(ग) क्या पंजाब के हिस्से में काफी कटौती होने के फलस्वरूप भाकड़ा तथा व्यास प्रबंध बोर्ड में भी बिजली का उत्पादन कम कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में बिजली की कटौती के कारण बड़े दुष्प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पंजाब में बिजली की कमी है जो कि राज्य में औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक है।

(ख) भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन की कमी, राज्य में विद्युत की कमी के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी रही है।

(ग) वर्ष 1980 के दौरान मानसून कम होने के परिणामस्वरूप गोविन्दसागर (भाखड़ा) तथा पोंग जलाशय में जल स्तर कम होने के कारण भाखड़ा/पोंग विद्युत केन्द्रों से औसत उत्पादन कुछ कम रहा है और उसके अनुरूप ही इन केन्द्रों से पंजाब के हिस्से में कमी हुई है।

(घ) और (ङ) : कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई दिसम्बर, 1980 तक 10 घटें से अधिक तथा जनवरी 1981 के महीने में 7 घंटे सुनिश्चित की गई है। आशा की जाती है कि इस अवधि में पम्पसेटों को की गई विद्युत सप्लाई से कृषि सेक्टर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है, विद्युत की कमी, औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारणों में से एक है, लेकिन केवल विद्युत की कमी के कारण हुई औद्योगिक उत्पादन की हानि को आंकना संभव नहीं है।

1980-85 की अवधि के दौरान राज्य में लगभग 484 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में चालू की जा रही कुछ केन्द्रीय सेक्टर विद्युत परियोजनाओं से भी राज्य को लाभ प्राप्त होगा।

"डी० वी० सी० पावर फ्लो इनएडिक्वेट"
शीर्षक से समाचार

182. श्री समर मुखर्जी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1981 की अमृत बाजार पत्रिका में "डी० वी० सी० पावर फ्लो इनएडिक्वेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से दामोदर घाटी निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं।

विदेशों से कच्चे तेल की पूर्ति

183. श्री बी० वी० देसाई :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल की सप्लाई अनिश्चित सी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण यह है कि साउदी अरब ने जिसने इस वर्ष चालीस लाख टन तेल की सप्लाई करने का वायदा किया था, अभी तक इस देश के साथ किसी ठोस करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लीबिया जो पहले भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने पर सहमत हो गया था, ने अब उसके लिए और अधिक धन की मांग की है जिसके परिणाम-स्वरूप भारत ने लीबिया से कच्चा तेल प्राप्त करने का विचार त्याग दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ईरान, ईराक जैसे कई देशों और अन्य तेल उत्पादक देशों ने भी मूल्यों में वृद्धि कर दी है जिसके परिणामस्वरूप भारत के लिए सप्लाई असम्भव हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कच्चे तेल की पूर्ति में इस अनिश्चितता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री : (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सच्च है कि बाली सम्मेलन के पश्चात तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों ने कच्चे तेल के मूल्य बढ़ा दिये हैं जिसके फलस्वरूप, हमारा आयात बिल और बढेगा। तथापि, यह कहना ठीक नहीं होगा कि मूल्यों के बढने से भारत के लिए सप्लाई असम्भव हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनेक राज्यों में विद्युत संकट

184. श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1980 तक विद्युत उत्पादन में हुई धीरे-धीरे वृद्धि से इस आशा में यह वृद्धि हुई थी कि वर्ष 1981 में भी यह प्रवृत्ति जारी रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1981 में ही राजस्थान, कर्नाटक और अन्य राज्यों में विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो राजस्थान और कर्नाटक में विद्युत संकट किस हद तक है ;

(घ) इसके क्या मुख्य कारण हैं और विद्युत उत्पादन में अचानक गिरावट को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या जनवरी और फरवरी, 1981 में दिल्ली को भी बिजली की कमी का बार-बार सामना करना पड़ा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल 1980 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में कुल ऊर्जा उत्पादन लगभग 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तथापि नवम्बर 1980 और दिसम्बर, 1980 के महीनों के दौरान उत्पादन में क्रमश: 20 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह आशा की जाती है कि यह प्रवृत्ति बनी रहेगी।

(ख) से (घ) मुख्यत: 18 दिसम्बर 1980 को राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के 220 मेगावाट के यूनिट संख्या 1 के बन्द हो जाने के कारण राजस्थान में जनवरी 1981 के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति संकटपूर्ण हो गई थी। इस यूनिट ने 28 जनवरी 1981 को ही पुन: कार्य करना शुरू कर दिया था। अत: इस यूनिट के कारण राजस्थान को प्राय: समूचे जनवरी 1981 में प्रतिदिन लगभग 40 यूनिटों की हानि हुई। जल विद्युत केन्द्रों से भी कम विद्युत प्राप्त हो रही थी क्योंकि भाखड़ा-पोंग जलाशय तथा चम्बल प्रणाली में अन्तर्वाह कम होने के कारण जल का स्तर नीचा था। जनवरी 1981 के महीने के दौरान राजस्थान में प्रतिदिन की औसत उपलब्धता 87 लाख यूनिट थी जबकि आवश्यकता 160 यूनिट की थी। राजस्थान में विद्युत के संकट की स्थिति का सामना करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र प्रणालियों से दिन-प्रतिदिन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान की सहायता की गई थी तथा दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981 के दौरान राजस्थान को बदरपुर से 192 लाख यूनिट विद्युत सप्लाई की गई थी।

जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, वहां पर किसी प्रकार का विद्युत संकट नहीं है। तथापि राज्य में कुछ विद्युत की कमी है। राज्य अपने जल विद्युय केन्द्रों से लगभग 180 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन कर रहा है तथा इसे केरल से प्रतिदिन लगभग 15 से 20 यूनिट की सहायता मिल रही है। इस प्रकार इसकी कुल उपलब्धता 195 से 200 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई है जबकि इसकी प्रतिदिन की सम्पूर्ण अप्रतिबंधित आवश्यकता लगभग 250 लाख यूनिट है। 250 के० वी० ए० और इससे अधिक मांग वाले उद्योगों पर राज्य ने 10 से 33.3 प्रतिशत की भिन्न-भिन्न मात्रा की विद्युत कटौतियां लगाई हुई है। आशा की जाती है कि विद्युत कटौतियों की इस मात्रा से कर्नाटक विद्युत सप्लाई की स्थिति का प्रबन्ध कर सकने में सक्षम होगा।

(ङ) कुल मिलाकर दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक थी। इन्द्रप्रस्थ केन्द्र/बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन यूनिट बार-बार बन्द होने के कारण दिल्ली में जनवरी 1981 में केवल चार दिन विद्युत की कमी की स्थितियों का अनुभव किया गया था। लेकिन जनवरी 1979 तथा जनवरी 1980 की तुलना में यह कमी बहुत ही कम थी।

बम्बई हाई गैस पर आधारित नई पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की स्थापना

185. श्री बी० वी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मन्त्रालय में कहा है कि बम्बई गैस पर आधारित देश में नई पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की स्थापना के लिए तुरन्त कार्यवाही करें ;

(ख) क्या नई पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की इस योजना को क्रियान्विति के लिये योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड व बोंगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के आन्तरिक फालतू माल के उपयोग के अलावा सरकार को विदेशों से भी बड़े पैमाने पर मंगाना चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो इस पर उनके मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ;

(घ) क्या छठी योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली पेट्रो-केमिकल परियोजना के लिए योजना आयोग ने 700 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं अथवा करने का विचार है ;

(ङ) क्या मन्त्रालय ने गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(च) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने सिद्धान्त रूप में दो गैस क्रेकर पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक महाराष्ट्र में और एक गुजरात में होगा।

(ख) और (ग) निवेश, वित्तीय व्यवस्था के तरीके, सम्बन्धी विवरण सुनिश्चित किये जा रहे हैं।

(घ) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान नई पेट्रो-रसायन योजनाओं के लिए धन का आबंटन अभी-निश्चित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। गैस पर आधारित चार उर्वरक प्लांट, दो महाराष्ट्र में थल वैशट में 6,83,000 मी० टन नाइट्रोजन प्रति वर्ष की कुल क्षमता के साथ और दो हजीरा गुजरात में 6,68,000 मी० टन नाइट्रोजन प्रति वर्ष की कुल क्षमता के साथ देश में इस समय स्थापित किये जा रहे हैं। ये प्रायोजनाएं क्रमशः 1984 और 1985 तक पूरी होने का अनुमान है।

पेट्रोलियम उद्योगों का बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण के लिये अनुरोध

186. श्री बी० वी० देसाई : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम उद्योगों ने जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया सहित वित्तीय संस्थाओं और प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों से तेल उद्योग के लिये तत्परता से ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल कम्पनियों की और बकाया ऋण जो अब 1,000 करोड़ रुपये से कुछ ही कम है, चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक 1400 करोड़ रुपए से अधिक हो जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो कितने वाणिज्यिक बैंक तेल उद्योग की सहायता करने के लिये तैयार हुए हैं ;

(घ) क्या वित्त मन्त्रालय ने उनके मंत्रालय को सूचित किया है कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया तेल उद्योग को अधिक ऋण देने के प्रश्न पर वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो रिजर्व बैंक श्राफ इन्डिया द्वारा की गई बातचीत का क्या परिणाम ला था और वित्तीय संस्थाएं तेल उद्योग का किस हद तक सहायता करने के लिये तैयार हैं ?"

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1.1.1981 को बकाया ऋण 896 करोड़ रुपये के लगभग था। 31.3.1981 को या ऋण 800 करोड़ रुपये के लगभग होने का अनुमान है। यूनिट ट्रस्ट श्राफ इन्डिया से ऋण को पूरी तरह चुका दिया गया है। केवल जीवन बीमा निगम के 20 करोड़ रुपये के मात्र के ऋण को चुकाया जाना है।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा स्टेट बैंक तथा इसकी सब्सिडियरियों, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, यन बैंक, बैंक आफ इन्डिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, चार्टर्ड बैंक कनारा बैंक सहित आठ या नौ बैंकों से नकद ऋण प्राप्त किया गया है।

(घ) जी, नहीं। इस विभाग से रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से सीधी बातचीत की थी।

(ङ) व्यापारिक बैंक के अधिकतर बकाया भुगतानों को 31.3.1982 तक चुकाये जाने भावना है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की कार्यकारी पूंजी आवश्यकता के लिए व्यापारिक ऋण की राशि समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। समय-समय पर किये गये ऋणों के बारे में ब्यौरे देना कम्पनियों के व्यापारिक हित में न होगा। जनवरी मार्च, 1981 के दौरान ऋण सुविधाओं को बढ़वाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई

187. श्री निहाल सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों और उनके सम्बद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त केन्द्रीय कार्यालयों को 1 री, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने में पृथक-पृथक ा डीजल और पेट्रोल दिया गया ; और

(ख) पेट्रोल और डीजल के उपभोग में मितव्ययिता बरतने के लिये सरकार ने क्या ाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मंत्रालयों/ कार्यालयों और स्वायत्त केन्द्रीय कार्यालयों में डीजल से चलाई जाने वाली गाड़ियों की बहुत कम है और इन गाड़ियों द्वारा की गई डीजल की खपत, देश की कुल खपत जो 10 मि० मी० टन प्रति वर्ष की तुलना में शून्य होगा। मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/स्वायत्त कार्यालयों की पेट्रोल की खपत प्रतिवर्ष ईंधन की खरीद के सम्बन्ध में की गई बजट वस्थाओं से संचालित होता है। इच्छित आधार पर माह-वार सूचना एकत्र करने में समय और श्रम लगेगा और प्रस्तावित प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य को प्राप्त र सकेगा।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई थी कि वे अपनी स्टाफ कारों की पेट्रोल की खपत में बचत करें। पेट्रोल के मूल्य ने चलने वाली गाड़ियों के अंधाधुन्ध प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए बढ़ाये गए हैं।

राज्यों की सभी राजधानियों में टेलीविजन की सुविधाएं

188. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान राज्यों की सभी राजधानियों में टेलीविजन की सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान किन राज्यों में ये सुविधाएं मिलेंगी और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण छठी योजना (1980-85) अवधि के दौरान केवल 4 राज्यों की राजधानियों में ही नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्यों की ये राजधानियां बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद और गोहाटी हैं। 1980-85 के दौरान संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन, और दीव की राजधानी पणजी में भी दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सिन्धु पुनर्वास निगम

189. आचार्य भगवान देव : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धु पुनर्वास निगम, कांडला गांधीधाम, गुजरात की स्थापना किस तारीख को और किन उद्देश्यों से की गई थी ;

(ख) उसकी स्थापना से लेकर अब तक इसके उद्देश्य किस हद तक प्राप्त किये गये हैं ;

(ग) निगम की भावी योजनाएं क्या हैं ; और

(घ) इसने जो राशि ऋण के रूप में दी थी उसमें से कितनी राशि इसे वापस प्राप्त हो गई है और कितनी राशि बकाया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) से (ग) सिन्ध से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए कांडला में एक टाउनशिप स्थापित करने के लिए सिन्धु पुनर्वास निगम की स्थापना, 1948 में की गई थी। इस प्रयोजन के लिए निगम को 1.20 करोड़ रु० की राशि दी गई थी। निगम द्वारा 3446 मकानों का निर्माण किया गया था और विस्थापित व्यक्तियों को बेच दिया गया था। 1.20 करोड़ रुपये का ऋण ब्याज सहित वसूल किया जा चुका है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के कार्यकरण का पुनरीक्षण

190. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के कार्यकरण का पुनरीक्षण कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने एकाधिकार गृहों का वृद्धि में रोक लगाने की इस अधिनियम की कार्य क्षमता का अनुमान लगा लिया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने मामले एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास भेजे गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के कार्य-कलाप निरन्तर सरकार के पुर्नविलोकनान्तर्गत हैं। सरकार ने जून 1977 में साथ-साथ इस अधिनियम के कार्य-कलाप का अध्ययन करने तथा बेहतर प्रशासन तथा इसके उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये मापदंडों की सिफारिश करने के लिये, एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस ससिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का अन्तर्निहित उद्देश्य, इसके अन्तर्गत आने वाले घरानों के विकास को अवरुद्ध करना इतना अधिक नहीं है, जितना कि यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली का संचालन, जनहित के लिये हानिकर अथवा "जनहित विरोधी", आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण का परिणामी न हो। यह उद्देश्य, इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण योग्य उपक्रमों से निस्सारित, सारवान विस्तार अथवा नवीन उपक्रमों की स्थापनार्थ या संविलियन, एकीकरण अथवा अधिग्रहण करने के लिये प्रस्तावों के विनियम के माध्यम से प्राप्त करना होता है। इन प्रस्तावों पर, सरकार को सामाजिक-आर्थिक-नीतियों, तथा स्वयं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, की धारा 28 में वर्णित मानदण्डों के प्रकाश में सूक्ष्म संवीक्षा की जाती है।

(ग) 1978, 1979 तथा 1980 के कलैण्डर वर्षों के मध्य, इस अधिनियम की धारा 21 व 22 के अन्तर्गत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को 9 उपक्रमों, जो संलग्न विवरण में वर्णित हैं, के प्रस्ताव निर्देशित किये गये थे।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	धारा जिसके अंतर्गत संदर्भित किया	संदर्भित किये जाने की तारीख
1	2	3	4
1.	मैसर्स वल्कन लावल लिमिटेड	21 (3) (ख)	15.2.1978
2.	मैसर्स हिन्दुस्तान फेरेडो लिमिटेड	22 (3) (ख)	13.11.1978
3.	मैसर्स स्वदेशी पोलीटेक्स लि०	21 (3) (ख)	31.1.1979
4.	मैसर्स इण्डयन आक्सीजन लि०	22 (3) (ख)	15.10.1979
5.	मैसर्स ब्रुक बोण्ड इण्डिया लि०	22 (3) (ख)	14.11.1979

1	2	3	4
6.	मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	21 (3) (ख)	24.6.1980
7.	मैसर्स एल्कलो एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	21 (3) (ख)	2.12 1980
8.	मैसर्स नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	22 (3) (ख)	2.12.1980
9.	मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड	22 (3) (ख)	8.12.1980

आकाशवाणी द्वारा विश्व तमिल सम्मेलन के बारे में समाचार

191. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृ[पा] करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में मदुरई, तमिलनाडु में हुए विश्व तमिल सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रसारणों को आकाशवाणी मद्रास तथा आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा कितना समय दिया गया ; और

(ख) केन्द्र सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कितना सम[य] दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जनवरी, 1981 के प्रथम सप्ताह में मदुरै, तमिलनाडु में हुए विश्व तमिल सम्मेलन [को] आकाशवाणी के मद्रास, तिरुचरापल्ली और दिल्ली केन्द्रों द्वारा तथा दिल्ली और मद्रास [के] समाचार बुलेटिनों में व्यापक रूप से कवर किया गया था। न्यूज़रील और स्पाट लाईट का[र्य]क्रमों में भी इसको कवर किया गया था। जबकि इसको दिए गए समय का ब्यौरा परिशिष्ट 2 और 3 में दिया गया है। विशेष कवरेज का ब्यौरा परिशिष्ट 4 में दिया गया है।

(ख) जहां तक फिल्म प्रभाग द्वारा इस सम्मेलन को कवर किए जाने का सम्बन्ध [है] विश्व तमिल सम्मेलन पर 486 मीटर के कवरेज में से कहानी को भारतीय समाचार समीक्षा [के] मुख्य मदों के रूप में जारी किया गया था जिसकी लम्बाई समाचार के शीर्षक सहित 55 मी[टर] थी। फिल्म को 23 जनवरी, 1981 को अखिल भारतीय सर्किट पर रिलीज़ किया गया [था]।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1789/81]

सुपर तापीय बिजली क्षेत्र, तूतीकोरिन को कोयले की सप्लाई

192. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर तापीय बिजली केन्द्र, तूतीकोरिन के बार-बार बन्द होने से रोक[ने के] प्रयोजन से वहां कोयले की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम [उठाए] जा रहे हैं ;

(ख) कोयले की सप्लाई न होने के कारण 11 महीनों के दौरान इस सुपर तापीय केन्द्र को कितनी बार बन्द करना पड़ा ; और

(ग) एक सुपर तापीय बिजली केन्द्र में कोयले का कम से कम कितना भंडार रहना चाहिये और तूतीकोरिन केन्द्र में इस समय कोयले की क्या स्थिति है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र को, कोयला प्राप्त करने के लिए, बिहार में रानीगंज कोयला क्षेत्र से रेल-सह-समुद्र मार्ग के जरिए लिंक किया गया है। रेल द्वारा और हल्दिया पत्तन के जरिए समुद्र द्वारा कोयले की अपेक्षित मात्रा की ढुलाई के लिए प्रबंध किए गए हैं। तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट-एक और दो के लिए जनवरी-मार्च 1981 के दौरान स्थायी लिंकेज समिति द्वारा 90,000 टन कोयला प्रतिमास आबंटित किया गया है तथा इस ताप विद्युत केन्द्र के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त आबंटन पर्याप्त समझा गया है।

(ख) कोयले की कमी के कारण पिछले 11 महीनों के दौरान विद्युत केन्द्र कभी बन्द नहीं किया गया है।

(ग) मानदण्डों के अनुसार तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र में लगभग 4-6 सप्ताह की खपत के कोयले का भंडार रहना चाहिए। ताप विद्युत केन्द्र पर वर्तमान भण्डार लगभग 4 लाख टन है (इस केन्द्र द्वारा बफर स्टाक के रूप में रखा गया 2 लाख टन का भण्डार भी इसमें शामिल है) जोकि विद्युत केन्द्र की 4 महीनों से अधिक की खपत के लिए पर्याप्त है।

प्लास्टिक रेजिन्स एण्ड केमिकल कम्पनी, अरुमुगनेरी की बहाली

193. श्री के० टी० कोसलराम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुनेलवेली जिले के अरुमुगनेरी स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र की बंद पड़ी प्लास्टिक रेजिन्स एण्ड केमिकल्स कम्पनी के बहाल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिसकी ओर सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की करोड़ों रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी से प्रबन्धकों ने इस प्रयोजन के लिये हाल ही में कोई नये प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) इस कम्पनी को बहाल करने के लिए कुछ उपायों पर विचार किया गया था परन्तु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अपने संचालनों को व्यावहारिक बनाने के लिए एक नए प्रकार के ड्रिक्लोरोइथेन के उत्पादन के द्वारा नानारूपकरण के लिए कम्पनी के प्रबन्धक अभी हाल में एक प्रस्ताव के साथ आये हैं। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव दिया गया है।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं

194. श्री के० टी० कोसलराम : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान पुनर्वास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पुनर्वास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो बंगलादेश के शरणार्थियों के लिए बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया से लौटने वाले शरणार्थियों के लिये विद्यमान है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगोन) : (क) एक विवरण (1) संलग्न है।

(ख) एक विवरण (1), जिसमें भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आए विस्थापित व्यक्तियों तथा बर्मा से आए प्रत्यावासियों के लिए चल रही पुनर्वास परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है। यहां यह बताना उचित होगा कि सिंगापुर अथवा मलेशिया से भारतीय मूल के व्यक्तियों का कोई प्रत्यावास नहीं हुआ है।

विवरण-1

क्रम सं०	परियोजना/योजना का नाम	कुल पूंजीगत लागत (रु० लाखों में)	कुल रोजगार क्षमता परिवारों की संख्या	अब तक दिया गया रोजगार (परिवारों की सं०)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	चाय बागान, नीलगिरी, तमिलनाडु	612.45	1875 चरण-I) 750 चरण-II)	2003	
2.	रबड़ बागान, कन्या कुमारी, तमिलनाडु	124.63	285	237	
3.	मिनकोना बागान कोयम्बतूर, तमिलनाडु	*5.00	125	125	यह राज्य सरकार की चालू योजना है। भारत सरकार ने केवल आवासीय सहायता प्रदान की है।
4.	सुल्लिया, सुब्रह्मन्या रबड़ बागान, जिला दक्षिण कनारा, कर्नाटक	673.97	1110	928	इसमें प्रस्तावित संशोधित परिव्यय आदि निर्दिष्ट है।

2	3	4	5	6
काफी बागान, विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश	34.38	125	73	
रबड़ बागान, पुनालूर, जिला किलोन, केरल	477.00	675	446	
इलायची बागान, पालघाट, केरल	22.50	125	69	केरल राज्य सरकार की चालू योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
रबड़ बागान, कच्चल अण्डमान और निकोबार द्वीप	—	—	49	यह योजना कृषि मंत्रालय की है। पुनर्वास विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।
तमिलाडु राज्य फार्म निगम, नवेली आदि तमिलनाडु	80.12	325	791	
तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में भूमि उपनिवेशन योजनाएं-44 संख्या में	*103.62	2894	1938*	*वास्तव में दी गई राशि को दर्शाया है।

इसके अतिरिक्त श्रीलंका प्रत्यावासियों को लघु व्यापार/व्यवसाय में भी बसाया गया है कताई मिलों सहित विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार उपलब्ध ा गया है।

विवरण-2

I. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आए शरणार्थी :

ा	पुनर्वास परियोजनाओं का नाम	31-12-1980 तक बसाए गए परिवारों की संख्या
	2	3
	दण्डकारण्य परियोजना	22,986
	चन्द्रपुर पुनर्वास परियोजना (महाराष्ट्र)	5,652

1	2	3
	3. ईसागांव पुनर्वास परियोजना (आंध्र प्रदेश)	1,782
	4. सिंधनूर पुनर्वास परियोजना (कर्नाटक)	644
	5. मध्य प्रदेश के जिला बेतुल, पन्ना, सरगुजा, रायगढ़ और सतना में पुनर्वास परियोजना	4,761

इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासी परिवारों को विभिन्न राज्यों में लघु योजनाओं के अन्तर्गत कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों में बसाया गया है।

II. बर्मा से आए प्रत्यावासी :

	1. सिंधनूर पुनर्वास परियोजना (कर्नाटक)	162
	2. बेतुल पुनर्वास परियोजना (मध्य प्रदेश)	116

इसके अतिरिक्त, बर्मा प्रत्यावासियों को विभिन्न राज्यों में भूमि उपनिवेशन योजनाओं और विभिन्न कृषि तथा गैर-कृषि व्यवसायों में भी बसाया गया है।

मध्य प्रदेश में उर्वरक कारखाना

195. **श्री सूर्यनारायण सिंह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री० के० सी० शर्मा की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति ने एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये स्थल चुनने हेतु नागदा जंक्शन (मध्य प्रदेश) के निकट पिपलोडा ग्राम का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रिपोर्ट मिल गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या समिति ने यह सुझाव दिया है कि उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये पिपलोडा हर दृष्टि से एक आदर्श स्थान है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों के लिये अनुकूल स्थानों की सिफारिश करने के लिये सरकार द्वारा श्री के० सी० शर्मा की अध्यक्षता में एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है। इनमें से एक संयंत्र के मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने की आशा है। समिति इस समय राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये विभिन्न संभावित स्थानों का विस्तृत अध्ययन कर रही है जिनमें विभिन्न स्थानों, जिसमें से पिपलोडा एक है, का तत्काल दौरा सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के सही स्थान का निर्णय तभी लिया

जा सकता है जब समिति अपने अध्ययन पूरे कर ले और अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दे।

गैस पर आधारित नये उर्वरक संयंत्र

196. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किये जाने वाले गैस पर आधारित नये उर्वरक संयंत्रों की संख्या तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) गुजरात राज्य में कितने गैस आधारित संयंत्र लगाये जायेंगे ;

(घ) उनके लिये सरकार ने कौन-कौन से स्थान चुने हैं ;

(ङ) उक्त संयंत्रों की उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(च) इस समय उक्त परियोजना विचार के किस चरण में है और सरकार इसे कब तक मंजूरी दे देगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सतीश चन्द्र समिति ने सिफारिश की है कि 4 उर्वरक संयंत्रों अर्थात् महाराष्ट्र में थाल वैसठ और गुजरात में हाजिरा में प्रत्येक में 2-2, जो अबकार्यान्वियनाधीन है, के अलावा और उर्वरक संयंत्र जिनमें से प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन 1350 टन अमोनिया की होगी, उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं। ये संयंत्र उर्वरकों की बड़ी कमी को पूरा करेंगे और बम्बई हाई/बतीन क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त गैस पर आधारित होंगे।

(ख) सरकार ने इन संयंत्रों के लिये स्थानों की सिफारिश करने हेतु एक स्थल चयन समिति नियुक्त की है।

(ग), (घ), (ङ), और (घ) गुजरात के हाजिरा में गैस पर आधधारित उर्वरक कम्पलैक्स में 2 अमोनिया संयंत्र, जिसमें प्रत्येक की क्षमता प्रतिदिन 1350 टन होगी, और 4 यूरिया प्लांट जिनमें से प्रत्येक कि 1100 टन प्रति की क्षमता होगी। सरकार ने नवम्बर, 1979 में इस प्रयोजना की अनुमति दे दी। सरकार ने यूरिया और अमोनिया प्लांटों की परामर्शदायी सेवाओं के लिए ठेके की स्वीकृति क्रमशः जनवरी, 1981 और फरवरी, 1981 में दी है।

गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना

197. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने निकट भविष्य में देश में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस राज्य में और इसके कौन से स्थान चुने गये हैं ;

(ग) प्रस्ताव किस अवस्था में है ; और

(घ) ये परियोजनायें कब कार्य करना आरम्भ कर देंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकार ने दो पेट्रो-रसायन गैस क्रेकर समूह जो एक महाराष्ट्र में उसर नामक स्थान तथा दूसरा गुजरात में कैवस नामक स्थान पर होगा, की प्रतिस्थापना करने का निर्णय सिद्धांत रूप से ले लिया है।

(ग) विवरण लागत अनुमानों सहित विस्तृत ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) सामान्यतः निवेश संबंधी अनुमोदन दिये जाने के पश्चात एक गैस क्रेकर और उनकी डाऊन स्ट्रीम एककों की प्रतिस्थापना में 5-6 वर्ष लगते हैं।

रगीन टेलीविजन आरम्भ करने में प्रगति

198. श्री डी० पी० जदेजा :

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन टेलीविजन के लिये प्रसारण करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कब तक यह परियोजना चालू हो जायेंगी ; और

(ग) रंगीन टेलीविजन की प्रसारण व्यवस्था किन-केन्द्रों में पहले की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) देश में रंगीन टेलीविजन चालू करने के बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का पुनर्गठन

199. श्री तारिक अनवर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का पुनर्गठन करके उसमें तीन क्षेत्रीय एवं प्रशासकीय डिवीजन यथा पूर्वी, पश्चिमी तथा झरिया डिवीजन बनाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन तीनों डिवीजनों के लिए 500 मीटर तक खुदाई करने हेतु, सोवियत संघ का सहयोग लिया है ;

(ग) क्या केवल झरिया डिवीजन से ही उत्पादन में प्रतिवर्ष 120 लाख टन की वृद्धि जायेगी ;

(घ) क्या सरकार कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय कोयला क्षेत्रों का निरूपण करने की योजना बना रही है ; और

(ङ) क्या सरकार कोयले के वितरण तथा बिक्री के लिए एक अलग संगठन बनाने की ना बना रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) काम के ऊपर अधिक ावी नियंत्रण रखने तथा निदेश देने के उद्देश्य से भारत कोकिंग कोल लि० के वर्तमान या/कोलियरियों/यूनिटों को दो "परिचालन प्रभागों" में पुनर्गठित किया गया है जिनके नाम श्चिमी झरिया प्रभाग और पूर्वी झरिया प्रभाग ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के एक कार्यकारी कार्यक्रम के अधीन रया कोयला क्षेत्र में एक "कोयला कम्प्लेक्स" का विकास किया जाएगा जिसमें ओपेनकास्ट न, वाशरिया और गृहीत ताप बिजली घर होंगे । ओपेनकास्ट खान की अन्ततः क्षमता लगभग मिलियन टन प्रति वर्ष होगी ।

(घ) जीं, हां ।

(ङ) कोयले की बिक्री के लिए, कोल इंडिया लि० के एक भाग के रूप में एक अलग ठन स्थापित किया गया है ।

कोयले की कमी के कारण मैसूर सीमेंट फैक्टरी अम्मासान्द्रा का बंद किया जाना

200. श्री तारिक अनवर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण अम्मासान्द्रा स्थित मैसूर सीमेंट फैक्ट्री बन्द कर गई है ;

(ख) क्या पिछले महीनों के दौरान कोयले की सप्लाई नियमित रूप से नहीं की गई (वेस्टर्न कोल फील्ड्स से उक्त फैक्ट्री को भेजा जाने वाला कोयला महाराष्ट्र तथा विद्युत ट को भेज दिया गया है ;

(ग) क्या उक्त एकक के बन्द होने से सरकार को प्रति दिन 3,00,000 रु० की हानि ी ; और

(घ) सरकार इस फैक्ट्री को तत्काल आरम्भ करने और संयंत्र को कोयले की सप्लाई ामित रूप से बनाए रखने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के सार, कोयला ले जाने लिए वैगन न मिलने के कारण अम्मासान्द्रा की मैसूर सीमेंट फैक्ट्री

में कोयले की कमी हो गई थी और इसलिए वह कारखाना जनवरी, 1981 में केवल एक दिन बंद रहा। यह संयंत्र जनवरी, 1981 के दूसरे पखवारे से अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम कर रहा है। दक्षिण के सीमेंट कारखानों को कोयले की सप्लाई दिसम्बर, 1980 में पर्याप्त नहीं थी। फिर भी, इस मामले पर रेल मंत्रालय के साथ बात की गई और वह सभी सीमेंट कारखानों को—जिनमें देश के दक्षिणी भाग के कारखाने भी शामिल हैं—कोयले का प्रेषण बढ़ाने पर सहमत हो गया है।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर भी विचार किया जाएगा।

**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये। बारी-बारी से बात करेंगे तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मेरी प्रार्थना है कि एडजर्नमेंट मोशन का जो उपयोग करना चाहते हैं अगर थोड़ा-सा रूल्स पढ़ लें जिससे पता लगे कि इसका कितना उपयोग करना चाहिये। मुझ से बात कर लें। आई एम ओपन टू सजेशन। किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि कोई डिस्कशन बंद करने की कोशिश नहीं होगी।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : किया है।

एक माननीय सदस्य : आपने नहीं किया और किसी ने किया होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज ही कर लेंगे, देखेंगे। आप मुझे बता दीजिए, मेरे से आकर बात कर लीजिए। मुझे सुझाव पसन्द है।

(व्यवधान)

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।*

कृपया बोलिये मत। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बोलना नहीं चाहिए। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

(उस समय श्री हीरालाल परमार आकर सभापटल के निकट सभा में बैठ गये)

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको सदस्य को संरक्षण प्रदान करना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है :

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 2 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय जो कुछ आपके समक्ष घटा, जिसको लेकर आपने पूरी समझदारी से सभा स्थगित कर दी, उस मामले में, मेरे विचार से जिन लोगों ने झगड़ा फैलाया उन्हें आकर सभा से क्षमा याचना करनी चाहिए। शिष्टाचार यही मांग करता है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि सभी बातों पर कार्यमन्त्रणा समिति में विचार किया जाएगा। अब श्री पी० सी० सेठी बोलेंगे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ·····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी ऐडजर्नमेन्ट मोशन का क्या हुआ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, हमारा आपसे कुछ निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको बता चुका हूँ कि हम आज कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक में इस विषय पर निर्णय लेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय मैं चाहूँगा कि आप स्थगन प्रस्ताव पर विचार करें··· (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपने सवेरे तो कहा था कि एक-एक करके सुन लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसान रैली भी तो है और इस्पात की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है·· ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन पर एक-एक करके विचार करूंगा। मेरे पास 50 से भी अधि स्थगन प्रस्ताव आए हैं और यदि में उन सब पर इस प्रकार विचार करने लगूं तो आपका सा समय इसी में समाप्त हो जायेगा। मैं आश्वासन देता हूँ कि हम उन पर विचार करेंगे औ प्राथमिकताएं निश्चित करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : एक-दो ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो सबको चिन्तित बनाए हुए हैं एक बंगलौर की हड़ताल ···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम उन पर विचार करेंगे।

श्री चित्त बसु (बारसात) **:** हड़ताल पिछले कुछ दिनों से चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान चित्त बसु जी उस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेने में कुछ अड़चनें हैं। मैं सब विषयों पर एक-एक करके विचार करूंगा। आज हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर कीमतों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करना शुरू किया है। कल हम एक दूसरे विषय पर विचार कर सकते हैं और परसों अन्य किसी दूसरे पर। यह सब मैं निश्चित की गई प्राथमिकताओं के आधार पर करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस चल रहे आन्दोलन के बारे में दी है ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियमों को पढ़कर सुना दें और मुझे सहमत कर लें तो फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। मेरे कक्ष में आकर मुझे संतुष्ट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संतुष्टि का काम सदन में ही होना चाहिए।

श्री निरेन घोष (दमदम): हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही हड़ताल के बारे में नोटिस दिया है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा बनाये गये कुछ नियम हैं। मुझे उन्हीं के अनुसार चलना है। मुझे तो इस मामले में आपसे ही मार्गदर्शन चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस रैली ने समस्याएं खडी की हैं और रेलगाड़ियां चल नहीं रही हैं। मेरे एक मित्र मेरे साथ ठहरे हुए हैं, जिन्हें पिछले तीन दिन से रेल नहीं मिल रही है। जब तक यह मामला **(व्यवधान)** यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस सदन में विचार किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आज इसके बाद बोलियेगा। प्रेजीडेंट ऐड्रस पर आप बोलियेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या हम यह समझ लें कि जितने भी मामलों पर यहां स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन सब पर आपके कक्ष में या कार्यमन्त्रणा समिति में ही आपके साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ? यह एक नवीन प्रक्रिया है। विगत में पहले कभी हमने ऐसा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने मुझे गलत समझा है। मैं स्थगन प्रस्तावों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो विषयों की बात कर रहा हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ध्यानाकर्षण ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी विषय आप चाहते हैं कि लिये जायें।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : स्पीकर साहब, मैंने भी एक ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है कि एक परिवार के 6 सदस्यों को तेल छिड़क कर झोंपड़ी में आग लगा कर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के शेखवालाग्रन्ट गांव में, फूंक दिया है। मैंने प्रिवलेज मोशन भी दिया है सर्वश्री एच० के० एल० भगत और महेन्द्र प्रसाद के खिलाफ कि उन्होंने एक सदस्य को बोलने से रोक दिया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय जगपाल सिंह जी, अगर आप पढ़ लिये होते तो यह ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं देते।

श्री जगपाल सिंह : स्पीकर साहब, आपके सामने एक मेम्बर को नहीं बोलने दिया। मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है इनके खिलाफ़ और आप से प्रार्थना करूंगा कि आप उसकी प्रिवलेज कमेटी को रिफर कीजिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पैराफीन मोम (पूर्ति वितरण तथा मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनाँक 12 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 14(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 12 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 15(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 12 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 16(ङ) में प्रकाशित हुआ था

(चार) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 12 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 17(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1778/81]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1779/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उस नियम को पढ़िए और फिर मेरे पास आइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) **:** महोदय, कल आपने अध्यादेशों की प्रतियां सभापटल पर रखे जाने का विरोध प्रकट करने की अनुमति दे दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों को जानता हूं।

(व्यवधान)

ज्योतिर्मय बसु : यहां पर तो मिट्टी के तेल और डीजल तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत वृद्धि के प्रश्न की बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल नियम 305(ग) को पढ़कर मेरे पास आइये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्रिविलिज मोशन आपने एक्सैप्ट किया, रिजैक्ट किया, क्या किया ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे एक निवेदन करना है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस आयु में आप सुन्दर हैं और आप अभिनय कर रहे हैं···

(व्यवधान)

कम्पनी सचिव अधिनियम के अधीन अधिसूचना और सातवें सामान्य निर्वाचनों सम्बन्धी प्रतिवेदन---खण्ड 2

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कम्पनी सचिव विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 41/1/80-सी० एल० वी० (1981 का आईसीएसआई संख्या 1) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1780/81]

(2) भारत में लोक सभा के सातवें सामान्य निर्वाचनों सम्बन्धी प्रतिवेदन—खण्ड 2 (सांख्यिकीय) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1781/81]

हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्री दलबीर सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :---

(एक) हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 1782/81]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं 12 दिसम्बर, 1980 को सभा को सूचित करने के बाद पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग सं० (4) विधेयक, 1980 को सभा पटल पर रखता हूँ ।

2. महोदय, मैं 12 दिसम्वर, 1980 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सूत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 21 विधेयकों की राज्य सभा के महा सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृतप्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1980

(2) डॉक कर्मकार (रोजगार का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1980

(3) हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक, 1980

(4) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1980

(5) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, विधेयक, 1980

(6) प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक, 1980

(7) तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) संशोधन विधेयक, 1980

(8) कम्पनी सचिव विधेयक, 1980

(9) बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1980

(10) आरोविल (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1980

(11) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1980

(12) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1980

(13) जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1980

(14) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1980

(15) मारूति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1980

(16) राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980

(17) बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1980

(18) बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों और अन्य सम्पत्तियों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक, 1980

(19) चाय (संशोधन) विधेयक, 1980

(20) वन (संरक्षण) विधेयक, 1980

(21) हिन्द साईकल्स लिमिटेड एण्ड सेन रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1980

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम समिति में इस पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे यहां पर राजपत्र-अधिसूचना की एक प्रति मिली। मैं आप की सहायता करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब, ध्यानाकर्षण।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उसमें मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल के मूल्यों के बारे में सभा पटल पर रखे जा रहे पत्रों में गम्भीर अनियमितता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये। आप देखेंगे। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : मंत्री महोदय कहां हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अवश्य होना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : नागरिक पूर्ति मंत्री ! महोदय कहां पर हैं ? वे नागरिक पूर्ति मंत्री हैं या कम पूर्ति मंत्री हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नागरिक पूर्ति मंत्री अथवा काम पूर्ति मंत्री ! कौन उत्तर देगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतना उत्तेजित क्यों होते हैं। हम देखें किसे उत्तर देना है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा समय है जब कि मंत्री यहां नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्सडीस (मुज़फ्फरपुर) : इसके बारे में लापरवाही है।

अध्यक्ष महोदय : इसको कौन उत्तर देगा ? श्री शुक्ल, इसका उत्तर क्या आप देंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली आपकी बात।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बारे में वार्ता शुरू करने के बाद वे इस संसद को गम्भीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरा कमरा बड़ी दूर है···

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी चल पड़ते। आप यहां समय पर पहुंच जाते। जैसा कि वे कहते हैं, कानून का ज्ञान न होना कोई बहाना नहीं। इसलिए आप का कमरा दूर होना कोई बहाना नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि उनका कमरा दूर है तो उन्हें वहां से समय पर चलना सीखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने कही है। सही है, वही बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आखिरकार वे नवयुवक हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, बहुत फुर्तीला भी नजर आता है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : इसके अतिरिक्त, वह एशियन खेलों के प्रभारी हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

श्री इन्दजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें।

'आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि'

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में सदन के साथ-साथ सरकार भी चिन्तित है, हालांकि कुछ महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में कुछ नरमी आई है।

जनवरी, 1980 में इस सरकार को एक कठिन आर्थिक स्थिति विरासत में मिली थी, जिसमें मुद्रा स्फीति की दर ऊंची चल रही थी, कुछ आवश्यक वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध थीं, औद्योगिक उत्पादन गिर रहा था और आधार-ढांचे सम्बन्धी बाधायें व्यापक रूप में मौजूद थीं। देश को 1979 के अभूतपूर्व सूखे के प्रभावों का भी सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में एक से अधिक बार वृद्धि करनी पड़ी। कई दूसरे देशों में चल रही मुद्रास्फीति की ऊची दर का प्रभाव हमारी घरेलू मूल्य स्थिति पर भी पड़ रहा है।

वर्ष के दौरान जनवरी, 1981 में समस्त वस्तु थोक मूल्य सूचकांक 15.0 प्रतिशत अधिक था, जबकि जनवरी, 1981 में वर्ष के दौरान यह सूचकांक 22.7 प्रतिशत अधिक था। सामान्यतः अगस्त, 1980 से मुद्रास्फीति की दर में नरमी आई है। अप्रैल—जुलाई, 1980 की अवधि के दौरान, थोक मूल्य सूचकांक में 2.6 प्रतिशत की औसत मासिक वृद्धि हुई। तथापि, अगस्त, 1980 के बाद से जनवरी, 1981 तक के महीनों के दौरान केवल 0.21 प्रतिशत प्रति मास की औसत वृद्धि हुई। जनवरी, 1981 में 1.7 प्रतिशतकी वृद्धि हुई है, जो मुख्यतया पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई है। इस वृद्धि से पूर्व नवम्बर तथा दिसम्बर, 1980 के दौरान सूचकांक में क्रमशः 2.4 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत तक की कमी हुई थी। केवल कुछ स्थानीय कमियों को छोड़कर अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कुल उपलभ्यता काफी संतोषजनक होने की सूचना मिली है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है और इसमें फिर से जीवन एवं विकास के चिह्न दिखाई देने लगे हैं। सरकार की नीति में मुख्यतः बल, विशेष रूप से उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है तथा इसका विस्तार किया जा रहा है। उचित दर की दुकानों की संख्या जो जनवरी, 1980 में 2.35 लाख थी, दिसम्बर, 1980 में बढ़कर 2.75 लाख हो गई। संबंधित मंत्रालयों ने अनाज, चीनी, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने और सुप्रवाही बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु आयातित खाद्य तेलों की उठाई जाने वाली मात्रा में काफी अधिक वृद्धि हुई है। यह मात्रा 1978-79 के तेल वर्ष में 93,000 मीटरी टन थी, जो तेल वर्ष 1979-80 में बढ़कर 3.55 लाख मीटरी

टन पर पहुंच गयी। जनवरी, 1981 के तीसरे सप्ताह तक, चीनी का उत्पादन 22.61 लाख मीटरी टन पर पहुंच गया, जबकि 1979-80 में इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 17.40 लाख मीटरी टन ही था।

जमाखोरों, सट्टेबाजों और अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी आदेशों और चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को सख्ती से लागू करें।

राज्य सरकारों के साथ बराबर परामर्श करके सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता पर निरन्तर निगरानी रखे हुए है और स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठायेगी।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : वास्तव में, यह वही उत्तर है जो पिछले सत्र के दौरान दिया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरे पास उस रिकार्ड की प्रतियां हैं जो मंत्री महोदय ने गत नवम्बर में कहा था। जिस समय इस सभा में यह मामला उठाया गया था। उन्होंने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में एक विवरण सभा पटल पर रखा था और उसके बाद उन्होंने पूरक प्रश्नों का उत्तर दिया था। मुझे मालूम है कि जो उन्होंने अब कहा है वह किसी तरह से उससे अलग नहीं है जो उन्होंने उस समय कहा था। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था, "हम कुछ करेंगे, हम कुछ करने की सोच रहे हैं, हम कुछ उपाय कर रहे हैं।" उसी बात की अब पुनरावृत्ति की गई है।

मैंने सोचा था कि वे कुछ मूल्य सूचकांक उद्धृत करेंगे क्योंकि सरकार इस बात को दिखाने का प्रयास करने की बड़ी शौकिन है कि थोक मूल्य सूचकांक में कुछ मामूली सी स्थिरता या मामूली सी गिरावट भी है। वे समाचार पत्रों में उसकी घोषणा हर सप्ताह कर रहे हैं। परन्तु मैं यहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के बारे में बोल रहा हूं जो साधारण व्यक्ति को परचून दुकान उचित दर दुकान पर देने पड़ते हैं जहां से वह खरीदता है। 0.06 प्रतिशत, 0.04 प्रतिशत आदि के आँकड़े जो उन्होंने यहां दिये हैं, सिद्धांत रूप से सही हो सकते हैं। परन्तु इसका वास्तविक फुटकर मूल्यों पर मामूली सा प्रभाव नहीं होता है। जो आम व्यक्ति को हर रोज देने पड़ते हैं।

मैं उसका एक साधारण सबूत दे सकता हूं जिसे वित्त मन्त्री महोदय श्री आर० वेंकटरामन जानते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यदि वास्तव में मूल्यों में स्थिरता आ रही है अथवा कम हो रहे हैं तो उन्हें हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितनी बार बढ़ाना पड़ा। उन्होंने इसे क्यों बढ़ाया है यदि वह मूल्य सूचकांक स्थिर है या कम हुआ है जिसके साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुड़ा हुआ है? बारह महीनों में आठ अंक बढ़ने पर वे महंगाई भत्ते की केवल एक किश्त प्राप्त करने के पात्र होते हैं। उन्हें हाल की अवधि में महंगाई भत्ते की दो किश्तें दी गई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दो और किश्तें देय हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और उन्होंने उन किश्तों का अभी तक भुगतान नहीं किया है। यह सिद्ध करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वास्तविक उपभोक्ता निर्वाह लागत सूचकांक किस तरह बढ़ रहा है।

हाल ही में मैंने पढ़ा है कि श्री शुक्ल ने इस देश के प्राइवेट नागरिकों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिये सहकारी समितियों का गठन करने का अनुरोध किया है। उसका अर्थ है कि सरकार वास्तव में परोक्ष रूप से अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की असफलता और इन उचितदर दुकानों की असफलता को स्वीकार कर रही है। अन्यथा, वितरण व्यवस्था को पूरक बनाने के लिए अपनी स्वयं की प्राइवेट सहकारी समितियों का गठन करने के लिये प्राइवेट नागरिकों से अपील करने की कोई बात नहीं है। पहले हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को काफी व्यापक, तथा विस्तृत बनाया जायेगा। और उस व्यवस्था को सम्पूर्ण देश में बनाया जायेगा। उस दिशा में कदम उठाने की वजाय—उन्होंने यहां पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा है—बल्कि वे प्राइवेट नागरिकों से अपनी स्वयं की सहकारी समितियों के गठन करने के लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है, यदि प्राइवेट नागरिक अपनी स्वयं की सहकारी समितियों का गठन करने में पहल करते हैं तो यह अच्छी बात है ; यह प्रशंसनीय बात है। परन्तु जिस ढंग से उन्होंने कहा है इसका अर्थ है कि उनको अब अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विश्वास नहीं रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। वे यह भी कह चुके है कि यदि अधिक उचित दर दुकानें खोल दी जाती हैं तो उन दुकानों को चलाने के लिये अधिक कर्मचारियो की भर्ती करनी होगी और प्रत्यक्षता से उसका अर्थ मजदूरी तथा वेतनों में भारी वृद्धि होगी जिसकी सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उनको इसका खण्डन करना चाहिये था।

मैं समझता हूँ कि इस सभा के माननीय सदस्य, सभी नहीं तो उनमें से काफी सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि जहां संसद सदस्यों के मकान स्थित हैं, उस इलाके की उचित दर की दुकानों, जहां से संसद सदस्य राशन लेते हैं, में भी ऐसी वस्तुएं जिन पर कानूनी तौर पर राशन किया गया है, विशेषतया अनाज, उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कई संसद सदस्यों ने शिकायत की है। उन्होंने अपने आदमियों को राशन कार्ड सहित दुकानों पर भेजा जहां उन्हें बताया गया कि "इस सप्ताह कोई सप्लाई नहीं मिली। आप अगले सप्ताह आइये।" कभी चीनी है, कभी आटा है और कभी गेहूं है। यदि उन उचित दर की दुकानों, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संसद सदस्यों व उनके परिवारों के खान-पान का प्रबन्ध करें, में ऐसी स्थिति है तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां साधारण आदमी और उससे नीचे के लोग रहते हैं, विशेषतया ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में, स्थिति कैसी होगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि सारी प्रणाली वास्तव में निष्क्रिय हो रही है, यदि यह निष्क्रिय होती है तो धीरे-धीरे टूट जाएगी। इसका वास्तविक कारण यह है कि वे इन आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सारे राज्य की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करते हैं। श्री शुक्ल शायद यह सोचते हैं कि विभिन्न एजेंसियों जैसे सहकारिता आदि का अधिक प्रचुरोद्भव इसका उत्तर होगा। परन्तु एजेंसियों का का प्रचुरोद्भव इसका उत्तर नहीं है क्योंकि आप ऐसी स्थिति से संबंध रखते हैं कि आप जिन वस्तुओं का वितरण करना चाहते हैं उनके वास्तविक स्टाक का नियंत्रण मुनाफाखोर और गैर-सरकारी व्यापार कर रहा है। स्टाक उनके पास है आपके पास नहीं। और आपकी प्रणाली कारगर तौर पर काम करे इसके लिए आपको स्टाक पर भौतिक रूप से नियंत्रण करना होगा, और स्टाक पर भौतिक रूप से नियंत्रण करने के लिए आपको बड़े व्यापारियों, जमाखोरों, स्टाकिस्टों तथा थोक व्यापारियों पर नियंत्रण करना होगा जो निःसन्देह आपके अच्छे मित्र हैं और जिन्हें आप अपना विरोधी नहीं बनाना चाहते। मेरा विचार है कि मैंने कहीं समाचार पत्र में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 80,000 मामले विभिन्न

न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं। यही सब कुछ होगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने सोचा था कि वे चीनी, कपड़ा, कोयला, खाद्य तेल, औषधियों, मिट्टी के तेल, खाना बनाने की गैस, कागज, साबुन या सीमेंट पर कुछ कहेंगे। ये सब आवश्यक वस्तुएं हैं। मुझे पता है कि विभिन्न आर्थिक बल जो काम कर रहे हैं उनके लिए नागरिक आपूर्ति मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है, यह मुझे भली भांति पता है। परन्तु, फिर भी, उन्हें इस का उत्तर देना चाहिए कि उनका मंत्रालय आवश्यक वस्तुओं के स्टाक को भौतिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयत्न कर रहा है जिसके बिना कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करना व्यर्थ है। मैं उनसे एक-दो प्रश्न पूछना चाहूंगा।

मुझे पता चला है कि भारतीय चीनी मिल मालिक संघ सरकार से खुली बिक्री की चीनी का कोटा बढ़ाने और लेवी चीनी का कोटा घटाने के लिए मांग कर रहा है। श्री डी० डी० पुरी जो इस संघ के अध्यक्ष हैं तथा एक बार इस सभा के सदस्य भी थे, लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जैसा जनता सरकार ने किया था आप या तो चीनी से कन्ट्रोल हटा दें या लेवी चीनी का कोटा 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत या किसी अन्य सीमा तक घटा दें और साथ ही खुली बिक्री की चीनी का कोटा बढ़ा दें। मैं यहां सरकार से साफ और सुनिश्चित उत्तर चाहता हूँ कि वे इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे, क्या वे चीनी मिल मालिकों को इस संबंध में कोई रियायत देने जा रहे हैं और क्या चीनी व्यापार या उनमें इतना साहस है कि वे कहें कि इसके विपरीत हम लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने और खुली चीनी का कोटा घटाने का प्रस्ताव करते हैं। पहले ही, पिछले दिसम्बर में सरकार ने लेवी चीनी का बिक्री मूल्य एकदम से 65 पैसे पति किलो बढ़ा दिया जिससे गरीब लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। हरेक को जानना चाहिए। परन्तु मुझे आशंका है कि चीनी मिल मालिकों के दबाव में आ कर सरकार द्वारा उन्हें और अधिक रियायतें दिये जाने की संभावना है।

कपड़े के सम्बन्ध में, निस्सन्देह स्टेन्डर्ड कपड़ा गरीब आदमी की मरीचिका बन गया है। वह स्टेन्डर्ड कपड़ा कहां है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अलावा और किसने इसे बनाने की जिम्मेदारी ली ? शायद वे हमें बता सकेंगे कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का कार्य-निष्पादन कितना है, स्टेन्डर्ड कपड़े को बनाने का सारा भार किसने सहा, इस संबंध में पिछले कुछ महीनों में स्टेन्डर्ड कपड़े का कितना उत्पादन किया जा रहा है, क्या उत्पादन बढ़ रहा है और इसका वितरण किस प्रकार किया जा रहा है, आपकी उदारता धन्य है क्योंकि वस्त्र उद्योग का समूचा गैर-सरकारी क्षेत्र स्टेन्डर्ड कपड़े के उत्पादन की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्ति पा गया। उनकी शिकायत है कि इससे उन्हें लाभ नहीं होता और आप कहते हैं "ठीक है, आपको कोई स्टेन्डर्ड कपड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। अब इस जिम्मेदारी का भार सरकारी क्षेत्र की मिलों पर पड़ गया। परन्तु अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपका उत्पादन कितना है और स्टेन्डर्ड कपड़े का उत्पादन बढ़ाने और इसके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रभावी वितरण के लिए आप क्या कर रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व मुझे पता चला कि कपड़ा मिल मालिकों ने कहा है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि, जिसकी आपने घोषणा की, और उनकी आशंका है कि रेल मालवाहन दरों में और अधिक वृद्धि होगी, के कारण वे पहले ही कह रहे हैं, हमें सामान्य रूप से सभी चीजों के मूल्यों में वृद्धि करनी होगी।"

कपड़ा और स्टेन्डर्ड कपड़ा, स्टेन्डर्ड कपड़े का हवाला वे नहीं दे रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं।

कोयले के संबंध में, निस्सन्देह आपने मूल्य बढ़ा दिए हैं, आप कहेंगे, "कोल इंडिया लिमिटेड के घाटे को कम करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा।" परन्तु खानों पर कोल इंडिया लिमिटेड के कोयले का मूल्य 26.84 रु० प्रति टन बढ़ाया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): 100 रुपये रिश्वत के तौर पर भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: परन्तु बाहर कोयला खरीदने पर आपको कितना मूल्य देना पड़ेगा ? मैं इस्पात कारखानों आदि के लिए कोकिंग कोल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं घरेलू उपयोग के कोयले गैर-कोकिंग कोल के बारे में बात कर रहा हूँ। यह कहीं पर 100-150 रु० प्रति टन के बीच बेचा जा रहा है। आपको यह काला बाजार में इतना मूल्य भुगतान के बिना आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्या यह सच है ?

इसी प्रकार खाद्य तेल के सम्बन्ध में, मैं एक सम्पादकीय की कुछ पंक्तियों को उद्धत करता हूं जो इस माह की 9 तारीख को **'इकानोमिक टाइम्स'** में खाद्य तेलों की सप्लाई के विषय में प्रकाशित हुई थीं।

> "देश में आशंका है कि जैसा पिछले वर्ष (1980) चीनी के संबंध में हुआ वैसा 1981 में खाद्य तेलों के सम्बन्ध में होने की सम्भावना है······

हम सब को पता है कि चीनी का क्या हुआ। अब आपको हमें इस विषय में कुछ बताना होगा। **'इकानामिक टाइम्स'** के अनुसार :

> खाद्य तेलों की स्थिति पूरे देश में आमंत्रित हो गई है। उपभोक्ताओं को केवल मूंगफली के तेल के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य खाद्य तेलों के लिए भी अधिक मूल्य देना पड़ता है। गुजरात सरकार द्वारा राज्य से बाहर तेल को ले जाये जाने पर लगाये गये बहुत अनुचित नियंत्रण से इस में और वृद्धि हुई है। केन्द्र ने राज्य के इस उपाय को स्वीकृति नहीं दी है परन्तु केन्द्र ने राज्य को अपने अभवाग्रस्त पड़ौसी राज्यों के प्रति दायित्वों को महसूस कराने के लिए कुछ नहीं किया। केन्द्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के इस अनोखे रवैये के कारण उपभोक्ता को परेशानी उठानी पड़ी।

इसका अर्थ यह हुआ कि वह मंत्रालय जिसके श्री शुक्ल मंत्री हैं। मैं उदाहरण देता हूं :

> जैसा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में सरकार की अकर्मण्यता का अकाट्य आरोप है वैसा और कहीं नहीं है। पिछले कुछ सप्ताहों में विभिन्न आम उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में मौसम के प्रतिकूल (मौसमी नहीं मौसम के प्रतिकूल) बढ़ाव आया था। परन्तु मंत्रालय का रवैया अकर्मण्य दर्शक का था।

मैं और ऐसी बातों का उदाहरण नहीं देना चाहता जो जनसाधारण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित हो रही हैं। हमें डर है कि इस वर्ष खाद्य तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है जिस प्रकार गत वर्ष चीनी हुई थी।

आपने बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया है जो धीरे-धीरे परचून बाजार के रास्ते कालाबाजार में जा रहा है । इस लिए बाहर खाद्य तेलों का मूल्य 18, 19 और 20 रुपये प्रति किलो के बीच है । जो भी बाहर से खाद्य तेल खरीदता है उसे यह बात मालूम है ।

केवल कुछ सप्ताह पूर्व एक घोषणा हुई थी कि 60 औषधियों के मूल्य बढ़ा दिए गए हैं । मुझे नहीं पता वे कौन सी औषधियां हैं । प्रेस विज्ञाप्ति में उन्होंने इनके नाम नहीं गिनाए बल्कि बताया कि लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले सभी विटामिन । विटामिन ए, बी, सी,डी आदि सब उन 60 औषधियों में सम्मिलित हैं जिनके मूल्य बढ़ाने का सरकार ने निर्णय किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विटामिन आवश्यक वस्तु हैं या नहीं । आपकी कसौटी क्या है ?

महोदय, औद्योगिक लागत और मूल्य कार्यालय जो जब-तब अपनी सिफारिशें सरकार को देता रहता हैं और वे सदा ही इस आधार पर मूल्य बढ़ाने की सिफारिश करते हैं कि निर्माता अपने उत्पादन की लागत पूरी नहीं कर पाते तथा पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं कर पाते । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस देश में ये सभी बड़े औषधि-निर्माता, विदेशी फर्में तथा उनकी सहायक फर्में बड़ा मुनाफा कमा रही हैं तथा मोटा लाभांश दे रही हैं । यदि प्रत्येक कुछ महीनों के अन्तराल से इनकी बनाई गई औषधियों के मूल्य बढ़ते रहे तो आम आदमी के लिए इन दवाओं को खरीद पाना असंभव हो जाएगा ।

क्या इन मानक औषधियों को मूल्य नियंत्रण तथा वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा ? मुझे नहीं पता । आपको हमें बताना चाहिए कि आपका परिप्रेक्ष्य क्या है ?

मैंने पिछली बार भी कहा था—मैं कागज, सीमेन्ट, साबुन आदि के बारे में दोहराना नहीं चाहता परन्तु वही स्थिति बनी हुई है तथा सदा बनी रहेगी।

केवल इतना ही कहूंगा किआपको भी केरल सरकार से सबक सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके पूर्ववर्ती ने सहज रूप में इस सभा में स्वीकार किया था कि इस समय देश में सबसे कुशल वितरण प्रणाली केरल में हैं । आपको कम से कम यह जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि वे उसे किस प्रकार चलाते हैं । वे इन वस्तुओं का वितरण जादुई छड़ी से नहीं करते। इनका वितरण उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपनी अधिकारिक पुस्तका प्रकाशित कर दी है । यदि आप उसे पढ़ना चाहें ;तो मैं उसकी प्रति आपको दे सकता हूं ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : यह मामला कई वर्षों से चल रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम जानते हैं कि वहां पर कई वर्षों से गैर-साम्यवादी सरकारें रही हैं । जरा वहां के राज्य निगम को ही देखें । केरल में अनिवार्य वस्तु निगम, चावल, गेहूं, गेहूं की बनी वस्तुओं, दालों, चना, बंगाली चना, काला चना, मसाले, मिर्चें, धनिया, सब्जी, चीनी, चाय, कॉफी, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादनों तथा अन्य वस्तुओं का वितरण करता है। वे 18 वस्तुएं अपने नागरिक पूर्ति विभाग के माध्यम से विभिन्न राज्यों से प्राप्त करते हैं। वे इन 18 वस्तुओं का तीन महीने तक भंडारन करते हैं तथा उनका वितरण राज्य में करते हैं । राज्य सरकार का कहना है कि अन्य राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खुली बिक्री की चीनी का वितरण न किये जा सकने के कारण चीनी का मूल्य 12 रुपये प्रति किलो

तक पहुंच गया जबकि केरल में निर्जा दुकानों पर भी खुली बिक्री की चीनी का मूल्य 8 रुपये प्रति किलो से अधिक नहीं रहा।

अतः मेरे कथन का अभिप्राय यह है, कि ऐसी बात नहीं है कि यह कार्य नहीं किया जा सकता। प्रश्न केवल कार्य करने की इच्छा का है—यह इच्छा चाहे राजनीति हो अथवा आर्थिक या वित्तीय, आप में कार्य करने का उत्साह होना चाहिए। क्या आप उन लोगों पर अर्थात व्यापारियों, मुनाफाखोरों आदि पर नियंत्रण रखना चाहते हैं जोकि यह नहीं चाहते कि प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित हो ? यदि आप उन व्यक्तियों से रेलिग्रों के लिए धन लेते रहेंगे, जैसी कि एक रेली कल यहां पर हुई थी, तो आप यह कार्य नहीं कर सकते। यदि दृढ़ कार्यवाही नहीं की जाती तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चल पाने की कोई संभावना नहीं हैं, इसलिए हम अत्यन्त कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से बतायें कि आप क्या कर रहे हैं अथवा क्या करना चाहते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें यह भी बता दें। हम इस तरह के अस्पष्ट वक्तव्य नहीं चाहते जैसा कि उन्होंने सभा पटल पर रखा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा वक्तव्य अस्पष्ट नहीं है। इसमें उस प्रश्न को लिया गया है जो कि श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य सदस्यों ने उठाया है। इस मंत्रालय का संबन्ध उन्हीं वस्तुओं से है जिनका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने अपना प्रश्न वित मंत्री को संबोधित किया था। उन्होंने इसे अपनी समझ से श्री शुक्ल के नाम कर दिया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि यह प्रश्न मूल्य वृद्धि पर सामान्य रूप से होता तो वित्त मंत्री इसका उत्तर देते। आपने इस में अनिवार्य वस्तुओं का उल्लेख किया है, अतः यह प्रश्न मेरे पास आया है।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार वे सतर्क रहेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उत्तर दे रहा हूं। श्री गुप्त ने औषधियों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं, जिनका वितरण सार्वजनिक प्रणाली द्वारा होता है, का उल्लेख किया है। औषधियां मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। उनका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा नहीं होता। मैं केवल उन वस्तुओं के बारे में उत्तर दे सकता हूं जिनका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा होता है। श्री गुप्त को गलतफहमी समाचार पत्र से पैदा हुई। मैं समाचार को स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री गुप्त द्वारा उठाये गये प्रश्न के संबन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता का नहीं है। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक समितियां इस कार्य को हाथ में लें। हम श्री गुप्त द्वारा दर्शाये गये तत्वों के साथ लड़ना चाहते हैं। हम मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा सभी प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के साथ लड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श द्वारा नयी नीति निर्धारित की है तथा हमने उनसे कह दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से मुनाफाखोरी के तत्व को निकाल दिया जाये ताकि थोक बिक्री के मामले में जहां थोक विक्रेता प्राईवेट व्यापारियों,

दुकानों आदि के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री अथवा वितरण कर सकते हैं वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने बिक्री केन्द्रों के लिए प्राईवेट व्यापाररियों पर निर्भर नहीं करेगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए थोक व्यापार का काम नागरिक पूर्ति निगमों द्वारा किया जायेगा जो बारह राज्यों में स्थापित किये गये हैं; अन्य राज्यों द्वारा ऐसे निगमों की स्थापना की जा रही है। सभी राज्यों द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित विपणन सहकारी संगठन भी इस बारे में सहायता कर रहे हैं।

(उपाध्यक्ष **महोदय पीठासीन हुए**)

थोक के स्तर पर इन वस्तुओं का अधिकाधिक व्यापार राज्य नागरिक पूर्ति निगमों तथा सहकारी विपणन संघों द्वारा किया जाता है, जो कि जिला स्तर की इकाईयों के माध्यम से न्यूनतम दर पर खुदरा बिक्री के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हैं। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम थोक व्यापार को हाथ में नहीं लेना चाहते। निजी व्यापारियों द्वारा थोक व्यापार यथापूर्व चलता रहेगा परन्तु सरकारी वितरण प्रणाली में निजी व्यापार को समाप्त कर दिया जायेगा।

उसी प्रकार जब मैं निजी व्यापारियों के स्थान पर सहकारी क्षेत्र द्वारा खुदरा व्यापार की चर्चा करता हूँ तो मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि निजी क्षेत्र विफल रहा है, परन्तु बात यह है कि राशन की दुकान चलाने वाले को अपनी आजीविका चलानी होती है तथा यदि थोड़े लाभ से वह अपनी आजीविका नहीं चला पाता तो उसे धन कमाने के लिए भ्रष्ट साधन अपनाने पड़ते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि खुदरा बिक्री सरकारी क्षेत्र को सौंप दी जाए ताकि बिना हानि लाभ के कार्य चल सके। श्रीमान, जिस प्रतिवेदन की चर्चा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने की है, शायद उसका समाचार पत्रों में उल्लेख सही रूप से नहीं हुआ। मैंने समाचार पत्रों में इस प्रकार का समाचार नहीं पढ़ा। बिना लाभ हानि के कार्य चलाने की जो बात मैंने कही थी, तो यदि वे चाहेंगे तो उस विशेष व्यापार का विपणन संघ उसके लिए कर्मचारी दे देगा ताकि उन्हें इन पर धन व्यय न करना पड़े, वे धन गोदामों तथा दुकानों पर लगा सकते हैं तथा समुदाय के लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, एक सहकारी समिति बनाकर ऐसा कर सकते हैं। हमने एक उचित मूल्य की दुकान के लिए 2000 परिवार आवंटत किए हैं। मैं समझता 2000 की जनसंख्या में हमें 7-8 व्यक्ति सरकारी समिति गठित करने के लिए मिल सकते हैं, जो अपना जीवन निर्वाह अन्य स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं तथा बिना लाभ लिए अनिवार्य वस्तुएं वितरित कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण क्षेत्र में सहकारी प्रणाली के लागू किए जाने का यही अभिप्राय है। इससे वर्तमान प्रणाली में सुधार होगा और इसे और बिगड़ने से बचाया जा सकेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सरकारी समितियों पर निजी व्यापारियों का नियंत्रण नहीं हो जाएगा, यह आप किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरा यही कार्य करने का इरादा है। अपनी बातचीत के दौरान मैंने लोगों को बताया था कि इसमें ऐसे व्यक्ति आने चाहिए जो कि उक्त व्यापार में नहीं हैं। यदि निजी व्यापारी अपनी दुकान चलाते हैं तथा सहकारी समिति बनाते हैं तो इससे बहुत सी समस्याएं पैदा होंगी। हमने उनसे यही चर्चा की थी तथा मुझे उम्मीद है कि निजी व्यापारियों

को इस प्रणाली से पृथक रखा जा सकेगा तथा वे इनमें प्रवेश कर चोर बाजारी नहीं कर सकेंगे।

अब मैं विशेष बातों को लेता हूं। मैं समझता हूँ कि रैली के लिए लोगों से धन एकत्र करने के मामले पर पारम्परिक ढ़ंग से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब राजनीतिक बातें हैं जिनमें मैं उलझना नहीं चाहता। मैं केवल उठाई गई बातों के गुण-दोषों तक ही सीमित रहूँगा। मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त को इसे नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि इससे ऐसे बे बुनियाद गलत आरोप लगाकर पूरे मामले की गम्भीरता समाप्त हो जाती है।

सभी आरोपों का मेरे द्वारा इनकार किये जाने के बाद मैं उन चार बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जोकि इन्होंने उठायी हैं। पहली बात चीनी मिल संघों द्वारा खुली बिक्री की चीनी के कोटे के बढ़ाये जाने के बारे में है।

श्रीमान, हम वर्तमान प्रणाली को बदलना नहीं चाहते। इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं। यदि अधिक विवरण अपेक्षित है, तो कृषि मंत्री जो कि इस मामले से सम्बद्ध है सभा को बता सकेंगे। सरकार का वर्तमान प्रणाली को बदलने का इरादा नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ।

जहां तक मानक स्टेंडर्ड कपडे का सम्बन्ध है, जैसा कि श्री गुप्त ने बताया था अधिकांशत: इसका उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किया जाता है। निजी मिलों द्वारा वचनों के पालन न किये जाने का उल्लेख किया जा चुका है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार इसे गम्भीरता से ले रही है, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पहले ही मामला उनके साथ उठा चुके हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों तथा अन्य मिलों के बीच उत्पादन को बांटा जाना चाहिए। जहां तक उत्पादन की मात्रा का प्रश्न है मैं बताना चाहता हूँ कि वार्षिक उत्पादन 40 करोड़ वर्ग मीटर रहा है तथा उसे 200 लाख मीटर तक बढ़ाने के लिए हम तुरन्त कार्यवाही करना चाहते हैं। अन्ततः हम इसे 100 करोड़ वर्ग मीटर तक ले जाना चाहते हैं ताकि मानक कपड़े के लिए प्रति दिन बढ़ने वाली मांग की पूर्ति की जा सके।

कोकिंग कोयले की स्थिति इस प्रकार है। सभा को पता है कि सरकार इस मामले पर उचित ढंग से कार्यवाही करना चाहती है। परन्तु इसमें कतिपय परिवहन सम्बन्धी बाधाएं हैं जिनके समाधान की हम चेष्टा कर रहे हैं।

खाद्य तेलों का मामला माननीय सदस्यों, विशेषत: गुजरात के सदस्यों के लिए, चिन्ता का कारण बना हुआ है। गुजरात के अलावा रायेलसीमा तथा तेलंगाना मूंगफली उत्पादन के अन्य स्रोत हैं। सूखे का उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। मूंगफली जिसका स्थान देश में प्रयोग किये जाने वाले खाद्य तेलों में प्रमुख स्थान है, का उत्पादन काफी घट गया है। गुजरात सरकार ने अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कोई रोक नहीं लगाई, इस प्रकार की रोक वे केन्द्रीय सरकार से परामर्श किये बिना नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री अब्दुल समद (वैल्लोर) : मैं जानना चाहता हूँ कि श्री ज्योतिर्मय बसु कब मन्त्रीमंडल में शामिल हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी हाल ही में।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे मित्र बार-बार दल बदल करते रहें, वे एक बार सत्तारूढ़ दल में ही क्यों नहीं चले जाते ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मूंगफली की इस कमी के कारण हमें अनोखी स्थिति में डाल दिया है। गुजरात सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े। इसका उन्होंने खाद्य तेलों के आवागमन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया है। हम खाद्य तेलों की कमी पूरी करने के लिए उनके आयात के मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ताकि इस बारे में कोई संकट न पैदा हो जाये।

एक माननीय सदस्य : मूल्यों की क्या स्थिति है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उनका संबन्ध उपलब्धता के साथ है। यह उपलब्धता से पृथक नहीं है। इस स्थिति में मूंगफली का मूल्य बढे फलस्वरूप अन्य खाद्य तेलों के मूल्य भी बढ़ गये। इस बारे में मैं चार बातें सभा को बताना चाहता हूं।

श्री आनन्द पाठक (दार्जलिंग) : मैंने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा है। वह पूर्व वक्ताओं द्वारा उठाये गये तर्कों का उत्तर दे चुके हैं। मुझे खेद है कि वह सभा को संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे हैं। बड़े-बड़े वायदों, कांग्रेस (आई) के निर्वाचन घोषणापत्र के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि मूल समस्या क्या है ? मंत्री महोदय ने इन हालातों के लिए वास्तविक कारण नहीं बताये। उन्होंने इसके लिए पिछली सरकार को दोषी ठहराया है तथा उक्त सरकार ने भी इसके लिए कांग्रेस सरकार के 30 वर्ष के शासन को दोष दिया है। परन्तु किसी भी सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया। दोनों सरकारें मूल्य वृद्धि को रोकने में असमर्थ रही है। मुझे विश्वास है कि समस्या का समाधान किया जा सकेगा। क्या यह सच नहीं है कि शासक दल द्वारा पिछले तीन दशक में अपनायी दिवालिया आर्थिक नीति के कारण ही मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है ? क्या यह सच नहीं है कि स्वतन्त्रता के पश्चात शासक दल द्वारा विकास के पूंजीवादी संकटपूर्ण पथ को अपनाना इसके लिए उत्तरदायी है। वास्तव में दिवालिया आर्थिक नीति और पूंजीपति सरकार द्वारा विकास की पूंजीवादी व्यवस्था ही इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

क्या यह सच नहीं है, कि सरकार अभी तक आर्थिक समानता लाने में विफल रही है तथा फलस्वरूप गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है तथा निर्भरता की स्थिति पैदा हो गयी है। क्या यह सच नहीं है कि सरकार भूमि सुधार लाने, गरीब तथा खेतीहर किसानों को उनके उत्पादनों के लाभदायक मूल्य दिलाने में विफल रही है। क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने व्यापारियों, जमाखोरों, सट्टेबाजों, चोर बाजारी करने वालों, भूमिपतियों, महाजनों को ग्रामीण तथा श्रमिक जनता का, जो कि हमारा जनसंख्या का 90 प्रतिशत भाग है, शोषण करने की खुली छुट दे रखी है। सरकार दावा करती है कि उत्पादन बढ़ा है परन्तु हम देखते हैं कि जैसे ही उत्पादन बढ़ा है मूल्य भी बढ़े हैं तथा कृत्रिम अभाव पैदा हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि कर नीति तथा घाटे की बजट व्यवस्था से भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं ;

क्या यह सच नहीं है कि बार-बार बढ़ने वाले पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादनों के मूयों के कारण भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं ? क्या यह सच नहीं है कि बहुत से

कानूनों के अधिनियमन के बाद भी सरकार मुनाफाखोरों, जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों को रोक पाने में सर्वथा विफल रही है ? इस सब के बावजूद क्या सरकार जनता के प्रति अपना दायित्व अनुभव करती है और यदि आप राजनीतिक दृष्टि से चाहते हैं तो ऊंचे मूल्यों से जनता को कुछ राहत दे सकते हैं। यदि वे पूरी तरह गम्भीर हैं, तो क्या वे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रखे गये ठोस प्रस्तावों पर देश के हित में विचार करे। यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि क्या गेहूं, चावल, दालें खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा, कोयला, गैस आदि आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को हाथ में लेने तथा उन्हें पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने को तैयार है ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह 500 करोड़ रुपए की विशेष निधि स्थापित कर सभी राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की वसूली और वितरण के कार्य को हाथ में लेगी ? क्या सरकार 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को पृथक रखकर आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं एवं जीवन रक्षक औषधियों पर सभी करों को समाप्त करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि मूलभूत समस्या क्या है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं। जैसा कि सदस्यों को पता है एक समस्या अभाव की है। जब तक कमी बनी हुई है हमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण बनाये रखना है। हम इस मूल समस्या के समाधान के लिए सचेष्ट हैं। माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं तथा उन्होंने दिवालिया अर्थ-नीति, गम्भीर आर्थिक संकट, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी आदि का उल्लेख किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त को उत्तर देते समय मैं इन बातों का उल्लेख कर चुका हूं।

देश एक गम्भीर आर्थिक संकट से ऊपर उठ रहा है। परन्तु अभी भी उसका प्रभाव बना हुआ है तथा हमें बचत द्वारा उसे पूरी तरह दूर करना है। जहां तक चोर बाजारी, जमाखोरी तथा अन्य बातों का संबन्ध है हमें कानून और व्यवस्था की स्थिति को दृढ़ करना है ताकि इन लोगों के साथ यथा संभव प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

थोक व्यापार को हाथ में लेने के बारे में, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है तथा पश्चिम बंगाल सरकार भी इसके लिए आग्रह करती रही है, हमारा निजी व्यक्तियों से थोक व्यापार को हाथ में लेने का कोई इरादा नहीं है। जिस थोक व्यापार का सम्बन्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है उसे अन्ततः राज्य नागरिक पूर्ति निगम तथा अन्य संबद्ध निकाय अपने हाथ में लेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं नागरिक पूर्ति मन्त्री द्वारा दिये जा रहे उत्तरों को सुन रहा था। वास्तव में यह हास्यास्पद बात है कि उन्होंने उन सभी शब्दों को बार-बार दुहरा दिया है जोकि उनके पूर्ववर्ती सभा में कहते आये हैं, कि वह मूल्य वृद्धि को रोकने का यत्न कर रहे हैं तथा वह इस बारे में सक्रिय कदम उठा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार सभा में आया तब शासक दल के सदस्यों ने मेज थपथपा कर घोषणा की कि जबकि श्रीमति इंदिरा गांधी आ गई हैं आर्थिक मामलों सहित सभी बातों में परिवर्तन आयेगा। उन्होंने आर्थिक नियमों को बदलने का भी वचन दिया। ऐसा लगता है वे बाल कथाएं सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब देश में महान महारानी शासन करती थीं तथा दानव ने आ कर सत्ता हथिया ली तथा सभी मामले बिगड़ गये। अब जबकि महारानी पुनः आ गई

है सभी कुछ ठीक हो जायेगा। उनका यही कथन था। जैसा कि आप जानते हैं एक वर्ष व्यतीत हो गया है तथा वह कुछ नहीं कर पाए। भारी मूल्य वृद्धि हुई है। वर्ष 1979-80 में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 22.7 अथवा 23 प्रतिशत थी। **(व्यवधान)**

सरकार की नीति यह है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि वस्तुओं की कमी है इसलिए मूल्य बढ़ रहे हैं। मैं बलपूर्वक इस सिद्धान्त का खंडन करता हूँ। सातवें दशक में कृषि सम्बन्धी कुछ भूलें हुई थीं, परन्तु कल ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किसानों को बताया कि उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सराहनीय प्रगति की है। **(व्यवधान)** यह ठीक है कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो फिर मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है? इसके सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं। आपने कहा कि गत वर्ष चीनी का उत्पादन 38 लाख टन था। इस वर्ष चीनी का उत्पादन बढ़ कर 55 लाख हो जायेगा। अब गन्ने की पिराई आरम्भ हो गई है। इसका क्या कारण है कि जबकि उत्पादन में वृद्धि हुई है तो भी बम्बई में गन्ने के थोक मूल्यों में 20 से 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हो गई है? इसके बारे में उन्हें क्या कहना है? खाने के तेलों की स्थिति क्या है? खाने के तेलों के उत्पादन में 5 प्रतिशत की कमी हुई है। इस कारण सप्लाई पर इस का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। खाने के तेल के मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है? इसका उत्तर यही है कि सरकार इन सट्टाबाजों को जमाखोरी करने देती है। आप वायदा बाजार पर रोक नहीं लगा रहे हैं। आप चोरबाजारी करने वालों को धन उपलब्ध कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि आप सरकारी मूल्य निश्चित करके जानबूझ कर मूल्य-वृद्धि कर रहे हैं। आप 'ओपेक' देशों का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी है? इसका क्या कारण है कि तेल जिसका उत्पादन हमारे अपने ही देश में होता है, आपने उसके मूल्य क्यों बढ़ा दिये हैं? इसका क्या कारण है? केवल इसी से आपके प्रत्येक कार्य को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

आप मूल्य-वृद्धि की बात करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि कुल सप्लाई की जाने वाली धनराशि में वृद्धि हुई है; और चूंकि कुल सप्लाई की गई धनराशि, उत्पादन से अधिक है, इसलिए मूल्य-वृद्धि हो रही है। क्या आपके बजट में जानबूझ कर यह नीति नहीं अपनाई गई है और क्या यही नीति मूल्य-वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है? आप लोगों को यह कह कर धोखा दे रहे हैं कि उन्हें उचित दुकानें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जब तक आप थोक व्यापार को अपने हाथ में नहीं लेते तब तक आप मूल्यों पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? यदि आप आवश्यक वस्तुओं के लिए राजकीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाते और उन्हें गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं करवाते, तो फिर भला आप मूल्य-वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं और ये वस्तुयें उचित दर दुकानों के माध्यम से किस प्रकार उपलब्ध करवाई जा सकती हैं? आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आप निर्यातकर्त्ताओं को राजकीय सहायता दे सकते हैं परन्तु आप लोगों की भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल तथा केरल सरकारों की मांग के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की राजकीय सहायता सुनिश्चित कर दे ताकि देश के 70 प्रतिशत लोग जो कि गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, वे कम से कम

आवश्यक वस्तुओं को तो उचित दामों पर प्राप्त कर सकें। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जानबूझ कर मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं।

आपने कोयले के मूल्य में वृद्धि कर दी है। मन्त्री महोदय द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह केवल असंतोषजनक ही नहीं अपितु भ्रामक भी है। जब से कोयला उद्योग को सरकार ने अपने हाथ में लिया है तभी से उसका प्रबन्ध सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है क्योंकि हर चीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आप इसके लिए लोगों तथा सदन के समक्ष उत्तरदायी हैं। आपका कहना है कि आप उचित दर दुकानें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप थोक व्यापार पर नियंत्रण नहीं करते, जब तक आप अर्थ-व्यवस्था को ऐसे ढंग से नहीं चलाते कि उससे अतिरिक्त धन सप्लाई न हो, तब तक भला आप इसे कैसे कर सकते हैं ? आप जनता सरकार के शासन को दोष देते हैं। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि देश में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तभी से मूल्यों में वृद्धि हो रही है ? क्या यह सच नहीं है कि जब से कांग्रेस दल की सरकार केन्द्र में सत्ता में आई है तभी से मूल्यवृद्धि हो रही हैं ? क्या इसका कारण यही नही है कि यह सरकार बहु-राष्ट्रीयों, एकाधिकार वादियों, व्यापारियों, भूस्वामियों तथा चोरबाजारी करने वालों को रियायतें देती रही है ? **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक कठोर सत्य है। इसे पचा पाना बहुत कठिन है परन्तु मैं जानता हूं, आपकी पाचन शक्ति इतनी सशक्त है कि वह इसे ही पचा जायेगी। यही सच्चाई है और आप किस प्रकार से चोर बाजारी करने वालों को खुश करते हैं, यह हाल ही के अध्यादेश से स्पष्ट हो जाता है। सभी चोर बाजारी करने वालों को पुरस्कृत किया गया है। वे अपने काले धन को सफेद में बदल लेगें। चोर बाजारी करने वालों की सरकार का यह कैसा उदाहरण है। यह सरकार लोगों के लिए कार्य कर रही है। क्या आपने उन किसानों को जिनको दिल्ली लाया गया था देखा है ? उनकी वेशभूषा तथा खानपान को देखा है ? लोगों की इतनी गरीबी की हालत में रख कर, आप उनके साथ मजाक भी कर रहे हैं। यह एक शर्मनाक बात है। मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय फिर वही घिसी पिटी पुरानी कहानी सुनायें तथा वही पुराने तर्क दें। वह हमें यह बतायें कि वह इस सम्बन्ध में क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य श्री चक्रवर्ती ने अपना वही पुराना घिसा पिटा भाषण दिया है जो वह पिछले 10 वर्ष से देते चले आ रहे हैं। परन्तु यदि मैं वही पुरानी कहानी सुनाऊं तो उसे वह पसंद नहीं करते। खैर उन्होंने सदन के समक्ष जो पुरानी बातें कही हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। परन्तु जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है, मैं उन सभी का उत्तर अवश्य देना चाहूंगा। मैं अपने उत्तर में केवल अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में उठाये गये प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान जो प्रश्न उठाये हैं, मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा।

सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि पहले मैं वह पढ़ दूं जोकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है क्योंकि मैं समझता हूं कि भाषण के जोश में माननीय सदस्य

यह भूल गये हैं कि मैंने अपने वक्तव्य में मूल्य-सूचकांक के बढ़ने तथा घटने के बारे में क्या कहा है। आपकी अनुमति से मैं उसे पढ़ देता हूं। मैंने वक्तव्य में बताया कि प्रायः जुलाई, 1980 से मुद्रा स्फीति पर कुछ नियंत्रण किया जा चुका है। अप्रैल से जुलाई 1980 की कालावधि के दौरान वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में औसतन 2.6 प्रतिशत की वृद्धि होती रही। परन्तु इसके बाद, अगस्त, 80 से जनवरी 81 तक के महीनों में औसतन वृद्धि 21 प्रतिशत की हुई। जनवरी, 1981 में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह भी मुख्यतः पेट्रोल के उत्पादों में होने वाली वृद्धि के कारण। इससे पहले मैंने एक आधारभूत बात कही थी कि जनवरी, 1981 में सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनवरी, 1980 अर्थात् पिछली सरकार के शासनकाल में यह वृद्धि 22.7 प्रतिशत थी। पिछले शासन तथा वर्तमान शासन में यही अन्तर है। हम मूल्य वृद्धि को 22.7 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तक कर पाने में सफल हो गये हैं। यह अभी तक की एक अच्छी उपलब्धि है।

सदस्य महोदय ने कृषि सम्बन्धी आत्म-निर्भरता का उल्लेख भी किया था। कांग्रेस सरकार की निश्चय ही यह बड़ी उपलब्धि रही है। हमारे देश में जहां अनाज आवश्यकता से कम रहते थे, आज हमारे यहां अनाज फालतू हो गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हमारे यहां सूखा नहीं पड़ता हैं। हमारे यहां सूखा पड़ता है। हमारे यहां बहुत भयंकर सूखे पड़े हैं जिसके कारण हमें गेहूं के बारे में कुछ कठिनाई उठानी पड़ी, यद्यपि अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप हम बिना आयात किये ही उस कमी को पूरा करने में सफल हो जायेंगे क्योंकि जब तक मंडी में नई गेहूँ आयेगी तब तक हम अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित ढंग से करते रहने में सफल हो जायेंगे। जहां तक तिलहन का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में निश्चय ही कुछ कमी हुई है। कमी इस रूप में कि तिलहन का उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाया है जितना कि अनाज का बढ़ा है। इसके कारण हमें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि तो हुई है परन्तु उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक कि अनाज के उत्पादन में हुई है। अतः इसलिए अब हम योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके कुछ ऐसे कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं जिनसे कि छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक देश में तिलहन का उत्पादन इतना बढ़ाया जा सके कि हमें इसका आयात न करना पड़े तथा देश आत्म-निर्भर हो जाये।

जहां तक जमाखोरों या सट्टेबाज़ों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, वह निश्चय ही उनके अपने ही दल का काम है, वास्तविकता तो यह है कि उनकी सरकार जमाखोरों तथा सट्टेबाज़ों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, उन्हें जमाखोरों तथा सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया। इससे हमारे लिए भी समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं।

जहां तक कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम का सम्बन्ध है, उसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा कि जब पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो फिर देश में उत्पादित तेल के मूल्य में वृद्धि क्यों की जाती है ? मैं सोचता था कि माननीन सदस्य महोदय को यह मालूम होगा कि तेल के सम्बन्ध में हमारा एक समीकरण फार्मूला भी है और हमें तेल के मूल्य कम रखने के लिए राजकीय सहायता देनी पड़ती है। यदि

हम हाई स्पीड डीज़ल या मिट्टी के तेल के लिए आर्थिक राजकीय सहायता न दें, तो उनके मूल्य काफी बढ़ जायेंगे। मूल्यों को कम रखने के लिए हमें काफी धनराशि राजकीय सहायता के रूप में देनी पड़ती है। राजकीय सहायता देने के बावजूद भी हम मूल्यों को इस स्तर पर रखने में सफल हो पाये हैं। इसे हम नहीं कर रहे हैं। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तेल की यही स्थिति है। अतः मूल्यों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं नहीं जानता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। परन्तु मुझे रिजर्व बैंक के समाचार से पता चला है कि अक्तूबर में मुद्रास्फीति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। फिर नवम्बर तथा दिसम्बर में यह घट गई। परन्तु दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह से इसमें फिर वृद्धि होने लगी है। इस वर्ष मुद्रास्फीति में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? आप हमें यही बताते रहे हैं कि आप इसे नियंत्रण में रखने में सफल रहे है। परन्तु यह केवल नवम्बर तथा दिसम्बर के दो महीनों के बारे में तो ठीक है। परन्तु दिसम्बर के अन्त से लेकर अब तक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है? क्या यह सच नहीं है कि अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है—और सरकार भी ऐसा ही विचार कर रही है कि हमारे देश की मुद्रास्फीति में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सोचता हूं कि यह सत्य नहीं है। परन्तु यदि वास्तव में ही वह मुद्रास्फीति के बारे में जानने को उत्सुक हैं तो उन्हें अपना प्रश्न वित्त मंत्री को भेजना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) **:** उपाध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी के वक्तव्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और सुना भी...

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप ने सुना नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : इस वक्तव्य में केवल आंकड़ों का जाल बिछाने की कोशिश की गई है, वास्तविकता से इन आंकड़ों का कोई वास्ता नहीं है। मैं इस का उदाहरण हमारे संसदीय सौध में जो सुपर बाज़ार है, वहां पर जो चीजें जिस भाव पर बिक रही हैं, उन्हीं से दूंगा, जिस से आप स्वयं समझ जायेंगे कि आप का यह कहना कि कीमतें कम हो रही हैं, वास्तविकता से कितना दूर है, कितना ग़लत है। आप ने इन आंकड़ों के ज़रिये हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन जिन को आप ने कल बुलाया था, वे भी अब इन से गुमराह होने वाले नहीं है। मैं आंकड़े पढ़ कर बताना चाहता हूं। मूल्य वृद्धि के जो आंकड़े हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। मैं पहले साबुन वगैरह से शुरू करता हूँ। मई 1980 में आप ही की दुकान में रिन साबुन 2 रुपये 10 पैसे में एक टिकिया बिकती थी और आज उस की कीमत 2 रुपये 25 पैसे है। यह बढ़ती है या घटती लाइफ़बाय, रेक्सोना, हमाम, लक्स ये साबुन मई, 1980 में 1 रुपये 65 पैसे में बिकते थे और अब बिक रहे हैं 1 रुपये 80 पैसे में। अशोक ब्लैड 1 रुपये 60 पैसे में एक पैकेट बिकता था मई, 1980 में और अब उसका दाम 1 रुपये 85 पैसे हैं। रानीपाल, जिस से कपड़े सफेद किये जाते हैं 2 रुपये 20 पैसे मई 1980 में—आप की सरकार बन चुकी थी बहुत पहले—बिकता था और अब उस की कीमत 2 रुपये 40 पैसे है। पावरोटी, जो आम जनता खाती है, 1 रुपये के बदल 1 रुपये 10 पैसे में मिल रही है।

अब आ जाइए जून 1980 में। दाल मसूर 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलो जून 80 में बिक रही थी और अभी कल जो मैं ने उस को खरीदा है, तो 6 रुपये 25 पैसे में आप की दुकान से यानी सुपर बाजार से खरीदा है।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आप मसूर की की दाल पसन्द करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं मंत्री जी को निमंत्रित करता हूं। एक बार मैंने वित्त मंत्री जी को भी निमंत्रित किया था कि बगल में सुपर बाजार है, चल कर देखिए। उन्होंने कहा था कि और कहीं जा सकता हूँ लेकिन सुपर बाजार नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि यह मंत्री जी वैसा नहीं कहेंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : भोजन के लिए इन्हें बुलाइए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं स्वयं बना कर खिलाऊंगा क्योंकि अकेला हूं। मैं खिचड़ी बना कर खिला सकता हूँ।

(श्री गुलशेर **अहमद** पीठासीन हुए)

तो मैं यह कह रहा था कि मसूर की दाल, जो 6, 7 महीने पहले 4 रुपये 50 पैसे प्रति किलो थी, अब 6 रुपये 25 पैसे प्रति किलो आप की दुकान में बिक रही है **और** ओपन मार्किट में तो वह 7 रुपये प्रति किलो है। फिर दाल अरहर जून 1980 में 4 रुपये 25 पैसे प्रति किलो थी जो अब 4 रुपये 90 पैसे प्रति किलो है। चना, जिस को काला चना कहा जाता है, वह जुलाई 1980 में 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलो था जो अब 4 रुपये 70 पैसे आप की दुकान में है और बाजार में वह 5 रुपये 20 पैसे है। तेल, जिस को कड़वा तेल कहते हैं यानी सरसों का तेल, वह नवम्बर 1980 में 10 रुपये प्रति किलो था और अब वह 16 रुपये से लेकर 18 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। तो यह बढ़ती है या घटती, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हिन्दुस्तान की जनता पर फ़ैसला छोड़ना चाहता हूं कि सरकार वास्तविकता से कितनी दूर है। ये आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं।

अब में आता हूं मकान बनाने की सामग्री पर। मकान बनाने के लिए क्या चाहिए ? लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिएं, बालू चाहिए और लकड़ी चाहिए। इन के दाम दो गुने, तीन गुने और चार गुने बढ़े हैं। इस पर यह दावा करते हैं कि चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। गरीब को राशन, तेल आदि चाहिए लेकिन उस के दाम भी इन्होंने बढ़ा दिये हैं और यह कहना कि चीज़ों के दाम नहीं बढ़े हैं यह सचमुच में पाखण्ड के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि जब उत्पादन बढ़ रहा है, तो चीजों की कीमतें कम होनी चाहिए लेकिन आप की मिलीभगत है चोर बाजारियों के साथ, गल्ला-चौरी करने वालों के साथ। इसलिए उनके खिलाफ़ आप कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कार्यवाही करेंगे, तो जरूरी चीजों के दाम नीचे आएंगे। आप का जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उस के तहत रेल मंत्री, पांडे जी, ने लोको कर्मचारियों और उन के नेताओं को जेल में डाल दिया, सरकार ने कई राजनैतिक नेताओं को और ट्रेड यूनियन नेताओं को जेल में डाल दिया। नया पैरा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस कानून के तहत क्या चोरबाजारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? आपने बहुत सारे कानूनों का जिक्र किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम,

चोरबाज़ारी, नियंत्रण अधिनियम वगैरह: वगैरह:। आपने इन कानूनों के तहत क्या कार्यवाही की है ? क्या आपने इन कानूनों को केवल पन्नों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया है, क्या आपने इन्हें क्रियान्वित किया है ?

यहां ठीक ही कहा गया कि जब केरल सरकार 18 आइटम्स पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम में ला सकती है तो क्या कारण है आप नहीं ला सकते हैं ? एक राज्य सरकार यह कर सकती है जो कि उसी संविधान के तहत काम करती है जिस संविधान के तहत हम और आप काम कर रहे हैं तो आप इसे क्यों नहीं कर सकते हैं, इसका मुझे जवाब दीजिए ।

दवा के बारे में आपने कह दिया । हम नहीं जानते कि आप प्राइवेट सेक्टर को दवा बनाने की जिम्मेदारी देना चाहते हैं या नहीं । लेकिन सरकार ने सवेरे कहा था 'नाट आनली प्राइवेट कम्पनीज' तो इसका मतलब है कि उनको भी सरकार इस काम को देगी और इससे वे दवाओं के दाम भी बढ़ायेंगे । लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने की जवाबदेही अगर आप इन चोर बाजारियों के कंधों पर डालेंगे तो उनके दाम भी बढ़ेंगे ।

गेहूं की बात मैं आपको बताता हूं । पिछले साल आपने इसकी सपोर्ट प्राइस 105 रुपये क्विटल तय की थी लेकिन बिका यह सौ रुपये क्विटल में । आप पटना मार्केट में चले जाइये, वहां आज यह 220 रुपये क्विटल में बेचा जा रहा है । मैंने यहां का दाम पता नहीं लगाया है, अगर आप कहेंगे तो वह भी पता लगा कर आपको बता दूंगा । यह जो 220 रूपये क्विटल में गेहूं बेचा जा रहा है और चोरबाज़ारियों के द्वारा बेचा जा रहा है, क्या आप अपने कानून के तहत इन चोरबाज़ारियों को जेल की हवा खिलायेंगे जिसकी हवा हम बहुत खा चुके हैं ?

चावल का उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन उसकी भी कीमत कम नहीं हो रही है । यह जो कहा जाता है कि उत्पादन बढ रहा है और कीमतें कम हो रही हैं यह बिल्कुल लफ्फाजी है, पाखण्ड है । सरकार को पाखण्डी नहीं बनना चाहिए ।

मैं अब सवाल करना चाहता हुं कि जब आपने पब्लिक डिास्ट्रब्युशन सिस्टम को बढ़ाया है तो क्या यह सच बात है कि बिहार के मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटना लोक सभा क्षेत्र के पटना पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के जल्ला इलाके में जहां आप राशन देते हैं वहां तमाम लोगों को राशन कार्ड नहीं दिये गये हैं ? यदि इसमें सच्चाई है तो क्या आप सभी राज्य सरकारों को यह आदेश देंगे कि वे सभी को राशन कार्ड दें और किसी को भी बिना राशन कार्ड के राशन न दिया जाए ? राशन की दुकान वाले राशन, चीनी, गेहूँ, चावल ब्लेक मार्केट में बेच देते हैं। क्या आप सभी को राशन कार्ड दिलवा कर उन्हें राशन दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

आखिरी सवाल मैं यह करना चाहता हुं कि पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम में फेअर प्राइस शाप्स पटना के लिए पिछले तीन महीनों, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में कितनी चीजों की मांग की गयी और उन्हें कितनी चीजें सप्लाई की गयी और राज्य सरकारों से आपको कितनी-कितनी मांग आयी और आपने कितनी-कितनीं सप्लाई की ? इस से ही पता चल जाएगा कि आप सचमुच में डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को ठीक से नहीं चला रहे हैं। कभी दुकानों पर चावल नहीं है, कभी गेहूं नहीं है तो कभी चीनी नहीं है । मैं तो भुक्तभोगी हूं । पिछले साल जून में मुझे राशन की दुकान से एक दाना चीनी का नहीं मिला । प्रेजीडेंट इस्टेट में दुकान है । तो मैं यह

जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने आपसे कितनी-कितनी मांग की और आपने कितनी-कितनी वस्तुएं उन्हें सप्लाई कीं ? इससे अन्दाजा लग जाएगा कि अर्शेंशल कमीडिटीज में पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम को कायम रखने के लिए आप चिंतित हैं या नहीं।

सभापति महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्री रामावतार शास्त्री : पहले मेरी बातों का तो उन्हें जबाब देने दीजिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति जी ने सोचा कि यहां तो भाषण चल रहा है। सभापति जी, शास्त्री जी ने तो अपना भाषण दे दिया। उस में जो प्रश्न निकल सके हैं उनके उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूं। उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम लिए जिनकी कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनकी कीमतें घटी हैं, जिनका विवरण मैं शास्त्री जी को दूंगा। इसके साथ-साथ में यह भी उन्हें बताना चाहता हूं कि इसमें मिलीभगत का कोई सवाल नहीं हैं यह तो पैंट अवर्शन सरीखा है कि जब भी व्यापारियों की बात होती है तब आप ऐसी बातें करते हैं। आज केरल और बंगाल में जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग करते हैं उनके खिलाफ सबसे कम कार्यवाही की जाती है, जहाँ पर आपकी सरकारें काम कर रही हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो अति उत्तम होगा। जहां तक ड्रग्स का सवाल है तो मैंने यह नहीं कहा कि ड्रग्स जीवन के लिए उपयोगी वस्तु नहीं है बल्कि मैंने तो केवल इतना ही कहा कि ये दवाइयाँ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं बांटी जातीं, नहीं बेची जातीं इसलिए इस बारे में संबंधित मंत्रालय से प्रश्न पूछना पड़ेगा।

एक बात में और शास्त्री जी से कहना चाहता हूं कि चोर-बाजार में वे न जाया करें।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : अगर सुपर बाजार चोर-बाजार है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप पूरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि पटना में चोर-बाजार में यह कीमत है गेहूँ की, दिल्ली की भी पता करके बता दूंगा। इसलिए में यह कह रहा हूं कि चोर-बाजार में आपको नहीं जाना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने सब को चोर-बाजार में डाल दिया है, जाएं तो कहां जाएं, भूखे मरें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपने जिस तरह का प्रश्न किया, उसी तरह का जवाब दे रहा हूँ।

जहां तक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रश्न है, गेहूं बांटने में हमें थोड़ी कठिनाई अवश्य हो रही है, गेहूं की कमी का कारण इसलिए हो सकता है कि खुले बाजार में जहां कोई नियंत्रण नहीं है वहां गेहूं की कीमत बढ़ गई हो। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह मजाक का सवाल नहीं हैं। गेहूं 200 रुपए क्विटल मार्केट में मिल रहा है और आप इसको मजाक में टाल रहे हैं। आप कहते हैं कि चोर-बाजार में मत जाइए। आपको शर्म आनी चाहिए।

सभापति महोदय : शास्त्री जी हंस रहे हैं। तो वेभी हंस रहें है।

श्री मनीराम बागड़ी : लोग भूखे मर रहे हैं। ये हंस रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए।

श्री जगपाल सिह (हरिद्वार) : जिस मजदूर को 6 रुपया रोज मजदूरी मिलती हैं वह 200 रुपए क्विटल गेहूं कैसे खरीद सकता हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मजाक तो आप बना रहे हैं इस तरह से चिल्ला कर। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बात को गंभीरता से सोचा जाए तो जो तकलीफ आज पैदा हुई है यह आप लोगों की करतूतों से पैदा हुई है। इस तरह से चिल्ला-चिल्ला कर आप अपनी करतूतों को छिपाना चाहते हैं। खुले बाजार की कीमतें अस्थाई हैं। गेहूं की नई फसल आ रही हैं और हमें उम्मीद है कि गेहूं की कीमत में स्थायी रूप से सुधार होगा। इस तरह से शीघ्र ही कठिनाई दूर होगी।

जहां तक बिहार के बारे में बात कही गई है ··।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने क्षेत्र विशेष के बारे में कहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिहार के बारे में बिहार सरकार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उसी का नियंत्रण है। यहां से तो सिर्फ निर्देश भेजे जाते हैं। हम बिहार सरकार से पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको वह ठीक करें। इस बात के लिए उन से जरुर कहेंगे।

जहां तक मांग का सवाल है कि पिछले तीन महीने में किस-किस चीज़ की कितनी-कितनी मांग की है, यह तों घटती बढती रहती है। मंथली मांग अक्सर नहीं होती है। लेकिन उनकी माँग को हम शक्ति भर पूरा करने का प्रयास करते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने पूछा है कि कितनी मांग थी और कितना दिया गया है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। यह तो कह दिया है कि कोशिश करते हैं उसको पूरी करने की लेकिन आंकड़े नहीं दिए हैं।

सभापति महोदय : राव साहब इसका जवाब देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : जब सवाल उठ गया है तो उसका जवाब भी आना चाहिये। यह कह सकते हैं कि बाद में भेज देंगे। लेकिन जवाब तो पूरा देना चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माहवारी मांग नहीं होती है, लम्बीं माँग होती है। तीन महीन की फिगर अलग से निकालनी पड़ेगी। सिक्स मंथली डिमांड होती है, एनुअल डिमांड होती है। सभापति महोदय आपने उचित कहा है कि अलग अलग मंत्रालयों से अलग अलग मांग होती है। कैरोसीन की मांग पेट्रोलियम मंत्रालय से होती है, शूगर, गेहूं, चावल की कृषि मंत्रालय से की जाती है, सिमेंट कंट्रोल्ड क्लाथ की मांग दूसरे मंत्रालयों के पास जाती है। मांग का ब्यौरा निकालने के लिए तो सम्बन्धित मंत्रालयों से बात करनी पड़ेगी।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : मंत्री महोदय हमारे सामने भविष्य की आकर्षक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका स्पष्टीकरण वक्तव्य तथा उत्तर हमारे अनुभव से मेल नहीं खाता।

दिल्ली में भी महिलाओं ने गेहूँ, चावल, चीनी तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में शिकायत की है और आयुक्त के पास गयी हैं। उन्होंने कहा कि "हम दे रहे हैं"। लेकिन महिलायें कह रही हैं कि "हमें नहीं मिल रहा"। और उन्होंने कहा, "हम जायेंगे और पता करेंगे"। संसद सदस्य भी जानते हैं कि उन्हें भी वस्तुएं नहीं मिल रहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लोगों को अनिवार्य वस्तुएं नहीं मिलतीं। यह स्थिति की वास्तविकता है।

उदाहरण के लिये, जैसे कि आप जानते हैं, केरल एक कमी वाला राज्य है। हम अधिकांश नकदी फसलें पैदा कर रहे हैं। हमें अन्य राज्यों से चावल प्राप्त करना होता है। अभी हाल में तमिलनाडु सरकार ने वसूली के काम में तेजी लायी है जिसके फलस्वरूप केरल के लिये चावल सप्लायी करने में बाधायें पड़ी हैं और केरल की सर्वोत्तम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बावजूद भी हम बाजार में चावल के मूल्यों की वृद्धि को नहीं रोक पाये। इसकी कीमतें 250 रुपये से बढ़कर 390 रुपये हुई। केरल सरकार ने हर कार्ड होल्डर को 5 किलो अतिरिक्त चावल देने के आदेश दिये। हम केन्द्रीय सरकार से यह विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप इन चीजों को सिविल सप्लायी डिपो द्वारा वसूल करने तथा कमी वाले राज्यों को सप्लायी करने के लिये तैयार हैं ताकि इन वस्तुओं का वहाँ वितरण हो सके? इस विशेष कार्य के लिये, केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 10 करोड़ रुपये देने के लिये कहा है ताकि वे कम से कम एक-चौथाई व्यापार कर सकें। इस समय केरल सरकार ने गणना की है कि सभी अनिवार्य वस्तुओं के सौदों में लगभग 10 करोड़ रुपये लगे हैं। उसके 1/4 भाग अर्थात 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा हो सकती है।

निस्संदेह, हम मूल्य कम कर सकते हैं। यह हम अनुभव से जानते हैं। पिछले ओनम त्यौहार के दौरान, हमने सब्जी सहित सभी अनिवार्य वस्तुओं की सप्लायी की है और मूल्य कम हुये हैं। श्रमिकों को बोनस की अदायगी करने, बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता, कृषि श्रमिकों को पेंशन देने के बावजूद भी, जब मूल्य बढ़ने चाहिये थे तो केरल सरकार जब अनिवार्य वस्तुओं की सप्लायी करने के लिये सामने आयी तो मूल्य नियंत्रित हो सके। इसी कारण केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 10 करोड़ रुपये के ऋण तथा ब्याज की दर को उस सीमा तक कम करने की मांग की है जिस पर सिविल सप्लायी निगम को दिया जाता है। यदि केरल सरकार को यह ऋण मिलता है तो हम मूल्य में 20 प्रतिशत की कमी कर सकते हैं। यह राशि कम से कम है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है।

दूसरा प्रश्न अनिवार्य वस्तुओं के बारे में है। हम लगभग सभी वस्तुएं बाहर से प्राप्त कर रहे हैं। हमारे राज्य में अधिकांश नकदी फसलें बीजी जाती हैं। हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के सिविल सप्लायी डिपो इन वस्तुओं को खरीदें और हम इसे अपने अधिकार में लेने का प्रयन्त कर रहे हैं। इस बारे में भी केन्द्र की सहायता जरूरी है। अन्यथा हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस समय चावल के मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। राज्य सरकार ने हर राशन कार्ड होल्डर को 5 किलो चावल दिया है। फिर भी हम तमिलनाडु

में चावल के मूल्य वृद्धि को नहीं रोक सके। इसके लिये आपकी सहायता की आवश्यकता है और मैं जानना चाहता हूँ कि इस बारे में आपका उत्तर क्या है। यदि आप इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू करें और यदि यह सफल होता है तो आप केरल सरकार तथा अन्य राज्यों को मूल्य वृद्धि रोकने हेतु लागू करने के लिये कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि केवल केरल, बंगाल तथा त्रिपुरा सरकारों ने इन काले कानूनों को लागू नहीं किया है। हम इन कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने किये हैं। क्या अन्य राज्यों में कोई ऐसे उदाहरण हैं जहां इन लोगों को गिरफ्तार करके मूल्य वृद्धि रोकी गयी है। वस्तुओं का साथ साथ वित्तरण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन से ठोस कदम उठाये हैं या उठाने जा रहे हैं। केरल सरकार ने आपके सामने प्रस्ताव रखा है। सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अनाज और चीनी की वसूली भारतीय खाद्य निगम करता है। वे खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार विभिन्न राज्यों को सप्लाई करते है। यदि केरल सरकारो को चावल के बारे में कोई कठिनाई है तो जैसे कि माननीय महिला सदस्या ने कहा, तो केरल सरकार को यह मामला कृषि मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए। मुझे आशा है कि वे कोशिश करेंगे और इसे ठीक करेंगे।

जहां तक 10 करोड़ रुपये की योजना का प्रश्न है, मेरा मन्त्रालय इससे सम्बन्धित नहीं है। मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव या केरल सरकार की कोई मांग नहीं देखी। उन्होंने इसे किसी अन्य विभाग को दिया होगा। लेकिन जब भी मेरे मन्त्रालय में आयेगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में केरल सचमुच अच्छा काम कर रहा है और जहां तक सहमत हो, हमें उनकी सहायता करने में कोई भी संकोच नहीं है।

कानून को कार्यान्वित करने के बारे में माननीय महिला सदस्य ने माना है कि उनकी सरकार इन कानून को लागू नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि जिन राज्यों में कानून को कार्यान्वित किया गया है, क्या वहां इसके कोई परिणाम निकले हैं। इसका उत्तर हां में है। यदि हम इन कानूनों को अन्य राज्यों में कार्यान्वित न करते तो स्थिति और बिगड़ जाती।

एक माननीय सदस्य : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति जी, रेल मंत्री वक्तव्य देने जा रहे हैं दुर्घटनाओं के बारे में। क्या उन्होंने यह पता लगा लिया है कि वक्तव्य तैयार करने के बाद तो कोई और दुर्घटना नहीं हुई है ?··· (व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री केदार नाथ पांडे) : जिसकी आप चर्चा करते हैं उसकी भी चर्चा इसमें है।··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सुन तो लीजिए फिर कहिएगा।

कट्टापट्टी और वनियमबाडी स्टेशनों के बीच तथा दुरौंधा और चैनवा स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : बड़े दुख के साथ, मुझे क्रमशः दिनांक 11-2-1981 और 15-2-81 को दक्षिण और पूर्वोत्तर रेलवे पर दो दुर्भाग्यपूर्ण गाड़ी दुर्घटनाओं के बारे में इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है।

11-2-1981 को लगभग 02.52 बजे, मद्रास से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी लाइन के जोलारपेट्टे—मद्रास दोहरी लाईन खण्ड पर केतांडपट्टी और वाणियमबाडि स्टेशनों के बीच 20 अप तिरूवनन्तपुरम—मद्रास डांकगाड़ी जोलारपेट्टे—तोंडियलापेट्टे अप खाली तेल टंकी स्पेशल गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। इसके फलस्वरूप, 20 अप डाक गाड़ी का इंजन और उसके साथ वाले 7 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये जिनमें से 5 डिब्बे उलट गये और डाउन लाइन अवरुद्ध हो गयी। इसी बीच, 69 डाउन मद्रास-इरोड एरकाड एक्सप्रेस विपरीत दिशा से आई और 20 अप डाक गाड़ी के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से टकरा गयी। फलस्वरूप 69 डाउन गाड़ी के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गये और इनमें से दो डिब्बे उलट गये।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस दुर्घटना में 24 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 52 अन्य जख्मी हुए जिनमें से 14 व्यक्तियों को गम्भीर और 38 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। अब तक जिन 23 लाशों की शिनाख्त की जा चुकी है उनमें दुर्भाग्यग्रस्त 20 अप डाक गाड़ी के ड्राइवर, सहायक ड्राइवर और अंडर गार्ड, टंकी स्पेशल गाड़ी के गार्ड और 69 डाउन एक्सप्रेस के अंडर गार्ड की लाशें शामिल है। उन्हें अभी बहुत वर्षों तक नौकरी करनी बाकी थी।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही, जोलारपट्टे, अरकोणम और मद्रास से चिकित्सा यान दुर्घटना स्थल को तुरन्त भेजे गये। काटपाडि, जोलारपेट्टे, पेरम्बूर और बेंगलूर और मद्रास के रेलवे डाक्टर भी दुर्घटनास्थल के लिए तुरन्त रवाना हो गये। वाणियमबाडि, वेल्लोर और मद्रास के सिविल डाक्टरों की भी सेवाएं मांगी गयीं। महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे विभागाध्यक्षों के साथ राहत और बचाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गये। रेल राज्य मंत्री भी अध्यक्ष, बोर्ड और सदस्य (यांत्रिक) को साथ लेकर दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये।

दूसरी दुर्घटना 15-2-81 को पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर—छपरा खंड के दुरौंधा और चनवा स्टेशनों के बीच हुई। उस दिन लगभग 21.22 बजे गाड़ी सं० 32 डाउन फास्ट पैसेन्जर 2 डाउन ए० टी० डाक गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गयी, जो मिली खबर के अनुसार खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण इन स्टेशनों के बीच रुकी हुई थी। इसके फलस्वरूप, 2 डाउन ए० टी० डाक गाड़ी के सबसे पिछले 5 डिब्बे और 32 डाउन गाड़ी का इंजन और उसके पीछे के 5 डिब्बे पटरी से उतर गये।

अब तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, इस दुर्घटना में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 7 व्यक्तियों को चोटें आई हैं।

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही सोनपुर, गोरखपुर और वाराणसी से चिकित्सा यान, रेलवे डाक्टरों सहित, दुर्घटना स्थल के लिए तुरन्त रवाना हो गयीं। महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य विभागाध्यक्षों के साथ दुर्घटनास्थल की ओर सड़क से रवाना हो गये। सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड भी दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गये।

मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

रेल संरक्षा आयोग, जो पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, इन दोनों दुर्घटनाओं की जांच कर रहा है। पहली दुर्घटना की जांच का काम 11-2-81 को प्रारम्भ हुआ और दूसरी दुर्घटना की जांच का काम कल, अर्थात् 18-2-81 से प्रारम्भ होने की आशा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : इस पर बहस होना बहुत जरूरी है। इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। मन्त्री महोदय ने नीलाचल एक्सप्रेस के एक्सिडेंट की बात नहीं कही है। **(व्यवधान)** आप इस पर बहस के लिए समय दीजिए। इसको बजट के साथ न जोड़िये। इस पर अलग बहस का मौका दीजिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं इस मामले को इस पर चर्चा करवाने हेतु अध्यक्ष महोदय के नोटिस में लाऊंगा।

मैं इसे उसके नोटिस में लाउंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या रेल मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे ? ···**(व्यवधान)**

आप इस पर बहस को स्वीकार कर लीजिए।

श्री मनी राम बागडी (हिसार) : श्री पांडे बड़े शरीफ़ और भले आदमी हैं। जब इतने लोग मरे हैं, तो उन्हें फराडदिली से इस पर चर्चा करवानी चाहिए। उन्हें खुद खड़े होकर कहना चाहिए कि इस पर बहस की जाये। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने नया रेलवे बोर्ड बनाया है। वह क्या कर रहा है ? आपने पुराने रेलवे बोर्ड को डिसमिस किया और नया रेलवे बोर्ड बनाया। नया रेलवे बोर्ड रोज़ एक एक्सीडेंट करवा रहा है, सैकड़ों लोग मरवा रहा है, कर्मचारी मर रहे हैं। **(व्यवधान)** आप रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जब तक मन्त्री महोदय रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें। मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं। आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते ?

मंत्री महोदय, ये लोग इन दुर्घटनाओं पर चर्चा चाहते हैं और इसके लिए कुछ समय निश्चित करना चाहते हैं। अतः आपको इस बारे में क्या कहना है ?

ग्रह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : इन बातों पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा की जाती है।

सभापति महोदय : यदि आप लोग चर्चा करने के लिए नोटिस दें तो वह इसके लिए सहमत हो जायेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमने नोटिस दिया है......**(व्यवधान)** रेलवे बोर्ड को भंग कर दें।

श्री सी० टी० दंडपाणी (पोल्लाची) : सरकार तथा मन्त्री को सहायता देने के लिए......**(व्यवधान)**

श्री नालीलोहियादसन (त्रिवेन्द्रम) : क्या सुधार हुआ ?

श्री केदार पांडे : इस विषय पर पूरी चर्चा के लिए यदि कोई तिथि निश्चित की जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने अपने विवरण में दो दुर्घटनाओं का जिक्र किया है लेकिन उन्होंने नीलाचल एक्सप्रेस की दुर्घटना, जो कल डीरेल हुई और जिसमें पांच डिब्बे थे, क्या कोई जिक्र नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया।

श्री केदार पांडे : कोई भी जख्मी नहीं हुआ और मरा भी नहीं है। गाड़ी डीरेल हुई लेकिन उसमें जानी नुकसान नहीं हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको बताना चाहिए था।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, क्या मन्त्री महोदय के कहने का यह मतलब है कि केवल लोगों के मरने या घायल होने पर ही वे सदन को सूचित करेंगे ?

सभापति महोदय : उनके कहने का यह मतलब था कि कोई गम्भीर बात नहीं थी और इसलिए उसका यहां जिक्र करना आवश्यक न था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उनके कथन का तात्पर्य है कि लोक सभा में सूचना देने के लिए लोगों का मरना आवश्यक है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : यह बडी विचित्र बात है। मेरा यह कहना है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस तो रेल गाडियों में विस्फोट करने के लिए जिम्मेवार हैं।

लोको रनिंग स्टाफ के आन्दोलन के बारे में वक्तव्य

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : लोको रनिंग स्टाफ के आन्दोलन के बारे में यह मेरा दूसरा वक्तव्य है।

महोदय, भारतीय रेलवे के कुछ क्षेत्रों में लोको कर्मचारियों के एक दायित्वहीन वर्ग द्वारा हाल ही में की गई गैर-कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।...... (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उन्हें एक तथ्यपरक वक्तव्य देना चाहिए। हम अनुभव करते हैं कि आप एक दायित्वहीन वक्तव्य दे रहे हैं। आप हमें केवल तथ्य ही बताइये, हर किसी को दायित्वहीन मत कहिए। कर्मचारियों के हक में यह अच्छा नहीं है, जबकि सभा में उपस्थित नहीं है, जिससे कि वे अपना बचाव कर सकें। महोदय, वे कर्मचारियों को दायित्वहीन बताकर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आपका रेलवे बोर्ड ही दायित्वहीन है। वे कर्मचारियों को दायित्वहीन कैसे कह सकते हैं ? हम उसकी अनुमति नहीं देंगे। उनको दायित्वहीन कहने से आपका क्या मतलब है। (**व्यवधान**) मन्त्री महोदय को तथ्यात्मक वक्तव्य देना चाहिए।

सभापति महोदय : आप सब लोग कृपया बैठ जाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं यही कहने जा रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं खडा हुआ हूं तो आप सब बैठ जाइये।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मन्त्री महोदय को जो कुछ वे कहना चाहते हैं वह सब कहने का अधिकार है।

सभापति महोदय : इस प्रकार की बातों से दूर रहना ही अच्छा है। कृपया केवल तथ्य ही बताइये।

श्री केदार पाण्डे : माननीय सदस्य जानते हैं कि विगत में भी, अनेक अवसरों पर कुछ लोको रनिंग स्टाफ बिना किसी कारण के काम रोकने में संलग्न रहा है। गत 9 जून को मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री ने इस सदन में उत्तर-रेलवे के दिल्ली-मण्डल में अवैध रूप से काम रोकने का जिक्र किया था। (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिए।

महोदय, ऐसे समय पर, जबकि देश की अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर उन्मुख है, जब रबी की फसल के लिए फार्मों में उर्वरकों की महती आवश्यकता है, जबकी अतिरिक्त कच्चे माल की मांग के साथ-साथ इस्पात संयन्त्रों में उत्पादन बढ़ा है, जबकि बिजलीघरों को कोयला पहुंचाने के लिए अधिक रेलों की आवश्यकता है, जबकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जबकि रेलों ने अपने काम से निपटने की क्षमता का प्रदर्शन शुरू किया है तो लोको रनिंग स्टाफ को एक गैर-जिम्मेदार वर्ग ने अर्थव्यवस्था के मार्ग रोड़े अटकाने और समाज के जीवन को अस्त-व्यस्त करने की ठानी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय कृपया ऐसी बातों से बचें (**व्यवधान**) आप सब कृपया बैठ जाइये।

श्री केदार पाण्डे : सामूहिक रूप में बीमारी का बहाना लेकर अनुपस्थिति उनकी दायित्वहीन ढ़ंग से दबाव डालने की चालों को दर्शाती है। सभा को ज्ञात है कि बड़ी संख्या में स्टाफ के बहुमत ने कुछ लोगों द्वारा की गई इस अनुचित कार्यवाही में सम्मिलित होने से, अपने को दूर रखा है। वे अपनी सेवाओं में जुटे रहे और राष्ट्र में रेलगाड़ियों को गतिमान रखा, संचालन में रखा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ आन्दोलनकारियों द्वारा हिंसा, जोर-जबरदस्ती, डांट-डपट की कार्यवाही और यहां तक कि उनके द्वारा सेवाभाव वाले कर्त्तव्यपालक रेल कर्मचारियों के परिवारों को तंग करने, तेजाब के बम्ब फेंकने (**व्यवधान**), अपने सहकर्मियों को काम करने से रोकने और उनको गम्भीर शारीरिक चोट पहुंचाने की कार्यवाही की निन्दा करेंगे। जब तोड़-फोड़ और दुर्व्यवहार की ऐसी कार्यवाहियों पर वे आमदा हो गये हैं तो हमें सामान्य नियमों के अधीन आवश्यक रूप से कठोर कार्यवाही करनी पड़ रही है। समय के अनुरूप ही सरकार को कार्यवाही करनी है। (**व्यवधान**)

हमारी यह नीति है कि हम स्टाफ के किसी भी गैर-जिम्मेदार वर्ग को रेलों को रोकने और समाज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। सरकार की यह नीति है कि लोगों के जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के संचालन में व्यवघात नहीं पड़ने दिया जायेगा। हमारी यह भी नीति है कि हम अनुशासनहीनता और दायित्वहीनता के क्रिया-कलापों को सहन नहीं करेंगे। इसी सन्दर्भ में लोकहित में हमें सामान्य अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्यवाही करनी पड़ रही है।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि अब भविष्य में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को रेलवे की अन्य गैर-मान्यता प्राप्त वर्ग की एसोसिएशनों के समकक्ष समझा जायेगा। **व्यवधान**

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) **:** महोदय, हम चाहते हैं कि आपत्तिजनक शब्दों को वक्तव्य से निकाल दिया जाए और इस पर पूर्ण बहस होनी चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, हमें लोको रनिंग स्टाफ की हड़ताल पर बहस की अनुमति दी जाए। इसे रेलवे बजट के साथ न जोड़ा जाए। हम तो लोको रनिंग स्टाफ की मांगों को लेकर एक पूर्ण वाद-विवाद चाहते हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात में कमजोर वर्गों पर अत्याचार

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : सभापति महोदय, मैं सुबह की घटना में थोड़ा सा नाराज हुआ था, लेकिन मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी। गुजरात के हरिजनों का जो कत्लेआम हो रहा है, मैं उसके बारे में अपने दुखदर्द को व्यक्त करना चाहता था। इस का मौका लेने के लिये मैंने बार-बार बात की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसलिये सदन में मैंने जो कुछ किया, वह बुरा नहीं किया, फिर भी अगर वह गलती मानीं जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सदन का अपमान करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी और आपका अपमान करने की भी मेरी कोई

इच्छा नहीं थी। मैं आशा करता हूं—मेरे गम्भीर सवाल पर सदन अच्छी तरह से समझ कर हम लोगों को बचाने के लिये आगे आयेगा।

अब मैं नियम 377 के अधीन इस को पेश करता हूँ :—

विषय : गुजरात के हरिजनों पर अमानवीय अत्याचार के लिये जिम्मेदार गुजरात के दैनिक "गुजरात समाचार" की पंच द्वारा जांच होने की मांग।

दिनांक 25-1-81 से गुजरात के डाक्टरों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 हरिजनो की आरक्षित जगहों का विरोध किया और आन्दोलन का सहारा लिया। इस आन्दोलन को समर्थन देने में एक गुजराती समाचार पत्र में झूठा और ज़हरीला भड़काने वाला दिन-प्रति-दिन समाचार प्रदर्शित किया जिन की वजह से गुजरात के हरिजन विरोधियों ने हरिजनों के आवासों में जा कर के निष्ठुरता से, दिल को कंप-कंपा दे ऐसा अवरणीय अत्याचार किया। निर्दोष युवक-युततियों और औरतों के साथ पाशवी बर्ताव किया जा रहा है। हरिजनों के घर आग से जलाए जा रहे हैं। युवकों के हाथ-पांव काटे जा रहे हैं। पुलिस उन की रक्षा नहीं करती। घरों में जाकर औरतों की बेइज्जती करती है और बच्चों के साथ राक्षसी मारपीट की जा रही।

यह सारा बहकाव दैनिक गुजरात समाचार के गलत और वर्ग-विग्रह पैदा करने वाले समाचारों की वजह से हो रहा है जिनका थोड़ा सा दार्शनिक प्रमाण मैं यहां पेश कर रहा हूं। यह दैनिक हिन्दुओं को भड़का कर के सवर्णो द्वारा हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने में सहारा दे रहा है और बिन-पायदार जातिवाद को भड़काने वाली झूठी खबरों को प्रदर्शित कर रहा है। और गलत घटनाओं को बड़े हैडिंग में प्रर्नशित कर रहा है। इस दनिक की वजह से हरिजनों और सवर्णो के बीच एक बड़ी दीवार पैदा कर के, षडयन्त्र रचा के, हजारों गरीबों को बेघर बनाने में, हरिजनों की खुले आम कत्ल कराने और देश को सर्वनाश के तांडव की ओर ले जा रहा है और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का खुले आम खतरनाक ढ़ंग से मलियामेट किया जा रहा है।

जब हमारे सामने हरिजनों पर अमानवीयअत्याचार किये जा रहे हैं और हम सब एक दर्शक बन के बैठे हैं, क्या यह हमारी लोकशाही को जंचता है ? क्या इस देश में हरिजनों को कोई बचायेगा ?

अन्त में आप से मेरी यह प्रार्थना है कि गुजरात के आन्दोलन के लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रमुख जिम्मेदार दैनिक पत्र "गुजरात समाचार" के मैनेजिंग तंत्री और तंत्री ही हैं, इस लिये मेरा आप से गम्भीर निवेदन है कि :—

1. दिनांक 25-1-81 से 15-2-81 तक की गुजरात समाचार दैनिक में छपी घटनाओं और खबरों की संसद द्वारा पंच से जांच की जाये और उस की रिपोर्ट 15 दिन में संसद में पेश की जाय।

2. पंच द्वारा जाच शुरू हो उस दिन से इस दैनिक के मैनेजिंग तंत्री और तंत्री को गुजरात से, जांच चले तब तक, हद पार किया जाय।

3. जांच द्वारा दोषी पाये जाने पर इस समाचार पत्र की मान्यता रद्द की जाय और इन तंत्रियों को देशद्रोही और हत्यारों को दी जाने वाली आखिरी सजा दी जाय।

आशा करता हूं कि हमारी सर्वोच्च संसद इस देश के हरिजनों को और देश को इस बढ़ते हुए जातिवाद के ज़हर से बचायेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यह बहुत गम्भीर घटना है····(**व्यवधान**)······

श्री हीरालाल आर० परमार : मैं यह कहना चाहता हूं – गुजरात में हरिजन कड़ंगी की स्थिति में हैं, वे पैसेवाले नहीं हैं, उन के पास फोटो की सुविधा नहीं है, फिर भी जो फोटो लिये हैं—एक ही गांव के हैं जिसमें 15 आदमियों का कत्ल हुआ है, छुरी से मारा गया है, गोली से··
···किया गया है।

सभापति महोदय : मुझे यह आदेश देना पड़ रहा है कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री हीरालाल आर० परमार : ····हमारी बहन बेटियों की इज्जत ली गई है·····

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सदन की टेबिल पर रखा जाय, इधर लाकर रख दो······

सभापति महोदय : इस पर विचार किया जायेगा, दे दीजिये न।

श्री हीरालाल आर० परमार : हरिजनों के नाम पर झूठे सिगनेचर बना कर····हरिजनों का कत्ल कर रहे हैं ····मेरा यह कहना है कि इस की जांच की जाए। यह आन्दोलन एक महीने से चालू है और दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और हरिजनों का कत्ल हो रहा है। ···(**व्यवधान**)····गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर और गांधी जी की मूर्ति पर खून के छींटे से प्रतिज्ञा ली है·······(**व्यवधान**)····

श्री रामविलास पासवान : गुजरात में इस तरह की बात होगी तो क्या होगा। स्टेट होम मिनिस्टर श्री मकवाना गुजरात के हैं। उनके सामने इस तरह की बात हो, यह ठीक नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : मकवाना साहब शैड्यूल्ड कास्ट्स से सम्बन्ध रखते हैं और वे इन जुल्मों को कैसे बर्दास्त कर रहे हैं। ·····(**व्यवधान**)·····

सभापति महोदय : आप मेरी बात सुन लें। ·····(**व्यवधान**)····

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की टिप्पणियों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

"श्री हीरा लाल परमार द्वारा दिए गये वक्तव्य से मुझे भारी चिन्ता हुई है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि गृह मन्त्री महोदय मामले पर तुरन्त ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विभिन्न समुदायों में सद्भाव और सौहार्द की भावना लाई जानी चाहिये और एक ऐसे राज्य में जिसे हमें बापूजी देने का गौरव प्राप्त है समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचारों की ऐसी किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आना चाहिये।"

श्री मनीराम बागड़ी : सभापति जी, सदन की भावना को देखते हुए होम मिनिस्टर साहब इस का जवाब दें।...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान : यह तीन सप्ताह से चल रहा है और दूसरी जगहों पर भी यह बीमारी फैल रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सरकार की मशीनरी उस में शामिल है।

श्री हीरा लाल आर० परमार : इस की जांच की जानी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान : वहां की सरकार की आंखों के सामने यह हो रहा है। यह मामला बहुत दिनों से चल रहा है। दिल्ली की वोट क्लब पर भी हरिजनों का आन्दोलन हुआ था...

एक माननीय सदस्य : आर० एस० एस० पर बैन लगाना चाहिए। (**व्यवधान**)···

श्री जगपाल सिंह : मुझे एक बात कहने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

मेरी मांग यह है कि जो भी अफसर इस आन्दोलन में शामिल हों, सरकारी अफसर, सरकारी कर्मचारी इस आन्दोलन में शामिल हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री हीरा लाल आर० परमार : आर० एस० एस०, जनसंघ, पुलिस और अखबार वालों की जांच करनी चाहिए। यह अखबारों में आता है। इस तरह से हमारे आदमियों का कत्ल होता है। (**व्यवधान**)

जार्ज फर्नान्डीस : हम गुजरात सरकार की बरखास्तगी चाहते हैं।

सभापति महोदय : देखिये हम कार्यवाही से कटवाने के लिए मजूबर हो जायेंगे। हम कटवा देंगे। (**व्यवधान**)

श्री जगपाल सिंह : चार सप्ताह से हम लोगों का कत्ल किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने मन्त्री महोदय से एक वक्तव्य देने को कहा है। उनके वक्तव्य देने के बाद ही आप अपनी बात जो भी चाहो रख सकते हो।

जार्ज फर्नान्डीस : हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार को बरखास्त कर दिया जाए। यह तो नारायणपुर की घटना से भी बुरी घटना है। आपने वहां जाकर नारायणपुर की घटना पर शोर मचाया। अब आप गुजरात सरकार को बरखास्त कीरिये न। (**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द डागा (**पाली**) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई सदस्य खड़ा होकर बिना अध्यक्ष पीठ की अनुमति लिए बोल सकता है? केवल वे ही सदस्य बोल सकते हैं जिनके नाम सभापति महोदय बुलाते हैं। ...(**व्यवधान**) यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मकवाना महोदय को वक्तव्य अवश्य देना चाहिये और सदन को समस्त स्थिति से अवगत कराना चाहिये·····(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, मैंने पहले भी कहा था कि इस पर पूरा डिस्कशन कराइये। यह कांस्टीच्युशन के विरुद्ध है। जब पूरे देश में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों विरुद्ध इस तरह से अभियान चलाया जाएगा और उन्हें कत्ल किया जायेगा तो क्या आप बैठे रहेंगे ?

श्री जगपाल सिंह : ये कत्ल मे शामिल हैं। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : यह सारा मामला आपके राजपाट में हो रहा है।

श्री जगपाल सिंह : 29-30 दिसम्बर की रात्रि को मेरे जिले में एक झोंपड़ी में तेल छिड़क कर आग लगा दी गयी और उसमें एक परिवार के 6 लोग जल कर मर गये। अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी उस झोपड़ी में होता तो वह भी आग लगने पर वहां से भाग जाता, लेकिन उस परिवार के सभी 6 लोग उस में जल कर मर गये। पुलिस कहती है कि झोंपड़ी में आग दिये से लगी। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : हाउस में अभी होम मिनिस्टर बैठे हैं। इन को पूरी जानकारी है कि क्या सच है। इन से कहिये ये यहां कहें। (**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देता हूं कि मैं राज्य सरकार से इसकी रिपोर्ट मंगाऊंगा। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गुजरात में कांग्रेस (इ) को छोड़कर सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। जनता पार्टी के एक सदस्य....(**व्यवधान**) उन्होंने इस सत्याग्रह आन्दोलन का विरोध किया है.... (**व्यवधान**)।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह सच नहीं है···(**व्यवधान**)। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (**व्यवधान**) ..मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुने। आप सुनते क्यों नहीं है ? महोदय, यह क्या हो रहा है। वे चाहते हैं कि मैं बोलू, परन्तु वे मेरी बात नहीं सुनना चाहते। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने, जनता पाटी के एक विधायक ने सभी दलों के हरिजन खेमों ने और कांग्रेस (इ) ने आरक्षण के विरुद्ध चल रहे इस आन्दोलन की निन्दा की थी परन्तु विपक्षी दलों में से किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया····(**व्यवधान**)

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निन्दा की है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : नहीं।

श्री आर० के० महालगी : आप नहीं जानते। आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : नहीं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : भारतीय जनता पार्टी तो आन्दोलन का समर्थन कर रही है। (**व्यवधान**)। भारतीय जनता पार्टी के श्री नाथेला बागरा वह मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने छात्रों को भड़काया (**व्यवधान**) मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रारम्भ में उन आयुर्विज्ञान छात्रों को समर्थन देने में अत्यन्त ही सक्रिय थी जो कि पर्दे के पीछे कार्यवाही कर रहे थे। केवल कांग्रेस (इ) और एक जनता पार्टी विधायक.....

डा० सुब्रह्मनियम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : एक ही बहुत है । मैंने भी खुलकर निन्दा की है। अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने हिंसा की निन्दा की थी और आरक्षण का समर्थन ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यहां तक कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी इस आन्दोलन का समर्थन किया है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछली बार इस प्रतिवेदन के संबंध में बोलते समय....(**व्यवधान**) हम इस मामले में विपक्ष का सहयोग चाहते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी अन्य व्यक्ति इस मामले में हमें सक्रिय सहयोग देने के लिए आगे नहीं आया है। माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों में छपने वाले समाचारों के बारे में कुछ उल्लेख किया है। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करवाऊंगा । (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपकी सरकार क्या कर रही है, गुजरात सरकार क्या कर रही है ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इस देश की सर्वोत्तम सभा की भावनाओं के बाद और सारे हाउस के सभी पार्टियों के सभी सदस्यों की भावनाओं के बाद भी आप अमन-चैन व्यवस्था कायम नहीं करते हैं तो फिर आप मुजरिम हैं। सारे सदन की भावना है कि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों पर आप एक्शन लीजिए, उनसे सख्ती से निपटिए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : हरिजन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। सवर्णों को जेल नहीं भेजा गया है। (**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : नियम 350 के अधीन व्यवस्था का एक प्रश्न है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हम रूल नहीं चाहते। हरिजनों पर अत्याचार बन्द करो।

श्री रामविलास पासवान : जो पुलिस सम्मलित है उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री मूल चन्द डागा : नियम 350 में यह लिखा है :—

> "जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसका नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाएगा······"

(**व्यवधान**)मैं व्यवस्था का एक प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। (**व्यवधान**)

श्री योगेद्र मकवाना : श्री मनीराम बागड़ी ने जो सदभावना प्रदर्शित की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस आन्दोलन की निन्दा करें। (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : मकवाना साहब को आप सुन लें। उनको चाहिए कि वह दिलेरी के साथ हिन्दुस्तान की जनता को आश्वासन दें।

श्री जगपाल सिंह : आपको सख्ती के साथ इस एजीटेशन से निपटना चाहिए। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। एंटीरिजर्वेशन मूवमेंट को दबाने में हम आपके साथ हैं।

इस मामले में हमारी पार्टी आपका विरोध नहीं करती है । आप सख्त कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह अच्छी बात हैं कि आप यहां इसका समर्थन कर रहे हैं । लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गुजरात में उनके प्रतिपक्षियों को भी यह बता दें कि वे इसका समर्थन करें और इस आन्दोलन की निन्दा करें यदि सभी दल इस आन्दोलन की निन्दा करेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि यह आन्दोलन समाप्त हो जाएगा । लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गुजरात से किसी ने भी इस आन्दोलन की निंदा करने वाला वक्तव्य नहीं दिया है । (**व्यवधान**) मैं राष्ट्रीय नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ । मैं गुजरात के विभिन्न दलों के नेताओं की बात कर रहा हूं ।

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस आई के आधे से अधिक मेम्बर आरक्षण विरोधी हंगामे में लगे हुए हैं ।

श्री जगपाल सिंह : इन्हीं की पार्टी का एक सैक्शन है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ इस आन्दोलन को चला रहा है । यह इनकी पार्टी में साज़िश हो रही है ।

श्री राम विलास पासवान : आप इनक्वायरी कराएं । गुजरात के चीफ मिनिस्टर आरक्षण विरोधी तत्वों के साथ मिले हुए हैं । एडमिनिस्ट्रेशन इनका साथ दे रही है । इसके पीछे चीफ मिनिस्टर का हाथ है । आरक्षण विरोधी आन्दोलन में चीफ मिनिस्टर का हाथ है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : गुजरात के चीफ मिनिस्टर को बरखास्त किया जाए ।

(**व्यवधान**)

श्री मगनभाई बरोट : वह इस प्रकार सत्ता में नहीं रह सकते हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमें इस मामले को स्पष्ट करना है । उन्होंने मुख्य मन्त्री पर एक स्पष्ट आरोप लगाया है । मुख्य मन्त्री ने विधान सभा में इस आन्दोलन की स्पष्ट रूप से निन्दा की थी, उन्होंने कहा था कि हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण रखना जारी रखेंगे चाहे हमारा राजनितिक जीवन ही क्यों न समाप्त हो जाये ।

(**व्यवधान**)

(दो) रक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारियों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस समय रक्षा संस्थानों में कार्य कर रहे सिविल कर्मचारियों को मजदूर संघ बनाने की स्वतन्त्रता नहीं है । एम० ई० एस० संस्थान में लगभग एक हजार से अधिक सिविल कर्मचारी हैं । वे सिविल उपयोग के लिए और नौसैनिक, तट रक्षक तथा अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों के इस्तेमाल के लिए जेट्टियों, कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण, जल पूर्ति प्रतिष्ठानों आदि के कार्य में लगे हुए हैं । अंडमान हार्बर वर्क्स तथा गैर-सरकारी ठेकेदारों जैसे अन्य विभागों द्वारा भी उसी प्रकार के

कार्य किये जाते हैं। जब सिविल विभागों और गैर-सरकारी ठेकेदारों के कर्मचारियों को मजदूर संघ बनाने की स्वतंत्रता है तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि वही कार्य करने वाले सिविल कर्मचारियों को मजदूर संघ बनाने से रोका जाये या न बनाने दिया जाये।

'कैम्पवेल बे' (ग्रेट निकोबार) में स्थित इस संगठन में लगभग छः सौ कर्मचारी हैं, सभी अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दैनिक मजदूरी दर पर कार्य कर रहे हैं। यद्यपि उनमें से अधिकांश ने 7 से 8 वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली है तो भी लगातार सेवा के लिए सभी प्रकार के छुट्टी लाभों आदि से उन्हें वंचित करने के लिए प्रत्येक तीन महीने बाद उनकी सेवा में बनावटी **व्यवधान** डाल दिया जाता है। कर्मचारी यह जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से वे लगातार सेवा में हैं लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी के बिना ही रिकार्डों में **व्यवधान** डाल देते हैं। वहां ऐसे भी प्रधान कर्मचारों और अन्य पर्यवेक्षण कर्मचारी हैं जो सेवा की सुरक्षा के बिना बहुत थोडी मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं।

ये कर्मचारी किसी सैनिक अधिनियम द्वारा बाध्य नहीं हैं और रक्षा कार्मिकों को मिलने वाले किसी लाभ के भी हकदार नहीं हैं।

इसलिए में यह मांग करता हूं कि मिलिटरीकृत निर्माण कार्य तथा अन्य विभागों में कार्य कर रहे सभी सिविल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबन्ध के अपना मजदूर संघ बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(तीन) नागरकोइल टेलीफोन केन्द्र को स्वचालित केन्द्र में बदलना

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : नागरकोइल (जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु) टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित किया जाना है और एक ही एक्सचेंज के रूप में कार्य करने के लिए जिले के अन्य सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को नागरकोइल एक्सचेंज में विलय कर दिया जाना है, मिला दिया जाना है ताकि जिले के सभी प्रयोक्ता, जो बहुत पास-पास रहते हैं, इसके जरिये स्थानीय काल करने, एस० टी० डी० का उपयोग करने तथा अन्य टेलीफोन सुविधाओं का शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठा सकें। कन्याकुमारी जिला आकार और विस्तार में बहुत छोटा है और कन्याकुमारी से लेकर केरल की सीमा कलियाकाविलै तक इसकी लम्बाई केवल 34 मील है। जनसंख्या घनत्व और साक्षरता की प्रतिशतता इस जिले में बहुत अधिक है। नागरकोइल, जो जिला मुख्यालय है, लगभग बिलकुल इसके मध्य में है। इस समय यहां बहुत बड़ी संख्या में जो टेलीफोन एक्सचेंज हैं, वे सही अनुपात में नहीं हैं और इधर-उधर बिखरे हुए तथा अनियमित हैं। प्रयोक्ताओं को नजदीक के स्थानों के लिए भी ट्रंक-काल करने पड़ते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कृपया नागरकोइल को स्वचालित एक्सचेंज में परिवर्तित करने और जिले के सभी अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों का विलय करके एक ही टेलीफोन एक्सचेंज नागरकोइल के साथ जोड़ने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

(चार) दिल्ली में किसान रैली के लिए रेलगाडियों द्वारा किसानों को-लाने ले जाने के कारण यात्रियों को हुई कठिनाईयां

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सत्ताधारी दल द्वारा दिल्ली में 16-2-1981 को आयोजित किसान सम्मेलन के कारण कान्फ्रेंसों के लिए आये हुए शिष्टमंडलों सहित उन

यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई हुई है जिन्होंने रेलगाडियों में सही और अग्रिम आरक्षण करवाये हुए थे।

बम्बई और अन्य स्थानों से आने वाली वे रेलगाड़ियां जिनमें सारनाथ में हो रहे जनता पार्टी के राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए शिष्टमंडल आ रहे थे नई दिल्ली में सत्ताधारी दल द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने वाले किसानों को लाने वाली रेलगाड़ियों के कारण रुकी रहीं और देर से पहुंची जिसके परिणामस्वरूप शिष्टमंडल सही समय पर कांफ्रेंस में नहीं पहुंच सके।

सारनाथ में हो रहे जनता पार्टी के सम्मेलन से वापस आने वाले शिष्टमंडलों को, जिनमें बजट सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रहे संसद सदस्य भी शामिल थे, रेलगाड़ियों में घुसने नहीं दिया जा रहा था और कुछ संसद सदस्यों को अग्रिम आरक्षण के बावजूद रेलगाड़ियों में जबरदस्ती घुसना पड़ा और खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी।

यात्रियों के आने-जाने में यह हस्तक्षेप बहुत आपत्तिजनक है और सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए।

(पांच) गुरु रविदास जी की जयन्ती मनाने के लिए 18 फरवरी, 1981 को राजपत्रित छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति जी, अभी गुजरात में हरिजनों के उपर अत्याचार के बारे में बात हुई थी। लेकिन पूरे भारत में जो उन पर अत्याचार हो रहा है और इस हाउस से भी इंसाफ नहीं मिला है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं।

गुरू रविदास जी के 10 करोड़ से अधिक हरिजन अनुयायी हैं—भारत में किसी अन्य धार्मिक गुरू की अपेक्षा अधिक अनुयायी है। सभी धार्मिक गुरूओं के जन्म दिवसों की स्मृति में छुट्टी घोषित है।

इस वर्ष गुरू रविदास जी का जन्म दिवस 18 फरवरी को पड़ता है। इसलिये अनुरोध है कि धर्म निरपेक्षता की सच्ची भावना से उक्त दिन को हरिजनों के प्रति इस स्पष्ट भेदभाव को दूर करने के लिये सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा लोक सभा में सरकरी छुट्टी घोषित की जाए।

इसके अतिरिक्त, बाबा साहिब डा० बी० आर० अम्बेडकर तथा महर्षि बालिमकी के जन्म दिवस की भी सरकारी छुट्टी घोषित की जाए।

किन्तु यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो मैं मांग करता हूं कि इस धर्म निरपेक्ष देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को समाप्त करने के लिए केवल सरकारी छुट्टी अर्थता 26 जनवरी तथा 15 अगस्त की होनी चाहिए।

(छः) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में।

श्री जी० एम० बनात वाला (पोन्नानी) : खेद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 31 जनवरी 1981 से अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है। सूर्य निकलने से पूर्व लगभग

3.45 पूर्वाह्न में पुलिस से लेद हुए कई ट्रक विश्वविद्यालय में घुसे। 213 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। और साथ में सभी छात्रावासों को खाली कराने के लिये भारी पुलिस कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी। प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस लगभग बीस कम्पनियां तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की दस कम्पनियाँ विश्वविद्यालय परिसर के भीतर तैनात की गई। गैर-सरकारी रूप से विश्वविद्यालय क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया।

एक अध्यापक जिसने 13 जनवरी को प्रकाशित एक दैनिक पत्र में दिये गये साक्षात्कार में विश्वविद्यालय की निन्दा की थी और इसके विरुद्ध असंतोष पैदा करने का प्रयास किया था के विरुद्ध कारवाई की मांग करने के लिए छात्रों द्वारा अत्याधिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन के प्रति निरंकुश कारवाई की गई। यह खेद जनक बात है कि संबंधित अध्यापक के विरुद्ध उचित कार्यवाही के स्थान पर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया गया। और वे छात्रा दमनकारी नीति के शिकार हुये जो शान्तिपूर्ण बने रहे और हिंसा से दूर रहे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने के बाद, अब संबंधित अध्यापक के विरुद्ध आरोप-पत्र देना सही एवं उपयुक्त पाया गया है। उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जा सकती है। जैसा की समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

यद्यपि यह प्रशंसनीय है कि अब छात्रों को रिहा कर दिया गया है और उनके विरुद्ध शुरू किये गये मुकद्दमों को वापस ले लिया गया है फिर भी भारी क्षति हुई है। यह भी पूर्ण रूप से आवश्यक है कि शैक्षिक वर्ष के नुकसान को बचाने के लिए विश्वविद्यालय को तुरन्त खोला जाए।

मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा सभा में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

(सात) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा की घटनायें

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, कुरूक्षेत्र विश्वद्यिालय के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ठीक इन्तज़ाम न करने की वजह से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे बचा जा सकता था। अधिकारियों में इतनी समझ नहीं थी कि वे इस बात का पहले से अन्दाज़ लगा लेते कि जिस हाल में महामहिम राष्ट्रपति जी को दीक्षान्त भाषण देना था, उसमें उतनी जगह है भी कि उसमें सभी छात्र आ सकें। इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग ढाई हज़ार छात्रों को ही प्रवेशपत्र दिये गये, जबकि छात्रों की संख्या पांच हज़ार थी। इसमें छात्र उत्तेजित हो उठे और उन्होंने प्रदर्शन किये। पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों की गिरफ्तारी और उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार के फलस्वरूप लगभग 300 छात्रों को गंभीर चोटें आई और उनमें से 20 छात्रों की हालत नाजुक है। कुलपति, पुलिस और सिविल अधिकारियों की ज्यादतियों की जांच की जानी चाहिए, ताकि छात्रों की वाजिब शिकायतों को दूर किया जा सकें।

चूंकि काफ़ी समय से यह विवाद चल रहा है, अतः केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करे, विद्यार्थियों को तुरन्त रिहा कराये और न्यायिक जांच हो।

विक्टोरिया स्मारक (संशोधन) विद्येयक, 1980

शिक्षा, तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : श्री मान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम् 1903 का और संशोधन करने वाले विद्येयक पर विचार किया जाए।"

विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता, सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित्र स्वात्तय संगठन है। जिसे केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत 1903 में स्थापित किया गया था। अधिनियम स्मारक के निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबंध के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से तथा न्यासियों के एक स्थाई निकाय नियुक्ति करने के लिये पास किया गया था।

शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव विक्टोरिया स्मारक हाल के न्यासियों के मंडल के पदेन सदस्य हैं। 1903 के अधिनियम को 1972 में, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे दो व्यक्तियों के नाम निर्देशन का उपबंध करने के लिए जिन्हे संग्रहालय में प्रदर्शन करने योग्य वस्तओं का विशेषज्ञ ज्ञान हो या जो संग्रहालय, इतिहासज्ञ या कला-इतिहासज्ञ हों तथा संग्रहालय के सामान्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से न्यासियों द्वारा अन्य विशेषज्ञों का नाम निर्देशित करने के लिए भी संशोधित किया गया था इस खंड में, संग्रहालय के सामान्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालें व्यक्तियों का न्यासियों द्वारा नाम निर्देशन करने वाले उपवंध में जिसे तत्कालीन अधिनियम के समान ही आवश्यक समझा गया था, कोई योग्यता अथवा मापदंड निर्धारित नहीं किया गया था।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, पांचवी लोकसभा ने विक्टोरिया स्मारक हाल में प्रवेश के टिकटों तथा पदों के सृजन के लिए नियमो के विशिष्ट सामवेशन और इस हाल के कर्मचारियों को सेवा शर्तों को विनियमित करने की शिफारिशें की थीं। वर्तमान संशोधन अधिनियम की धारा 5 का संशोधन सालारजग संग्रहालय अधिनियम, 1961 के आधार पर फीस लगाने के लिये नियम बनाने हेतु सरकार को शक्ति देने के लिये किया गया है। संसद के समक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित नियमों को रखने के लिए एक उपबंध का समावेश करने का भी अवसर प्राप्त किया जा रहा है। कर्मचारियों के सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए लिये विनियमनों तैयार करने हेतु न्यासियों को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिनियम में एक नया खण्ड जोड़ने का भी प्रस्तात्र है।

मैं यहां इस बात का उल्लेख करू कि विक्टोरिया स्मारक संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान संसद में दिये गये आश्वासन के अनुसार प्रो० निहाररंजन राय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति वसूलियों का पुनर्नवीकरण के लिए सिफारिश करने हेतु दिसम्बर, 1972 में गठित की गई थी। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि संग्रहालय को ऐसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाए जिससे 1750 से 1900 तक की अवधि शामिल हो जाए। इन सिफारिशों पर न्यासियों द्वारा विचार किया गया था जिन्होंने ने सिफारिश की थी कि शामिल की जाने वाली अवधि 1700 से 1900 तक होनी चाहिए। यह मान ली गई थी।

मैं यह कह सकता हुँ कि विक्टोरिया स्मारक हाल में, पुनर्नवीकरण कार्य क्रम के मांग के रूप में एक अलग दीर्घा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें संचाल तथा अन्य जन-जातियों के इन्डिगो प्लाटर्स (नील खेतीहरो) के संघर्ष का चित्रण होगा। विक्टोरिया स्मारक हाल का सदस्य-सचिव आन्दोलन के समकालीन व प्रामाणिक दृश्य अभिलेखों का पता लगाने के लिये विश्वविद्यालयों, विद्वानों तथा लेखकों के संपर्क में है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा के विचार करने के लिये इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :—

"कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, सन् 1903 का जो विक्टोरिया स्मारक ऐक्ट है उस में जो हम संशोधन करने जा रहे हैं, इस पर में शुरू में यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों को 33 साल आजाद हुए हो चुके हैं लेकिन जिस नाम से अंग्रेजों ने सन् 1903 में यह ऐक्ट बनाया था उसी पर संशोधन करते-करते हम लोग आज सन् 81 तक पहुंच गए हैं। मैं अभी मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर की तरफ से जब टूर पर गया तो विक्टोरिया मैमोरियल को भी देखने गया। आप को ताज्जुब होगा कि अंग्रेज 33 साल पहले ही हमारे मुल्क को छोड़ कर जा चुके हैं लेकिन एक अंग्रेज उस समय वहां पर खड़ा था, उसने बड़ी गेज़िंग दृष्टि से जो वहां पर अरविन्द बोस का स्टेच्यू लगाया है जहां पर पहले जार्ज पंचम का था, उसको देखा और उसको देख कर उसकी आंख में खून उतर आया। उसने पूछा कि यह स्टेच्यू यहां किसने लगा दिया? यानी आज भी वह विक्टोरिया मेमोरियल को देख कर यह समझता है कि विक्टोरिया मेमोरियल उसकी प्रापर्टी है और जो रूलर्स थे उनकी एक यादगार है। मैं सरकार से कहूंगा कि यह जरूरी नहीं है कि हम सन् 1981 में भी विक्टोरिया मेमोरियल के नाम पर ही इस का संशोधन करें। पूरे देश की बात छोड़ दीजिए हमारे बंगाल के अन्दर ही इतने देशभक्त हुए जो विक्टोरिया की जालिम सरकार के खिलाफ लड़ते-लड़ते शहीद हो गए जिस में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चन्द्र चाकी, मातंग नीहारजा, मास्टर दा और खास तौर से तीन देशभक्त जिनके नाम पर आज भी बंगाल का एक-एक बच्चा मर मिटने को तैयार है—बिनोये, दिनेश और बादल, उनमें से किसी के नाम पर इस मेमोरियल को रखिए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि विक्टोरिया मेमोरियल के नाम पर आप इसमें अमेंडमेंट मत करिए बल्कि जो वहां के शहीद हुए हैं उनमें से किसी के नाम पर इस विक्टोरिया मेमोरियल को रखिए क्योंकि आज भी जो विदेशी पहुंचता है और हम लोग भी जब विक्टोरिया महारानी की स्टेच्यू को देखते हैं उस हाल में तो वह कोई शोभनीय चीज नहीं लगती। आप उसको किसी म्यूज़ियम में पहुंचाइए और अपने उन देशभक्तों में से किसी भी देशभक्त के नाम पर जो बंगाल का बड़े से बड़ा देशभक्त हो उसका स्टेच्यू आप उस हाल में लगाइए ताकि हम लोगों के दिमाग में भी यह बात उस मेमोरियल में जाने के बाद पैदा हो कि हमारे इन शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ कर हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से आजाद किया।

आप देखें, विक्टोरिया मेमोरियल के मेन गेट पर जो स्टेच्यू लगी है, मैंने अपने गाइड से जो सरकारी गाइड हमारे साथ था, उससे उसके बारे में पूछा कि यह जो महारानी की

मूर्ति है, इसकी गोद में जो नंगा बच्चा दिखाया गया है इसके क्या मानी हैं, तो उस पर गाइड ने बताया कि इसकी परिभाषा यह है, लोग बताते हैं कि यह हिन्दुस्तान महारानी विक्टोरिया की गोद में दिखाया गया है—नंगा, गरीब और यह इसकी मां है। फिर विक्टोरिया मेमोरियल के मेन गेट से जब आप घुसते हैं तो कुछ आप देखते हैं, मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारी स्लेवरी को वह दोहराता है। हम लोग जब वहां पहुंचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग इनके स्लेव रहे हैं, गुलाम रहे हैं। आप देखिए कि वहां पर कितना बड़ा झूठ है। मैं कहता हूँ कि किसी भी हिन्दुस्तानी ने आज तक उस बात को स्वीकार नहीं किया है। उसके मेन गेट पर लिखा है कि हिन्दुस्तान के राजा-महाराजाओं ने और इस देश की जनता ने प्यार-वश 12 करोड़ रुपये देकर इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनवाया था। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर इतिहासकारों से खोज करायी जाय, हमारा जहां तक ख्याल है किसी भी देशभक्त ने या हिन्दुस्तान की जनता ने इसके लिए पैसा नहीं दिया होगा। राजे महाराजे दे सकते थे जो उनके गुलाम थे और जो उनके एजेंट थे। लेकिन इस देश की जनता का जो नाम लिखा गया है, मैं कहना चाहूंगा कि इस पत्थर को भी बदल कर वहां पर किसी देशभक्त का कोई स्लोगन, चाहे—वह सुभाष चन्द्र बोस का हो चाहे किसी और का हो, वह लिखा जाय ताकि उस मेमोरियल के अन्दर घुसते ही हमारे अन्दर देशभक्ति पैदा हो।

दूसरी बात जो मन्त्री महोदय ने कही है कि हैदराबाद में जो सालारजंग संग्रहालय है उसकी तरह इसके ऊपर वह टिकट लगाना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में मैं सरकार से मांग करूंगा कि अगर आप इस मेमोरियल कोदे शभक्तों की स्टेच्यू से सजाते हैं, उसमें हमारे देशभक्तों के स्टेच्यू लगाते हैं, उसका नाम बदल कर देशभक्तों के नाम पर रखते हैं तो बेशक आप टिकट लगाइए लेकिन जिन लोगों ने हमें सैंकड़ों वर्ष गुलाम रखा उनके स्टेच्यू को देखने के लिए आप हमसे पैसा लें यह इस मुल्क के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप इसमें यह संशोधन मत करिए। मैं सरकार से यह कहूंगा कि इसमें अमेंडमेंट आप बेशक करिए लेकिन इसका नाम किसी भी देशभक्त के नाम पर रखिए, खासतौर से बंगाल के जितने भी देशभक्त हुए, कोई एक नहीं हजारों बंगालियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनमें से किसी के नाम पर आप इस का नाम रखिए।

आप इसका एक्सटैंशन करके उसके बराबर इसमें स्टैचू लगाइए और हमारे जितने हिन्दुस्तान के देशभक्त हैं, उनकी विक्टोरिया मैमारियल के मुकाबले की बिल्डिंग बनाकर एक कम्पैरेटिव स्टडी बना कर हिन्दुस्तान के लोगों को बताइए कि हिन्दुस्तान के लोग आजादी को हासिल करने के लिए जुल्म के खिलाफ किस तरह से लड़े थे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : माननीय सदस्य ने इस विधेयक के नाम पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हूं। यह उचित समय है कि हम इस विधेयक पर ध्यान द तथा इस विधेयक के नाम को बदलें। परन्तु उसे स्मारक को बिगाड़ने या बदले का अधिकार नहीं देना चाहिये। हमें स्मारक तथा अन्य उन चीजों के सम्बन्ध में हठधर्मी नहीं होना चाहिए जो वहां स्थापित हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण का अध्ययन करने के बाद मुझे चार कारणों का पता लगा है। पहला अधिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि वहां सात पदेन सदस्य हैं—पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल, पश्चिमी बंगाल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति तथा सभी अधिकारी वे इसका कैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इस संग्रहालय के सुधार के लिए उनके सुझाव क्या हैं? मुझे इन पदेन सदस्यों के प्रतिनिधित्व से आशंका है कि वह इस स्मारक के सही संचालन, सुधार तथा विस्तार के लिए किसी भी तरह से सहायक नहीं होगा। हमें प्रसिद्ध सालारजंग संग्रहालय को देखने का सौभाग्य मिला था हमें उस स्मारक के बारे में वाद-विवाद करने का अवसर मिला था। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि वर्ष में एक बार बैठक हुई थी। हम नहीं चाहते हैं कि इस संस्था के साथ भी ऐसा हो।

मेरा पहला निवेदन यह है कि इस संस्था में इन सात पदेन सदस्यों की व्यवस्था वाले उपबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है जिसका यहां जिक्र किया गया है कि स्मारक में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर फीस लगाई जाए। हमें मालूम नहीं है कि कितना धन वसूल होने वाला है और कितना इस आशय के लिए उपयोग होने वाला है। यह यहां पर नहीं बताया गया है।

दूसरी बात यह है जो उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में दी गयी है। जो अधीनस्थ विधार्थी समिति की सिफारिश हैं। इस सभा में मैं सदैव इस बात की बार-बार मांग करता रहा हूं कि नियमों को प्रारूप विधेयक के साथ अवश्य होना चाहिये। 1903 के अधिनियम का अध्ययन करने पर मुझे उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में निम्नलिखित खण्ड का पता लगा है :—

> "इस विधेयक के कानून बन जाने की दशा में गवर्नर-जनरल-इन कांडसित्व का तुरन्त नियमों का एक प्रारूप जारी करने का प्रस्ताव है जो सामान्य जानकारी के लिए उसके नीचे दिया हुआ है।"

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह उचित समय है कि जब इस सभा में यह विधेयक पुनःस्थापित किया गया है, प्रारूप नियम भी इसके साथ हैं और इसके लिए यह एक अच्छी मिशाल है। लोगों को सही जानकारी रखनी होगी कि इस विधेयक का कैसे कार्यान्वयन किया जाना है और निष्पादन किया जाना है और कार्यपालिका की उस समय क्या शक्ति होगी जब इस अधिनियम के उद्देश्यों का कार्यान्वयन होगा।

मुझे दूसरा कारण बताना है। कृपया प्रस्तावित धारा का अवलोकन करें "6 (I) न्यासी केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस निकाय को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।"

मेरा प्रश्न है कि यदि यह मुख्य अधिनियम से असंगत है तो वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि अधिनियम से संगत है तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन क्यों चाहिए।

इससे मैं कुछ भी नहीं समझा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री ने मेरी समस्या समझ ली होगी। यह लोकतंत्र पर नौकरशाही की सर्वोच्चता स्थापित करती है। यहां हम

नौकरशाहों को अधिक शक्तियां दे रहे हैं। छोटी-से-छोटी बातों के लिए उन्हें कलकत्ता से दिल्ली आना पड़ता है। क्या हमारे पास एक स्वायत्तशासी संस्था नहीं हो सकती जो इसके कार्यचालन तथा कर्त्तव्यों की ठीक प्रकार से देखभाल करे? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?

यदि आप खंड दो को देखें तो इसके अनुसार :

> "(3क) यदि उपधारा (1) के खंड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निर्दिष्ट न्यासियों में से कोई न्यासी-न्यासियों की किसी बैठक में हाजिर होने में असमर्थ हैं तो वह अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा।"

वह अनुपस्थित हो सकता है तो यह किस प्रकार सहायता करेगा? यदि कोई व्यक्ति किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उसे समिति में क्यों होना चाहिए? इस प्रावधान से नौकरशाहों के कार्यचालन का स्पष्ट रूप से पता चलता है। मेरा सुझाव है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार दो बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाता तो उसे दोबारा अनुमति न दी जाए।

ये कुछ सुझाव हैं जो मैं देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन पर विचार करेंगे। पहला, पदेन सदस्यों की संख्या कम कर दी जाए। दूसरा, यदि कोई सदस्य लगातार दो बार बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो उसे दोबारा अनुमति न दी जाए। तीसरा, खण्ड 6 में "केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से" शब्दों का लोप कर दिया जाए। "विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903" शीर्षक को किसी उपयुक्त शीर्षक द्वारा बदल दिया जाए जैसे "गाँधी स्मारक अधिनियम" या ऐसा ही कुछ और जिसका मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने सुझाव दिया था। मुझे उम्मीद है कि मेरे सुझावों के अनुसार उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, यह विधेयक एक निश्चित उद्देश्य से लाया गया है।

उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार :

> "यह प्रस्ताव है कि इस धारा का समुचित रूप से संशोधन किया जाए जिससे कि उसे व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सके, जैसी कि न्यासियों ने सिफारिश की है।"

किसका व्यापक प्रतिनिधित्व? जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती सदस्य ने काफी स्पष्ट कर दिया है इस संशोधन में भी, पदेन सदस्यों की संख्या इतनी रखी गई है कि नौकरशाही प्रबन्ध के इलावा वहां और कुछ नहीं होगा। नौकरशाही ने लोकतन्त्र की छवि बिगाड़ दी है। हमें इसे और बिगड़ने की प्रक्रिया में सहायक नहीं होना चाहिए। मैं अपने पूर्ववर्ती सदस्यों के विचारों का समर्थन करता हूं कि शीर्षक तत्काल बदला जाना चाहिए। यह बड़ा कष्टकर है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम इन साम्राज्यवादी मूर्तियों और नामों से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं अराजकतावादी नहीं हूँ मै जानता हूँ कि यह हमारे इतिहास का एक भाग है। हमें एक संग्रहालय के माध्यम से उनकी निन्दा करनी चाहिए जिससे हमारी जनता जाकर यह देखे की ये वह लोग थे

जिन्होंने हत्यायें की, जिन्होने हम पर अत्याचार किया और जिन्होंने हमें 200 वर्ष तक गुलाम बनाए रखा। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में कुछ **काले साहब** हैं जो पुरानी परम्पराओं को जारी रखने में ज्यादा लालायित हैं।

मैं जानता हूं कि सत्ताधारी दल के सदस्य भी नाम बदलने के लिए सहमत होंगे और वे सदा सहमत रहते हैं। मैं 1972 का वाद-विवाद पढ़ रहा था मैंने देखा कि यह सुझाव उस समय भी दिया गया था। मैं अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री को जानता हूँ। उनके विचार उदार हैं। मैं जानता हूं कि वे सहमत होंगे और पूरी सभा सहमत होगी कि कम से कम इस वर्ष 1981 में हमें नाम बदल देने चाहिएं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि ये महात्मा गांधी या सुभाष चन्द्र बोस या भगत सिंह या प्रफुल्ल चन्द्र रे या किसी के भी नाम पर हो। इसका निर्णय हो सकता है। परन्तु यह साम्राज्यवादी विरोधी आन्दोलन की जीवन्म स्मृति होनी चाहिए। जहां तक प्रतिनिधित्व का संबंध है कुछ पदेन सदस्य होने चाहिएं। परन्तु संख्या कम से कम कर देनी चाहिए और मैं माननीय शिक्षा मंत्री को सुझाव देता हूं कि संसद तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा के कुछ सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए। एसी स्थिति में दोनों राज्य तथा संसद और पश्चिम बंगाल विधान सभा का भी प्रतिनिधित्व होगा और सामान्य नियंत्रण भी होगा।

विक्टोरिया स्मारक के अधिकारियों की ओर से एक सुझाव है कि संग्रहालय का विस्तार किया जाए तथा संग्रहालय में नई वस्तुओं को शामिल किया जाए। मेरा विचार है कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इसके विस्तार का प्रयत्न करेगी तथा संग्राहलय में नई वस्तुओं की संख्या भी बढ़ाएगी।

विक्टोरिया स्मारक प्रशासन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। बिना विस्तार में जाये हुए मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सबसे पहिले वहां के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करें। चूंकि विक्टोरिया स्मारक मेरे चुनाव क्षेत्र में है, मैं कर्मचारियों की कुछ कठिनाइयों को जानता हूं। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस स्मारक के कर्मचारियों की कठिनाइयों की जांच करें।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि लाल किले में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम है और जो लोग दिल्ली आते है वे लाल किला देखने जाते हैं। वे प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम देखते हैं। वे स्वतन्त्रता संग्राम के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुझे नहीं पता कि कलकत्ता तथा इस स्मारक में भी ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकते हैं कि भारत की जनता ने किस प्रकार संघर्ष किया तथा किस प्रकार उन्होंने आजादी पाई। जैसा माननीय शिक्षा मंत्री कह रहे थे, सतारा क्रांति, नील क्रांति आदि का वहां चित्रण हो सकता है और वह लोगों को एक प्रकार की शिक्षा होगी कि हमारे लोग तथा नेता हमारी स्वतन्त्रता के लिए लड़े। अतः मैं सुझाव देता हूँ कि इसे कलकत्ता में भी आरम्भ किया जाए और ज्यादा लोकप्रिय बनाया जाए। मैं यह सुझाव भी देता हूँ कि थोड़ी सी फीस, नाममात्र को फीस, ली जा सकती है।

मैं एक और प्रश्न पर जोर देना चाहूँगा जबकि वह इससे सीधे कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

मैं कलकत्ता संग्रहालय गया था और मैंने देखा कि भारत के सबसे बड़े और अच्छे संग्रहालयों में से एक होने के बावजूद इस संग्रहालय की देख रेख ठीक से नहीं की जाती। अच्छो

प्रदर्शन योग्य वस्तुएं बरबाद होने जा रही हैं। यह सब संग्रहालय की उचित देख-भाल न होने के कारण हैं। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए।

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि संग्रहालय की वस्तुऐं वर्षा के पानी से खराब हो रही हैं और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे देखें कि ऐसे संग्रहालयों को बचाया जाए तथा उनकी ठीक से देख-भाल की जाए तथा उनके प्रशासन में सुधार लाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं कि इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है तथा यदि हमारे शिक्षा मंत्री इस ओर तथा उस ओर के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों में से कम-से-कम कुछ सुझाव स्वीकार कर लेते हैं, तो मुझे इस विधेयक का पूरी तौर पर समर्थन करने में कोई हिचक नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी मेरें पूर्व बोलने वाले वक्ता देश की भावना की ओट में बात कह रहे थे और सच बात कह रहे थे। ये हमारे चह्वाण साहब हैं, ये मराठा हैं, ये शिवाजी की भूमि से आये हैं। कोई चीज़ विक्टोरिता के राजाओं ने या सूबेदारों ने बना दी तो शिवाजी की भूमि से आये चह्वाण साहब के खुद के दिमाग में यह बात आनी चाहिए थी कि अगर 12 करोड़ रुपया इकट्ठा कर के 1903 में कोई चीज़ बना दी गयी और कोई कानून बना दिया गया तो उसको वे ठीक करते। क्या वे उस विक्टोरिया की याद बनाये रखना चाहते हैं जिसने हमारे ऊपर शासन किया, जिसके अंग्रेजों ने हमारा कैसा शोशण किया, कैसा उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। क्या चहवाण साहब को विक्टोरिया की याद बनाये रखने के लिए यह विल इन्ट्रोड्युस करना पड़ा है ?

पहले सन् 1973 के अन्दर और 1974 में आखिरी बार यहां की पार्लियामेंट की सबोरडिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने कहा था कि आप मेहरवानी कर के रूल्स एण्ड रेगुलेशन बनाइये। अब में शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूं या आपके ब्युरोंक्रेट्स को धन्यवाद दूं कि वे सवोरडिनेट लेजिस्लेशन बनाने की कोई परवाह नही करते हैं ?

1974 में जो आवजरवेशंस की गयीं उनका में सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूं—

> "समिति यह देख कर क्षुब्ध है कि काफी संख्या में विधेयकों में सभा पटल पर नियम रखने का अब तक कोई प्रावधान नहीं है। पैरा 6 में उल्लिखित विधेयकों के अतिरिक्त कतिपय अन्य विधेयक भी हो सकते हैं जिनमें ऐसा प्रावधान नहीं है। समिति द्वारा उपरोक्त सिफारिश करने के 20 वर्ष पश्चात् भी यह समझ में नहीं आता कि संसद के समक्ष नियम रखने का प्रावधान करने की व्यवस्था वाले विधेयक नहीं लाये गये। समिति के यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियमों में इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है।"

"समिति इस बात पर आश्चर्यचकित है कि विधेयकों में बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखने के प्रावधान को सम्मिलित करने हेतु, उनकी तीसरी रिपोर्ट (प्रथम लोक सभा के पैरा 36-37 में की गई सिफारिश को, हालांकि वह सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी, 3 मई 1955 को सभा के समक्ष, उपस्थापित उनके रिपोर्ट के पश्चात् प्रस्तुत किये गये संशोधन विधेयकों में ध्यान में नहीं रखा गया"।

"समिति गम्भीरतापूर्वक चाहती है कि सभी मंत्रालय । विभाग अपने प्रशासन से संबंधित सभी विधेयकों की यह जानने के लिए जांच करें कि इनमें से किस विधेयक में संसद के समक्ष नियम रखने का प्रावधान नहीं है जिससे उनमें यह प्रावधान शीघ्रातिशीघ्र सम्मिलित किया जा सके।"

शिक्षा मंत्री जी ने एक मेहरबानी की कि 9 साल के बाद यह काम किया । पार्लियामेंट में यह बात 9 साल पहले आती रही । वैसे दो शिक्षा मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, एक राज्य शिक्षा मंत्री और एक ये बैठे हैं । 9 साल बाद एक तोहफा मिला है । मुझे अफसोस है कि हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो गई है कि सारी सत्ता ये अपने हाथ में लेना चाहते है। 1903 में एक्ट बन गया और रुल्स बन गए । रुल्स ऐसे बने कि आज तक हाउस में नहीं आए। अब उसको अमेंड करते की तकलीफ क्यों की है । मंत्री जी इतना कष्ट उठा रहे हैं । अगर बदलना ही है तो पूरा बदल दीजिए । 1981-82 के अन्दर जब एक्ट अमेंड करते हैं तो क्या यह बात नए जमाने से मेल खाती है । यह 1903 का एक्ट है । एक-दो सेंटेंस इसके तोड़-मरोड़ कर रख देते हैं और कह देते हैं कि एक्ट अमेंड कर दिया । हम लोग पढ़ते कम हैं, क्योंकि समय नहीं रहता, कई कामों में उलझे रहते हैं। देखिए कि 1903 के एक्ट को आपने अमेंड किया और सभापति के पद पर किसे बैंठा रहे हैं, गवर्नर, एक्स आफिशिओं, चीफ जस्टिस, आप बिल को पढ़िए । शायद शिक्षा शंत्री जी ला भी जानते है ।

राज्यपाल—पदेन

उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधिपति—पदेन

तीन व्यक्तियों का चयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है—एक का चयन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की, सलाह से किया जाना है, इसके पश्चात केन्द्र सरकार का एक पदेन प्रतिनिधि होगा, और केन्द्र सरकार का एक और पदेन प्रतिनिधि होगा, वित्त मन्त्रालय से केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि होगा,

मेयर,

एक ऐसा अधिकार जिसका पद महालेखाकार से नीचे न हो। एक बात होनी चाहिए। कलकत्ता के म्यूजियम के लिए दिल्ली से बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों को जाना चाहिए और एक दिन का भत्ता 8000 रुपए एक मीटिंग का होना चाहिए । ये जो सारी म्यूजियम की मीटिंग्स होती हैं, उनसे मैंने यह नतीजा निकाला है । इन मीटिंग्स में जाने के लिए दिल्ली से 20-20 आदमी, 5 मिनिस्टर, 5 सेक्रेटरी चलते हैं । कहाँ जा रहे हैं, हमारे म्यूजियम की मीटिंग है वहां पिकनिक स्पाट पर जाना है । गवर्नर साहब को इस बात को देखने की फुर्सत नहीं है । उसमें पार्लियामेंट का कोई मेम्बर नहीं होता और न ही कोई रिप्रज़ेंटेटिव होता है । बस 2-4 अमेंडमेंट कर दें। और लोगों के सामने रख दें । यह आप क्या कर रहे हैं ? गवर्नर साहब नहीं आएंगे, चीफ जस्टिस नहीं आएगे, पित्तांस सेक्रेटरी नहीं आएंगे, कौन जाएगा, वे जिसको चाहेंगे उसको भेज देंगे और कैसे भेज देंगे तो आप कह रहे है कि :—

"यदि उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में उल्लिखित कोई न्यासी, न्यासियों की किसी बैठक में उपस्थित न हो

> सकता हो, तो वह सभापति की पूर्व अनुमति से लिखित रूप में किसी व्यक्ति को इसके लिए प्राधिकृत कर सकता है।"

इसके पीछे क्या उद्देश्य है ? पहले तो गवर्नर साहब लिखेंगे कि वे साहब नहीं आ रहे हैं, इनकी जगह ये आ रहे हैं और इसको अपूव करिए। आप इतना ही कह दिजिए कि मेरी जगह पर वे आ रहे हैं। होना यह चाहिए कि मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह स्टेट मिनिस्टर आ रहे हैं, बस बात खत्म हुई, लेकिन नहीं। इसके लिए अपूवल लें गवर्नर साहब का।

ये जो बिल इस प्रकार से पेश करते हैं, इसमें कभी यह भी देखा जाए कि इसमें कोई रिप्रजेंटेटिव भी है या नहीं। किन-किन आदमियों को लगाना चाहिए। आप इस एक्ट को एमेंड कर रहे हैं। इसकी क्लाज छः को आप देखें :

> "न्यासी किसी व्यक्ति को सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।"

एक्स वाई जैड किसी को भी सैक्रेटरी बनाया जा सकता हैं। कौन सैक्रेटरी और कौन राजा महाराजा ? कुछ लोग हैं जो ट्रस्टी बन गए है। किसी को सैक्रैटरी बना देंगे। अब इसकी क्या जरुरत है ? क्यों नहीं ट्रस्टीज़ को ही एमेंड किया जाता है ? अब सैक्रैटरी क्या करेगा ? इस में लिखा हुआ है :

> "न्यासियों की ओर से पैसे की अदायगी के आदेश दो न्यासियों द्वारा ओधि-प्रमाणित और हस्ताक्षरित किये जायेंगे और सचिव उनपर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।"

वह काउंटरसाइन करेगा। आप एक्ट को एमेंड कर रहे हैं तो भेहरबानी करके एक्ट को थोड़ा आप गहराई से देख तो लें। आपको चाहिये था कि आप वकीलों से, म्यूजियम वालों से सलाह लेते और तब संशोधन लाते। इसके बजाय ब्यूरोक्रेट्स ने जो कुछ आपको लिख कर दे दिया उसको आप ने ला कर हमारे सामने रख दिया और हम से पारित करवा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिये।

मुझे आप बताए कि कितनी मीटिंग होती हैं और एक मीटिंग पर कितना खर्चा होता है। पंद्रह मैम्बर हुए, एक्स आफिसों मैम्बर हुए वे सब जाते है और खर्चा होता है। कितना एक मीटिंग पर होता है यह तो आप बता दे। किसी की अपनी औरत के साथ लड़ाई हुई और उसने कहा कि मुझे जाने दो और सैक्रैटरी ने कहा घुम आएगी, हवाई जहाज़ में चली जाएगी, खाना गवर्नर साहब दे देंगे और वह चली गई। 1981 में इस तरह के बिल ला कर और उनको पास करवा कर आप बड़े खुश होते हैं। कोई परपज उस एमेंडमेंट का नहीं होता है।

पार्लिमेंट की सबार्डिनेट लैजिस्लेशन कमेटी होती है। वह रिपोर्ट देती है। जब उसकी रिपोर्ट को नहीं माना जाता है तो यह हाउस का अपमान होता है। ब्यूरोक्रेट्स को जितने रुल्ज और रेग्युलेशंज होते हैं उन सब को टेबल पर रखना चाहिये। लेकिन वे पांच-पांच और दस-दस साल तक परवाह ही नहीं करते हैं। वे समझते है कि ये तो खुदा के बनाए हुए रुल्ज़ है।

इनको रखने की क्या जरुरत है। इतने वे शक्तिमान हैं। त्रिपाठी जी ने एक बार कहा था कि हम लोग तो कैज्युअल लेबर हैं और ये परमानेंट लेबरज़ हैं।

स्मारक किस काम आते हैं? विकटोरिया बड़ी बहादुर औरत थी। लेकिन जिस के ज़माने में सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों को फांसी दी गई उससे आंखों में खून उतर आता है।

मैं चाहता हूं कि इस को पास करवाने के वजाय इसको आप वापिस ले लें।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : सभापति महोदय अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में बहुत वर्ष पहले दिए गए आश्वासन को पूरा करने का अचानक ध्यान आ जाने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं।

यह बहुत अच्छी बात है। में कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। मैं वे बातें नहीं दोहराऊंगा जो मेरे माननीय साथी कह चुके हैं। अब समय आ गया है कि संग्रहालयों अभिलेखागारों तथा पुस्तकालयों से संबंधित इन सभी पुराने अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सभी संग्रहालयों के लिए कोई एक सा कानून बनाया जाना चाहिए। संसद की एक संयुक्त चयन समिति बनाई जाये और विशेषज्ञ बुलाये जायें ताकि हम संग्रहालयों जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए एक संयुक्त कानून बना सकें।

महोदय, बहुत सी घटनायें हुई हैं। पचास वर्ष पहले संग्रहालयों के प्रति हमारा दृष्टिकोण उससे बिल्कुल ही भिन्न था जो आज हैं अब प्रदर्शन की ये वस्तुएं बहुत मूल्यवान हो गई है। मुझे बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय का न्यासी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं सरकार द्वारा मनोनीत किया गया सदस्य था। मैंने वहां काम किया और यह पाया कि वित्तीय कठिनाइयां इतनी अधिक थी कि अन्ततोगत्वा हमें प्रवेश शुल्क लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति मांगनी पड़ी। मैं प्रवेश शुल्क के खिलाफ नहीं हूं बशर्ते कि वह नाममात्र हो परन्तु जब तक हम धन इकठ्ठा करेंगे तब तक प्रदर्शनीय वस्तु नष्ट हो चुकी होगी या रद्दी की टोकरी में जा चुकी होगी।

अतः, महोदय सभी संग्रहालयों पर एक साथ नियंत्रण रखने के लिए हम एक संयुक्त विधान बनायें और तब इन पुराने अधिनियमों को रद्द कर दें। इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि सभी संग्रहालयों के लिए एकसे नियम हों। कुछ अपवाद किये जा सकते हैं, यदि मूल न्यायपत्र कुछ निहित शर्तें हों तो उसे संग्रहालय के लिए एक या दो नियम अलग बनाये जा सकते है लेकिन अब वह समय आ गया है जब हमें संग्रहालयों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए।

महोदय, जैसा कि बताया गया है, यह सच है कि राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्य न्यायाधिपति जैसे व्यक्तियों के साथ एक बैठक करने के लिए एक सामान्य तारीख निश्चित करना कठिन है। इसलिए श्री डागा ने ठीक ही पूछा था कि अब तक कितनी बैठकें हुई हैं। बहुत कम। सारी बातें संग्रहालय के क्यूरेटर या किसी नौकरशाह पर छोड़ दी जाती हैं जो इधर-उधर के सुझाव देता रहता है लेकिन संग्रहालय को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी समग्रता की गहराई में नहीं जाता। ये पदेन सदस्य वास्तव में कलात्मक वस्तु विशेषज्ञोंका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसलिए, यदि सरकार आज यह आश्वासन दे कि वह सभी संग्रहालयों पर नियंत्रण रखने के लिए एक संयुक्त विधेयक लाने के लिए इन्हीं लाइनों पर विचार करेगी तो

हम कुछ ठोस सुझाव दे सकते हैं। महोदय, संग्रहालयों का एक बोर्ड है। लोकसभा का एक सदस्य और राज्य सभा का एक सदस्य उससे संबद्ध है। मुझे भी 1973 में इस निकाय में निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महोदय आज तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। मैंने जनता सरकार में अपने शिक्षा मंत्री से यह पूछा था कि आप बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया था कि यह बहुत भारी भरकम निकाय है मैं इसे एक संयुक्त निकाय बनाने जा रहा हूं और उसके बाद ही इसकी बैठक बुलाऊंगा। इस बीच सरकार बदल गई। अब नये मन्त्री आ गये हैं। वह बोर्ड अब बेकार हो गया है। मेरा कहना यह है कि सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूं कि व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए स्थानीय विधायकों, संग्रहालय के विशेषज्ञों और संसद सदस्यों को इससे संबद्ध किया जाना चाहिए। लोक सभा और राज्य सथा के जागरूक सदस्य तथा स्थानीय विधायक संग्रहालयों के पूर्ण विकास में बहुत रूचि लेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, हमारे देश में बहुत सी बहुमूल्य कलात्मक वस्तुएं हैं। हमारे देश में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। उन्हें बहुत ही खराब स्थिति में रखा जा रहा है। बम्बई स्थित 'प्रिंस आफ वेल्स' संग्रहालय की गुम्बद में दरार पड़ गई थी। उसकी मरम्मत करने में $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये की आवश्यकता थी। संग्रहालय के पास धन नहीं था। क्या मैं आपको बता सकता हूं कि उन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों से आवश्यक धन राशि प्राप्त करने में 10 वर्ष लग गये? मैं आपको हार्दिक बधाई देता यदि आप संग्रहालयों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक सभा के सामने लाये होते। महोदय, यहां केवल अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को दिये गये आश्वासन को ही पूरा करने का प्रश्न नहीं है। यदि आप वैसा करते तो मैं आपको दोहरी बधाई देता।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय संग्रहालयों से सम्बद्ध सभी समस्याओं की ओर ध्यान देगें और देश में सभी संग्रहालयों के लिए समान नियम बनाये जायेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि वह देश के सभी संग्रहालयों के रख-रखाव, संरक्षण तथा विकास के लिए ठोस कदम उठायेंगे। तथ्य यह है कि जो भी विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं, वह हमारे देश की सभी कलाकृतियों तथा संग्रहालयों को काफी महत्व प्रदान करते हैं। वह हमारी कला-कृतियों की भरपूर सराहना करते हैं परन्तु देखने में यह आया है कि हमारे कुछ संग्रहालय तो ऐसे हैं जहाँ प्रकाश का भी उचित प्रबन्ध नहीं है। यदि आप लन्दन या अन्य किसी देश में जायें, तो आप देखेंगे कि उनके संग्रहालयों में प्रकाश की उचित व्यवस्था होती है। उन्हें स्वच्छ तथा आकर्षक हालत में रखा जाता है तथा उन्हें नियमित रूप से पर्यटकों को दिखाया जाता है। अतः आपको भी यह देखना चाहिए कि हमारे संग्रहालयों में भी प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। संग्रहालयों को रात को भी दर्शकों को दिखाया जाना चाहिए। इससे पर्यटन को प्रौत्साहन मिलेगा। संग्रहालय से पर्यटन विकास में संग्रहालयों का स्थान महत्वपूर्ण हो गया है। संग्रहालयों के लिए समान विधान तथा सजातीय नियम बना कर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन लक्ष्यों की ओर अपेक्षित ध्यान देगी।

श्री बापूसाहिब पारुलेकर (रत्नगिरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, इसके सम्वन्ध में कुछ और सुझाव देना चाहता हूं।

जहां तक विधेयक के नाम का सम्बन्ध है, मैं अपने माननीय सहयोगी के साथ पूर्णतः सहमत हूं कि इसका नाम "विक्टोरिया समारक अधिनियम" बदला जाना चाहिए तथा इस संग्रहालय का नाम अपने ही देश के किसी महान् व्यक्ति के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं

डा० पण्डित द्वारा दिये गये इस सुझाव से भी सहमत हूं कि देश के सभी संग्रहालयों के लिए समान नियम बनाये जाने चाहिए।

श्रीमान जी, जहां तक अधिनियम का नाम बदलने का प्रश्न है, यदि इसका नाम बदला जाना है तो फिर यह भी अनिवार्य है कि अधिनियम की प्रस्तावना जो कि निम्न प्रकार से हैं, में भी परिवर्तन किया जाये :

> "जब कि आशय यह है कि यूनाईटेड किंगडम आफ ग्रेड ब्रिटेन तथा आयरलैंड की महारानी तथा भारत की सम्राज्ञी, महामहिम स्वर्गीय विक्टोरिया के शासन काल तथा जीवन से सम्बन्धित एक स्मारक भवन बनाया जाये···"

अतः 1903 के अधिनियम में यह है और यह आज तक चला आ रहा है।

क्या हम महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी मानते है तथा उनके जीवन तथा शासन की स्मृति के स्मारक में रूप ही यह भवन है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं करते तब तक हमारे माननीय सहयोगी द्वारा इसके नाम में परिवर्तन करने के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अधिनियम की प्रस्तावना तथा उसके नाम में परिर्वतन करने के सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

अतः मैं बहुत विनम्र ढ़ंग से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेरे सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, इस विधेयक को वापिस ले लें और एक नया विधेयक प्रस्तुत करे जिसमें कि प्रस्तावना में भी परिर्वतन किया गया हो।

दूसरा सुझाव मैं संग्रहालयों के बारे में देना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय मित्रों द्वारा पहले ही सुझाव दिये जा चुके है। हमें इसके लिए समजातीय नियम बनाने चाहिये तथा विभिन्न विधानों में अन्तर नहीं होना चाहिए।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यदि इसका उद्देश्य अच्छा है······

सभापति महोदय : क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्तावना में जो कुछ है, वह विधेयक पर ही लागू होता है ?

श्री बापूसाहिब पारुलेकर : यह अब भी चल रही है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं अब जबकि हम इस विधेयक में परिवर्तन करने जा रहे हैं– इतने वर्षों के बाद तो हमें इसमें परिर्वतन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है—तो हमें इस प्रस्तावना विशेष में भी परिवर्तन करना चाहिए। श्रीमान जी, मैं श्री अराकल के साथ इस बात पर भी सहमत नहीं हूं कि स्मारक होना ही चाहिए। मैं उनके साथ पूर्णतया असहमत हूं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन स्मारकों को हटाकर उनके स्थान पर महात्मा जी, पंडित जी, सुभाष चन्द्र बोस आदि के स्मारक बनाये जाने चाहिए। इस संग्रहालय विशेष का नामकरण भी पुनः किया जाना चाहिए। अतः मेरा निवेदन है कि प्रस्तावना में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

श्रीमान जी, उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :

> "यह प्रस्ताव है कि इस धारा का समुचित रूप से संशोधन किया जाये जिससे की उसे व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सके, जैसे कि न्यासियों ने सिफारिश की है।"

निसंदेह मैं नहीं जानता कि न्यासियों के सम्बन्ध में इनकी सिफारिशें क्या हैं। अब मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि न्यासियों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उल्लेख किया है।

[श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए।]

मुझे ऐसा नही लगता कि व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया हो। इस सम्बन्ध में मैंने विशेष रूप से इसी खण्ड के बारे में संशोधन दिया है और सुझाव दिया है कि कुछ अन्य व्यक्तियों के रूप में इससे सम्बद्ध किया जाये। मूल अधिनियम में बंगाल वाणिज्य चैंम्बर के अध्यक्ष का उल्लेख एक न्यासी के रूप में किया गया है। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आया कि व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने में उद्देश्य से अब उसका नाम न्यासियों में से क्यों हटा दिया गया है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि यह स्मारक पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। अतः यह अनिवार्य है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लोगों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि मेरा संशोधन संख्या 8, जो निम्न प्रकार है, उसे स्वीकार करके प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है :—

> "पश्चिम बंगाल विधान सभा के दो प्रतिनिधि जो कि विधान सभा द्वारा ही चुने जाये और पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मन्त्री।"

यदि आप खण्ड 2 जिसमें न्यासियों के नाम दिये गये है, को देखें, तो उनमें पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा निगम के मेयर के ही नाम हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं पश्चिम बंगाल सरकार के अधिक प्रतिनिधियों को न्यासियों में शामिल किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात मुख्य धारा (2) की उप धारा (दो) में कहा गया है :

> "(3क) यदि उपधारा (1) के खंड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में निदिष्ट न्यासियों में से कोई न्यासी न्यासियों के किसी बैठक में हाजिर होने में असमर्थ हैं, तो वह अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा।"

यह सभी व्यक्ति जिसका उल्लेख खण्ड (ख), (घ), (ङ) (च), (छ) और (ज) में किया गया है, वह सभी पदेन अधिकारी होंगे। अतः मुख्य न्यायाधीश अपने निजि सचिव या स्टेनोग्राफर को नियुक्त कर सकता है? ऐसा हो सकता है परन्तु वह एक अलग मामला है। हमें यह मालूम नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। परन्तु जन विधान बनाया जा रहा है तो उस समय इसका उल्लेख भी कर ही दिया जाना चाहिए कि किन योग्यताओं के व्यक्ति को पदेन न्यासी

इन बैठकों में भाग लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह एक त्रुटि है और इससे उप धारा (2) के खण्ड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में उल्लित विशेष प्राधिकारी को मुख्तारी का अधिकार दिया गया है।

इसके आगे आपने यह भी कहा है कि चेयरमैन से पूर्व मंजूरी लेकर ऐसा किया जा सकता है। मैंने विधेयक का अध्ययन किया है और अध्ययन करने पर मुझे कहीं भी ऐसा प्रावधान देखने को नहीं मिला है जिसके अन्तर्गत चेयरमैन की नियुक्ति की जा सकती हो। विभिन्न न्यासियों का चेयरमैन कोन होगा ? विधेयक में उल्लेख किया गया है पहले चेयरमेंन की मंजूरी ली जानी चाहिए। जब अधिनियम में सभापति के चयन की व्यवस्था न की गई हो।

खण्ड 2 (एक) के अन्तर्गत, न्यासियों को कुछ व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों में से 4 व्यक्तियों की नामजंद करना पड़ता है। अब यह न्यासी कौन कौन से हैं ? जिन व्यक्यिों की नियुक्ति खण्ड 2 (एक) के अन्तर्गत की जाती है, वह भी न्यासी है। इसलिए इस बात का उल्लेख करना अनिवार्य है, आरम्भ में चार व्यक्तियों की नामजंदगी इसी खण्ड में (क) से (ज) में उल्लित न्यासियों द्वारा ही की जाएगी।

अब मैं विधेयक के खण्ड 4 के बारे में कहना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत नई धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया है। इसका उल्लेख श्री डागा द्वारा भी किया गया था। क्या यह अनिवार्य है कि विनियमन बनाने के लिए न्यासियों को शक्ति प्रदान की जाए ? विनियम, नियम तथा मुख्य अधिनियम के उपबन्ध हैं और इस अधिनियम को लागू करते समय इन सभी उपबन्धों का ध्यान रखना होगा जो एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। मेरा सुझाव यह है कि खण्ड का लोप कर दिया जाए और इसके स्थान पर नियम बनाने की सभी शक्तियां खण्ड 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रदान कर दी जाये ताकि जो परस्पर विरोधी बातें विधेयक तथा अन्य अधिनिपभी में है, वह यहां न दो। खण्ड 4 का लोप किया जाये।

यदि माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये तथा मेरे द्वारा विशेष रूप से प्रस्तावना में संशोधन करने सम्बन्धी सुझावों पर विचार किया जाये, तो मैं समझताहूं कि इस विधेयक को वापिस लेकर, इसे नये ढ़ंग से तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं विधेयक के उद्देश्यों का स्वागत करता हूं परन्तु जिस ढ़ंग से यह विधेयक तैयार किया गया है, तथा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, इस बिल के सिलसिले में बहुत सारी बातों की चर्चा हुई है। मैं इसके एक दो सवालों पर बोलते हुए अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। 1903 में इसका ओरिजिनल बिल बनने के बाद इसमें कुछ तरमीमें हुई थीं जिसके मुताविक भारतीय इतिहास के एक म्यूजियम के रूप में इसको रखने का प्रावधान किया गया था। अभी कई माननीय सदस्यों ने इसके नाम की चर्चा की है और उसमें तबदीली करने की मांग की है। उसके लिए उन्होंने अपने सुझाव पेश किये हैं और यह सही भी है। सही इसलिए है कि आजादी के बाद इतने साल गुजर गए, इसके बाद भी गुलामी के अवशेष हम लोगों के सामने मौजूद रहें इस रूप में यह किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए शोभनीय बात नहीं कही जा सकती। विक्टोरिया का नाम हटाने के पीछे जो तथ्य है और जो समझ है वह समझ यह नहीं कि अगर इंग्लैंड के कोई ऐसे आदमी होते जो हमारे देश के प्रति वफादार होते, जो हमारे देश

की तरक्की चाहते होते, हमारी आजादी की लड़ाई का समर्थन किए होते, उसके नाम पर यह मेमोरियल होता तो हम लोग निश्चित तौर पर उसका स्वागत करते लेकिन विक्टोरिया के भारत विरोधी इतिहास की की चर्चा मैं करना नहीं चाहता, सभी लोग जानते हैं और इसलिए जो आज यह मांग उठ रही है या इसके पहले जो मांग उठी है जिसमें नाम बदलने की मांग की गई है, मैं समझता हूं वह दुरुस्त है।

एक ऐन्युअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, डिपार्टमेंट आफ सोशल वेलफेयर एंड कल्चर की 1977 की, उसमें दो बातों पर इस सिलसिले में चर्चा की गई है। एक बात की चर्चा तो यह की गई है कि विक्टोरिया मेमोरियल हाल में जो दरबार-हाल है उसका रिमोडेलिंग किया जाएगा ऐज़ ए पीपल्स हाल के रूम में। और वहां पर एक आडोटोरियम कम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक बनाया जायेगा। मन्त्री महोदय ने संशोधन विधेयक पेश करते हुए इस स्वाल पर कोई चर्चा नहीं की। यह सदन इस बात को जानना चाहेगा कि कई साल हुए, इस सिलसिले में जो तजवीजें आई, जो रेक्मेंडेशन्स की गई हैं आखिर उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है।

दूसरी बात यह है कि उसी एनुअल रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा की गई है कि इस मेमोरियल के अन्दर एक सेन्टर (केन्द्र) स्थापित किया जायेग। जिसमें कलकत्ता के सिलसिले में एडवान्स्ड स्टडी की व्यवस्था रहेगी। मैं जानना चाहूंगा कि यह ज़ो दो सुझाव दिए गए उनके सम्बन्ध में आभी तक क्या प्रगतिहुई है, अगर कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है? इस बात में तो कोई शक नहीं है कि यह जो सुझाव हैं वह बहुत अच्छे हैं और उनको बाज़ाब्ता एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी आफ ट्रस्टीज़ ने मंजूर किया है। फिर कोई वजह नहीं है कि जो इतने अच्छे सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल किया जाए।

अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बात की चर्चा की है कि इसमें सन् 1700 से लेकर 1900 तक का जो राष्ट्रीय आन्दोलन रहा, उस देशभक्ति के अन्दोलन की यादगार को संज़ोकर रखा जाए। जहां तक नामों का सम्बन्ध है; यहां पर कुछ नाम आए हैं और मैं समझता हूं खासतौर पर बंगाल स्टेट से जो सरोकार रखते हों उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। देश के ऐसे शासक जोकि इस देश के खिलाफ रहे हों उनका मेमोरियल संजोने की कोशिश की जा रही है, इसको समाप्त करके देशभक्तों की यादगार को संजोने की कोशिश की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवल) : माननीय सभापति जी, जहां तक इस बिल के कानूनी पहलू का प्रश्न है, श्री मूलचन्द डागा, श्री अराकल और श्री पारुलेकर ने जो कुछ कहा है उससे में सहमत हूं। इसमें एक व्यवस्था यह भी होनी चाहिए कि कोई भी बिल जब पार्लमेंट में आए तो ड्रैफ्ट रूल साथ में आने चाहिए ताकि सही तरीके पर उन पर विचार किया जा सके। इस बिल से स्पष्ट है कि इस मेमोरिल का इन्तज़ाम पूरी तरह से नौकरशाही को मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि यह विक्टोरिया मेमोरियल बिल जो है वह एक काला, ब्लैक मेमोरियल बिल है। इसकी बिल्डिंग जो है उसमें जब हम घुसते हैं तो मामूल होता है कि हमारी बेबसी का, हमारी परतंत्रता का कैसा रूप रहा है। जब हम नीचे के हिस्से में जाते हैं तब भी हमें अपने देश के बारे में

कुछ भी देखने को नहीं मिलता, केवल एक कोने में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के फोटो हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों को एक कोने में इकट्ठा करके कारागार में डाल दिया गया है। एक तो इस मेमोरियल का जो नाम है उसको तुरन्त बदला जाए क्योंकि यह नाम हमारी गुलामी का प्रतीक है। इन सारे चिन्हों को मिटा कर, विक्टोरिया मेमोरियल नाम रखने के बजाए, जिन्होंने अंग्रेजी पुलिस से टक्कर लेने के लिए आजाद हिन्द फौज का गठन किया था उस सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा जाए ताकि इस देश के लोग समझ सकें कि इस देश के महान पुरुषों ने किस तरह से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की हुकूमत से टक्कर ली थी।

जहां तक उसमें जो सामग्री है, यह हमारी परतन्त्रता का प्रतीक है, साम्राज्यवादी वैभव की प्रतीक है, उसको हटाने और 75 फीसदी जो बंगाल में महानपुरुष हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनमें उनके इतिहास के पन्ने जोड़ने चाहिए, उनकी स्मारक सामग्री होनी चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि इस विक्टोरिया मिमोरियल का हमारे ऊपर जो काला धब्बा है, वह मिट सकेगा और भारत के लोगों के लिए आप फीस लगा रहे हैं उसमें घुसने के लिए कि वे जाकर देखें कि हमारी परतन्त्रता की हालत क्या रही थी। एक और अजीब बात है कि कुछ विशेष तारीखों के बाद कोई इतिहास का पन्ना उसमें नहीं जोड़ा जा सकता ताकि हमेशा हम अंग्रेजी हकुमत के कारनामों को याद करते रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे इतिहास के पन्ने उसमें न जुड़ पायें यह रिस्ट्रीक्शन हटानी चाहिए।

इसके अलावा मैं वहां के कर्मचारियों के बारे में जरूर कहूंगा। बिला-रिस्ट्रीकशन, बिला—किसी क्राइटेरिया के तय किए हुए किस तरह की सर्विस कंडीशन्स होंगी, इस तरह के पूरे अधिकार ट्रस्टीज को दे दिए गए हैं, जो कि आज के जमाने में इस तरह के अधिकार देना उचित नहीं है। यह तो एक्ट के मातहत ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि वहां के ट्रस्टी और वहां का मैनेजमेंट उन कर्मचारियों के साथ अन्याय न कर सके। आज भी वहां के कर्मचारियों के साथ अन्याय होता है और उन लोगों की बातों को सुना नहीं जाता है। जब तक हम एक्ट में इस तरह का संशोधन नहीं करेंगे, तब तक वहां के कर्मचारियों को संरक्षण नहीं मिल पाएगा। वहां के कर्मचारियों को संरक्षण दिलाना हमारी जिम्मेदारी है।

हमको वहां पर यह भी पता लगा है कि यह विक्टोरिया मिमोरियल इसी तरह से रखना चाहते हैं और इसकी टक्कर का एक राष्ट्रीय महापुरुषों का एक दूसरा साम्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम धन इतना खर्च करें, जब हमारे पास एक बिल्डिंग है और उसमें सारी व्यवस्था है, केवल कुछ सामग्री को हटाना है और कुछ राष्ट्रीय सामग्री लानी है। स्वामी विवेकानन्द से लेकर रानी रासमति देवी तक और वहां भी एक से एक बड़े व्यक्ति पैदा हुए हैं, जो जनता के लोग रहे हैं, सुभाष चन्द्र बोस के नाम से इस मिमोरियल को कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश इसका स्वागत करेगा और हमारे अन्दर भी एक हिम्मत जगेगी कि किस तरह से हमने अंग्रेजी साम्राज्यशाही से टक्कर ली थी।

इतना कहते हुए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह से बिल में संशोधन करके, पूरे के पूरे एक्ट को डिलीट करके एक नया एक्ट लायें और हमारे लिए एक प्रेरणा दें।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : चूंकि मैंने समय पर अपने संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया—इसलिये अब मैं वाद-विवाद का रुख देखते हुये—आपकी अनुमति चाहता हूँ। यदि

माननीय मन्त्री महोदय भी इससे सहमत है—तो आप प्रस्ताव करें कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए। उस दशा में, मैं नहीं समझता हूँ कि इस विधेयक को पारित करने की कोई जल्दी है जब कि नौ वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। निःसन्देह, जो वायदा आपने कानून में संशोधन करने के लिए किया था, पूरा हो गया है। यदि इस बात पर सहमत हैं तो इस प्रवर समिति के गठन के लिये 10 सदस्य लोक सभा के तथा 5 सदस्य राज्य सभा के हों। माननीय मन्त्री महोदय सदस्यों की सूची की घोषणा करें। यदि यह स्वीकार्य है तो मैं इस संशोधन का प्रस्ताव करने के लिये आपकी अनुमति तथा माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं श्री शेजवलकर के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए :

सभापति महोदय : आप कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं इसे सभा के मत विभाजन के लिए नहीं रखना चाहता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं उसके लिए मैं दोनों पक्षों के सदस्यों के प्रति आभारी हूँ। मुझे कभी आशा नहीं थी कि ऐसा सादा विधेयक सभा के सदस्यों से बीच इतना उत्साह पैदा कर देगा ; और पूरे वाद-विवाद से ऐसा लगता है मानो यह विधेयक पहली बार लाया जा रहा है और इसलिए विक्टोरिया स्मारक हाल तथा अन्य बातों पर विचार किया जा रहा। यह बड़े सादे रूप से संशोधन करने वाला विधेयक है जिसकी वास्तव में, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। विक्टोरिया स्मारक हाल द्वारा प्रवेश शुल्क लिया जाता था और वे उस क्षेत्र में कुछ विनियमों की घोषणा करवाना चाहते थे। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि दोनों बातों को अधिनियम की शक्तियों के अन्तर्गत लाना पड़ेगा। जब तक विधेयक में संशोधन नहीं हो जाता है तब तक इसे हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे शुल्क ले रहे थे तो भी अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की राय यह थी कि जब तक हम अधिनियम में विशेष उपबन्ध नहीं कर लेते तब तक हम शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए, ये मुख्य आपत्तियां थी जिनको सरकार ने इस विधेयक में संशोधन करते समय ध्यान में रखा है। निश्चित रूप से, मैं माननीय सदस्यों से पूर्ण रूप से सहमत हूंगा कि यदि यह कानूनी रूप से तथा संवैधानिक रूप से संभव है वह न्यास विलेख के अन्तर्गत यदि स्मारक बनाया जा रहा है और यदि हम तथा अन्य विचारों को बदलना चाहेंगे कि जो भूल अभिदाताओं के ध्यान में थे। क्या हम इसे कानूनी रूप से तथा संवैधानिकरण से कर सकते हैं या नहीं यह ऐसा मामला है जिस पर वास्तव में सरकार ने अपना दिमाग नहीं लगाया है। जैसाकि माननीय सदस्य श्री पंडित ने सुझाव दिया, यदि हम सभी संग्रहालयों के लिये किसी प्रकार की विधान सभा बना सकते हैं—तो यह सम्भव है परन्तु सरकार ने ध्यान नहीं दिया है—मैं कह रहा हूं कि उन सभी सुझावों पर विचार किया जा सकता है जो माननीय सदस्यों ने यहां पर दिये हैं परन्तु इस अवस्था में मेरे लिए यह बहुत ही मुश्किल है।

श्री एन० के० शेजवलकर : कृपया सभा को आश्वासन दीजिए कि आप इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं यहां पर सभी बातें कह रहा हूँ। मेरी ओर से किसी किस्म का सभा को आश्वासन देना सही नहीं होगा। सभी प्रकार की बातें सभा में कही जा चुकी हैं और एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया है कि लोकतंत्र अफसरशाही में बदल गया है।

मेरा अनुभव यह रहा है कि ये ऐसे मामले हैं जो सभी विषय वस्तु के भाग हैं। यदि माननीय सदस्य इन मामलों में विशेष रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके नामों पर विशेष अवस्था में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे वहां पर अभिदाता हैं। यदि आप अभिदाता नहीं है और यदि केवल आप संसद सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य होने के कारण यह कहें कि हमारे वहां इतने सदस्य होने चाहिये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या ऐसी किसी बात का सुझाव देना मेरी शक्तियों के भीतर होगा। अब वे परिवर्तन जो किये जा सकते हैं, वे है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य व्यक्ति, निगम का मेयर तथा यदि वहां निर्वाचित नहीं है, यदि इसका अधिक्रमण हो गया है तो शायद वहां प्रशासक नियुक्त किया जाना है। परन्तु इन लोगों को क्यों ले लिया गया है इसका किसी किस्म का इतिहास है? कलकत्ता निगम में की गई बड़ी भारी वसूलियां हैं। उच्च न्यायालय में भी कुछ अभिलेख हैं। शिक्षा सचिव को केवल शिक्षा और संस्कृति का प्रभारी होने के कारण नियुक्त किया गया है और इसीलिए वे पश्चिम बंगाल सरकार के सभी प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकेंगे और उसके बाद उनकी सिफारिशों को न्यासी मंडल द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है यदि वे ऐसा करना सही समझते हैं। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमारे दो प्रतिनिधियों, एक मन्त्रालय के प्रतिनिधि के रूप में जिसका सम्बन्ध विक्टोरिया स्मारक से है और दूसरा वित्त विभाग का प्रतिनिधि है जो व्यय के मामले देखता है जिससे हम व्यय संबंधी मामलों में उनका सही रूप से मार्ग दर्शन कर सकेंगे। माननीय सदस्यों ने यह पूछा कि क्या इस स्मारक की कोई बैठकें हो रही हैं क्योंकि उनका अनुभव यह रहा है कि जैसाकि माननीय सदस्य श्री पंडित ने सुझाव दिया कि उनकी इस राष्ट्रीय संग्रहालय समिति में नियुक्ति की गई थी और पिछले दो वर्षों से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। मेरे पास 1979-80 का यह प्रतिवेदन है। पर विक्टोरिया स्मारक हाल की कार्यकारिणी समिति का प्रतिवेदन है, उन्होंने पृष्ठ दो का उल्लेख किया है कि कार्यकारिणी समिति की पांच बैठकें 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अर्थात् 13.7.1979, 27.8.1979, 26.12.1979, 17.3.1980 तथा 26.3.1980 को हुई थीं। मद 1050 से 1170 तक 66 मामलों पर निर्णय फाइलों के परिचालन के माध्यम से लिये गये थे।

इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं, कार्य हो रहा है, न्यास-मंडल द्वारा अनेक मदों पर भी विचार किया जा रहा है और उन्होंने कुछ मामलों पर निर्णय भी लिए हैं। राज्यपाल वहां हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पदेन सदस्य नियुक्त किया जा रहा हो और वे बैठक में भाग न ले केवल इस वजह से बैठक न होने का प्रश्न नहीं है।

डा० वसंत कुमार पंडित : आपने कल की फाइलों के परिचालन के माध्यम से निर्णय लिए गए थे। अतः कोई नियमित बैठकें नहीं हुई।

श्री एस० बी० चव्हाण : बैठक नियमित रूप से हुई थीं परन्तु अधिकांश मदों को फाइलों के परिचालन से अनुमोदित करवाया गया था।

हम पहली बार पदेन सदस्यों के बारे में प्रावधान कर रहे हैं—यदि वे जाने की स्थिति में नहीं हों तो क्या उन्हें अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने और बैठक में उपस्थिति होने के लिए अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये। अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है या नहीं, यह एक वैद्य प्रश्न है यदि इस समिति की कार्यवाही को वैद्य समझा जाना है तो अध्यक्ष को कोई व्यक्ति प्राधिकृत करना होगा। अन्यथा यदि उनकी अनुमति के बिना उन्हें अपने प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दे दी जाती है तो वे स्वयं नहीं जायेंगे और वे अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सचिव तथा अन्य लोग कलकत्ता तथा अन्य किसी स्थान पर सिर्फ शैर, सैर-सपाटे के लिए जाते हैं। मैं उन्हें बताऊं कि ऐसी बैठकों में जाने के लिए उन्हें बिल्कुल समय नहीं है। इसी कारण इस प्रकार का उपबंद किया जा रहा है। परन्तु हम यह चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को अधिसूचित किया गया है उसे स्वयं बैठक में उपस्थिति होना चाहिये। इस प्रकार का प्रतिबंध हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न समय पर जायेंगे।

श्री एम० बी० चव्हाण : यदि अध्यक्ष की अनुमति को जरूरत न हो तो निस्सन्देह वह सदैव किसी अन्य को भेजेंगे। हम इस पर ध्यान दे चुके हैं। एक बार वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम अधिसूचित हो जाता है तो उसे स्वयं बैठक में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि किसी महत्वपूर्ण कारण से वह बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए हम कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : इस उपबंध के संदर्भ में यदि पदेन सदस्य जाने की स्थिति में नहीं है तो वे किसी को कैसे भेज सकते हैं? उनकी क्या अर्हताएं हैं? क्या मुख्य न्यायाधिपति अपने सचिव या आशुलिपिक को भेज सकता? इसलिए कुछ अर्हताएं निर्धारित करनी चाहिए: अन्यथा कोई भी व्यक्ति जा सकता है।

श्री एम० बी० चव्हाण : मैं उस संशोधन का उल्लेख कर रहा था जिसका सुझाव एक माननीय सदस्य द्वारा दिया गया था जिसमें उन्होने यह सुझाव दिया था कि अध्यक्ष को अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि अध्यक्ष की अनुमति लेने को समाप्त कर दिया जाता है तो निःसंदेह निश्चित रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसकी सदस्य कल्पना कर रहा है। यदि एक बैठक में मख्य न्यायाधिपति जाने की स्थिति में नहीं है और अपने प्रतिनिधि को भेजता है तो बैठक के निर्णयों के प्रति मुख्य न्यायाधिपति बाध्य होगा। वह यह नहीं कह सकता कि चूंकि उसने बैठक में भाग नहीं लिया, इसलिए निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए तो हमें सभापति की अनुमति चाहिए। हमने इसे और अधिक सीमित बना दिया है जिससे कि हम देख सकें कि जिनके नाम दिये गये हैं वे आवश्यमेव जाकर बैठक में भाग लें।

एक माननीय सदस्य : सभापति कौन है ?

श्री चस० एी० चव्हाण : सभापति महोदय और सदस्यों की उपस्थिति की प्रणाली का सब विवरण अधिनियम में दिया गया है। यह तो एक संशोधन विधेयक है जिसमें हमने केवल इतना ही कहा है कि कौन-कौन सदस्य हैं और क्या-क्या परिवर्तन किए जाएं। शिक्षा मंत्री भी उसके एक सदस्य थे। मैं बड़ी संख्या में समितियों का या तो सभापत रहा हूं अथवा सदस्य। अतः शारीरिक रूप में मेरे लिए सभी बैठकों में उपस्थिति रहना असम्भव हो गया है। इसलिए तो शिक्षा मंत्री का नाम निकाल दिया गया है। परन्तु बड़ी संख्या में पदेन सदस्य उसमें रखे गये हैं।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : मेरे पास अब यहां विधेयक की एक प्रति है जिसे मैंने पुस्तकालय से प्राप्त किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं परन्तु मूल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सभापति कौन है।

श्री एस० बी० चव्हाण : तो यह पदेन सभापति हो सकता है। हम इसी परिपाटी का अनुपालन करते रहे हैं और मेरे विचार से अब तक इसमें कोई कठिनाई भी नहीं आई है।

मैं तो केवल निहार रंजन रे समिति की सिफारिशों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस समिति ने चार या पांच महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उनमें से एक यह है कि 1700 से 1900 की अवधि के कोई सौ भारतीय नेताओं और उस समय की घटनाओं को प्रवेश द्वार के निकट दीवारों पर खुदवा दिया जाए। एक अन्य सिफारिश यह की गई है कि दीर्घाओं का पुनःप्रतिरूपण करने के लिए एक बृहत परियोजना की जाए। जहां पर देश में 18 वी और 19 वीं शताब्दी के जन-साधारण के जीवन को उजागर किया जाए। एक अन्य सिफारिश यह की गई है कि स्मारक के जल-रंग चित्रों का वृहत वर्गीय सूचीपत्र तैयार करके प्रकाशित किया जाए। ये ही वे तीन या चार सुझाव हैं जो उन्होंने दिए हैं। मुझे बताया गया है कि न्यासियों ने लगभग सभी बातों को अंतिम रूप दे दिया है और वे बहुत शीघ्र ही मामले पर अंतिम निर्णय ले सकेंगे। विश्वविद्यालयों के कुछ विद्वानों को कुछ ब्यौरा देना है। जब तक वे यह ब्यौरा नहीं दे देते, न्यासियों के लिए अंतिम निर्णय लेना असम्भव है। परन्तु एक बड़ी सीमा तक न्यासियों ने सभी सुझाव कार्यान्वित कर दिये हैं।

अब मैं 1977-78, 1978-79 और 1978-80 इन तीन वर्षों की आय और व्यय का ब्यौरा देना चाहता हूं। 1977-78 में शुल्क से 2,08,000 रुपये की आय हुई और सेवाओं पर 2,60,000 रुपये व्यय हुए और स्थापना पर कुल 6.48 लाख रुपये का खर्च आया। बजट-योजना व्यय और गैर-प्लान व्यय लगभग ग्यारह लाख रुपये है। 1978-79 में शुल्क से 1.99 लाख रुपये की आय हुई और व्यय 2.50 लाख हुआ और स्थापना पर कुल व्यय 6.40 लाख रुपये हुआ तथा योजना और गैर-योजना बजट व्यय 12 लाख रुपये है। 1979-80 में 2.88 लाख रुपये की आय हुई, व्यय 3.55 लाख रुपये का हुआ और स्थापना पर कुल 8.55 लाख रुपये खर्च हुए और योजनागत और गैर-योजनागत व्यय 21.85 लाख रुपये है। यदि संभव हुआ तो आगामी वर्ष हम इस प्रावधान में पर्याप्त वृद्धि करेंगे।

जहां तक इस संशोधन विधेयक का संबंध है ये मुद्दे अत्यन्त ही संगत है। इसी सदन में बहुत-सी और भी बातों का उल्लेख किया गया था। जैसा कि मैं पहले ही सुझाव दे चुका हूँ,

जब कोई बड़ा विधेयक इस सभा में लाया जाता है तो उन सभी सुझावों पर विचार करने की वही उचित अवस्था होती है। मेरा सदन में निवेदन है कि वह इस विधेयक को पारित करे।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि जब तक न्यास में कुछ शर्तों और उनके न्यायिक यह पहलूओं पर विचार नहीं कर लिया जाता, यह कहना असम्भव है कि क्या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है।

परन्तु मेरा मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि क्या ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना संभव नहीं है जिससे प्रस्तावना में 'एक्सप्रैस इंडिया' शब्द निकाला जा सके? मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारी संविधि में इन विशेषणों और विशेषण खण्डों का बने रहना ठीक नहीं है और मेरे विचार से ऐसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए कि उसे एक्प्रेंस आफ इंडिया नाम से पुकारा जाए। अतः आप इस पर ध्यान देने और महरानी के शासन काल का स्मरण करने वाली इन बातों को निकालने के लिए कदम कब उठायेंगे? "एक्सप्रेस आफ इंडिया" शब्दों को यथाशीघ्र प्रस्तावना से निकाल दिया जाना चाहिए और मैं आपसे इन्हें निकलवाने के लिए निवेदन करता हूँ। कृपया सभा को आश्वासन दें कि आप ऐसा कब कर रहे हैं। नाम परिवर्तन की बात तो छोड़िये, हम इन्हें संविधि में रहने ही नहीं देना चाहते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : इन दो पहलूओं पर अलग से विचार किया जा सकता है। परन्तु इस अवस्था में कोई आश्वासन देना संभव नहीं होगा।

सरकार द्वारा इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ही, निश्चित रूप से एक विधेयक के रूप में इसे सदन के समक्ष रखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : सभापति महोदय क्या हम यह समझ लें कि इसे हटाने के लिए भी सरकार को गम्भीर रूप से विचार करना होगा? **(व्यवधान)** यह सच्चाई है कि रानी विक्टोरिया आपकी साम्राज्ञी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं विचार करने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

> "कि विक्टोरिया स्मारक अधिनियम 1903 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड 2

सभापति महोदय : मूल चन्द डागा जी, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : में अपने संशोधन प्रस्तुत तो कर रहा हूं परन्तु यदि मन्त्री महोदय स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है······

सभापति महोदय : क्या आप उन्हे प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 20,—

"अनुमोदन से" **के पश्चात** "आरम्भ में" **अन्तः स्थापित किया जाये।** (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 20,—

"अनुमोदन से" **के पश्चात** "खण्ड (क) से (ज) में उल्लिखित" **अन्तःस्थापित किया जाये।** (7)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 23 **के पश्चात** निम्मलिखित **अन्त : स्थापित किया जाये**—

"(ङ) पश्चिम बंगाल विधान सभा के दो प्रतिनिधि, जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

(ट) पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्य मंत्री;

(ठ) बंगाल वाणिज्य मण्डल का अध्यक्ष;"। (8)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 24 से 29 का **लोप किया जाये।** (9)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, अब 6 बज चुके हैं। उन पर कल विचार किया जाना चाहिए। अब सभा स्थगित की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तो 5-10 मिनट और की बात हैं।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अब हमें उठना चाहिए। आज के लिए इतना ही प्रर्याप्त है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कठिनाई यह है कि कल से हम राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह तो 5-10 मिनट का ही तो मामला है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मंत्री महोदय ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के प्रतिनिधियों की मांग को भी ध्यान में रखेंगे ?

सभापति महोदय : ठीक है। अब मैं श्री बापूसाहिब परुलेकर द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन संख्या 6, 7, 8 और 9 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : खण्ड 3 और 4 में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें सभा में मतदान के लिए रखता हूँ

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खन्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गये

खण्ड I

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1980" के स्थान पर "1981" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियम सूत्र

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1 पंक्ति 1,—

"इक्तीस" **के स्थान पर**

"बत्तीस" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

(श्री एस० बी० चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मंत्रणा समिति ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेकट सुब्बैय्या) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

6.06 ~~6.05~~ **म० प०—तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 18 फरवरी, 1981/29 माघ, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

मुद्रक : सबीना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद